# C O N T E N T S

**Seventeenth Series, Vol. V, Second Session, 2019/1941 (Saka)**
**No. 8, Wednesday, November 27, 2019 / Agrahayana 6, 1941 (Saka)**


| S U B J E C T | P A G E S |
|---|---|
| **ORAL ANSWERS TO QUESTIONS** | |
| *Starred Question Nos. 121 to 140 | 12-48 |
| **WRITTEN ANSWERS TO QUESTIONS** | |
| Unstarred Question Nos.1381 to 1610 | 99-641 |


* The sign + marked above the name of a Member indicates that the Question was actually asked on the floor of the House by that Member.

**PAPERS LAID ON THE TABLE** 642-649

**STANDING COMMITTEE ON HEALTH AND FAMILY WELFARE**
115th and 116th Reports 650

**MOTION RE: 9TH REPORT OF BUSINESS ADVISORY COMMITTEE** 650

**JAMMU AND KASHMIR RESERVATION (SECOND AMENDMENTS) BILL, 2019--WITHDRAWN** 651-652

**FELICITATIONS BY THE SPEAKER**
Successful launch of Cartosat-3 Satellite onboard PSLV 653

**SUBMISSION BY THE MEMBER**
Re: recent miltant attacks in Kashmir 655-657

**MATTERS UNDER RULE 377** 661-685

(1) Need to convert NH-60 in Bankura Parliamentary Constituency in West Bengal into a four-lane road.

Dr. Subhas Sarkar 661

(ii) Regarding environmental problems caused by Thermal Power Plants in Raichur Parliamentary Constituency of Karnataka

Shri Raja Amareshwara Naik 662

(iii) Need to upgrade Bhuj Airport as International Airport and also operate Air India Flight service between Bhuj and Mumbai on daily basis and also introduce a direct flight between Bhuj and Delhi.

Shri Vinod Lakhamshi Chavda 663

(iv) Regarding problems faced by patients affected by diabetes.

Shri Tejasvi Surya 664

(v) Need to review Free Trade Agreements

Shri G. S. Basavaraj 665

(vi) Need to develop “Shravan Pakar“, a place of mythological importance in Gonda Parliamentary Constituency, Uttar Pradesh as a tourist place.

Shri Kirti Vardhan Singh 666

(vii) Need to ease the process for issuance of birth-death certificate and copy of “Parivar register“ in Uttarakhand.

Shri Tirath Singh Rawat 667

(viii) Need to set up a Aakashwani FM Radio Station in Wardha district, Maharashtra

Shri Ramdas Tadas 668

(ix) Need to set up a para Medical College in Farrukhabad city, Uttar Pradesh

Shri Mukesh Rajput 668

(x) Regarding completion of work on Rimuli to Rajamunda stretch of National Highway No. 215 in Odisha

Shri Jual Oram 669

(xi) Need to construct a dam in Misrikh Parliamentary Constituency, Uttar Pradesh.

Shri Ashok Kumar Rawat 670

(xii) Need to develop and include religious places of historical importance in Bihar under Swadesh Darshan Scheme

Shri Gopal Jee Thakur 671

(xiii) Regarding installing solar energy and water recharging system in buildings.

Shrimati Darshana Vikram Jardosh 672

(xiv) Need to launch awareness programme about malnutrition among tribal people in the country.

Shri Arjunlal Meena 673

(xv) Regarding primary Agriculture Credit Societies in Kerala.

Shri Kodikunnil Suresh 674

(xvi) Regarding trade route between India and Bangladesh through Meghalaya

Shri Vincent H. Pala 675

(xvii) Need to address problems faced by nurses working in private hospitals.

Adv. Adoor Prakash 676

(xviii) Regarding drinking water problem in Ongole Parliamentary Constituency, Andhra Pradesh

Shri Magunta Sreenivasulu Reddy 677

(xix) Need to implement Pradhan Mantri Fasal Bima Yojana in proper and expeditious manner

Shri Talari Rangaiah 678

(xx) Need to enact necessary laws to curb air pollution.

Shri Shrirang Appa Barne 679

(xxi) Need to provide stoppage of Vaishali Express (train no. 12553/12554) and Bandra Terminal express (train no. 22913/22914) at Simri Bakhtiyarpur railway station in Saharsa district, Bihar.

Shri Dinesh Chandra Yadav 680

(xxii) Need to construct flyover on Allahabad-Mirzapur road in Uttar Pradesh.

Shri Shyam Singh Yadav 681

(xxiii) Regarding opening of Jawahar Navodaya Schools in Nagarkurnool Parliamentary Constituency, Telangana.

Shri Ramulu Pothuganti 682

(xxiv) Need to provide financial assistance to Kerala to rebuild the infrastructure and provide relief and rehabilitation to people affected due to floods in recent years

Adv. A. M. Ariff 683

(xxv) Regarding recommendations of Sachar Committee

Shri E. T. Mohammed Basheer 684

(xxvi) Need to provide employment on priority basis to local people in heavy industries in Barmer and Jaisalmer districts.

Shri Hanuman Beniwal 685

**STATUTORY RESOLUTION RE: DISAPPROVAL OF PROHIBITION OF ELECTRONIC CIGARETTES (PRODUCTION MANUFACTURE, IMPORT, EXPORT, TRANSPORT, SALE, DISTRIBUTION, STORAGE AND ADVERTISEMENT) ORDINANCE, 2019**

**AND**

**PROHIBITION OF ELECTRONIC CIGARETTES (PRODUCTION MANUFACTURE, IMPORT, EXPORT, TRANSPORT, SALE, DISTRIBUTION, STORAGE AND ADVERTISEMENT) BILL, 2019** 687-726

Dr. Harsh Vardhan 687-704

| | |
|---|---|
| Statutory Resolution-negatived | 715 |
| Motion to Consider | 716 |
| Clauses 2 to 18 and 1 | 716-726 |
| Motion to Pass | 726 |
| **SPECIAL PROTECTION GROUP (AMENDMENT) BILL, 2019** | 727-781 |
| Shri Amit Shah | 727-729<br>771-778 |
| Shri Manish Tewari | 730-738 |
| Dr. Satya Pal Singh | 739-744 |
| Shri A. Raja | 744-747 |
| Shri Sudip Bandyopadhyay | 748-751 |
| Shri Kuruva Gorantla Madhav | 752-753 |
| Shri Rajiv Ranjan Singh ' Lalan' | 754-755 |
| Shri P.R. Natarajan | 756 |
| Shri Jagdambika Pal | 757-759 |
| Shri N.K. Premachandran | 760-761 |
| Shri P. Raveendranath Kumar | 762 |
| Shri Hanuman Beniwal | 763-765 |
| Shri Rajiv Pratap Rudy | 766-768 |
| Shri Gaurav Gogoi | 769-770 |
| Motion to Consider | 778 |
| Clause 2and 1 | 779-781 |
| Motion to Pass | 781 |

**DADRA AND NAGAR HAVELI AND DAMAN AND DIU (MERGER OF UNION TERRITORIES) BILL, 2019** 782-798

Shri G. Kishan Reddy 782-783
796-797

Shri Mohanbhai Sanjibhai Delkar 784-786

Shri Lalubhai B. Patel 787-788

Shri B. Manickam Tagore 789

Shri Mohammed Faizal P.P 790-792

Prof. Sougata Ray 793

Shri N. Reddeppa 794

Motion to Consider 797

Clauses 2 to 23 and 1 797-798

Motion to Pass 798

**ANNEXURE – I**

Member-wise Index to Starred Questions 819

Member-wise Index to Unstarred Questions 820-824

**ANNEXURE – II**

Ministry-wise Index to Starred Questions 825

Ministry-wise Index to Unstarred Questions 826

# OFFICERS OF LOK SABHA

## THE SPEAKER

Shri Om Birla

## PANEL OF CHAIRPERSONS

Shrimati Rama Devi

Dr. (Prof.) Kirit Premjibhai Solanki

Shri Rajendra Agrawal

Shrimati Meenakshi Lekhi

Shri Kodikunnil Suresh

Shri A. Raja

Shri P.V. Midhun Reddy

Shri Bhartruhari Mahtab

Shri N.K. Premachandran

Dr. Kakoli Ghosh Dastidar

## SECRETARY GENERAL

Shrimati Snehlata Shrivastava

# LOK SABHA DEBATES

---

---

LOK SABHA

----------

Wednesday, November 27, 2019 / Agrahayana 6, 1941 (Saka)

The Lok Sabha met at Eleven of the Clock.

[HON. SPEAKER *in the Chair*]

**माननीय अध्यक्ष :** प्रश्न संख्या – 121, श्रीमती मीनाक्षी लेखी जी।

…(व्यवधान)

**SHRI T. R. BAALU (SRIPERUMBUDUR)**: Sir, we have given notice of Adjournment Motion.

**माननीय अध्यक्ष :** प्रश्न काल के बाद विचार करेंगे।

…(व्यवधान)

**माननीय अध्यक्ष :** बालू साहब, मैं ऐसा नहीं हूं। मैं सदन के अंदर जो कमिटमेंट करता हूं, बाहर भी वही कमिटमेंट करता हूं। मैं अपना कमिटमेंट नहीं बदलता हूं। मैंने आपसे अंदर जो कमिटमेंट किया है, बाहर भी वही है। कुछ लोग अंदर कुछ और कमिटमेंट करते हैं और बाहर कुछ और कमिटमेंट करते हैं।

…(व्यवधान)

**माननीय अध्यक्ष :** माननीय सदस्य, प्लीज।

…(व्यवधान)

**माननीय अध्यक्ष :** आज संसदीय कार्य मंत्री जी का जन्मदिन है, सभी लोग उनको बधाई दे दीजिए।

…(व्यवधान)

**अनेक माननीय सदस्य :** बधाई हो।…(व्यवधान)

**THE MINISTER OF PARLIAMENTARY AFFAIRS, MINISTER OF COAL AND MINISTER OF MINES (SHRI PRALHAD JOSHI):** Thank you, Sir

**11.01 hrs**

## ORAL ANSWERS TO QUESTIONS

**माननीय अध्यक्ष :** प्रश्न संख्या -121, श्रीमती मीनाक्षी लेखी जी।

…(व्यवधान)

**(Q. 121)**

**श्रीमती मीनाक्षी लेखी :** अध्यक्ष जी, जब प्रदूषण पर डिबेट हो रही थी, तब कुछ लोगों ने कोयले की भी बात की और थर्मल प्लांट्स की भी बात की थी। उसमें बीजिंग का उदाहरण दिया गया था, जो मेरे हिसाब से गलत उदाहरण था। उसमें यह कहा गया था कि जो कार्बन हवा के अंदर मौजूद है, उसको कैप्चर करके डायमंड बनाया जाता है। मैंने उस समय भी यही बात कही थी और मैं अभी-भी उस बात को दोहरा रही हूं कि अगर कार्बन को ही कैप्चर करना है, तो जो हमारे थर्मल प्लांट्स हैं, क्या उनसे हम कार्बन को कैप्चर करके डायमंड, इंक और अन्य प्रोडक्ट्स के लिए काम कर सकते हैं, ताकि एफ्लूऐन्ट्स कम हों। एफ्लूऐन्ट्स कम होंगे, तो प्रदूषण स्वतः ही कम होगा। जैसे-जैसे भारत की एनर्जी नीड्स बढ़ेगी और हम लोग जितने ज्यादा इकोनॉमिकली साउंड होंगे, हमें उतनी ही एनर्जी कंजम्प्शन्स ज्यादा चाहिए होगी। हमें रिसोर्स मैनेजमेंट के लिए कोयले पर निर्भर होना ही पड़ेगा। इसके लिए प्रोडक्शन को भी बढ़ाने की जरूरत है, ताकि हमारा इंपोर्ट के ऊपर जो पैसा खर्च होता है, वह न खर्च हो।

मैं माननीय मंत्री जी से यह जानना चाहती हूं कि क्या हम टेक्नोलॉजी को परिवर्तित करके और बेहतर टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल कर सकते हैं? कई ऐसे राज्य हैं, जिनको कोयला चाहिए।

**माननीय अध्यक्ष** : सभी माननीय सदस्य अपनी बात को संक्षिप्त में रखें, क्योंकि मुझे अपनी सूची को 20 तक ले जाना है, अगर आप इससे सहमत हैं।

**SHRI PRALHAD JOSHI:** Hon. Speaker Sir, the need of the hour is energy security. For that reason, we have already imported nearly 235 million tonnes of coal which includes coking coal and non-substituted coal. Having said that, as far as pollution is concerned, our coal companies including Coal India Limited and all the subsidiary companies are taking care of plantation and other things. As far as this particular question is concerned, it is related to the power sector. But I appreciate the hon. Member’s concern about pollution and we will consult with the Ministry of Power.

**SHRIMATI MEENAKASHI LEKHI :** Sir, it is about collieries also. We are using some old technologies. You can take, for example, the process of sedimentation to clean up coal. I think India’s energy security requires that we use coal, we increase the production of coal and we do forestation in those areas. But simultaneously, using better technologies and localised technologies from Indian institutes etc. is what is needed in managing collieries as well.

**SHRI PRALHAD JOSHI:** As far as managing collieries is concerned, all our PSUs are trying to adopt whatever upgraded technology is available all over the world and we are also monitoring it. Even in the answer, we have mentioned how we are trying to increase the productivity with the upgraded technology. At the same time, we are producing coal and supplying to various sectors including power sector and other sectors, which are both regulated and unregulated sectors; they have to think of the technology and how to reduce

pollution. So, to basically reduce pollution, the Power Ministry and the people who are using coal have to think about the technology. Surface miners and all such technologies are being used now.

**SHRIMATI KANIMOZHI KARUNANIDHI :** I would like to ask the hon. Minister the extent of losses suffered by India's exchequer due to the decline in coal output in the past three years. I would also like to know the States which have faced the decline and what losses the Tamil Nadu Government is facing.

**SHRI PRALHAD JOSHI:** As far as the total coal import is concerned, we have imported 235 million tonnes of coal last year. By that, we have lost nearly about Rs. 1,71,000 crore of foreign exchange on that. The Government is very serious about increasing the production of coal. As far as the loss that the Tamil Nadu Government has incurred because of coal import is concerned, I would ascertain and come back to you.

**SHRI RAGHU RAMA KRISHNA RAJU:** Thank you, hon. Speaker Sir. While I appreciate the initiative in increasing the production by 165 million tonnes, which is really commendable, a lot of mines were given to the private companies. How is their performance in mining? If they are not up to the mark, as per the expectations, what are the steps that could be initiated to improve the production? I would like to put this question, through you, to the hon. Minister.

**SHRI PRALHAD JOSHI:** After the amendment of the MMDR Act in 2015, the auction-cum-allocation to PSUs has started. Before that, it was purely on allocation basis. Before the recent Cabinet decision and before the decision to allow 100 per cent FDI, these coal blocks were given to the captive mines. Their production was around 32 million tonnes last year. Five years is not a very big period, as you know, to avail all the clearances from the beginning; it will take six to seven years. We are trying to reduce it. We are also trying to avoid the prior approval system which is now existing and which consumes more than one year by an amendment. We are trying to totally scrap that so that once a coal block is allocated either to a Government or a private company, they need not come back and the mining licence and other things can be given by the State Government, fast operationalisation and fast clearance of ECFC, and new policy initiative of 25 per cent in captive mines for the sale of coal. The auctions are going on now. We have put on auction around 46 blocks; out of that, after completion of requirement for captive production, they can sell 25 per cent in the open market.

**SHRI VINCENT H. PALA :** Thank you, Sir. The answer given by the Minister is that the Government is accelerating the production of the private mines. In Meghalaya recently the National Green Tribunal has seized 32 lakh tonnes of coal and Coal India has been mandated to auction the coal. May I know from the hon. Minister, whether the auction of coal will be as per the paper available because there is a perception that there is no coal at site? Will the auction be

taken as per the practical, physical availability of coal at site or as per the paper which is available in the Supreme Court?

**SHRI PRALHAD JOSHI:** Whatever auction of the coal blocks is there, the thinking or the approach of the Government of India is very clear and it is that it should be very transparent and an equal opportunity should be provided to everybody.

**(Q. 122)**

**श्री हरीश द्विवेदी:** माननीय अध्यक्ष जी, मेरा जो प्रश्न था, उसका लिखित उत्तर मुझे विस्तार से मिला है। मैं माननीय सदन को यह बताना जानना चाहता हूं कि पूर्वी उत्तर प्रदेश बस्ती, गोरखपुर, सिद्धार्थ नगर, संत कबीर नगर, देवरिया और कुशीनगर इत्यादि पूर्वांचल के सभी जिलों में भर्ती कैम्पों में बड़ी संख्या में लोगों ने भाग लिया। हमारे जिले में राजा जालिम सिंह, राजा उदय सिंह, …(व्यवधान) सर, उसी से जुड़ा हुआ प्रश्न है। हमारे जिले में राजा ज़ालिम सिंह, राजा उदय सिंह और रानी तलाश कुंवरि के नेतृत्व में हजारों नौजवान स्वतंत्रता आंदोलन में शहीद हुए। फांसी पर लटकाये गये। हमारे जिले के और पूर्वांचल के तमाम लड़के सेना में जाना चाहते हैं। पहले हमारे जिले में 1974 तक भर्ती कैम्प लगता था, लेकिन वर्ष 1974 के बाद भर्ती कैम्प बंद हो गया। मैं माननीय मंत्री जी से जानना चाहता हूं कि क्या नौजवानों की रुचि को देखते हुए पुन: बस्ती में भर्ती कैम्प लगाया जाएगा?

**श्री श्रीपाद येसो नाईक** : माननीय अध्यक्ष जी, भर्ती कैम्प हर साल लगते हैं और हर साल उस राज्य को मौका मिलता है। मैं माननीय सदस्य से कहना चाहता हूं कि जो हमारे आर्मी रिक्रूटमेंट सेन्टर्स हैं, वहां आप आज से ऑनलाइन एप्लाई कर सकते हैं। जब उस जिले को मौका मिलता है और हमारे जो 59 सेन्टर्स पूरे देश में हैं, उनमें सभी राज्यों और जिलों को कवर किया हुआ है। मैं माननीय सदस्य से निवेदन करता हूं कि वे लोग आज से ऑनलाइन भी एप्लाई कर सकते हैं और जब उस जिले का डेटा आएगा, तभी उसको सम्मिलित किया जाएगा।

**माननीय अध्यक्ष** : हरीश जी, क्या आपको सप्लीमेंट्री सवाल पूछना है?

**श्री हरीश द्विवेदी:** माननीय अध्यक्ष जी, मेरा प्रश्न यह था कि क्या बस्ती में वर्ष 1974 से पहले भर्ती कैम्प लगता था? क्या सरकार की योजना आगे आने वाले समय में बस्ती में भर्ती कैम्प लगाने की है? …(व्यवधान)

**माननीय अध्यक्ष :** राजनाथ सिंह जी, आप बोलिए।

**रक्षा मंत्री (श्री राजनाथ सिंह) :** माननीय अध्यक्ष जी, मैं सदन को इस बात की जानकारी देना चाहता हूं कि आर्मी रिक्रूटमेंट अब सिर्फ हमारे देश में 59 हैं और रिक्रूटमेंट सेन्टर्स 73 हैं। …(व्यवधान)

**माननीय अध्यक्ष :** उनकी आवाज बहुत बुलंद है, सुनाई दे रहा है।

**श्री राजनाथ सिंह :** रिक्रूटमेंट सेन्टर्स हमारे यहां 73 हैं। इसके अतिरिक्त इंडिपेंडेंट रिक्रूटमेंट सेन्टर्स भी हैं और गोरखा लोगों के लिए भी इस प्रकार के दो सेन्टर्स हैं। इन सारे सेन्टर्स पर रिक्रूटमेंट होता है और मैं सदन को इस बात की जानकारी देना चाहता हूं कि हर रिक्रूटमेंट सेंटर से कुछ जिले लिंक्ड हैं, उसके साथ जुड़े हुए हैं। प्रति वर्ष इस प्रकार का रिक्रूटमेंट आर्मी के द्वारा किया जाता है और हर जिले से इसमें सेना के जवान भर्ती होते हैं।

**श्री मनीष तिवारी :** माननीय अध्यक्ष जी, मैं आपके माध्यम से माननीय रक्षा मंत्री जी से पूछना चाहता हूं कि जब 1857 की आजादी का जन्म हुआ, उसके बाद अंग्रेजों ने भारत की फौज में जो रिक्रूटमेंट की, …(व्यवधान)

**माननीय अध्यक्ष** : आप तो प्रश्न पूछिये। आज़ादी की लड़ाई क्यों पूछ रहे हो?

…(व्यवधान)

**श्री मनीष तिवारी :** अध्यक्ष जी, थोड़ी सी पृष्ठभूमि बताना जरूरी है। इसलिए समय ले रहा हूं। …(व्यवधान)

**माननीय अध्यक्ष :** प्रश्न में आप सब भूमिका बांधना बंद कर दो।

…(व्यवधान)

**श्री मनीष तिवारी :** माननीय अध्यक्ष जी, मैं संक्षेप में अपनी बात कह देता हूं। जो भारत की फौज में रिक्रूटमेंट होनी शुरु हुई, उसका आधार मार्शल रेस थ्योरी था। उससे भारत की जो थल सेना के रेजीमेंट्स राजपूत, डोगरा, सिख इत्यादि का निर्माण हुआ। वर्ष 1966 के बाद भारत सरकार ने रिक्रूटेबल मेल पोपुलेशन की नीति को लागू किया। मैं माननीय रक्षा मंत्री जी से यह जानना चाहता हूं कि इस नीति के बावजूद भारत के कुछ ऐसे सूबे हैं जहां पर थल सेना, वायु सेना और जल सेना में जाने के लिए लोगों का विशेष लगाव रहता है और इस रिक्रूटेबल मेल पोपुलेशन की थ्योरी के बावजूद उन प्रदेशों से अभी भी हमारी फौज में ज्यादा रिक्रूटमेंट होती है। मेरा माननीय रक्षा मंत्री जी से यह सवाल है कि ऐसे प्रदेश, जैसे पंजाब, जहां से मैं आता हूं, इसको आप कुछ विशेष डिस्पेंसेशन या रिक्रूटमेंट देने पर विचार करेंगे या नहीं?

**श्री राजनाथ सिंह:** स्पेशल डिस्पेंसेशन का कोई प्रोविजन हमारे यहां नहीं है। जो रिक्रूटमेंट होता है, वह पूरी तरह से इम्पार्शियल होता है। जैसा कि मैंने पहले ही बताया है कि हमारे यहां सेंटर्स निर्धारित हैं। उन सेंटर्स से जो जिले लिंक्ड हैं, वहां प्रतिवर्ष रिक्रूटमेंट का सिलसिला चलता रहता है। जो भी अप्लाई करना चाहे, ऑनलाइन अप्लाई कर सकता है। उसके बाद जो फिजिकल टेस्ट, मेडिकल टेस्ट आदि होते हैं, इन सारे प्रॉसेस में वह भाग ले सकता है। अत: रिक्रूटमेंट के मामले में किसी को स्पेशल डिस्पेंसेशन देने का प्रोविजन नहीं है।

**श्रीमती संगीता कुमारी सिंह देव :** सर, आपके माध्यम से मैं माननीय मंत्री जी से पूछना चाहती हूं कि पिछले दस वर्षों में, कितनी महिलाएं और पुरुष have been recruited by the Army from the State of Odisha. जो रिप्लाई आया था, उसमें सिर्फ पुरुषों के बारे में बताया गया था।

**माननीय अध्यक्ष:** मैडम, यह सवाल नहीं है। आप पूछ रही हैं कि पूरे देश में कितनी भर्तियां हुई हैं। यह कैसे संभव होगा? भर्ती का जो क्वेश्चन है, आप कृपया उसे देखें। इसकी गिनती माननीय रक्षा मंत्री जी कैसे बता पाएंगे?

**श्री राजनाथ सिंह:** अध्यक्ष महोदय, चूंकि वह इस सदन की नई सदस्या हैं, इसलिए मुझे जानकारी देनी चाहिए। ...(व्यवधान)। मैं इनको बताना चाहता हूं कि हर स्टेट में पिछले तीन वर्षों में जितने रिक्रूटमेंट्स हुए हैं, उनकी पूरी जानकारी मैं दे सकता हूं। मैं समझता हूं कि इसमें लंबा समय लगेगा। यदि आपकी इजाजत हो, तो मैं इनको उसकी जानकारी भेज सकता हूं। ...(व्यवधान)। वैसे मैं आपको बताना चाहता हूं कि अप्रॉक्सिमेटली प्रतिवर्ष 60 हजार के आसपास रिक्रूटमेंट्स होती हैं। कभी 58 हजार तो कभी 55 हजार, इसी प्रकार से रिक्रूटमेंट होता रहता है।

**SHRI BHARTRUHARI MAHTAB :** Hon. Speaker, Sir, I will ask my question in two lines. Height is one of the major criteria for recruitment in the Army. It has been repeatedly stated that in certain States, height of persons is a bit higher and in certain States, it is quite average. Odisha is tagged with Andhra Pradesh and Telangana. A large number of tribal population/youths have a shorter stature. An approach has been made to the Ministry of Defence that they should be attached with Jharkhand and Chhattisgarh because a large number of tribal youths need to be recruited in the Army so that they move away from violence prevalent in tribal districts. I would like to know whether the Government is considering re-allocating the height criterion in respect of State of Odisha in that manner.

**श्री राजनाथ सिंह:** अध्यक्ष महोदय, उड़ीसा के संबंध में जहां तक जानकारी देने का प्रश्न है, मैं जानकारी हासिल करने के बाद इनको बता दूंगा। जहां तक हाइट अथवा चेस्ट के मामले में रिलैक्सेशन देने का प्रश्न है, हमारे कुछ ऐसे ट्राइबल एरियाज, हिल एरियाज हैं, जहां पर रिलैक्सेशन देने की आवश्यकता होती है। इन एरियाज में रिलैक्सेशन दिया जा सकता है। उसकी जानकारी भी हमारे पास है, जो डिटेल में है, इसलिए इस समय उसमें जाने का औचित्य नहीं है। मैं समझता

हूं कि आप वेबसाइट पर जाएंगे तो पूरी जानकारी मिल जाएगी कि किस एरिया के लिए और किस ट्राइबल जोन के लिए किस प्रकार का और कितना रिलैक्सेशन दिया जाता है।

**माननीय अध्यक्ष:** प्रश्न 123, श्री कृपाल तुमाने जी। आप वह सदस्य हैं, जो रोज बोलते हैं।

**(Q. 123)**

**श्री कृपाल बालाजी तुमाने :** धन्यवाद स्पीकर महोदय, महाराष्ट्र राज्य एक प्रगतिशील राज्य के रूप में पूरे देश में जाना जाता है। मुझे मिली जानकारी के अनुसार एक दूसरे राज्य में, नाम भी लूं तो मुझे फर्क नहीं पड़ता, बिहार में 1,041 ग्राम पंचायतें अभी ऑप्टिकल फाइबर से जुड़नी बाकी हैं, लेकिन महाराष्ट्र की 10,201 ग्राम पंचायतें अभी ऑप्टिकल फाइबर से कनेक्ट होनी बाकी हैं। मैं माननीय मंत्री जी से सीधा सवाल पूछना चाहता हूं कि महाराष्ट्र के विदर्भ एरिया में, स्पेसिफिकली रामटेक लोक सभा क्षेत्र में ऐसी कितनी ग्राम पंचायतें बाकी हैं, जो ऑप्टिकल फाइबर से कनेक्ट होनी हैं?

**श्री संजय शामराव धोत्रे:** अध्यक्ष महोदय, जो सवाल पूछा गया था, वह ग्रामीण क्षेत्र की इंटरनेट, ब्रॉड बैंड कनेक्टविटी के बारे में था। हमारी सरकार का इसके लिए डिजिटल इंडिया और भारत नेट का बहुत ही एंबीशिएस प्लान है। ढाई लाख ग्राम पंचायतों की कनेक्टिविटी के लिए हम दो फेज में काम कर रहे हैं। पहले फेज में करीब-करीब 1 लाख 27 हजार ग्राम पंचायतें जुड़ चुकी हैं। इन्होंने जो सवाल पूछा है, मेरे पास इनकी कांस्टीट्युएंसी की तो डिटेल नहीं है, लेकिन मैं महाराष्ट्र की जानकारी दे सकता हूं। महाराष्ट्र में पहले फेज में 95 पर्सेंट से ज्यादा टार्गेट हमने एचीव किया है और दूसरा फेज जो है, वहां जो स्टेट लैड मॉडल है, उस पर स्टेट काम करने वाली है। वह काम भी प्रगति पर है।

**श्री कृपाल बालाजी तुमाने :** मंत्री महोदय, धन्यवाद। आप भी विदर्भ से ही आते हैं, इसलिए आपका ध्यान ज्यादा रहेगा, ऐसी मुझे उम्मीद है। मेरा दूसरा सवाल है कि जीसैट-11 सैटेलाइट लांच करने के बाद जो हमारे यहां के रूरल एरियाज़ हैं, जो दुर्गम एरियाज़ हैं, उनकी कनेक्टिविटी में क्या हमें ज्यादा लाभ हो सकेगा?

**श्री संजय शामराव धोत्रे:** अध्यक्ष महोदय, अगर आपकी अनुमति होगी, तो इनके क्षेत्र का आंकड़ा मैं माननीय सदस्य को उपलब्ध करा दूंगा।

**माननीय अध्यक्ष :** आप वेट करिए। आप इनका जवाब दे दीजिए।

**श्री संजय शामराव धोत्रे:** इन्होंने जो दूसरा सवाल पूछा है, तो हमारा जो दूसरा फेज है, उसमें हम सैटेलाइट रेडियो द्वारा जो दुर्गम, दूर-दराज के इलाके हैं, वहां हम इस माध्यम के द्वारा कनेक्टविटी उपलब्ध करा रहे हैं।

**SHRIMATI NUSRAT JAHAN :** Sir, I want to know whether it is a fact that the Government is planning to cover 800 Gram Panchayats under the Bharat Net Project in West Bengal. If so, how many Gram Panchayats will be selected in 24 Parganas of West Bengal, specially in Basirhat, which is an area lagging behind in development and a most backward area in the State? How can the Government help in the development of that area?

**श्री संजय शामराव धोत्रे:** अध्यक्ष महोदय, मैंने पहले ही बताया कि दोनों फेज मिलाकर हम ढाई लाख ग्राम पंचायतों में काम कर रहे हैं। जो सवाल मुझसे पूछा गया है, इसकी जानकारी अभी मेरे पास नहीं है। मैं माननीय सदस्य महोदया को इसके बारे में अवगत करा दूंगा।

**श्री राजीव प्रताप रूडी:** महोदय, यह योजना लगभग 40 हजार करोड़ की है और 2020 तक दोनों फेजेज़ में इसे समाप्त किया जाएगा। इस योजना में हर गांव तक, हर पंचायत तक ऑप्टिकल फाइबर से आपको यह तार पहुंचानी है। फेज वन का काम लगभग समाप्त हो गया है। जब हम कभी पाइप बिछाते हैं, तो पाइप से पानी घर तक पहुंचता है, वह हमारी उपलब्धि है, जब बिजली का खम्भा गाड़ते हैं, तो बिजली के खम्भे से गांव तक बिजली पहुंच जाए, वह हमारे लिए उपलब्धि है, जब गैस पाइप लाइन बिछाते हैं, तो गैस पाइप लाइन बिछाने के बाद घर तक चूल्हे का कनेक्शन

हो जाए, तो वह हमारी उपलब्धि है। यह जो ऑप्टिकल फाइबर नेटवर्क है, इसे ग्राम पंचायत तक जाना है। मैं एक छोटा सा उदाहरण देना चाहूंगा और आपके भी राज्य का उदाहरण देना चाहूंगा। जो गांव में स्कूल होते हैं, वे सबसे ज्यादा इसका लाभ उठा सकते हैं। वह एक प्रामाणिकता देता है कि किस प्रकार से इंटरनेट की सुविधा हर गांव तक पहुंची है। महोदय, बिहार में सिर्फ 2.4 प्रतिशत, जबकि केरल में 48 प्रतिशत, कर्नाटक में 84 प्रतिशत, चंडीगढ़ में 100 फीसदी स्कूलों में है। ऑप्टिकल फाइबर में 40 हजार करोड़ रुपये लगाकर बिहार के मात्र 2.4 फीसदी स्कूल्स तक इंटरनेट कनेक्शन पहुंचा है। इसका तात्पर्य यह हुआ कि तारें बिछाई गई हैं, लेकिन जो अंतिम उपभोक्ता है और बच्चों व स्कूल तक अगर यह पहुंच जाए, तो हम समझेंगे कि हर प्राथमिक विद्यालय, हर गांव तक, ऑप्टिकल फाइबर एंड यूजर तक पहुंच गया। माननीय मंत्री जी बताना चाहेंगे कि क्या आपने इस प्रकार से इसकी उपयोगिता ऑडिट कया है कि जो ऑप्टिकल फाइबर लाइन बिछाई गई है, वह अंतिम गांव तक पहुंच सके? क्या आपने इसकी ऑडिट कराई है और इसकी क्या क्षमता है? इसके बारे में मुझे जानकारी चाहिए।

**श्री संजय शामराव धोत्रे:** माननीय अध्यक्ष महोदय, माननीय सदस्य ने बहुत ही महत्वपूर्ण सवाल पूछा है। हमारा काम सिर्फ लाइन बिछाना नहीं है। जो एंड यूजर है, वहां तक उसका फायदा पहुंचे। जैसा कि उन्होंने कहा कि स्कूल्स होंगे या ग्राम पंचायतें होंगी, वहां पर जो एंड यूजर है, इसके लिए हमारी जो सीएससी है, उनका हमने एक मॉडल बनाया। करीब 90 हजार ग्राम पंचायतों में सीएससी हॉट स्पॉट प्रोवाइड करेंगी। दो-दो हॉट स्पॉट एक ग्राम पंचायत में प्रोवाइड करने का हमारा मानस है। इसमें वायबिलिटी गैप फंडिग को हम करेंगे। उन्होंने कहा कि सिर्फ पाइप लाइन बिछाना हमारा काम नहीं है। उसका पानी भी घर-घर तक पहुंचे, इसके लिए हम पूरा प्रयास कर रहे हैं।

**श्री हसनैन मसूदी :** स्पीकर सर, जम्मू-कश्मीर में इंटरनेट और ब्रॉड बैंड पिछले 4 महीने से बंद है।

**माननीय अध्यक्ष :** सवाल यह नहीं है। आप पूछें कि कनेक्टविटी कैसे बढाएंगे?

…(व्यवधान)

**श्री हसनैन मसूदी :** सर, वही ब्रॉड बैंड की बात कर रहा हूं। वहां ब्रॉड बैंड और इंटरनेट 4 महीने से बंद है। आप देखिए कि वहां कितनी असुविधा है? करीब 15 लाख स्टूडेंट्स को इंटरनेट और ब्रॉड बैंड का एक्सेस नहीं है और जो होटलियर्स और बिजनेसमैन हैं, वे भी इसका इस्तेमाल नहीं कर सकते हैं।

**माननीय अध्यक्ष :** मंत्री जी, यह आपका विषय नहीं है, फिर भी आप जवाब देना चाहें, तो दीजिए दे दीजिए।

…(व्यवधान)

**श्री संजय शामराव धोत्रे:** महोदय, सुरक्षा के कारण ऐसे कुछ इंतजाम किए गए थे, लेकिन अब वहां काफी हद तक परिस्थितियां सामान्य हो रही हैं। …(व्यवधान)

**श्री दुष्यंत सिंह :** आदरणीय स्पीकर सर, आपने मुझे समय दिया, इसके लिए मैं आपको धन्यवाद देता हूं। मंत्री जी ने बताया है कि ढाई लाख ग्राम पंचायतों को वे इससे जोड़ेंगे। मैं राजस्थान से आता हूं। मेरा क्षेत्र एक एस्पिरेशनल डिस्ट्रिक्ट है। एस्पिरेशनल डिस्ट्रिक्ट के कारण ब्रॉड बैंड की फैसिलिटी गांव-गांव को देनी होती है। पहले प्रश्न में पूछा था कि 40 हजार करोड़ रुपये की राशि दी गई है। मुझे सूचना मिली है कि इसमें 70 हजार करोड़ रुपये की राशि मिली है। 70 हजार करोड़ रुपये की राशि का पूरा पैसा, जो यूजर है, जो आम आदमी है, आम किसान है, उसको वह सुविधा नहीं मिली है । मेरा लोक सभा क्षेत्र जो एस्पिरेशनल डिस्ट्रिक्ट है**,** ऐसे 112 एस्पिरेशनल डिस्ट्रक्ट्स देश में हैं, इस देश में यह सुविधा आप एंड यूजर तक कब पहुंचाएंगे?

**श्री संजय शामराव धोत्रे:** अध्यक्ष महोदय, सम्माननीय सदस्य ने 70 हजार करोड़ रुपये की बात कही, वह उतना नहीं है। इसमें 43 हजार करोड़ रुपये का ही प्रावधान है। अभी तक करीब 17 हजार करोड़ रुपये खर्च हो चुके हैं। राजस्थान में टोटल 9,880 जीपी हैं, उनमें से 8,713 जीपी सर्विस रेडी हो गए हैं। राजस्थान में इसमें बहुत अच्छा काम इसमें हुआ है। अभी हॉट स्पॉट के बारे में मैंने जो बताया, वह राजस्थान में भी होने वाला है। एस्पिरेशनल डिस्ट्रिक्टस के ऊपर हम खास तौर से ध्यान देंगे। …(व्यवधान)

**श्री राजीव प्रताप रूडी :** सर, इस पर आधे घंटे की चर्चा जरूरी है।…(व्यवधान)

**डॉ. निशिकांत दुबे :** सर, इस पर आधे घंटे की चर्चा कराइए। …(व्यवधान)

**माननीय अध्यक्ष :** माननीय सदस्य, आप नियम, प्रक्रिया के तहत इसे लिख कर दें। मैं मंत्रालय को भेजूंगा, फिर उसके बाद विचार करेंगे।

**अनेक माननीय सदस्य:** ठीक है।

**(Q. 124)**

**SHRI A. RAJA :** Sir, I am happy to hear from the hon. Minister that all regional languages have been permitted in the competitive examination which is being conducted by the Railway Ministry. Yet, another question arises there. Since the Railway Ministry is maintaining the inter-State competitive examinations, most of the times, people from northern India are getting jobs in recruitment in Tamil Nadu, Andhra Pradesh, Kerala and Karnataka. Not only for the officer cadre, even for clerks and junior assistants, a substantial number of posts are being filled in Tamil Nadu and Kerala with people from the North Indian States. In order to maintain the State equilibrium in terms of the number of posts, State-wise competitive examinations must be held. I would like to know from the hon. Minister whether such a system is going to be adopted in future, at least to maintain the State-wise equilibrium in terms of the number of posts available in the Railway Ministry.

**SHRI SURESH C. ANGADI:** Sir, the hon. Member has asked a valid question today. It is not like what he has stated. In the regional languages also, the examinations have been conducted. For example, in Assam, approximately 1.52 lakh candidates have appeared in the local language; in West Bengal approximately 8.48 lakh have appeared. …(*Interruptions*)

**SHRI A. RAJA :** The problem is that from the northern States, people are permitted to write in Hindi in Tamil Nadu and they are getting jobs whereas the Tamilians are deprived of. That is my question.

**माननीय अध्यक्ष:** माननीय मंत्री महोदय, मैं आपसे फिर आग्रह कर दूं कि जब कोई माननीय सदस्य बीच में उठे तो उसका जवाब मत दिया करो। मंत्री महोदय आप खुद सदन मत चलाया करो, यह जिम्मेदारी आप लोगों ने मुझे दी है।

**SHRI SURESH C. ANGADI:** Thank you, Sir. Along with English and Hindi, other languages also have been included in the local languages. Shri D.K. Suresh and Shri Nalin Kumar Kateel have asked the questions from Karnataka. Even I can talk to them in Kannada also. In Kannada, we say 'Namaskara' for 'Vanakkam'. Even I can tell Mr. Raja, 'Vanakkam'. Yesterday, in this Parliament, *…*[*] has made it very clear during the Constitution Day celebration that everybody must learn the mother tongue.

**PROF. SOUGATA RAY :** Sir, *…** should not be referred to in this House.

**माननीय अध्यक्ष:** इसे कार्यवाही से निकाल दो।

**SHRI SURESH C. ANGADI:** Along with English and Hindi, all the other languages, more than 13 languages have been included including Kannada, Tamil, Telugu, etc. The details have been given. …(*Interruptions*)

---

[*] Not recoreded.

**(Q. 125)**

**SHRI T.R.V.S. RAMESH :** Sir, I would like to know whether the Minister will convert the guidelines governing shortlisting and posting of Divisional Railway Managers referred to in the Reply relating to the appointment of DRMs.

**SHRI SURESH C. ANGADI:** Sir, the DRMs have been appointed based on the Guidelines of 2016. The Guidelines are totally open to all. There is the DoPT, the Chairman, Railway Board; with the approval of the Railway Ministry, that will be done. It is totally transparent. Along with that, comes the efficiency of the person because he belongs to the Railways. The person should have knowledge of the Railways, should have a good track record in the Confidential Report (CR). Based on that, one is appointed. The power vests with the Railway Ministry subject to the Railway Board and the DoPT.

**SHRI K. MURALEEDHARAN :** Sir, the main problem is that most of the DRMs do not know the local language. In Kerala also, we are facing it. So, will you please give directions to DRMs to study the local language?

**SHRI SURESH C. ANGADI:** It is the prerogative of every person to learn the local language along with Hindi and English. …(*Interruptions*) Please understand, Railway is not State-wise; Railway is zone-wise. So, when any person is appointed as a DRM, factors like knowledge of local language etc. are also taken into consideration. Then only, view taken by the Railway Board Chairman and DoPT. Based on that efficiency and how he will discharge the

work of the Railways, the appointment is made with the approval of the Railway Ministry.

**(Q.126)**

**THE MINISTER OF PARLIAMENTARY AFFAIRS; MINISTER OF COAL AND MINISTER OF MINES(SHRI PRALHAD JOSHI):**

(a) to (c) A statement is laid on the Table

**(Q. 127)**

**श्री गिरिधारी यादव :** माननीय अध्यक्ष जी, माननीय मंत्री जी ने जवाब में कहा है कि 1968 में एक कमेटी का गठन हुआ, जिसने हिंदी के माध्यम से एग्जाम के मामले में वर्ष 2012 में रिपोर्ट दी है। हमें लगता है कि 44 साल एक कमेटी को यह देखने में लग गए कि इंग्लिश से हिंदी कैसे होगी? आप जानते हैं कि विश्व में चीन और जापान ने स्थानीय भाषा में तरक्की की है। जब तक हमारे देश में स्थानीय भाषा में पढ़ाई नहीं होगी, एग्जाम्स नहीं होंगे…

माननीय अध्यक्ष**:** आप सवाल पूछिए।

**श्री गिरिधारी यादव :** महोदय, सवाल यही है जिन प्रतियोगी परीक्षाओं में हिंदी माध्यम नहीं है, क्या सरकार हिंदी माध्यम बनाना चाहती है?

**डॉ. जितेन्द्र सिंह:** माननीय अध्यक्ष जी, माननीय सदस्य ने जो प्रश्न किया है, उसमें बहुत औचित्य है। इस प्रश्न में उन्होंने स्वयं उत्तर भी दिया है और उत्तर के साथ एक और प्रश्न भी जोड़ दिया कि वर्ष 1968 में आफिशियल लैंग्वेजेज़ एक्ट पास हुआ था तो पिछले 50 वर्ष क्या होता रहा? माननीय सदस्य इस बात से सहमत होंगे कि सरकार 2014 में ही आई है, पीछे क्या होता रहा, क्यों नहीं हुआ, इसका उत्तर भी किसी को देना होगा, यह अलग बात है। लेकिन पिछले पांच वर्षों में सब वर्नाक्युलर्स स्थानीय भाषाएं और हिंदी को बढ़ावा देने का भरपूर प्रयास किया गया है। आप इस बात से सहमत होंगे, इसके प्रमाण भी मौजूद हैं कि माननीय प्रधानमंत्री जी के निर्देश अनुसार सरकारी कामकाज में हिंदी का उपयोग बहुत अधिक मात्रा में पिछले पांच साल में बढ़ा है।

जहां तक माननीय सदस्य के मूल प्रश्न का संबंध है कि क्यों नहीं दूसरी भाषाओं में इस प्रकार की सुविधा या विकल्प नहीं दिया जा रहा है, इसका उत्तर भी माननीय सदस्य के प्रश्न में है। आपने पिछले भाग में कहा कि वर्ष 1968 से लेकर उस प्रकार की सामग्री तैयार नहीं हुई है। ऐसे बहुत छात्र होंगे जो हिंदी या दूसरी भाषाओं में परीक्षा देना चाहते हैं, लेकिन हायर एजुकेशन और

विशेषकर टेक्नीकल एजुकेशन, भले ही एमबीबीएस हो या इंजीनियरिंग सर्विस हो, इस प्रकार की पुस्तकें, टैक्स्ट बुक्स उस स्टैंडर्ड के ट्रांसलेशन में उपलब्ध नहीं हैं। इससे कहीं न कहीं छात्रों के लिए डिएडवांटेज हो सकता है। हम में से कोई यह भी नहीं चाहेगा कि किसी छात्र को उस भाषा में उस तरह के स्तर की सामग्री या साहित्य नहीं मिलने से किसी प्रकार का नुकसान हो या डिसएडवांटेज हो। इसका शायद समाधान यही है कि उच्च स्तर की शिक्षा के लिए उस प्रकार की पुस्तकों का निर्माण किया जाए, लेखन किया जाए और साथ ही अनुवादक ट्रांसलेशन करने के लिए भी उपलब्ध रहे। मैं आपकी बात से कुछ हद तक सहमत हूं कि बहुत से छात्र ऐसे होंगे, जो चाहते हैं कि हिंदी या अन्य स्थानीय भाषाओं में परीक्षा दें क्योंकि उन्हें कई बार अंग्रेजी में परीक्षा देनी पड़ती है।

**श्री गिरिधारी यादव :** माननीय अध्यक्ष जी, माननीय मंत्री ने जवाब दिया कि 44 साल लग गए। हम सरकार से पूछ रहे हैं, चाहे कोई भी सरकार हो, अंग्रेजी लॉबी के लोग नहीं चाहते हैं कि हिंदी भाषा में परीक्षा हो। पिछड़े दलित, आदिवासी लोग ज्यादातर हिंदी पढ़ना चाहते हैं, अंग्रेजी लॉबी के लोग हिंदी माध्यम में परीक्षा नहीं लाना चाहते हैं।

**माननीय अध्यक्ष:** आप कैसे आरोप कर रहे हैं?

श्रीमती रमा देवी।

**श्रीमती रमा देवी :** माननीय अध्यक्ष जी, प्रश्न का जवाब तो मिल ही गया है, माननीय मंत्री जी ने संतुष्ट कर दिया है, लेकिन फिर भी मैं पूछना चाहती हूं हमारे देश में संविधान के अनुच्छेद 351 में स्पष्ट रूप से बताया गया है कि सरकार का कर्तव्य है कि हिंदी के विकास एवं प्रचार का कार्य इस प्रकार से करें कि भारत में नौकरी एवं भर्ती के अवसरों पर कोई भेदभाव न हो परंतु प्रतियोगी परीक्षाओं में हिंदी को माध्यम न बनाकर हिंदी भाषी क्षेत्र के साथ भेदभाव किया जाता है। मैं आपके माध्यम से माननीय मंत्री जी से पूछना चाहती हूं क्या सरकार संविधान एवं नीति निर्देशक सिद्धांतों

के मद्देनजर भारत में कुछ प्रतियोगी परीक्षाओं में केवल अंग्रेजी माध्यम को समाप्त करने की कोई घोषणा करेगी?

**डॉ. जितेन्द्र सिंह:** अध्यक्ष महोदय, जैसा आदरणीय सदस्य ने स्वयं कहा है कि इस प्रश्न का उत्तर किसी हद तक पहले चर्चा में, प्रश्न के उत्तर में भी आया है और जैसा आपने स्वयं कहा है कि यह निर्णय लगभग आधी शताब्दी पूर्व हुआ था और पिछले पांच वर्षों में उसी दिशा में कार्य हो रहा है, जिस दिशा में आपने अपनी इच्छा प्रकट की है। निश्चय ही सभी भाषाओं में, विशेषकर जो आठवीं अनुसूची में सम्मिलित हैं, इस प्रकार की सुविधा और विकल्प रहना चाहिए, परन्तु साथ ही साथ, जैसा यूपीएससी के माध्यम से इस प्रकार की परीक्षाएं होती हैं, उन्होंने एक उच्च स्तरीय समिति बनाई थी। उसने एक सुझाव दिया था, जो बहुत उचित सुझाव भी था कि इसके साथ ही साथ इस बात का भी ध्यान रखा जाए कि उस स्तर की सामग्री भी उस भाषा में उपलब्ध रहे और अनुवादक भी उसी स्तर के रहें, ताकि किसी छात्र को इस कारण से नुकसान न हो। ये दोनों ही चीजें साथ-साथ होंगी, पिछले 45 वर्षों में, जब से यह होना चाहिए था, नहीं हो पाया, उसका उत्तर शायद कहीं और से हमें हासिल करना पड़ेगा।

**(Q. 128)**

**श्रीमती संध्या राय :** माननीय अध्यक्ष महोदय, मैं आपको धन्यवाद देती हूं।रेल विकास निगम लिमिटेड की स्वीकृति भारत सरकार द्वारा 19 दिसम्बर, 2002 को दी गई थी तथा यह उपक्रम 24 जनवरी, 2003 को कंपनी अधिनियम, 1956 के अधीन कंपनी के रूप में पंजीकृत हो गया था। मैं माननीय मंत्री जी से पूछना चाहती हूं कि मध्य प्रदेश के भिंड एवं दतिया जिलों में रेल विकास निगम लिमिटेड के द्वारा विगत तीन वर्षों के दौरान किन परियोजनाओं का क्रियान्वयन किया गया और उनके क्रियान्वयन की स्थिति क्या है? साथ ही, मध्य प्रदेश में रेल विकास निगम लिमिटेड के द्वारा रेल परिचालन, रेल लाइन, रेल ब्रिज इत्यादि परियोजनाओं का निष्पादन करने में क्या प्रदर्शन रहा है? साथ ही, मैं माननीय मंत्री जी से कहना चाहती हूं कि भिंड एवं दतिया लोक सभा क्षेत्र के अंतर्गत भिंड, सोनी एवं गोहद में रेल ओवर ब्रिज की नितांत आवश्यकता है। साथ ही, भिंड रेल लाइन के दोहरीकरण के साथ-साथ ग्वालियर-भिंड-इटावा रेल लाइन का विद्युतीकरण किया जाना आवश्यक है। सरकार इन कार्यों को कैसे देखती है? संबंधित कार्यों का निर्माण कार्य कब तक प्रारम्भ होगा और यदि नहीं होगा, तो क्यों नहीं होगा?

**SHRI SURESH C. ANGADI:** Her question is very elaborate. As the hon. Member has said, this is one of the acclaimed companies. वर्ष 2003 में अटल बिहारी वाजपेयी जी की सोच थी, जैसे नेशनल हाइवे अथॉरिटी को कंपनी बनाया था, वैसे ही आरवीएनएल बनाया गया था और today it has become one of the mini *Navratna* companies. माननीय सदस्य ने जो प्रश्न पूछा है, उसके बारे में हम लिखित उत्तर भेज देंगे।

**माननीय अध्यक्ष :** श्री रेबती त्रिपुरा ।

**श्रीमती संध्या राय :** अध्यक्ष महोदय, मुझे दूसरा प्रश्न भी पूछना है।

**माननीय अध्यक्ष :** आपने एक प्रश्न में ही चार प्रश्न पूछ लिए हैं।

श्री रेबती त्रिपुरा ।

**श्री रेबती त्रिपुरा :** सर, मेरा प्रश्न यह है कि क्या रेल विकास निगम लिमिटेड या रेल मंत्रालय धर्मनगर या अगरतला में रिक्रूटमेंट सेंटर खोलने के बारे में सोच रहा है?

**SHRI SURESH C. ANGADI :** His question is not pertaining to the present Question.

**(Q.129)**

**THE MINISTER OF STATE IN THE MINISTRY OF COMMERCE AND INDUSTY (SHRI SOM PARKASH):**

(a) to (d) statement is laid on the Table.

**(Q. 130)**

**श्रीमती ज्योत्स्ना चरणदास महंत :** धन्यवाद अध्यक्ष महोदय। छत्तीसगढ़ में रेलवे क्षेत्र के विकास को लेकर सभी परियोजनाओं को रेल बजट में मंजूरी तो मिल गई है, परन्तु काम या तो शुरू नहीं हुआ है या जो काम शुरू हो गया है, वह बहुत ही धीमी गति से हो रहा है। मैं आपके माध्यम से माननीय मंत्री जी से निवेदन करना चाहती हूं कि योजना क्रियान्वयन में जो भी शासकीय-प्रशासकीय व्यवधान आ रहे हों, उनको क्षेत्रीय सांसदों के साथ संबंधित अधिकारी मिलकर निराकरण करें, ताकि जनमानस को तत्काल व्यवस्थाएं एवं लाभ मिल सके।

**SHRI SURESH C. ANGADI:** Sir, for any progress of the railways in the States, the State Government concerned should also cooperate. Availability of land is the subject of the State. The work can be started on the land made available to the Railways. If the hon. Member has any problem, I will ask the authorities concerned to talk to the hon. Member.

**SHRI M. K. RAGHAVAN :** Thank you, Sir, for giving me this opportunity. Kozhikode railway station had been upgraded years back as a world class station. The Government of India has announced the redevelopment project for Kozhikode railway station. Now, the proposal of the project has been transferred to Railway Land Development Authority (RLDA), Delhi from railway headquarters, Chennai.  Through you, Sir, I would like to know from the hon. Minister the current status of the mentioned project and when the project will take off.

**SHRI SURESH C. ANGADI:** Sir, we are going to develop almost all the railway stations as world class railways stations. The hon. Member has asked about a specific station. I will send him all the details in this regard.

**(Q.131)**

**DR. SHASHI THAROOR :** Thank you very much, Mr. Speaker. I have looked at the reply of the Minister. He essentially linked the decision to merge the two bodies, the National Sample Survey Office (NSSO) and the Central Statistics Office (CSO) into a single entity to a decision of the Union Cabinet in 2005 under a Resolution of the same date. However, Sir, that was intended to create an independent body that would be accountable to Parliament whereas what this Government has created is a non-autonomous body that is accountable directly to the Government and the Ministry. Would the Minister kindly clarify in what regard this is consistent with the decision of 2005? Secondly, why should this body not be accountable to Parliament?

**RAO INDERJIT SINGH :** Sir, the commissions are independent bodies set up by the Government with specified mandate and accountability structure. *....(Interruptions)*

**DR. SHASHI THAROOR :** Sir, the fact is that we are facing a crisis in terms of statistical credibility worldwide. There is a constant revision of numbers by the Government. We have seen, for example, its own Chief Economic Advisor questioning the revision of GDP growth from 6.7 per cent to 8.2 per cent. We have seen extremely great embarrassment when they revised GDP calculations based on a data bank of corporations of which 36 per cent of the corporations were non-existent or wrongly classified. We have seen the

National Consumer Survey, Sir, being discredited and withdrawn. Even though numbers are being leaked all over the country, those of us, who are Lok Sabha MPs, know from our constituents the financial difficulties they are going through.

In these circumstances, would the Government agree to having a review by a committee of independent experts, domestic and international, to look into the process which are being followed and the sources being used in gathering data in our country? There was an opinion today in the Indian Express by pro-Government voice saying that the processes are wrong. The credibility of our country in international forums is at stake. Our economic success depends on credible numbers. I would urge the Government to take this challenge seriously. The headlines of the day are less important and matter much less than the credibility of the nation on the world stage. Thank you.

**RAO INDERJIT SINGH:** Sir, the Government is aware of the shortcomings in the data collection centres. It is a continuous process. We are trying to upgrade it. We are aware of it and we would be happy to have any inputs that the hon. Member might want to give on this. But this is a decision that the Government will have to take on its own after taking inputs from all the concerned, whether they are international or domestic entities.

As far as the commission is concerned, as I said, the commission is a constitutional body and not the NSO.

**(Q.132)**

**SHRI TEJASVI SURYA :** Sir, as we are all aware, the electronics import made by India is a big press on our foreign exchange. After petroleum products, the maximum press on our foreign exchange is the electronics import. The Prime Minister has constantly made efforts to ensure that India transforms itself into a global manufacturing hub for electronics, system design and manufacturing.However, Sir, in the Statement that is laid, it is said that the Modified Special Incentive Package Scheme (MSIPS) is closed. Also, the receipt of applications under the Electronics Manufacturing Cluster (EMC) is also closed. The disbursement of grant in aid will only continue till October 2022. Would the Minister kindly be pleased to answer why these important flagship schemes have not been continued and given the thrust that they need to? Coming from Bengaluru, which contributes 80 per cent of the total electronics system design and manufacturing ecosystem in the country and the revenue, I request him to inform if there is any proposal to be made with respect to ensuring that Bengaluru develops as a global hub for electronics manufacturing in the country.

**श्री संजय शामराव धोत्रे :** अध्यक्ष जी, इलेक्ट्रॉनिक मैनुफैक्चरिंग में पूरे विश्व के साथ कम्पीट करने के लिए हमने कई सारी स्कीम्स दी हैं और उनका बेनिफिट भी मिला है तथा बहुत ज्यादा प्रगति इस क्षेत्र में हुई है । हर स्कीम का एक पीरियड रहता है और हमारी जो नई इलेक्ट्रॉनिक पालिसी आ रही है, उसके अंदर हम कुछ और स्कीम्स इंट्रोड्यूज करने वाले हैं । इसमें इंटरेस्ट सबवेंशन स्कीम, क्रेडिट गारंटी फंड स्कीम, इलेक्ट्रॉनिक मैनुफैक्चरिंग कलस्टर स्कीम, यह पहले

भी थी, इस स्कीम का नाम ईएमसी-2 है, ऐसी स्कीम्स हम लाने जा रहे हैं और निश्चित ही इलेक्ट्रॉनिक मैनुफैक्चरिंग में इससे लाभ मिलेगा।

**SHRI TEJASVI SURYA :** Sir, the ongoing trade war between the US and China is a great opportunity for India to explore and exploit. However, many of the electronics design and manufacturing units that are going out of China are taking shelter in Vietnam, Thailand and such other countries. Is the Government trying on a war-footing to make any efforts to attract and incentivise these companies so that they can come to India without much delay?

**श्री संजय शामराव धोत्रे :** अध्यक्ष जी, हमारे यहां के जो यूनिट्स हैं, वे बाहर न जाएं, इसके लिए हम प्रयास कर ही रहे हैं और बाहर के यूनिट्स हमारे यहां आएं, इसके लिए भी हम कुछ स्कीम्स बना रहे हैं।

**SHRI DAYANIDHI MARAN :** Sir, I thank you for allowing me to ask a question. Sir, I should congratulate the Minister of IT here for making sure that Apple has come to manufacture in India, especially in Chennai, but we should go back and see that this is happening because of the policies of the UPA. It began between 2004 and 2009 when Nokia started manufacturing. The same factory is now being taken over to manufacture Apple phones. Moreover, it is also because of the legacy of the UPA Government and the then IT Minister because of whom all the factories like Foxcon, Flextronics, and the whole IT infrastructure were set up.

Sir, I am sure that while taking credit, the Ministry of IT should give credit to the then UPA Government for bringing such good policies then to make a base for the maximum industries coming to India. In fact, Samsung is still operating here. Sir, in fact, we appreciate you for supporting the efforts taken by the then UPA Government, and continuing them rather than blocking them.

Thank you.

**श्री संजय शामराव धोत्रे :** अध्यक्ष जी, सम्मानीय सदस्य ने जो भावना व्यक्त की है, मैं उसका स्वागत करता हूं। यह ऐसा क्षेत्र है, जिसमें हम सभी को मिलकर काम करना होगा। मैं आप सभी लोगों का सहयोग इसमें अपेक्षित करता हूं। आपने यह माना कि हम भी अच्छा काम कर रहे हैं, इसके लिए आपका धन्यवाद।

**(Q. 133)**

**श्री धर्मवीर सिंह :** अध्यक्ष जी, इसमें दो राय नहीं है कि रेलवे ने पिछले वर्षों में बहुत अच्छा काम किया है और मंत्री जी के उत्तर से हम संतुष्ट भी हैं। लेकिन सारा काम होते हुए भी पहले एक हरियाणा एक्सप्रेस ट्रेन दिल्ली-रेवाड़ी, हिसार से बठिंडा चलती थी। मैं पूछना चाहता हूं कि यह ट्रेन दोबारा कब शुरू होगी? इसके अलावा भिवानी से रेल लाइन का काम कब शुरू होगा ?

**SHRI SURESH C. ANGADI:** Sir, the hon. Member has stated that the Railways is doing a good job. I thank him for his appreciation. Whatever railway line the hon. Member wants to start in his place, यह जानकारी लेकर मैं आपको दे दूंगा और काम आगे बढ़ाने के लिए land availability and other facilities from the State Government are required, वह होने के बाद काम भी शुरू करेंगे।

**(Q. 134)**

**THE MINISTER OF STATE IN THE MINISTRY OF RAILWAYS (SHRI SURESH C. ANGADI):**

**(a) to (d) A statement is laid on the Table.**

**(Q. 135)**

**श्री गोपाल शेट्टी :** अध्यक्ष जी, मैं आपको धन्यवाद देना चाहूंगा कि आप प्रश्न काल को प्रश्न 135 तक ले आए हैं। मैं माननीय मंत्री द्वारा दिए गए उत्तर से संतुष्ट हूं, इसलिए मैं अगला प्रश्न नहीं पूछना चाहता हूं।

**(Q. 136)**

**श्री पंकज चौधरी :** अध्यक्ष महोदय, प्रश्न 136 तक लाने के लिए आपको बहुत-बहुत धन्यवाद। माननीय मंत्री जी ने उत्तर दिया है कि महाराजगंज में कोई भी आरओबी निर्माणाधीन लंबित नहीं है। मैं माननीय मंत्री जी से जानना चाहता हूँ कि आनंद नगर रेलवे स्टेशन के दोनों तरफ जो फाटक है और मानीराम तथा नकाहबे जो एनएच का गेट है, क्या वहां पर भविष्य में आरओबी का कोई प्रस्ताव है?

**श्री सुरेश सी. अंगड़ी :** सर, सभी मैन्ड क्रॉसिंग्स पर आरओबी/आरयूबी बनाने का प्रयास हम लोग कर रहे हैं। जो भी समस्या है, वह रेलवे अधिकारियों से जानकारी ले कर माननीय सदस्य को डिटेल दे देंगे।

**(Q. 137)**

**SHRIMATI SAJDA AHMED :** To my Question whether the Government has set up Defence Space Research Agency, the answer given by the Minister is a simple 'No'. I would like to ask, through you, the reason for this.

**DR. JITENDRA SINGH:** The Defence Space Research Agency is a subject which is not normally discussed in public domain and when it is done, it is done with the cognizance of the Ministry of Defence. Having said that, you would appreciate that a considerable headway has been made. The most notable feature being that in May this year itself we had a research satellite launched which is called the Radar Imaging Satellite which is related to the security.

**(Q. 138)**

**डॉ.( प्रो.) किरिट प्रेमजीभाई सोलंकी :** माननीय अध्यक्ष महोदय, जो युद्ध पहले जमीन पर लड़ा जाता था, दरिया पर लड़ा जाता था। …(व्यवधान)

**माननीय अध्यक्ष:** माननीय सदस्य पहले प्रश्न संख्या बोलिए।

**डॉ.( प्रो.) किरिट प्रेमजीभाई सोलंकी:** सर, प्रश्न संख्या 138 …(व्यवधान)

**माननीय अध्यक्ष :** माननीय सदस्य, अपना प्रश्न लंबा मत करना। आप पहले से लंबा बोल रहे हैं। एक मिनट में पूछिए। 20 प्रश्न लाने हैं।

**डॉ.( प्रो.) किरिट प्रेमजीभाई सोलंकी:** सर, पहले युद्ध जमीन पर लड़ा जाता था। हवा में लड़ा जाता था। स्पेस में भी लड़ा जाता था। आज साइबर वारफेयर के जरिए भी लड़ा जाता है। मैं आपसे विनती करता हूँ कि हमारी आर्मी में, हमारे रक्षा मंत्रालय में वारफेयर के जरिए जो सॉफ्टवेयर होते हैं, हमारे यहां बहुत सारे सॉफ्टवेयर इंजीनियर्स हैं, मैं सरकार से जानना चाहता हूँ कि जो हैक न हो, हमारे यहां ऐसे वारफेयर के लिए साइबर क्राइम को रोकने के लिए कुछ किया जाएगा? …(व्यवधान)

**श्री श्रीपाद येसो नाईक :** सर, माननीय सदस्य ने जो प्रश्न पूछा है, बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न है और हमारी तीनों सेना इस साइबर अटैक को रोकने के लिए काम कर रही है।

**माननीय अध्यक्ष:** प्रश्न संख्या 139

श्री विनोद कुमार सोनकर – उपस्थित नहीं।

प्रश्न संख्या 140 – खान मंत्री जी।

**श्री गणेश सिंह :** अध्यक्ष जी, आपको बहुत-बहत धन्यवाद, बहुत-बहुत बधाई। …(व्यवधान)

**(Q.139)**

**विधि और न्याय मंत्री; संचार मंत्री तथा इलेक्ट्रोनिकी और सूचना प्रौद्योगिकी मंत्री (श्री रवि शंकर प्रसाद):**

(क)से (घ) एक विवरण सभापटल पर रख दिया गया है।

**(Q. 140)**

**SHRI N.K. PREMACHANDRAN :** I would like to ask the hon. Minister a question regarding the MMDR Act 1957. You are absolutely correct that the approval has to be given by the State Government for mining lease. I would like to know from the hon. Minister the details regarding mining lease. I would like to know, in the atomic mineral area, whether it will be a mandatory provision that the State Government should provide the mining lease so as to mine the minerals of our country. That is a specific question which I would like to ask the hon. Minister.

**SHR PRALHAD JOSHI:** The Question is related to the Department of Atomic Energy. However, I will have a look at it.

**माननीय अध्यक्ष:** मैं सभा को बधाई देना चाहता हूँ कि आज सभी माननीय सदस्यों के सहयोग से एवं सभी माननीय मंत्रिगण के सहयोग से हम आज प्रश्न काल में 20 प्रश्न पूरे कर पाए हैं।

**<u>12.00 hrs</u>**

मैं कोशिश करूँगा कि माननीय सदस्य भी अपना प्रश्न पूरा पूछ सकें और माननीय मंत्री जी से भी मेरा आग्रह है कि माननीय सदस्यों को भी संक्षिप्त में सही उत्तर मिल जाए। सदन के अंदर जिस तरीके से आपके सहयोग से आज हमने प्रश्न काल पूरा किया है, इसके लिए आप सब बधाई के पात्र हैं। मुझे आशा है कि आप सब के सहयोग से सदन इसी तरीके से, शांतिपूर्ण तरीके से चलता रहेगा।

संसदीय कार्य मंत्री जी।

**THE MINISTER OF PARLIAMENTARY AFFAIRS; MINISTER OF COAL AND MINISTER OF MINES (SHRI PRALHAD JOSHI):** In recent history, it is a record that all the 20 questions have been taken on record and oral answers have been placed before the House. I congratulate you and thank all the hon. Members. On behalf of the entire House, I once again thank the Hon. Speaker for the same.

**12.01 hrs**

## PAPERS LAID ON THE TABLE.

माननीय अध्यक्ष **:** अब पत्र सभा पटल पर रखे जाएँगे ।

**THE MINISTER OF STATE IN THE MINISTRY OF HUMAN RESOURCE DEVELOPMENT; MINISTER OF STATE IN THE MINISTRY OF COMMUNICATIONS AND MINISTER OF STATE IN THE MINISTRY OF ELECTRONICS AND INFORMATION TECHNOLOGY (SHRI SANJAY SHAMRAO DHOTRE):** Sir, on behalf of Shri Ravi Shankar Prasad, I beg to lay on the Table:-

**(1)** A copy of the Annual Report (Hindi and English versions) of the National Legal Services Authority, New Delhi, for the year 2018-2019, alongwith Audited Accounts.

**(2)** Statement regarding Review (Hindi and English versions) by the Government of the working of National Legal Services Authority, New Delhi, for the year 2018-2019.

[Placed in Library, See No. LT 817/17/19]

**THE MINISTER OF PARLIAMENTARY AFFAIRS; MINISTER OF COAL AND MINISTER OF MINES (SHRI PRALHAD JOSHI):** Sir, I beg to lay on the Table:-

(1) A copy each of the following papers (Hindi and English versions) under sub-section (1) of Section 394 of the Companies Act, 2013:-

(i) Review by the Government of the working of the Coal India Limited,

Kolkata, and its subsidiary companies for the year 2018-2019.

(ii) Annual Report of the Coal India Limited [Volume I and Volume II (Part 1, 2 & 3)], Kolkata, for the year 2018-2019, and its subsidiary companies alongwith Audited Accounts and comments of the Comptroller and Auditor General thereon.

[Placed in Library, See No. LT 818/17/19]

(2) A copy each of the following Notifications (Hindi and English versions) under sub-section (1) of Section 28 of the Mines and Minerals (Development and Regulation) Act, 1957:-

(i) The Minerals (Mining by Government Company) Amendment Rules, 2019 published in Notification No. G.S.R.695(E) in Gazette of India dated 27th September, 2019.

(ii) G.S.R.697(E) published in Gazette of India dated 30th September, 2019 reserving an area of 646.596 hectares in Bailadila reserve forest, Deposit No.4, District South Bastar, Chhattisgarh for mineral iron ore for undertaking prospecting or mining operations through joint venture of National Mineral Development Corporation and Chhattisgarh Mineral Development Corporation Limited.

(iii) The Mineral Conservation and Development (Amendment) Rules, 2019 published in Notification No. G.S.R.570(E) in Gazette of India dated 13th August, 2019.

(iv) G.S.R.675(E) published in Gazette of India dated 20th September, 2019 notifying the conversion factor for calculation of Average Sale Price of metallurgical grade Bauxite.

(v) The Minerals (Other than Atomic and Hydro Carbons Energy Minerals) Concession (Amendment) Rules, 2019 published in Notification No. G.S.R.674(E) in Gazette of India dated 20th September, 2019.

[Placed in Library, See No. LT 819/17/19]

(3) A copy of the Offshore Areas Mineral Concession (Amendment) Rules, 2019 (Hindi and English versions) published in Notification No. G.S.R.595(E) in Gazette of India dated 23rd August, 2019 under sub-section (3) of Section 35 of the Offshore Areas Mineral (Development and Regulation) Act, 2002.

[Placed in Library, See No. LT 820/17/19]

**THE MINISTER OF STATE OF THE MINISTRY OF AYURVEDA, YOGA AND NATUROPATHY, UNANI, SIDDHA AND HOMOEOPATHY (AYUSH) AND MINISTER OF STATE IN THE MINISTRY OF DEFENCE (SHRI SHRIPAD YESSO NAIK):** Sir, I beg to lay on the Table a copy each of the following Notifications (Hindi and English versions) under article 309 of the Constitution:-

1) The Army Officers Pay (Amendment) Rules, 2019 published in Notification No. S.R.O.01(E) in Gazette of India dated 25th February, 2019.

2) The Air Force Officers Pay (Amendment) Rules, 2019 published in Notification No. S.R.O.02(E) in Gazette of India dated 25th February, 2019.

3) The Navy Officers Pay (Amendment) Regulations, 2019 published in Notification No. S.R.O.03(E) in Gazette of India dated 25th February, 2019.

[Placed in Library, See No. LT 821/17/19]

**उत्तर पूर्वी क्षेत्र विकास मंत्रालय के राज्य मंत्री; प्रधानमंत्री कार्यालय में राज्य मंत्री; कार्मिक, लोक शिकायत और पेंशन मंत्रालय में राज्य मंत्री; परमाणु ऊर्जा विभाग में राज्य मंत्री तथा अंतरिक्ष विभाग में राज्य मंत्री (डॉ. जितेन्द्र सिंह): मैं** निम्न**लिखित** पत्र **सभा पटल पर रखता हूं** :-

(1) (एक) इंडियन इंस्टीटयूट ऑफ स्पेस साइंस एण्ड टेक्नोलॉजी, तिरुवनंतपुरम के वर्ष 2018-2019 के वार्षिक प्रतिवेदन की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण) तथा लेखापरीक्षित लेखे।

(दो) इंडियन इंस्टीटयूट ऑफ स्पेस साइंस एण्ड टेक्नोलॉजी, तिरुवनंतपुरम के वर्ष 2018-2019 के कार्यकरण की सरकार द्वारा समीक्षा के बारे में विवरण (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।

[Placed in Library, See No. LT 822/17/19]

(2) (एक) फिजिकल रिसर्च लेबोरेटरी, अहमदाबाद के वर्ष 2018-2019 के वार्षिक प्रतिवेदन की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण) तथा लेखापरीक्षित लेखे।

(दो) फिजिकल रिसर्च लेबोरेटरी, अहमदाबाद के वर्ष 2018-2019 के कार्यकरण की सरकार द्वारा समीक्षा के बारे में विवरण (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।

[Placed in Library, See No. LT 823/17/19]

(3) (एक) नॉर्थ ईस्टर्न स्पेस एप्लीकेशंस सेंटर, शिलांग के वर्ष 2018-2019 के वार्षिक प्रतिवेदन की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण) तथा लेखापरीक्षित लेखे।

(दो) नॉर्थ ईस्टर्न स्पेस एप्लीकेशंस सेंटर, शिलांग के वर्ष 2018-2019 के कार्यकरण की सरकार द्वारा समीक्षा के बारे में विवरण (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।

[Placed in Library, See No. LT 824/17/19]

(4) (एक) नेशनल सेंटर फॉर गुड गवर्नेंस, नई दिल्ली के वर्ष 2018-2019 के वार्षिक प्रतिवेदन की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।

(दो) नेशनल सेंटर फॉर गुड गवर्नेंस, नई दिल्ली के वर्ष 2018-2019 के वार्षिक लेखाओं की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण) तथा उन पर लेखापरीक्षा प्रतिवेदन।

(तीन) नेशनल सेंटर फॉर गुड गवर्नेंस, नई दिल्ली के वर्ष 2018-2019 के कार्यकरण की सरकार द्वारा समीक्षा की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।

[Placed in Library, See No. LT 825/17/19]

(5) अखिल भारतीय सेवा अधिनियम, 1951 की धारा 3 की उपधारा (2) के अंतर्गत निम्नलिखित पत्रों की एक-एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण):-

(एक) भारतीय प्रशासनिक सेवा (संवर्ग संख्या का नियतन) दूसरा संशोधन विनियम, 2019 जो 9 अक्तूबर, 2019 के भारत के राजपत्र में अधिसूचना सं. सा.का.नि. 765(अ) में प्रकाशित हुए थे।

(दो) भारतीय प्रशासनिक सेवा (वेतन) दूसरा संशोधन विनियम, 2019 जो 9 अक्तूबर, 2019 के भारत के राजपत्र में अधिसूचना सं. सा.का.नि. 766(अ) में प्रकाशित हुए थे।

[Placed in Library, See No. LT 826/17/19]

**THE MINISTER OF STATE IN THE MINISTRY OF COMMERCE AND INDUSTRY (SHRI SOM PARKASH):** Sir, on behalf of Shri Hardeep Singh Puri, I beg to lay on the Table:-

(1) A copy of the Annual Report (Hindi and English versions) of the Pharmaceuticals Export Promotion Council, Hyderabad, for the year 2018-2019, alongwith Audited Accounts.

(2) A copy of the Review (Hindi and English versions) by the Government of the working of the Pharmaceuticals Export Promotion Council, Hyderabad, for the year 2018-2019.

[Placed in Library, See No. LT 827/17/19]

**THE MINISTER OF STATE IN THE MINISTRY OF HUMAN RESOURCE DEVELOPMENT; MINISTER OF STATE IN THE MINISTRY OF COMMUNICATIONS AND MINISTER OF STATE IN THE MINISTRY OF ELECTRONICS AND INFORMATION TECHNOLOGY (SHRI SANJAY SHAMRAO DHOTRE):** Sir, I beg to lay on the Table:-

(1) A copy each of the following papers (Hindi and English versions) under sub-section (1) of Section 394 of the Companies Act, 2013:-

(i) Review by the Government of the working of the Mahanagar Telephone Nigam Limited, New Delhi, for the year 2018-2019.

(ii) Annual Report of the Mahanagar Telephone Nigam Limited, New Delhi, for the year 2018-2019, alongwith Audited Accounts and comments of the Comptroller and Auditor General thereon.

[Placed in Library, See No. LT 828/17/19]

(2) A copy of the Memorandum of Understanding (Hindi and English versions) between the Bharat Sanchar Nigam Limited and the Department of Telecommunications, Ministry of Communications, for the year 2019-2020.

[Placed in Library, See No. LT 829/17/19]

(3) A copy each of the following Notifications (Hindi and English versions) under Section 37 of the Telecom Regulatory Authority of India Act, 1997:-

(i) The Telecommunication (Broadcasting and Cable) Services Register of Interconnection Agreements and all such other matters Regulations, 2019 published in Notification No. F. No. 6-1/2016-B&CS in Gazette of India dated 4th September, 2019.

(ii) The Telecommunication Mobile Number Portability Per Port Transaction Charge and Dipping Charge (Second Amendment) Regulations, 2019 published in Notification No. 15-01/2019-F&EA in Gazette of India dated 1st October, 2019.

(iii) The Telecommunication Mobile Number Portability (Eighth Amendment) Regulations, 2019 published in Notification No. 116-4/2019-NSL-II in Gazette of India dated 1st October, 2019.

(iv) The Telecommunication (Broadcasting and Cable) Services Standards of Quality of Service and Consumer Protection (Addressable Systems)(Second Amendment) Regulations, 2019 published in Notification No. F. No. 12-37/2019-B&CS in Gazette of India dated 9th October, 2019.

(v) The Telecommunication (Broadcasting and Cable) Services Interconnection (Addressable Systems) (Amendment) Regulations, 2019 published in Notification No. F. No. 21-6/2019-B&CS in Gazette of India dated 30th October, 2019.

(vi) The Standards of Quality of Service of Basic Telephone Service (wireline and Cellular Mobile Telephone Service (Seventh Amendment) Regulations, 2019 published in Notification No. F. No. 301-02/2018-QoS(Misc.) in Gazette of India dated 1st November, 2019.

(vii) Notification No. 116-6/2017-NSL-II/(Vol.III) published in Gazette of India dated 27th September, 2019, making certain amendments to the Telecommunication Mobile Number Portability (Seventh Amendment) Regulations, 2018.

[Placed in Library, See No. LT 830/17/19]

**THE MINISTER OF STATE IN THE MINISTRY OF RAILWAYS (SHRI SURESH C. ANGADI):** Sir, I beg to lay on the Table:-

(1) A copy each of the following papers (Hindi and English versions) under sub-section (1) of Section 394 of the Companies Act, 2013:-

(a) (i) Review by the Government of the working of the Mumbai Railway Vikas Corporation Limited, Mumbai, for the year 2018-2019.

(ii) Annual Report of the Mumbai Railway Vikas Corporation Limited, Mumbai, for the year 2018-2019, alongwith Audited Accounts and comments of the Comptroller and Auditor General thereon.

[Placed in Library, See No. LT 831/17/19]

(b) (i) A copy of the Review by the Government of the working of the Braithwaite and Company Limited, Calcutta, for the year 2018-2019.

(ii) Annual Report of the Braithwaite and Company Limited, Calcutta, for the year 2018-2019, alongwith Audited Accounts and comments of the Comptroller and Auditor General thereon.

[Placed in Library, See No. LT 832/17/19]

(c) (i) Review by the Government of the working of the Railtel Corporation of India Limited, New Delhi, for the year 2018-2019.

(ii) Annual Report of the Railtel Corporation of India Limited, New Delhi, for the year 2018-2019, alongwith Audited Accounts and comments of the Comptroller and Auditor General thereon.

[Placed in Library, See No. LT 833/17/19]

(d) (i) Review by the Government of the working of the Konkan Railway Corporation Limited, Navi Mumbai, for the year 2018-2019.

(ii) Annual Report of the Konkan Railway Corporation Limited, Navi Mumbai, for the year 2018-2019, alongwith Audited Accounts and comments of the Comptroller and Auditor General thereon.

[Placed in Library, See No. LT 834/17/19]

(e) (i) Review by the Government of the working of the Rail Vikas Nigam Limited, New Delhi, for the year 2018-2019.

(ii) Annual Report of the Rail Vikas Nigam Limited, New Delhi, for the year 2018-2019, alongwith Audited Accounts and comments of the Comptroller and Auditor General thereon.

[Placed in Library, See No. LT 835/17/19]

(f) (i) Review by the Government of the working of the RITES Limited, Delhi, for the year 2018-2019.

(ii) Annual Report of the RITES Limited, Delhi, for the year 2018-2019, alongwith Audited Accounts and comments of the Comptroller and Auditor General thereon.

[Placed in Library, See No. LT 836/17/19]

(g) (i) Review by the Government of the working of the IRCON International Limited, New Delhi, for the year 2018-2019.

(ii) Annual Report of the IRCON International Limited, New Delhi, for the year 2018-2019, alongwith Audited Accounts and comments of the

Comptroller and Auditor General thereon.

[Placed in Library, See No. LT 837/17/19]

(h) (i) Review by the Government of the working of the Indian Railway Catering and Tourism Corporation Limited, New Delhi, for the year 2018-2019.

(ii) Annual Report of the Indian Railway Catering and Tourism Corporation Limited, New Delhi, for the year 2018-2019, alongwith Audited Accounts and comments of the Comptroller and Auditor General thereon.

[Placed in Library, See No. LT 838/17/19]

(2) (i) A copy of the Annual Report (Hindi and English versions) of the Railway Sports Promotion Board, Delhi, for the year 2018-2019, alongwith Audited Accounts.

(ii) A copy of the Review (Hindi and English versions) by the Government of the working of the Railway Sports Promotion Board, Delhi, for the year 2018-2019.

[Placed in Library, See No. LT 839/17/19]

(3) A copy each of the following Notifications (Hindi and English versions) under sub-section (3) of Section 30 of the Railway Claims Tribunal Act, 1987:-

(i) The Railway Claims Tribunal (Procedure) Amendment Rules, 2019 published in Notification No. G.S.R.546(E) in Gazette of India dated 1st August, 2019.

(ii) The Railway Claims Tribunal (Procedure) Amendment Rules, 2019 published in Notification No. G.S.R.575(E) in Gazette of India dated 16th August, 2019.

(iii) The Railway Claims Tribunal (Procedure) Amendment Rules, 2019 published in Notification No. G.S.R.646(E) in Gazette of India dated 12th September, 2019.

(4) Statement (Hindi and English versions) showing reasons for delay in laying the papers mentioned at item No. (i) of (3) above.

[Placed in Library, See No. LT 840/17/19]

(5) A copy each of the following Notifications (Hindi and English versions) under Section 199 of the Railways Act, 1989:-

(i) The Railway (Notices of and Inquires into Accidents) Amendment Rules, 2019 published in Notification No. G.S.R.577(E) in Gazette of India dated 19th August, 2019.

(ii) The Dedicated Freight Corridor Railway General Rules, (Amendment) Rules, 2019 published in Notification No. G.S.R.822(E) in Gazette of India dated 6th November, 2019.

[Placed in Library, See No. LT 841/17/19]

**THE MINISTER OF STATE IN THE MINISTRY OF COMMERCE AND INDUSTRY (SHRI SOM PARKASH):** Sir, I beg to lay on the Table:-

(1) (i) A copy of the Annual Report (Hindi and English versions) of the Central Pulp and Paper Research Institute, Saharanpur, for the year 2018-2019, alongwith Audited Accounts.

(ii) A copy of the Review (Hindi and English versions) by the Government of the working of the Central Pulp and Paper Research Institute, Saharanpur, for the year 2018-2019.

[Placed in Library, See No. LT 842/17/19]

(2) (i) A copy of the Annual Report (Hindi and English versions) of the Indian Rubber Manufacturers Research Association, Thane, for the year 2018-2019, alongwith Audited Accounts.

(ii) A copy of the Review (Hindi and English versions) by the Government of the working of the Indian Rubber Manufacturers Research Association, Thane, for the year 2018-2019.

[Placed in Library, See No. LT 843/17/19]

---

**12.03 hrs**

## STANDING COMMITTEE ON HEALTH AND FAMILY WELFARE

### 115th and 116th Reports

**DR. MAHESH SHARMA (GAUTAM BUDDHA NAGAR):** Sir, I beg to lay on the Table the following Reports (Hindi and English versions) of the Standing Committee on Health and Family Welfare:-

(1) 115th Report on the National Commission for Indian System of Medicine Bill, 2019.

(2) 116th Report on the National Commission for Homeopathy Bill, 2019.

---

**12.03 ½ hrs**

## MOTION RE: NINTH REPORT OF BUSINESS ADVISORY COMMITTEE

**THE MINISTER OF PARLIAMENTARY AFFAIRS; MINISTER OF COAL AND MINISTER OF MINES (SHRI PRALHAD JOSHI):** Sir, I beg to move:-

> "That this House do agree with the Ninth Report of the Business Advisory Committee presented to the House on 26th November, 2019 "

माननीय अध्यक्ष **:** प्रश्न यह है**:**

> "कि यह सभा 26 नवम्बर, 2019 को सभा में प्रस्तुत कार्य मंत्रणा समिति के नौवें प्रतिवेदन से सहमत है।"

प्रस्ताव स्वीकृत हुआ

---

**12.04 hrs**

## [1]JAMMU AND KASHMIR RESERVATION (SECOND AMENDMENT) BILL, 2019

माननीय अध्यक्ष**:** आइटम नम्बर 12- श्री जी.किशन रेड्डी।

**गृह मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री जी. किशन रेड्डी):** माननीय स्पीकर महोदय, श्री अमित शाह की ओर से मैं प्रस्ताव करता हूँ**:**

> "कि जम्मू और कश्मीर आरक्षण अधिनियम, 2004 का और संशोधन करने के लिए विधेयक, राज्य सभा द्वारा यथापारित, को वापस लिए जाने की अनुमति दी जाए।"

माननीय अध्यक्ष**:** प्रस्ताव प्रस्तुत हुआ**:**

> "कि जम्मू और कश्मीर आरक्षण अधिनियम, 2004 का और संशोधन करने के लिए विधेयक, राज्य सभा द्वारा यथापारित, को वापस लिए जाने की अनुमति दी जाए।"

…(व्यवधान)

---

[1] The Bill, as passed by Rajya Sabha on 5 August, 2019, was laid on the Table of Lok Sabha on the same day. The Motion for consideration of the Bill was moved by the Minister-in-charge in Lok Sabha on 6 August, 2019. After discussion on the Motion concluded, the Minister proposed that Rajya Sabha will be requested to permit withdrawal of the Bill to which the House agreed. Rajya Sabha at its sitting held on the 7th August, 2019 agreed to the request made by the Minister-in-charge that leave be granted by Rajya Sabha to withdraw the Bill in Lok Sabha.

**PROF. SOUGATA RAY (DUM DUM):** Sir, under Rule 111 of the Rules and Procedure, I oppose the withdrawal of Jammu and Kashmir Reservation (Second Amendment) Bill, 2019. As you know, there is a provision for withdrawal of a Bill under Rule 110 of the Rules and Procedure. The three conditions under which the Bill may be withdrawn are (i) Government must state the legislative proposal contained in the Bill is to be dropped; or (ii) the Bill is to be replaced subsequently by a new Bill; or (iii) the Bill is to be replaced subsequently by another Bill which includes all or any of its provisions in addition to other provision etc. etc.

Sir, now this Bill was giving reservation to economically backward sections. Today, the Minister has come forward to withdraw the Bill. But today, in the Order Paper, we have not got any of the reasons for withdrawal of the Bill. There is nothing wrong with the Bill. It gives reservation to economically weaker sections. So, the Minister should state under Rule 110, what the reasons are for which he is withdrawing the Bill which relates to reservation to economically weaker sections …(*Interruptions*) Sir, it is a sensitive issue. So, the Minister must be clear, elaborative and transparent in this matter.

**माननीय अध्यक्ष**: माननीय सदस्य, निदेश-36 सामान्यत: उन विधेयकों के लिए है, जो लोक सभा में पुर:स्थापित होकर सदन में लम्बित हैं। वर्तमान विधेयक राज्य सभा द्वारा पारित है। मैं माननीय सदस्य को यह भी अवगत कराना चाहूंगा कि माननीय गृह मंत्री जी ने 6 अगस्त, 2019 को इस सदन को यह अवगत करा दिया था कि वे इस विधेयक को किस कारण से वापस लेना चाहते हैं।

**प्रो. सौगत राय :** 6 अगस्त को अवगत कराया था तो आज भी यह कराना चाहिए।

**माननीय अध्यक्ष:** प्रश्न यह है:

"कि जम्मू और कश्मीर आरक्षण अधिनियम, 2004 का और संशोधन करने के लिए विधेयक, राज्य सभा द्वारा यथापारित, को वापस लेने की अनुमति दी जाए।"

<u>प्रस्ताव स्वीकृत हुआ।</u>

**श्री जी. किशन रेड्डी :** मैं विधेयक को वापस लेता हूं।...(व्यवधान)

---

**12.08 hrs**

## FELICITATION BY THE SPEAKER

### Successful Launch of Cartosat-3 Satellite onboard PSLV

माननीय अध्यक्ष**:** मुझे सदन को यह सूचित करते हुए बहुत खुशी हो रही है कि आज इसरो ने एक बार फिर पी.एस.एल.वी. रॉकेट का सफल प्रक्षेपण किया है। इस रॉकेट ने स्वदेशी कार्टोसेट-3 उपग्रह के अलावा अमेरिका के एक दर्जन से अधिक नैनो सैटेलाइट्स को भी उनकी कक्षाओं में सफलतापूर्वक छोड़ा है। कार्टोसेट-3 उपग्रह हमारे देश की हाई रिजॉल्यूशन इमेजिंग क्षमता को बढ़ाएगा। इस सफल प्रक्षेपण ने एक बार फिर देश का मान बढ़ाया है। इस उपलब्धि पर इसरो और अंतरिक्ष विभाग की पूरी टीम को मैं सदन की ओर से हार्दिक बधाई देता हूं। साथ ही**,** मैं यह विश्वास भी व्यक्त करता हूं कि अंतरिक्ष के शान्तिपूर्ण उपयोग में इसरो और अंतरिक्ष विभाग के नए कदम देश के विकास में उल्लेखनीय योगदान करते रहेंगे।

---

**माननीय अध्यक्ष:** माननीय सदस्यगण, मुझे कुछ विषयों पर स्थगन-प्रस्ताव की सूचनाएं प्राप्त हुई हैं। मैंने किसी भी स्थगन-प्रस्ताव की सूचना के लिए अनुमति प्रदान नहीं की है।

…(व्यवधान)

**प्रो. सौगत राय (दमदम ) :** सर, कश्मीर में फिर अशांति हो गई है। कल अनन्तनाग में दो मारे गए। इसे देखना चाहिए।…(व्यवधान)

**माननीय अध्यक्ष:** मैं व्यवस्था दे रहा हूं।

मैं टी.आर. बालू साहब से आग्रह करूंगा। वे दो मिनट के लिए अपने विषय को रखना चाहते हैं।

**SHRI T. R. BAALU (SRIPERUMBUDUR):** Hon. Speaker, Sir, in the recent past, at least 50 per cent of the world population have experienced the nuclear disaster especially in Three Mile islands in the state of Pennsylvania of USA, Chernobyle of Russia and Fakushima of Japan. It is because of these incidents, apprehensions have been created in the minds of Koodumkulam fishermen and they were agitating. More than 10,000 people around this nuclear plant project had been peacefully demonstrating for more than 30-40 days. What has happened was that at the behest of the Government of India, the State Government had foisted criminal cases on 9,000 people. They are all suffering now.

**माननीय अध्यक्ष:** आप यह मत कहिए। आप इशारा मत कीजिए। क्या आपने कोई लिखित कागज देखा है? क्या आपने गवर्नमेंट ऑफ इंडिया का कोई लिखित ऑर्डर देखा है? आप ऐसा आरोप मत लगाइए।

**SHRI T. R. BAALU :** It is the order of the court. I am going to cite that. Kindly wait for some time, Sir. These are all on record. Under Section 124 A CrPC, 8,956 sedition cases were filed; under Section 121 and Section 121A, 13,850 people were charged with waging war against the State; under Section 307of

IPC, 18,143 people were charged with attempt to murder; and 15,565 people were charged with indulging in damaging public property. Then, I quote the case of G. Sundarajan *Versus* Government of India - Case No. Civil Appeal 4440 of 2013 and Court Direction Number 14 says, and I quote:

> "Endeavour should be made to withdraw all the criminal cases filed against the agitators so that peace and normalcy be restored at Koodumkulam and nearby places and steps should be taken to educate these people on the necessity of plant".

This is what the court stated. Stating all these things, my leader, Dr. M.K. Stalin has vociferously appealed to the Government of India to prevail upon the Government of Tamil Nadu, who have always been…. * The Government of India should come forward to see that all the arrested persons are released forthwith, at least as per the orders of the court. Kindly see that the Supreme Court order is restored. Senior Minister, Shri Rajnath Singh, is present in the House. Cases were foisted particularly against the vulnerable sections, the fishermen. Hon. Minister may kindly stand up and answer.…(*Interruptions*)

**माननीय अध्यक्ष:** बालू जी, प्लीज़ आप कंक्लूड कीजिए।

**SHRI T. R. BAALU :** Sir, the Minister is about to stand up. …(*Interruptions*)

* Not recorded.

**12.10 hrs**

## SUBMISSION BY MEMBER

### Re: Recent militant attacks in Kashmir

**SHRI KODIKUNNIL SURESH (MAVELIKKARA):** Sir, after the revocation of Article 370, this Government is saying that Jammu & Kashmir is gradually coming back to normalcy but it is not correct. What has happened yesterday? Terrorist attacks took place in Anantnag district of Jammu & Kashmir. One Government officer and one *Sarpanch* were killed. Six others were injured in the cruel attack of terrorists. Where is normalcy in Jammu & Kashmir? Sir, the Government is misleading the House. I have not yet completed my speech. Kindly allow me to complete it.

**माननीय अध्यक्ष:** आपकी डिमांड क्या है? आप अपनी मांग रखिए।

…(व्यवधान)

**SHRI KODIKUNNIL SURESH:** Sir, every day, terrorist attacks are taking place in different parts of Jammu & Kashmir. Where is normalcy in Jammu & Kashmir? Hon. Minister of Home Affairs should come and make a statement on this issue. …(*Interruptions*)

**माननीय अध्यक्ष:** सुरेश जी, आप एक मिनट के लिए बैठ जाइए।

…(व्यवधान)

**माननीय अध्यक्ष:** माननीय सदस्य, आप एक बार बैठिए। सदन यह तय कर ले कि देश की हर आतंकवादी घटना पर सदन चर्चा करेगा। माननीय सदस्य, आपने विषय उठाया है। सरकार ने इसका नोटिस ले लिया है। आतंकवाद की किसी भी घटना का सदन हमेशा भर्त्सना करता है। देश में आतंकवादी घटना नहीं होनी चाहिए, आपने सरकार के ध्यान में यह विषय डाल दिया।

…(व्यवधान)

**माननीय अध्यक्ष :** माननीय सदस्य।

…(व्यवधान)

**SHRI KODIKUNNIL SURESH :** Sir, my submission is that after revocation of Article 370, the situation in Jammu & Kashmir has not come to normalcy.…(*Interruptions*). The Government is misleading the House.…(*Interruptions*)

**माननीय अध्यक्ष :** श्री कुलदीप राय शर्मा को श्री कोडिकुन्निल सुरेश द्वारा उठाए गए विषय के साथ संबद्ध करने की अनुमति प्रदान की जाती है।

…(व्यवधान)

**माननीय अध्यक्ष :** आप रक्षा मंत्री जी का जवाब सुन लीजिए।

…(व्यवधान)

**रक्षा मंत्री (श्री राजनाथ सिंह):** अध्यक्ष महोदय, जहां तक इस देश में आतंकवादी वारदातों का प्रश्न है**,** इस सच्चाई से सभी अच्छी तरह परिचित हैं कि विगत साढ़े 5 वर्षों में जम्मू-कश्मीर को छोड़ कर कहीं पर भी कोई बड़ी आतंकवादी घटना नहीं हुई है। जितना प्रिकॉशन गवर्नमेंट की तरफ से …(व्यवधान) आप पहले हमारी बात सुनिए । …(व्यवधान) फिर हम नहीं बोलेंगे।…(व्यवधान)

**माननीय अध्यक्ष :** माननीय सदस्यगण, अगर आप रक्षा मंत्री जी का जवाब सुनना चाहते हैं, तो बीच में नहीं बोलना चाहिए। अब मैं माननीय रक्षा मंत्री जी को भी एलाऊ नहीं करूंगा। उन्होंने अपनी बात कह दी है। अगर वे बोलेंगे, तो अब आप बीच में नहीं बोलेंगे। आपने अपनी बात कही। आप जवाब मांग रहे थे। सरकार की तरफ से रक्षा मंत्री जी जवाब दे रहे हैं। आप पूरा जवाब सुनिए।

…(व्यवधान)

**माननीय अध्यक्ष :** आप बीच में क्यों खड़े हो जाते हैं?

…(व्यवधान)

**श्री राजनाथ सिंह:** अध्यक्ष महोदय, जहां तक कश्मीर का प्रश्न है, यह सच है कि विगत 30-35 वर्षों से लगातार आतंकवादी घटनाएं वहां पर होती रही हैं। मैं इसके लिए बधाई देना चाहता हूं, चाहे हमारी सिक्योरिटी फोर्सेज हों, चाहे वह हमारी लोकल पुलिस हो, पैरामिलिट्री फोर्सेज़ हों, आर्मी हो, प्रभावी कार्रवाई, अपनी तरफ से जो बेस्ट कोआर्डिनेशन हो सकता है, उस कोआर्डिनेशन के आधार पर वे करती रही हैं। धारा 370 समाप्त होने के बाद, मैं दावे के साथ यह कह सकता हूं कि पहले के कंपैरिजन में अब आतंकवादी घटनाएं लगभग न के बराबर हो गई हैं।…(व्यवधान) आप मेरी बात तो सुनिए।…(व्यवधान)

**श्री अधीर रंजन चौधरी (बहरामपुर):** वहां इंटरनेट काम नहीं कर रहा है। …(व्यवधान)

माननीय अध्यक्ष : केवल माननीय रक्षा मंत्री जी की बात नोट हो।

…(व्यवधान)

**श्री राजनाथ सिंह:** यदि कोई भी आतंकवादी घटना घटित हुई है, तो स्वाभाविक है कि उसे सभी कंडेम करेंगे, उसको कोई एप्रीशिएट नहीं करेगा। लेकिन मैं इतना कह सकता हूं कि चाहे वहां की आर्मी हो, चाहे वहां की पैरामिलिट्री फोर्सेज़ हों, चाहे वहां की लोकल पुलिस हो, सारे परस्पर

कोआर्डिनशन के आधार पर आतंकवादी घटनाओं के खिलाफ बराबर प्रभावी कार्रवाई अपनी तरफ से कर रहे हैं।…(व्यवधान) आप चिंता मत करिए। …(व्यवधान) मैं कहना चाहता हूं कि कश्मीर में तेजी से नार्मल्सी आ रही है।…(व्यवधान)

---

**डॉ. निशिकांत दुबे (गोड्डा):** अध्यक्ष महोदय, धन्यवाद। कांग्रेस के मेंबर ऑफ पार्लियामेंट ऐसे ही परेशान रहते हैं। इस देश में जो सबसे बड़ी समस्या है, वह शिक्षा की समस्या है। शिक्षा, स्वास्थ्य, पीने का पानी, इरीगेशन, ये सब ऐसे विषय हैं**,** जिसके लिए हम सभी मेंबर ऑफ पार्लियामेंट यहां जीत कर आते हैं और जनता को हम कहते हैं कि इस तरह की सुविधा आपको देंगे। जिस वक्त यह संविधान बन रहा था, उस वक्त कुछ ऐसी बातें हो गईं, जो शिक्षा, स्वास्थ्य, पीने का पानी, इरीगेशन, ये सब समस्यायें, जो आम लोगों को जोड़ती हैं, वे सब कनकरेंट लिस्ट में चली गईं या स्टेट लिस्ट में चली गईं। हमारे यहां जो एजुकेशन सिस्टम है, इसमें 3-4 तरह के बोर्ड हो गए हैं। सीबीएसई अलग एग्जाम लेता है, उसके अलग स्कूल्स हैं। आईसीएसई अलग बोर्ड है, वह अलग एग्जाम लेता है। सारे स्टेट्स के बोर्ड्स हैं, जो अलग-अलग एग्जाम्स लेते हैं। अलग-अलग एग्जाम्स लेने के कारण, उनकी अलग-अलग पढ़ाई होती है। मेरा लैंगुएज से कोई मतलब नहीं है। भारत की जितनी भी भाषायें हैं, उन सारी भाषाओं में पढ़ाई होनी चाहिए, हम इसके समर्थक हैं। उस एजुकेशन व्यवस्था में ही यदि आप एक जिले में देखेंगे, तो कई जगह प्राइवेट स्कूल हैं, उसी तरह से स्टेट बोर्ड के स्कूल्स हैं, उसी तरह से सेंट्रल स्कूल्स हैं, जिनमें मेंबर ऑफ पार्लियामेंट का कोटा है और उसी तरह से नवोदय स्कूल्स चल रहे हैं। केन्द्र सरकार भी स्कूल चला रही है, स्टेट गवर्नमेंट भी स्कूल चला रही है और प्राइवेट स्कूल्स भी चल रहे हैं। प्राइवेट स्कूल्स में बच्चों की अलग फीस है। स्टेट्स में शिक्षा फ्री है। सेंट्रल स्कूल्स की एक अलग फीस है। जो राष्ट्रीय एग्जाम है,

जिसको आईएएस बनना है, आईपीएस बनना है, जिसको आईआईटी, आईआईएम में जाना है, उसका एक अलग ऑल इंडिया का एग्जाम है।

आप देखेंगे कि इस कारण ग्रामीण बैकग्राउंड के लोग कोटा पढ़ाई करने के लिए जाते हैं, जहां से आप आते हैं। स्टेट बोर्ड सीबीएसई पैटर्न पर नहीं पढ़ाता है, आईसीएसई बोर्ड पैटर्न पर नहीं पढ़ाता है, गरीब बच्चों के पास पढ़ने के लिए पैसा नहीं है। इस कारण अमीरों के बच्चे या शहरी क्षेत्र के बच्चे ऑल इंडिया एग्जाम ज्यादा कम्पीट कर पा रहे हैं और रूरल बैकग्राउंड के बच्चे कम कर पा रहे हैं।

मेरा आपके माध्यम से सरकार से आग्रह है, एनसीईआरटी की बुक है क्योंकि बुक भी एक बड़ा स्कैम है। एक सिलेबस, एक एग्जाम और एक देश जैसे एक निशान, एक विधान के लिए धारा 370 का किया, यदि वह लागू करेंगे तो ग्रामीण क्षेत्र के बच्चे उसमें कम्पीट कर पाएंगे। मेरा आपके माध्यम से सरकार से यही आग्रह है।

**माननीय अध्यक्ष:** डॉ. किरिट पी. सोलंकी, श्री देवजी एम. पटेल, श्री अजय कुमार, डॉ. संजय जायसवाल, श्री दुष्यंत सिंह, श्री उदय प्रताप सिंह और श्री कुलदीप राय शर्मा को श्री डॉ. निशिकांत दुबे द्वारा उठाए गए विषय के साथ संबद्ध करने की अनुमति प्रदान की जाती है।

**SHRI H. VASANTHAKUMAR (KANYAKUMARI) :** Hon. Speaker, Sir, I would like to bring to your kind notice that 150 Ex-servicemen Contributory Health Scheme Polyclinics in Southern Command were forced to close. As a result, the beneficiaries numbering about 15,000 approximately in the Kanyakumari District are not able to get treatment, even though, the Ex-servicemen are contributing life-time fee of Rs.30,000, Rs. 60,000 and Rs. 1,20,000 as per their grades. The Ex-servicemen are not able to avail the medical facilities in the polyclinics and the patients are being asked to go to empanelled hospitals

for their treatment. The empanelled hospitals are not interested to provide medical facilities to the Ex-servicemen and their dependants, because of the low rates fixed for the treatment, which is fixed in the year 2014. It is not revised as per current inflation.

Because of this, a large number of empanelled hospitals have decided not to entertain patients, for whom cashless facilities has been extended. Due to Government's delay, thousands of patients, especially poor Ex-Servicemen pensioners are suffering. I do not know the reason why the Government is delaying the payment. I demand that the Government should make the reimbursement immediately so that the Ex-servicemen and their dependants can have cashless treatment from hospitals. Now, the patients are forced to go to Military Hospitals, but there are no Military Hospitals in Kanyakumari constituency. I urge upon the hon. Minister to provide necessary funds and also revise the existing rates to the empanelled hospitals.

**DR. M.K. VISHNU PRASAD (ARANI):** Thank you, Mr. Speaker. I represent Arani parliamentary constituency, in which Mailam is an Assembly segment. NH-66 is passing through my Arani parliamentary constituency, that is, Chennai to Trichy. In Mailam Assembly segment, one Kooteripattu Junction is there. It is a very thickly populated area and there are many intersections on the roads, due to which several accidents are taking place, some of which are very fatal and some are less fatal. However, so many accidents have taken place and so many lives have been lost. We have represented the matter of

urgency, to have a flyover at this Kooteripattu Junction and feasible reports have already been submitted. But almost for five years, the work has not started. It has not taken off. So, I urge upon the Union Government, the Highways Authority to interfere in this matter to have a flyover in Mailam Assembly segment of Arani parliamentary constituency to immediately start the work and save the lives of several thousand people.

**SHRIMATI KIRRON KHER (CHANDIGARH):** Speaker Sir, the objective of the Scheme for Compassionate Appointment is to grant appointment on compassionate grounds to a dependant family member of a Government employee who has died while in service or who is retired on medical grounds before attaining the age of 55. Due to a ceiling of five per cent direct recruitment vacancies on making such appointments, the rightful beneficiaries from the Union Territory of Chandigarh have been unable to avail the benefits of this scheme. Chandigarh has adopted the Punjab State Civil Services Rules. Accordingly, the benefits of the employees of the Union Territory of Chandigarh have been brought in line with those of the State of Punjab with regard to pay, allowances, age of retirement, pension benefits etc. Unfortunately, the *status quo* has prevailed with regard to compassionate appointments. Certain departments have very few posts, and hence, the minimum vacancy limit together with the ceiling] hold back a lot of such appointments. Although there are provisions in the scheme to accommodate this issue for small States and Union Territories and in many cases, the

applicants have had to wait for over a decade. गरीब लोग हैं, मिडल इनकम के लोग हैं। दस साल तक उनके पास कोई कमाई का साधन नहीं होगा । I, therefore, urge upon the Home Ministry to do away with the ceiling as in the case of Punjab which would be the only way relief would be granted to the families of the deceased employees.

**माननीय अध्यक्ष:** श्री कुलदीप राय शर्मा और श्रीमती मीनाक्षी लेखी को श्रीमती किरण खेर द्वारा उठाए गए विषय के साथ संबद्ध करने की अनुमति प्रदान की जाती है।

…(व्यवधान)

**माननीय अध्यक्ष:** माननीय सदस्यगण, आप अपना विषय और मांग रखें। शून्य काल पूरा वर्णन करने के लिए नहीं है।

श्री मनीष तिवारी।

**श्री मनीष तिवारी (आनंदपुर साहिब):** निति संवाद में एक अज्ञात वस्तु है और वह अज्ञात वस्तु है, जो हमारे वरिष्ठ और वृद्ध समाज के सदस्य हैं। वर्ष 2011 के सेंसिस के अनुसार भारत में साढ़े दस करोड़ ऐसे लोग हैं जिनकी आयु 60 वर्ष से ऊपर है। वर्ष 2026 तक यह संख्या बढ़कर 17.3 करोड़ हो जाएगी और वर्ष 2050 तक 32.4 करोड़ हो जाएगी। इस तरह से 50 प्रतिशत से ज्यादा वृद्ध लोग अकेले रहते हैं जिनमें 65 प्रतिशत से ज्यादा गरीब हैं। वृद्ध लोगों के लिए सबसे बड़ी लाचारी को अंग्रेजी में लोनलीनैस कहते हैं। इसके साथ ही देख न पाना, मोटर डिसएबिलिटी के कारण वे अपने जीवन के गोल्डन ईयर्स में लाचार हो जाते हैं। सबसे दुर्भाग्यपूर्ण बात है, that the elderly are unfortunately subjected to abuse by the very people they have brought up all their lives. Unfortunately, most of them decide to accept this reality in order to continue their living. My appeal to you, hon. Speaker, Sir, is that we owe to our senior citizens the dignity that is essential in the autumn of

their lives. I would like to request you that there should be a detailed discussion in this House on the status of our elderly. That is my humble submission to you.

**माननीय अध्यक्ष:** श्री कुलदीप राय शर्मा, डॉ. संजय जायसवाल, डॉ. किरीट पी. सोलंकी और श्री निशिकांत दुबे, श्री उदय प्रताप सिंह और दुष्यंत सिंह को श्री मनीष तिवारी द्वारा उठाए गए विषय के साथ संबद्ध करने की अनुमति प्रदान की जाती है।

**12.27 hrs**

## MATTERS UNDER RULE 377*

**माननीय अध्यक्ष:** नियम 377 के अधीन मामलों को 20 मिनट के भीतर व्यक्तिगत रूप से सभा पटल पर भेज दें। शेष को व्यपगत माना जाएगा।

…(व्यवधान)

* Treated as laid on the Table.

## (i) Need to convert NH-60 in Bankura Parliamentary Constituency in West Bengal into a four-lane road

**DR. SUBHAS SARKAR (BANKURA):** NH-60 is an important national highway which is connecting South India to Eastern and North East India. NH-60 runs from Balasore to Moregram. In my Bankura Parliamentary Constituency, West Bengal, the length of this road is about 100 kms. I request the Minister of Road Transport and Highways through you to make this important road a four lane highway.

## (ii) Regarding environmental problems caused by Thermal Power Plants in Raichur Parliamentary Constituency of Karnataka

**SHRI RAJA AMARESHWARA NAIK (RAICHUR):** Raichur Thermal Power Station (RTPS) and Yeramaras Thermal Power Station (YTPS) come under my Raichur parliamentary constituency. RTPS with 8 units generates electricity nearly 41.28 mu of energy per day, it generates about 1.5 million tonnes of fly ash annually which causes environmental problems. 20 percent of ash produced IS as wet bottom ash, which is let into the ash bund. Bottom ash contains heavy metals which can be dangerous to public health. The fly ash from RTPS causes breathing problem for human beings and spreading diseases like Asthma, lung cancer, Silicosis, dust allergy etc.,. Hence, I draw the kind attention to the fact whether state government is following strictly environmental, health and safety guidelines for thermal power plants so that these issues do not arise again and again.

## (iii) Need to upgrade Bhuj Airport as International Airport and also operate Air India Flight service between Bhuj and Mumbai on daily basis and also introduce a direct flight between Bhuj and Delhi

**श्री विनोद लखमशी चावड़ा (कच्छ):** गुजरात में एक मात्र अहमदाबाद ही अंतर्राष्ट्रीय सुविधा युक्त एयरपोर्ट है, जहां से कच्छ 400 कि. मी. की दूरी पर है । भुज सुविधा जनक एयरपोर्ट को अंतराष्ट्रीय एयरपोर्ट का दर्जा मिले तो ओमान, दुबई, मस्कट, यूके, अफ्रीका,आस्ट्रेलिया, व अमरिका जैसे देशों के साथ हमें आने जाने में सीधा संपर्क हो सकेगा । कच्छ विश्वस्तर पर प्रवासन धाम है। दो महा बंदर और इंडस्ट्रियल एरिया कच्छ में स्थित है। लाखों कच्छी विदेश में कारोबार के लिए स्थित है । वे पारिवारिक, सांस्कृतिक सामाजिक तौर पर कच्छ से जुड़े हुए है ऐसी स्थिति में उन्हें मुम्बई अंतर्राष्ट्रीय एयरपोर्ट नजदीक लगता है जहां से उन्हें कच्छ आने में 12 घंटे से भी ज्यादा समय लग जाता है । अतः आपसे यही अनुरोध करते हुए मेरी आपसे और कच्छ के लोगों की मांग हैं कि कच्छ भुज एयरपोर्ट को अंतर्राष्ट्रीय विमान सेवा उपलब्ध कराई जाये, ऐसा मेरा विनम्र अनुरोध है ।

भुज-मुबंई के बीच वर्तमान समय में एयर इंडिया की सप्ताह में तीन दिन विमान सेवा कार्यरत है । अगर भुज-मुम्बई दैनिक सेवा शुरू हो और अन्य एयर लाइन्स विमान सेवा भी दैनिक हो जाये तो कच्छ स्थित लोगों को और अनिवासी भारतीयों को समय की बचत होगी और पर्यटकों का भी रूख ज्यादा बढ़ेगा और इसी उम्मीद के साथ आपसे मांग है कि दिल्ली से भुज के लिये कोई एक डाईरेक्ट विमान सेवा शुरू की जाये ऐसा यहाँ के लोगों की काफी अरसे से मांग है ।

**(iv) Regarding problems faced by patients affected by diabetes**

**SHRI TEJASVI SURYA (BANGALORE SOUTH):**There are more than a crore diabetes patients in India and the number of children with diabetes is increasing daily. It is estimated that India has three new cases of Type I Diabetes per 1 lakh children of 0 to 14 years. Further data shows that 17.93 per lakh children are affected in Karnataka, 3.2 cases per lakh children in Chennai and 10.2 cases per lakh children in Karnal.

It is also worrying that Type I diabetes patients are subjected to discrimination in employment or admission processes. While damaged eyesight, hearing and speech are considered as disabilities, it is forgotten that even diabetes is a form of disability as diabetic persons have to always rely on insulin or face threat to their lives. In light of the above, the government could consider declaring Type 1 diabetes as a disability so that diabetic persons, including those children growing up, are able to avail employment in companies under 5 percent quota reserved for persons with disabilities.

## (v) Need to review Free Trade Agreements

**SHRI G. S. BASAVARAJ (TUMKUR):** To much relief of the farming and dairy sectors our Government has opted out of signing the RCEP in deference to the protests from activists and organisations, like Swadeshi Jagran Manch.Indian plantation lobby is already under severe threat from cheap and harmful arecanut imports through Sri Lanka under the guise of the extant Free Trade Agreements ultimately working for the ruin of Indian domestic plantation sector.

Smuggling of cheap and sub-standard arecanut, not fit for human consumption across the porous borders of Nepal and Bangladesh is rampant. Added to this is the dumping of similar commodities like arecanut, dessicated coconut etc. from Sri Lanka, under the guise of the existing Free Trade Agreement has virtually destabilised our domestic areca and coconut plantation sector. Many desiccated coconut processing units in my region have closed down with workers rendered jobless. I urge the Centre to review the FTAs in the national interest.

## (vi) Need to develop 'Shravan Pakar', a place of mythological importance in Gonda Parliamentary Constituency, Uttar Pradesh as a tourist place

**श्री कीर्ति वर्धन सिंह (गौंडा):** मेरे संसदीय क्षेत्र गोण्डा में अयोध्या से करीब 35 कि.मी. की दूरी पर, श्रवणपाकर एक पौराणिक ऐतिहासिक स्थल है। यहां पर त्रेता युग में राजा दशरथ के चलाए गए बाण से घायल, श्रवण कुमार ने अपना प्राण त्याग दिया था। अयोध्या में प्रत्येक वर्ष माघ अमावस्या पर आयोजित मेले में हजारों की संख्या में दर्शनार्थी आते हैं और यही लोग अयोध्या से श्रवणपाकर में भी आयोजित मेले में आते हैं। स्वतंत्रता के 72 वर्षों के बाद भी यह पौराणिक स्थल पूर्ण रूप से उपेक्षित है। इस स्थान पर स्थित श्रवण तालाब एवं मंदिर का जीर्णोद्धार स्वामी छपिया नारायण मंदिर ट्रस्ट के द्वारा कराया गया है। इसके बावजूद भी इसके आसपास काफी विकास की आवश्यकता है। इस पावन स्थली पर दूर-दराज से लोग अंत्येष्टि क्रिया सम्पन्न करने आते हैं। अतः यहां पर एक शमशान घाट भी जरूरी है।

मैं माननीय मंत्री पर्यटन से आग्रह करना चाहता हूं कि इस पावन स्थल को पर्यटन स्थल के रूप में विकसित करने की कृपा करें जससे यहां, स्थानीय और बाहर से आए हुए श्रद्धालुओं को मूलभूत सुविधा उपलब्ध हो सके।

## (vii) Need to ease the process for issuance of birth-death certificate and copy of 'Parivar register' in Uttarakhand

**श्री तीरथ सिंह रावत (गढ़वाल):** मैं माननीय पंचायती राज एवं ग्रामीण विकास मंत्री का ध्यान उत्तराखंड प्रदेश के ग्रामीण क्षेत्रों में परिवार रजिस्टर की नकल एवं जन्म मृत्यु प्रमाण पत्र को प्राप्त करने में हो रही परेशानियों की ओर आकर्षित करना चाहता हूं जिसके कारण स्थानीय ग्रामीण जनता परेशान है। पंचायतीराज की नई व्यवस्था से पूर्व गांवों में ग्राम प्रधानों द्वारा अपने अपने ग्राम सभाओं की जनता को परिवार रजिस्टर की नकल एवं जन्म मृत्यु प्रमाण पत्र दिये जाते थे, जिससे बड़ी ही सरलता एवं सुगमता से ग्रामीणों को यह सुविधा मिलती थी लेकिन ईडिस्ट्रिक प्रणाली लागू होने से यह व्यवस्था ग्राम प्रधानों से हटाकर विकासखण्डों को दे दी गई है, जिसके बिना जनता को इसे लेने के लिए विकासखण्डों में आना पड़ रहा है लेकिन विकास खण्ड स्तर पर परिवार रजिस्टर की नकल आवेदकों को सरलता से प्राप्त नहीं हो रही है।

दूर-दराज गांवों से ग्रामीण 15 से 20 कि.मी. दूरी तय कर जब विकास खण्ड में आता है तो संबंधित कर्मचारी नेटवर्क नहीं होने का हवाला देकर ग्रामीणों को वापस भेज देते हैं जिसके कारण उनका समय के साथ-साथ आर्थिक नुकसान भी होता है और संबंधित दस्तावेज कब प्राप्त होगा इसका भी कोई आश्वासन संबंधित अधिकारी द्वारा नहीं दिया जाता हैं। इस कारण एक छोटे से दस्तावेज के लिए जनता को बहुत अधिक परेशान होना पड़ रहा है। क्या सरकार इस व्यवस्था को पूर्व की भांति ग्राम सभाओं को देने के लिए कोई योजना एवं कार्यनीति बना रही है, साथ ही आपके माध्यम से मेरा सरकार से यह आग्रह एवं सुझाव है कि ईडिस्ट्रिक प्रणाली को ग्राम सभा स्तर पर ग्राम प्रधानों के कार्यालय में सुचारू किया जाए। जिससे कि ग्रामीण जनता को अपने ही गांव/ग्राम सभा में अपने सारे दस्तावेज प्राप्त हो जाए।

## (viii) Need to set up a Aakashwani FM Radio Station in Wardha district, Maharashtra

**श्री रामदास तडस (वर्धा):** मेरे संसदीय क्षेत्र वर्धा में आकाशवाणी का लघु प्रक्षेपन (एफ.एम.) कार्यरत है, जिसका प्रसारण क्षेत्र सिर्फ 8 से 10 किलोमीटर है। वर्धा जिले में आठ तहसील समाविष्ट है, इसमें वर्धा, देवली, सेलू, आर्वी, आष्टी, कारंजा, समुद्रपुर, हिंगणघाट है। इन सभी जगहों की दूरी वर्धा से 10 किलोमीटर से ज्यादा है। इन तालुकों से वर्धा से दूरी ज्यादा होने से आकाशवाणी वर्धा का प्रक्षेपन नहीं पहुंचता है। इसीलिए वर्धा में 10 किलोवॉट (10 के.वी.) का एफ.एम. आकाशवाणी का ट्रांसमीटर लगाने से इन सभी तालुकों में आकशवाणी (एफ.एम.) के कार्यक्रम स्पष्ट रूप से सुने जा सकेंगे।

यह वर्ष महात्मा गांधी जी की 150वीं जयंती का वर्ष है। पूज्य महात्मा गांधी जी एवं विनोबा जी की कार्यस्थली पुनीत वर्धा जिले में आकशवाणी का लोकल रेडियो स्टेशन (स्टूडियो सहित) स्थापित होने से सम्पूर्ण वर्धा जिले को इसका लाभ होगा। अतः आपके माध्यम से माननीय मंत्री जी से आग्रह है कि वर्धा जिले में 10 किलोवाट (10 केवी) का एफ. एम. आकाशवाणी का ट्रांसमीटर एवं लोकल रेडियो स्टेशन (स्टूडियो सहित) स्थापित कराने हेतु उचित कार्यवाही करें ।

## (ix) Need to set up a para Medical College in Farrukhabad city, Uttar Pradesh

**श्री मुकेश राजपूत (फर्रूखाबाद):** मेरी केन्द्र सरकार से मांग है कि फर्रुखाबाद शहर में पैरा मेडिकल कॉलेज की स्थापना की जाये।

## (x) Regarding completion of work on Rimuli to Rajamunda stretch of National Highway No. 215 in Odisha

**SHRI JUAL ORAM (SUNDARGARH):** The 269 km., Rajamundra to Panikoili State Road in Odisha has been declared as National Highway No.215 after upgradation in two phases. First one of 173 kms. from Panikoili to Rimuli and the second phase is of 96 kms. from Rimuli to Rajamunda. The first phase has now been completed but the second phase has not made much progress. Unless the entire project is completed, it will not serve the purpose of the people of both Kendhujar and Sundargarh as the present road from Rimuli to Rajamunda is in a dilapidated condition and not motorable. In the interest of these people and particularly the need to provide direct connection from the State Capital, Bhubaneshwar to Rourkela, I demand that the roads from Rimuli to Rajamunda be completed without any further delay.

## (xi) Need to construct a dam in Misrikh Parliamentary Constituency, Uttar Pradesh

**श्री अशोक कुमार रावत (मिश्रिख):** उत्तर प्रदेश राज्य के मिश्रिख संसदीय क्षेत्र के अंतर्गत मल्लावां-बिलग्राम विधानसभा क्षेत्र गंगा नदी से बाढ़ प्रभावित इलाका है। यहाँ पर प्रत्येक वर्ष गंगा नदी से बाढ़ आने पर कटरी-परसौला-छिबरामऊ सहित काफी गाँवों की न केवल फसल बरबाद हो जाती है, बल्कि उनके मकान भी बुरी तरह से क्षतिग्रस्त होकर वे आवासविहीन हो जाते हैं। ऐसी स्थिति में कृषि उपज बरबाद होने पर जहाँ उनकी जीविका का सहारा समाप्त हो जाता है वहीं वे बेघर भी जो जाते हैं। मेरा सरकार से अनुरोध है कि वह उपरोक्त क्षेत्र को प्रतिवर्ष आने वाली बाढ़ से बचाए जाने के लिए एक बांध मेंहदीघाट से होते हुए राजघाट सड़िया पुल तक केन्द्रीय आवंटन से बनाए जाने हेतु आवश्यक कदम उठाएं और जब तक बांध का निर्माण नहीं होता, उस स्थिति में गंगा नदी के कटान को रोकने के लिए छोटी-छोटी ठोकर बनवाए जाने हेतु आवश्यक कार्यवाही की जाए।

## (xii) Need to develop and include religious places of historical importance in Bihar under Swadesh Darshan Scheme

**श्री गोपाल जी ठाकुर (दरभंगा):** मिथिला क्षेत्र के प्राचीन ऐतिहासिक धार्मिक तीर्थस्थल मां श्यामा मंदिर, नवादा भगवती स्थान दरभंगा, उचैठ भगवती स्थान मधुबनी, अहिल्या स्थान दरभंगा, विदेश्वर स्थान मधुबनी, कुशेश्वर स्थान दरभंगा, तारा स्थान महिषी सहरसा, ज्वालामुखी कसरौर दरभंगा, महादेव स्थान गलमा दरभंगा, भगवती अस्थान हावीडीह दरभंगा, सती स्थान पररी दरभंगा, वाणेश्वरी स्थान मकरंदा दरभंगा, महावीर स्थान मकरमपुर दरभंगा, फुलहर भगवती अस्थान गिरिजा मंदिर मधुबनी आदि प्रमुख तीर्थस्थलों को स्वदेश दर्शन योजना में सम्मिलित किया जाये।

स्वदेश दर्शन योजना में सम्मिलित करके विभिन्न तीर्थस्थलों का सर्किट बनाकर एक दूसरे से जोड़ने से ग्रामीण ऐतिहासिक तीर्थस्थलों का विकास होगा, साथ ही साथ पर्यटन ग्रामीण अर्थव्यवस्था एवं रोजगार सृजित करने की दिशा में भी महत्वपूर्ण कदम होगा। मेरा केन्द्र सरकार से अनुरोध है कि उपरोक्त तीर्थस्थलों का संवर्धन/संरक्षण किया जाए एवं स्वदेश दर्शन योजना में शामिल कर उपरोक्त तीर्थस्थलों का पर्यटक सर्किट भी बनाया जाए।

## (xiii) Regarding installing solar energy and water recharging system in buildings

**श्रीमती दर्शना विक्रम जरदोश :** वर्तमान समय में शहरों का विकास और शहरों की समस्याएँ दोनों साथ-साथ चलती है। मैं अगर मेरे शहर की बात करूं तो विकास के साथ आने वाली समस्याएँ एक साथ चलती दिखती हैं। हमारे पास प्राकृतिक संसाधन पानी, जमीन जो सालों से वहीं है। भूजल कम हो रहा है और आबादी निरन्तर बढ़ रही है। यातायात जनसंख्या के अनुपात में राक्षसी कद से बढ़ रहा है। हमारे यहाँ हर घर में कम से कम 2 टू-व्हीलर है तो शायद हर पाँचवे घर में साथ में एक फोर व्हीलर भी होगा। उसी प्रकार रहने की व्यवस्था को देखे तो मैं माननीय प्रधानमंत्री जी का आभार व्यक्त करना चाहूँगी कि उनके मुख्यमंत्री काल से हर परिवार को घर का स्वप्न के चलते उनको करीब 15 साल के कार्यकाल में और प्रधानमंत्री पद के 5 साल के कार्यकाल में लोगों का अपने घर का स्वप्न करीब-करीब पूर्णता की ओर बढ़ता दिखाई देता है। स्मार्टसिटी में सूरत को शामिल करने के बाद विकास की गति तेजी से बढ़ी है पर मेरी विनती है कि शहरों में हर सरकारी, अर्ध-सरकारी इमारत, स्थानिक संस्थाएँ जो संस्थाएँ सरकारी अनुदान से चलती है, स्कूल, कॉलेज, हस्पताल को वॉटर हार्वेस्टिंग एवं सोलर पावर से युक्त होने का अभियान चलाया जाये। हस्पतालों में सोलर पावर अपनाने का आग्रह इसलिए भी करना चाहिए कि उनकी व्यवस्था में व्यवधान न आए और कभी पावर जाने की स्थिति आये तो हादसा टाला जा सके। जो यातायात की समस्या है उसमें पब्लिक ट्रांसपोर्ट को बढ़ावा देने का अभियान चलाया जाये। स्कूल, कॉलेजों में कम्यूनिटी शिक्षा को नागरिक अधिकार एवं जिम्मेदारी की शिक्षा को बढ़ावा दिया जाये।

## (xiv) Need to launch awareness programme about malnutrition among tribal people in the country

**श्री अर्जुन लाल मीणा (उदयपुर):** उदयपुर लोक सभा एक टीएसपी क्षेत्र है, जहां भारी संख्या में आदिवासी समुदाय है। मैं खुद एक आदिवासी समाज से आता हूं। आज कुपोषण के कारण मरने वाले पांच साल से कम उम्र के बच्चों की संख्या दस लाख से भी ज्यादा हो चुकी है। राजस्थान और मध्य प्रदेश में किये गये सर्वेक्षणों में पाया गया है कि देश के सबसे गरीब इलाकों में आज भी बच्चे भुखमरी के कारण अपनी जान गवां रहे हैं। कारण, समुदाय के लोगों में जागरूकता की कमी है। भारत सरकार द्वारा जनहित में कई महत्वपूर्ण कल्याणकारी योजनायें चलाई जा रही हैं, परन्तु प्रदेश सरकार द्वारा लागू नहीं की जा रही है।

अतः मेरा सरकार से अनुरोध है कि जनजाति कार्य मंत्रालय को साथ लेकर आदिवासी समाज के लोगों के लिए केन्द्र सरकार द्वारा एक विशेष कुपोषण मुक्त जागरूकता अभियान चलाया जाये।

## (xv) Regarding primary Agriculture Credit Societies in Kerala

**SHRI KODIKUNNIL SURESH (MAVELIKKARA):** Primary Agricultural Credit Societies in Kerala plays an important role in rendering limited banking services in rural areas of State. Arbitrary decisions by the Kerala State Income Tax department aim at intentional and systematic decimation of the sector. Kerala State Income Tax department is denying relaxations under section 80 (P) on flimsy grounds to PACS. There is also a contention from the PACS sector that the PACS should be excluded from the ambit of rule 194 N of Income Tax Act as they deliver services to the poorest of the poor. I would urge upon the government to examine the matter and help the sector by allowing relaxations that are required to help and sustain the primary agriculture credit societies so that its functions remain uninterrupted to the poor in rural Kerala who seek marginal credit which is otherwise denied to them by conventional banking institutions.

## (xvi) Regarding Trade route between India and Bangladesh through Meghalaya

**SHRI VINCENT H. PALA (SHILLONG):** For the past few decades, Meghalaya has served as a significant trade route between India and Bangladesh. The development of Land Custom Stations and river routes in the region, however, remain stagnant. In this light, I sincerely urge the government to either send a team to the state to study and recommend mechanisms for improvement of the same or take adequate measures to construct a new route between the two countries via Meghalaya.

## (xvii) Need to address problems faced by nurses working in private hospitals

**ADV. ADOOR PRAKASH (ATTINGAL) :** I wish to draw the attention of the Government towards the issues relating to the nurses working in private hospitals across the country. Nurses in private sector are working in miserable conditions and getting low wages. According to the direction of the Hon'ble Supreme Court of India in 2016, Union Government had constituted an Expert Committee under Dr. Jagadish Prasad to study the issues of nurses. The Committee submitted its report in 2016 itself and the Central Government directed every State and Union Territory to implement the suggestions. But so far, no State Government and Union Territory has taken any initiative on this directive. I request the Government to take immediate measures for implementation of the report to end their exploitation.

## (xviii) Regarding drinking water problem in Ongole Parliamentary Constituency, Andhra Pradesh

**SHRI MAGUNTA SREENIVASULU REDDY (ONGOLE) :** My Ongole Parliamentary Constituency is in Prakasam District, which is a backward district. The impact of fluoride Problem in Drinking water is acute in western and south western part of the district. The fluoride presence in the ground water has been observed to be nearly 2.0 to 4.4 ppm and the people drink this fluoride water due to inaccessibility of surface water. The western and south western part of the district mainly depend on the Nagarjunasagar right Canal. Normally the entire 1122 affected habitations depend on the ground water using borewell water by Hand pumps and Power pumps.

The impact of high fluoride content in the potable water causes damage to the health of people and affects the average life span of the people. As per health department, there are about 424 deaths and 1743 patients are diagnosed with chronic diseases in the entire district. The Kanigiri Assembly Constituency of Ongole Parliamentary Constituency is a drought prone area of western Prakasam District which is fluoride affected since inception with 145 number of NSS habitations in this particular area out of 1122 total quality affected in the entire district.

The Kanigiri Assembly Constituency comprises of 6 mandals/ blocks namely (1) Kanigiri (2) H.M.Padu (3) C.S.Puram (4) Pamuru (5) Veligandla (6) P.C. Palli. There are 444 number of habitations in the constituency and the total population is 2,60,638. I request Hon'ble Minister of Jal Shakti to take necessary action to solve the drinking water problem in severe drought and fluoride affected areas of my Parliamentary Constituency.

## (xix) Need to implement Pradhan Mantri Fasal Bima Yojana in proper and expeditious manner

**SHRI TALARI RANGAIAH (ANANTAPUR) :** In regard to PM FASAL BIMA YOJANA, I am submitting the following points:-

(1) The implementation of PM Fasal Bima Yojana at field level is not at all good.

(2) The Union Government promised the farmers a simple and affordable crop insurance scheme to ensure comprehensive risk for crops against all non-preventable natural risks from pre-sowing to post-harvest and provide claim amounts and timely settlement of claims.

(3) No farmer is getting complete compensation. Farmer is not at all benefitted. Government is not also benefiting, only insurance companies are benefiting through this PM Fasal Bima Yojana.

(4) Settlement of claims are very very slow. Some of reasons for this are :-

- (i) Delayed transmission of yield data
- (ii) Late release of state shares
- (iii) Non-agreement on yield related issues.

(iv) Non-submission of account details and NEFT related issues

(5) Crop cutting experiments are crucial more so because the Private insurance companies do not have proper mechanism and man power to deal with damaging crops.

I request the Government of India to implement the Pradhan Mantri Fasal Bima Yojana properly and speedily.

## (xx) Need to enact necessary laws to curb air pollution

**श्री श्रीरंग आप्पा बारणे (मावल):** हम सभी जानते हैं कि हर साल दीवाली में वायु प्रदूषण चरम पर पहुंच जाता है। एक तरफ पटाखों को धुआं होता है तो दूसरी तरफ खेतों में अलाव द्वारा जलाने से पैदा हुआ धुआं, पिछले साल ही सुप्रीम कोर्ट ने राजधानी में पटाखों की बिक्री पर रोक तो लगा दी थी लेकिन दिल्ली से लगे पंजाब, हरियाणा और उत्तर प्रदेश के इलाकों में अलाव जलाने का काम जारी रहने से दिल्ली शहर दुनिया की सबसे ज्यादा वायु प्रदूषण वाली राजधानी बन गई। स्वयं सुप्रीम कोर्ट को इस विषय में संज्ञान लेकर तीनो राज्यों के मुख्य सचिवों को तलब कर तुरन्त कार्रवाई करने हेतु निर्देश दिए। हर बार सर्दियों में दिल्ली भयंकर वायु प्रदूषण का सामना करती है। जिसके कारण बुजुर्गो, बच्चों और अस्थमा के रोगियों को सांस लेने में तकलीफ होती है और इसके कारण कई व्यक्तियों की मृत्यु तक हो जाती है।

सरकार हर साल दिल्ली को प्रदूषण से बचाने के लिए दिल्ली के कोयले से चलने वाले पावर प्लांट को कुछ समय तक बंद करने का फैसला लेती रही है। जिसको देखते हुए दिल्ली में सभी तरह के निर्माण कार्यों पर रोक लगा दी थी और दिल्ली सहित इसके आसपास के इलाकों में विद्यालयों तक को बंद करना पड़ गया था इन सब बातों को देखते हुए हम दिल्ली में वायु प्रदूषण की गंभीर हालात को समझ सकते हैं। अमेरिका के दो हेल्थ रिसर्च इंस्टीटयूटों के मुताबिक भारत में वायु प्रदूषण के कारणों हर साल लाखों लोग अकाल मौत मर रहे हैं। मेरा सरकार से अनुरोध है कि वायु प्रदूषण की रोकथाम हेतु सरकार आवश्यक कानून बनाये जिससे कि नागरिकों को हम स्वच्छ वातावरण प्रदान कर सकें।

## (xxi) Need to provide stoppage of Vaishali Express (train no. 12553/12554) and Bandra Terminal express (train no. 22913/22914) at Simri Bakhtiyarpur railway station in Saharsa district, Bihar

**श्री दिनेश चन्द्र यादव (मधेपुरा):** बिहार राज्य के सहरसा जिला अन्तर्गत, सिमरी बख्तियारपुर महत्वपूर्ण स्टेशनों में से है। यह अनुमंडल मुख्यालय है। यहाँ से काफी संख्या में रेल यात्री सफर करते हैं। लेकिन यहाँ वैशाली एक्सप्रेस एवं हमसफर ट्रेन का ठहराव नहीं रहने से इन क्षेत्र के यात्रियों को भारी दिक्कत हो रही है । अतः गाड़ी सं0-1255 3/12554 वैशाली एक्सप्रेस एवं गाड़ी संख्या 22913/22914 बांद्रा टर्मिनल एक्सप्रेस का ठहराव सिमरी बख्तियारपुर स्टेशन पर करने का आग्रह रेल मंत्री जी से करता हूँ।

## (xxii) Need to construct flyover on Allahabad-Mirzapur road in Uttar Pradesh

**श्री श्याम सिंह यादव (जौनपुर):** जौनपुर से इलाहाबाद, जौनपुर से वाराणसी, जौनपुर से आजमगढ़/गाजीपुर, जौनपुर से शाहगंज क्षेत्र जौनपुर से लखनऊ रेल लाइनें जाती हैं। किसी भी रेलवे लाइन पर फलाईओवर नहीं बना है। इलाहाबाद व आजमगढ़ की तरफ जाने वाली लाइनों पर स्वीकृत तो हो गया और आज से 7 साल पहले से बनना शुरू हुआ लेकिन इस सरकार की विकास की गति से ही कदम से कदम मिलाता हुआ निर्माण चल रहा है। जौनपुर-मिर्जापुर मार्ग तो फ्लाईओवर बनने की वजह से बन्द कर दिया गया है। इसलिए मड़ियाहू और मिर्जापुर जाने वाली गाड़ियों को 10 कि0मी0 की दूरी और तय करनी पड़ती है। अतिरिक्त दूरी तय करने के लिए जितना पेट्रोल डीजल श्रम का नुकसान होता है वह फ्लाईआवर के बनने वाले खर्चे से कही ज्यादा हो जाता है। इलाहाबाद वाली क्रोंसिंग का तो हाल मत पूछिए। मरीज एम्बुलेंस में ही तड़पकर मर जाता है लेकिन फाटक नहीं खुलता। कितनी जानें गई। कितना लोगों का समय व फयूल बरबाद हुआ। मेरी आपसे गुजारिश है कि सभी दिशाओं की ओर जाने वाले फ्लाईओवर को तो बनवाया ही जाए, सबसे पहले इलाहाबाद और मिर्जापुर वाली रोड़ पर शीघ्र फ्लाईओवर बनवाया जाए और जौनपुर वासियों को रेल-बन्धक से छुटकारा दिलवाएं।

## (xxiii) Regarding opening of Jawahar Navodaya Schools in Nagarkurnool Parliamentary Constituency, Telangana

**SHRI RAMULU POTHUGANTI (NAGARKURNOOL) :** Nagarkurnool Parliamentary Constituency of Telangana State, is one of the very backward regions in the country. Seven Assembly Segments namely Nagarkurnool, Wanaparthy, Gadwal, Alampur, Achampet, Kawakurthy and Kollapur come under Nagarkurnool Parliamentary Constituency and most of the persons belong to SC/ST, BC and weaker sections of the Society It requires an adequate support from Union Government particularly from the Ministry of Human Resource Development, for the establishment of Jawahar Navodaya Schools, Kendriya Vidyala Schools in this region as most of the students belong to SC/ST, BC and weaker and downtrodden sections of the society. Due to lack of such educational Institutes/colleges/schools like viz., Jawahar Navodaya Schools, Kendriya Vidyala Schools, the students of this region, are facing a lot of difficulties as studying in private schools, colleges would be a costly affair. It would be an ideal condition for such students, if Jawahar Navodaya Schools are established at Alampur and Kalwakurthy now. Keeping in view of the above, I would, therefore, earnestly request the Union Government/Union Minister to kindly accord approval for opening of Jawahar Navodaya Schools at Alampur and Kaiwakurthy, in Nagarkurnool Parliamentary Constituency, Telangana so that the students belonging to SC, ST, BC, weaker and downtrodden sections of the society, stand to benefit.

## (xxiv) Need to provide financial assistance to Kerala to rebuild the infrastructure and provide relief and rehabilitation to people affected due to floods in recent years

**ADV. A.M. ARIFF (ALAPPUZHA) :** Kerala has faced two massive floods in the recent years. After the first flood the Kerala State had asked for a financial assistance of Rs. 2600 crores. The Centre has not given sufficient amount and also did not permit the State to accept the aid from foreign countries. The Central Government has not allocated a single penny for the second flood while the state has asked for a financial support of Rs. 2101.88 crores. After the first flood in 2018, State Government had started the process of rebuilding the infrastructure destroyed in the massive flood in 2018. Unfortunately, in 2019 another flood occurred and 121 people died due to the floods across the state. Over 2 lakh people have been directly affected. As per the report by the World Bank and agencies under United Nations, Kerala requires Rs 31,00 crore for rebuilding the State. I urge the Central Government to allocate more funds to Kerala State.

**(xxv) Regarding recommendations of Sachar Committee**

**SHRI E.T. MOHAMMED BASHEER (PONNANI) :** I wish to state that the Government is not taking any effective steps to implement the following recommendations of Sachar Committee and urge upon the government to take steps for the same i.e. Create a 'nomination' procedure to increase participation of minorities in public bodies. Provide legal mechanism to address complaints of discrimination against minorities in matters of employment, housing, schooling and obtaining bank loans. Establish a delimitation procedure that does not reserve constituencies with high minority population for SCs. Initiate and institutionalize a process of evaluating contents of textbooks to purge them of explicit and implicit material that may impart inappropriate social values, especially religious intolerance. Create a National Data Bank (NDB) where all relevant data for various socio-religious categories are maintained.

## (xxv) Need to provide employment on priority basis to local people in heavy industries in Barmer and Jaisalmer districts

**श्री हनुमान बेनीवाल (नागौर):** मैं सरकार का ध्यान आकर्षित करते हुए यह मांग करता हूँ कि बड़े उद्योगों जैसे राजस्थान के बाड़मेर, जैसलमेर आदि जिलों में रिफाइनरी एवं सोलर व विंड एनर्जी व थर्मल पावर प्लांट आदि क्षेत्रों सहित अन्य उपक्रमों व भारी उद्योगों में स्थानीय लोगों को प्राथमिकता के आधार पर रोजगार नहीं दिया जाता है। उक्त संबंध में मध्य प्रदेश, गुजरात आदि राज्यों की तर्ज पर कम से कम 70 प्रतिशत स्थानीय लोगों को तकनीकी/गैर तकनीकी एवं प्रबंधन में रोजगार उपलब्ध करवाने व स्थानीय संसाधनों को कार्य में प्राथमिकता देने हेतु सख्त कानून बनाया जाय। ऐसा कानून या प्रावधान बनाकर पूरे देश में लागू किया जाये ताकि स्थानीय लोगों को रोजगार के अभाव में पलायन नहीं करना पड़े। वर्तमान में रिफाइनरी सहित अन्य उद्योगों में उचित रोजगार नीति न अपनाए जाने की वजह से स्थानीय राजस्थान के लोग परेशान है। अतः मेरी भारत सरकार से संबंधित मंत्रालयों से उक्त रोजगार से जुड़े संवेदनशील मामले में स्थानीय परिपत्र जारी करवाने हेतु आग्रह है।

…(व्यवधान)

**SHRI KODIKUNNIL SURESH (MAVELIKKARA):** Sir, there was no Zero Hour yesterday.

**श्री अधीर रंजन चौधरी (बहरामपुर):** मेरा एजर्नमेंट का विषय है।

**माननीय अध्यक्ष:** आप मेरी बात सुनें। आपके दल की तरफ से एक विषय सुरेश जी ने उठा दिया है।

…(व्यवधान)

**श्री अधीर रंजन चौधरी :** मैं तो मांग कर रहा हूं। आप लंच ऑवर स्किप कर रहे हैं, इसका मतलब है कि समय है।

**माननीय अध्यक्ष:** ऐसा नहीं है। कल आपको समय देंगे, पहला नंबर आपको देंगे।

…(व्यवधान)

**माननीय अध्यक्ष:** प्रेमचन्द्रन जी, आपका नाम बुलाया गया था, आप कल एबसेंट थे। आप सीनियर नेता हैं।

…(व्यवधान)

**12.29 hrs**

**STATUTORY RESOLUTION RE: DISAPPROVAL OF PROHIBITION OF ELECTRONIC CIGARETTES (PRODUCTION MANUFACTURE, IMPORT, EXPORT, TRANSPORT, SALE, DISTRIBUTION, STORAGE AND ADVERTISEMENT) ORDINANCE, 2019**

**AND**

**PROHIBITION OF ELECTRONIC CIGARETTES (PRODUCTION MANUFACTURE, IMPORT, EXPORT, TRANSPORT, SALE, DISTRIBUTION, STORAGE AND ADVERTISEMENT) BILL, 2019**

**माननीय अध्यक्ष**: मद संख्या 14 और 15 एक साथ ली जाती है।

माननीय मंत्री जी।

…(व्यवधान)

**माननीय अध्यक्ष**: माननीय मंत्री जी, आप बोल लीजिए और सप्लीमेंटरी का जवाब दे देना।

…(व्यवधान)

**THE MINISTER OF HEALTH AND FAMILY WELFARE, MINISTER OF SCIENCE AND TECHNOLOGY AND MINISTER OF EARTH SCIENCES (DR. HARSH VARDHAN):** Hon. Speaker, Sir, first of all, I would like to thank you.

**माननीय अध्यक्ष:** ए.राजा जी आप मंत्री तो नहीं बन गए न? बैठ जाइए।

…(व्यवधान)

**DR. HARSH VARDHAN:** Sir, first of all, I would like to thank you because you have initiated a new practice. You facilitated a small meeting after this Bill was introduced for the Members of this House where the Department could project to the Members the contents of the Bill, what e-cigarettes are, etc. Although

about two dozen Members had participated, I feel it is a very healthy practice and should be continued for other Bills also.

Before I make my formal observations about the Bill, I have to thank all the Members who sat late in the evening yesterday and showed their commitment for this very important issue: Shri Adhri Ranjan Chowdhury, Shri Varun Gandhi, Shri DNV Senthilkumar S, Shrimati Sarmishta Sethi, Shri Margani Bharat, Shri Mahabali Singh, Shri Ritesh Pandey, Prof. Saugata Roy, Dr. M.K. Vishnu Prasad, Shri Ravi Kishan, Shri Imtiaz Jaleel Syed, Shri Hanuman Beniwal, Shri K. Navaskani, Dr. M. Munjapara, Adv. Dean Kuriakose, Shri P. Raveendranath Kumar, Shri Jagdambika Pal, Shri Jasbir Singh Gill, Shri Selvaraj, Shri Janardan Mishra, Shri Malook Nagar, and Shri Prabhubhai Vasava. I must express my gratitude to all these Members for the fact that all of them were unanimous in supporting the Bill although they had different views, made different comments, different suggestions, valid observations, and also expressed some apprehensions. The fact that gives me immense pleasure is that everybody was strongly committed to do the best and maximum possible in this country against the tobacco menace. I think that is very heartening to know.

**12.33 hrs** **(Shri N. K. Premachandran *in the Chair*)**

We all know that all forms of intoxicants or *nasha* are harmful for health, whether they are drugs, tobacco, alcohol, or for that matter any other narcotics. These e-cigarettes or the electronic devices, which this Bill is about, can

enable delivery of all these intoxicating substances at any particular time. They are right now predominantly used for the delivery of nicotine, which is one of the most addictive elements. Although it includes all forms of electronic nicotine and non-nicotine delivery devices, e-*hukkas* and heat-not-burnt products, the common denominator in all this is that there is an electronic mechanism to heat a substance, usually a liquid containing nicotine.

A lot of Members have made their observations on the Bill in detail. They have studied literatures on the subject from different countries and have mentioned about it here. We all know that this Bill seeks to prohibit all commercial operations for the trade of e-cigarettes, which includes manufacturing, production, export, import, distribution, sale and advertising, including online sale and advertising, and this has been brought to replace the Ordinance banning e-cigarettes *via* notification dated, September, 18.

I would like to mention a couple of things for the sake of informing the House, because many Members were not present yesterday. There is a very strong, definite evidence to suggest that e-cigarettes are harmful for health. Chemicals found in the e-cigarette vapours include toxic chemicals such as Formaldehyde, heavy metal particles such as Nickle and Chromium, carcinogens such as Benzene apart from Nicotine. It is often assumed that vapours are steam. This assumption is wrong. Vapours are produced by heating an e-liquid, a solution consisting of Propylene Glycol and Glycerine.

These chemical vapours deliver Nicotine or any other substance mixed in the liquid along with toxic substances, metals and chemicals.

I would like to mention a couple of things about Nicotine because there is a lot of confusion in people's mind about the role that Nicotine can play for us. E-cigarettes contain Nicotine, which is a highly toxic chemical that can adversely affect any organ of the body. Some States in India have even included it in the Schedule of poisonous substances. A dosage of 30 to 50 mg. of Nicotine can kill an adult human being and in pure form Nicotine can also cause cancer.

Sir, Nicotine Sulphate was once approved to be used as a pesticide by the Agriculture Department. Recently, that approval was also withdrawn considering its toxicity. Therefore, it is not a chemical which is even fit to be used as a pesticide. Nicotine is the most addictive substance currently known in the world and is even more addictive than heroin. There is no treatment currently known for Nicotine addiction. I thought, I must bring these facts before you about Nicotine and e-cigarettes before we talk about this particular Bill.…(*Interruptions*)

**HON. CHAIRPERSON :** Let the hon. Minister conclude.

**DR. HARSH VARDHAN:** Let me complete. If there are still questions, I will certainly love to answer them. There is no problem. I am replying to the points which all of you mentioned yesterday. I thought, there may be a few things which are necessary to be brought to the notice of the House. All of you are

unanimous about the fact that we have to do the extreme possible things about tobacco and save our children. When Adhir Ranjan ji started his speech, I was worried why he was opposing the Bill. But, like all the time, whenever there is an Ordinance, you all rush …(*Interruptions*) You all rush to oppose the Ordinance. …(*Interruptions*)

**SHRI ADHIR RANJAN CHOWDHURY (BAHARAMPUR):** I have a right to oppose.

**DR. HARSH VARDHAN:** For you, Ordinance is like a blessing in disguise. Even for an issue like e-cigarettes, if it has been brought as an Ordinance, it helps you. So, I have no issues with that.

Let me first start with as to why we have actually brought this Ordinance. To understand why we have brought this Ordinance, you have to see a few facts of the last one year chronologically. You have to understand and appreciate that. In August, 2018, a PIL was filed in the hon. Delhi High Court in the matter of Seema Sehgal versus Union of India, wherein the court directed the Ministry to state its policies regarding measures to be taken regarding the emerging threat of e-cigarettes. That was in the last year. On 28th August, the Ministry issued an advisory to all the States and Union Territories to ban e-cigarettes, except as may be approved under the Drugs and Cosmetics Act. So, after that, there were no sales which were available unless approved in the wake of therapeutic claims being made by the e-cigarette companies.

This year, in March, 2019, the hon. Delhi High Court ruled that e-cigarettes are not drugs and stayed further action. Then, this year, on 31st May, the Indian Council of Medical Research -- we have mentioned about the same in the Bill also -- issued a White Paper on e-cigarettes suggesting a complete ban on e-cigarettes in view of their adverse public health impact. This matter was listed on 22nd August in the court, but got deferred to 18th of November.

In August itself, the instances of vaping-related deaths and illnesses started to emerge as an epidemic in the United States. There was an outbreak of vaping-related lung diseases in the United States. In 49 out of 50 States in the United States of America, about 2,172 cases were reported with 42 deaths. On 11th of September, the Government of the United States decided to take flavoured e-cigarettes off the shelf and imposed many restrictions.

Simultaneously, the Ministry was also cognizant and aware of the fact that there was an announced entry of a leading company 'Juul' towards the end of this year in India. This leading company is the manufacturer of e-cigarettes. This global giant would have taken up the Indian market by storm. The need of the hour was preventive action and immediately, the Ordinance was promulgated on 18th of September, 2019. This was decided since regulations, wherever tried, had not succeeded in checking the scare in other countries like United States. India, as we know, has a very large population. In India, there is about 65 per cent demographic dividend, that we enjoy. That

would have been targeted by e-cigarettes companies. I have a list of these companies. All the top companies of the world …(*Interruptions*)

**PROF. SOUGATA RAY (DUM DUM):** What are the names of the companies?

**DR. HARSH VARDHAN:** I have a list which will answer another concern which was raised. These are the same big tobacco companies of the whole world -- which are now in different names -- which are getting into the business of e-cigarettes. It is because of the joint fight by the whole world, through the FCTC, now the use of tobacco is getting down. Shri Varun Gandhi has rightly mentioned that this is not turning out to be a gateway product.

One company is Philip Morris International which is in fact concerning ENDS. It has two end products, namely, Nicocig and Juul. Under HTPs, they are having I Quit Ordinary Smoking (IQOS). That is the name of the company. Then there is the British American Tobacco Company; there is Imperial Tobacco Company and the Japan Tobacco International but Juul company had started all its operations in India. In a way, they had started appointing people and by the end of this year, they were going to establish their full operations in India. These are the same tobacco companies which are producing cigarettes and the same companies, with different names, are getting into the business of e-cigarettes. It should be very clear to everybody that it is not a fight among political parties. I felt very sad when Members attributed motives to the intention of the Government saying that the Government wants to help the tobacco companies and all that.

Some of these largest e-cigarette companies were planning to launch their products in India by the end of 2019. With these ICMR recommendations, we brought this Ordinance. As a responsible Government, as the Minister for Health and Family Welfare and as an ENT surgeon myself, all my life, I have seen cases and people suffering from tobacco and other related illnesses. I cannot be insensitive to the health of our people, especially the children and youth. Starting with an Ordinance was a sort of pre-emptive strike and, for me, there cannot be anything more important than the health of the children and people of this country. That is why, the Government had brought this Ordinance.

Members said that we could have waited for two months. Why should we wait for two months? If we can nip the bud even now, why should we wait for two months or three months or four months? That was the reason for which we brought this Ordinance. We not only brought about this Ordinance but it was also notified on the 18th of September. I mentioned about the entry of Juul, the leading global manufacturer, from December. This was an imminent concern for me and I had also mentioned it.

Then the Chief Secretaries, the DGs of Police, the Health Secretaries of all the State Governments/UTs and other stakeholder Ministries/Departments were immediately requested for compliance of the Ordinance. We also held a video conference with the DGs of Police and the Health Secretaries. The police also started having its first seizures and from the first seizure, a police

case was reported, in fact, from Goa. Instructions were issued by various Ministries to the Field Officers in this regard. So, it is not that we just issued this Ordinance and then we slept over it. We also followed it up with a proper action.

In a country like India, it is difficult to ban a product which has a large consumer base and social acceptance. The classic examples are tobacco, pan masala, alcohol, etc. which are used by millions and millions of people in this country now. A lot of Members asked that e-cigarettes are having a small base, what we are doing with it and why we are after it. I will answer the second part later as to what we have done about it. Since e-cigarettes have a small consumer base, ban will be very highly effective in the initial like nipping it in the bud, as I said earlier. Lack of ban on tobacco cannot be the justification for introducing a new addiction even though it may be less harmful. People said that this is less harmful and tobacco is more harmful. It is like giving a logic that instead of jumping from the 14th floor, if you try to jump from the 10th floor, then it will be less harmful. Less harmful does not mean that it is harmless. Our job is to protect the health of everyone at any cost to the best possible extent.

Sir, just to have a feel of what these e-cigarettes are, they affect all organs of the system of the body; their use can lead to heart attacks, hypertensions, diabetes, strokes and a plethora of diseases of lungs. There is a long list of those ailments that are caused by it. There is a definite evidence

of harm due to these products. Various studies have substantiated this. On outbreak of vaping related diseases, I just mentioned the incidence that happened in 49 out of the 50 States in America, where 42 deaths occurred; and 2,162 people suffered from this popcorn lung and a significant disease of the lung.

As you rightly mentioned, the use of e-cigarettes in India was found in only 0.02 per cent of the population. That is according to the Global Adult Tobacco Survey, 2016. However, during these surprise school inspections by the school management, we found 150 vaping devices in the school bags of children in a school in Delhi itself. We cannot assume that the problem is not growing. Regulation is not enough. A complete ban was absolutely necessary …(*Interruptions*)

Sir, I did not disturb you while you were speaking. I will answer any query if you want, after the whole debate is over. I think, by the time I finish my speech, all your concerns will have been addressed; I promise you that. What I want to say is that the regulations, wherever they have tried, whether in Europe or in America or anywhere, it has resulted in a massive increase in the menace and the epidemic. That is why, a complete ban was necessary.

Sir, I also want to apprise the hon. Members that as per the Global Adult Tobacco Survey Report, 2016, 96.6 per cent of the population in the age group of 15 to 24 years are non-smokers. So, more than 96.6 per cent of young people in this age group of 15 to 24 years are still non-smokers; and it is this

group of children and youth that the Government seeks to protect against the risk of addiction through this ban.

Sir, in countries where these products are not banned, e-cigarette use is known to grow exponentially, and according to the Surgeon Generals' Report, 2018 – it is America's Report – one in every five high school students and one in every 20 middle school students used e-cigarettes in 2018. The incidence increased by 77.80 per cent in high school students and also 48.50 per cent amongst middle school students. This happened in USA in just one year! That is the speed at which this epidemic is growing all over the world.

**HON. CHAIRPERSON :** What about the Indian statistics regarding e-cigarette smoking?

**DR. HARSH VARDHAN:** Sir, I have already said it. In India, the incidence is just 0.02 per cent. But the very fact that from the age group of 15 to 24 years of age, 96 per cent of the young children are still non-smokers; and these are the children, whom the industry is trying to target. When the smoking epidemic started, then also the industry had focused on the young children. It was propagated as a sign of modernism; it was propagated as a sign of fashion and all that. That is how the tobacco industry made our young people addict. That was a couple of decades back.

This is on account of the attractive design features, aggressive marketing strategies to lure children with addition of various flavours. I did not know about so many flavours which the Members told me yesterday. There

are advertisement campaigns to associate glamour and fashion with e-cigarette use. Then, it is also to create a false notion of safety for use of these products. Use of these products does not leave any foul odour generally associated with cigarette or *bidi* smoking. This is what people tell me. For the information of the hon. Members, I would say that as the rules did not permit us to display various types of e-cigarettes here, so we have got them in Nirman Bhawan. Anybody who really wants to have a feel of what it is – because many of us have not seen the e-cigarettes; we still do not have the concept of what an e-cigarette is – I would love that you should come and visit our office sometimes and look for yourself what these e-cigarettes are. These actually give an opportunity to children without parents' knowing because there is no smell, nothing. It is a small thing to keep in your pocket. So, that is, you can say, the advantage that the industry is trying to enjoy.

I want to give you just a feel of the adverse economic impact that the tobacco industry has produced till now. I come to the total economic cost attributable to tobacco used from all diseases in India. This is the latest data which is available. The data of 2016 is being compiled and it is still not official; so I cannot talk about it here. But the latest data, 2011 data, in India says that for persons aged between 35 years and 69 years, this amounts to Rs.1,04,500 crore. This is the total economic cost that the country pays to deal with the tobacco menace. It was 1.16 per cent of our GDP. It was 12 per cent more than the combined State and Central Government expenditure on health in

2011-12. You can well imagine what the tobacco menace has cost to us till now. Take all the State budgets; add to it the Central budget; add 12 per cent more to it. Then it becomes the economic cost that is the health burden due to tobacco. With this much of knowledge, experience and suffering for so many years, can we really afford the new form of nicotine and psychoactive substances addiction? The economic burden is likely to increase. So, we have to take pre-emptive action. We have to be proactive and aggressive about it.

Then, Prof. Sougata Ray *ji* said the Government does not have even the guts to talk about and do anything about tobacco. I may inform the House that we grappled with tobacco issues for a very long time. In 1997, we celebrated the 50 years of our Independence. That was the first time when after 50 years, India got its first legislation anywhere against tobacco in this country. I feel fortunate that I got the privilege to become the Health Minister of Delhi in 1993. In 1994 itself, I started working on the tobacco issues. As an ENT surgeon, I have always appreciated how big this menace is and how big it can become and how many millions of lives it can actually take.

**13.00 hrs**

So, in 1996, the first legislation against tobacco was the Delhi Prohibition of Smoking and Non-Smokers Health Protection Bill and was introduced by me in Delhi. It got passed in 1997. At that time, I came to know that e-cigarette companies have written letters to the Members of Parliament by giving them misinformation and all that. In 1996 also, the tobacco lobby tried to misinform the MLAs and it took me almost one full year to convince each and every MLA about the tobacco menace and how harmful it is and in 1997, when we were celebrating the fiftieth year of our Independence, I brought the first Delhi Prohibition of Smoking and Non-Smokers Health Protection Bill which became an Act at that time. The Act was not only appreciated by the people of Delhi but it was even appreciated by the Supreme Court of India and the Supreme Court at that point of time opined that all State Governments of the country should have similar legislations enacted in their respective Assemblies.

In 1998, I got the highest award of the World Health Organisation. I was working for a tobacco free society. It did not stop there, Sir. In 2002, I used to work for WHO. I was a part of a function; and our own dear Prime Minister Shri Atal Bihari Vajpayee presided over that function. India was amongst the first few countries who became part of the FCTC, that is, the Framework Convention for Tobacco Control, which was initiated by the WHO with 170 countries, in the initial stages, signing to fight together the tobacco menace and to lead the fight against the tobacco companies.

In 2002 again, the same function had the presence of the late Ram Jethmalani ji who was the Law Minister of the country. It had the presence of Dr. Brundtland who was the then Director General of WHO and the former Prime Minister of Norway and of course, our Prime Minister Shri Atal Ji was also there. In 2003, we enacted the COTPA Act in India and since then, irrespective of this Government or that Government, the Government has been continuously working to ensure that we are fighting against tobacco. We are creating awareness about tobacco.

**HON. CHAIRPERSON :** Mr. Minister, how much more time is required?

**DR. HARSH VARDHAN:** I will try to finish as early as possible. …(*Interruptions*) If you say, I will try to finish as early as possible.

**HON. CHAIRPERSON:** We are skipping the lunch.

**DR. HARSH VARDHAN:** Your question itself gives me enough indication. …(*Interruptions*) I am telling you all this because everybody was asking as to what we have done about tobacco. Almost 28-36 per cent of the people still use tobacco. A significant portion of about ten percent is consumed by way of cigarettes. and many others consume it by taking *gutka* etc which is already banned.

Sir, what have we done from 2014-2019? In 2014 itself, I was the Union Health Minister. I myself signed an order on 15$^{th}$ October, 2014 to increase the pictorial warnings from 40 per cent to 85 per cent. From the 136$^{th}$ position in

the whole world, we came up to number one position in the whole world on 15th October, 2014. These pictorial warnings had graphic images, text message and the national tobacco quit line number. The capacities of the quit line have been expanded again in September, 2018. The quit line services are now available in 16 languages and in other local dialects from four centres.

The number of calls on Quitline before expansion was 20,500 per month, which has now increased to 2.5 lakh calls per month after the expansion. We have also regulated the depiction of tobacco use in films and television programmes. You would all appreciate that India is a global leader in this initiative. The Ministry has issued revised guidelines for tobacco free educational institutions and it is working towards making all the institutions tobacco free. Nirman Bhavan is now a tobacco free building and similar efforts are on to convert all office buildings into tobacco free buildings.

India acceded to the protocol for checking illicit trade in tobacco products under article 15 of the WHO-FCTC. Under the protocol, we are committed to set up a track and trace mechanism for tobacco products in the country. Special drives are undertaken for enforcement of COTPA on a periodic basis. In 2017-18 itself, 3,54,907 cases under COTPA and in 2018-19, 3,24,609 cases were taken care of. In our National Health Policy, 2017, we have many ambitious goals. For example, there is the goal of ending tuberculosis by 2025. Five years ahead of the SDG targets, for Tobacco Control too, we have set an ambitious target of reducing tobacco use by 30 per cent by 2025.

As desirable as the notion of complete ban on tobacco may seem, our public policy has to be ambitious and yet has to be grounded in reality. Our tobacco control targets have been devised keeping in view the targets for control of non-communicable diseases and are consistent with the targets set under the Sustainable Development Goals. So, it is not that we are only talking about the e-cigarettes. We started our fight against the tobacco menace right from 1997 and the whole country has been fighting it together. Our sustained efforts in the fight against tobacco have led to a 16 per cent decline in tobacco use from 2009 to 2016, and with increasing awareness about harms due to tobacco and rigorous implementation of law, we are witnessing a steady decline in tobacco prevalence, not only in India but also all across the world. Despite sustained efforts, as I said earlier, high prevalence of tobacco use, that is, about 28.6 per cent of population, is still there, which is a grave public health challenge for all of us.

I have to inform you because many of the Members might be thinking that this is something that we are very anxious to do and we have some agenda. Sir, 16 States and UTs have already banned it. About 14 countries have completely banned it. They are Argentina, Australia, Bahrain, Barbados, Bhutan, Brazil, Brunei, Darussalam, Cambodia, Colombia, Costa Rica, Egypt, Ethiopia, Gambia, Japan, Jordan, North Korea, Kuwait, Laos, Lebanon, Mauritius, Mexico, Nepal, Nicaragua, Qatar, Saudi Arabia, Seychelles,

Singapore, Sri Lanka, Surinam, Syria, Thailand, Timor-Leste, Turkmenistan, Uganda, Uruguay, Vatican City and Venezuela.

**श्री अधीर रंजन चौधरी :** जिन-जिन देशों ने नहीं किया है, उनके नाम भी पढ़ लीजिए। …(व्यवधान)

**DR. HARSH VARDHAN:** Also, in the US, San Francisco, Massachusetts, New York, etc., have banned it. So, this is what I am trying to inform this House that what we have done is not something new. It is already being done all over the world. The whole world has become conscious about it. In fact, it cannot be taken care of under the COTPA because it is not like tobacco. That is about tobacco and other products but it cannot be taken care of under the COTPA. So, there is a need for this.

We also invited consultations and comments from the general public for this purpose. I may inform this House that out of the 12,504 representations that we received, 10,566 have favoured the ban in no uncertain terms.

Then, of course, as I have mentioned, e-cigarettes adversely affect the cardiovascular system. They cause stroke and affect respiratory system. They affect brains of adolescents. They induce seizures. They cause a lot of cancers. There are a lot of adverse outcomes on pregnancy. They affect on the oral tissues and many such other things.

**SHRI BHARTRUHARI MAHTAB (CUTTACK):** Chairman, Sir, there are a number of States in our country which have banned e-cigarettes.

**DR. HARSH VARDHAN:** I have mentioned that there are 16 States which have banned e-cigarettes. *....(Interruptions)*

**SHRI BHARTRUHARI MAHTAB :** Can their names be read out?

**DR. HARSH VARDHAN:** Yes, I can. *....(Interruptions)*

**HON. CHAIRPERSON :** That is part of the record. You need not read it.

**DR. HARSH VARDHAN:** I will mention their names.

**HON. CHAIRPERSON:** There is also a suggestion to read out the names of countries which have not banned and regulated it. That is also there.

*....(Interruptions)*

**SHRI MANISH TEWARI (ANANDPUR SAHIB):** Sir, may I ask a question. *....(Interruptions)* Why are you not banning cigarettes altogether? *....(Interruptions)*

**DR. HARSH VARDHAN:** Chairman, Sir, I am not yielding. *....(Interruptions)* I have not yet completed. *....(Interruptions)* Sir, these 16 States are Punjab, Karnataka, Mizoram, Kerala, Uttar Pradesh, Bihar, Maharashtra, Tamil Nadu, Jharkhand, Himachal Pradesh, Rajasthan, Meghalaya, Odisha – I think, that is what you wanted, Nagaland, Haryana and, of course, three Union Territories of Jammu & Kashmir, Ladakh and Puducherry. They have banned it in their respective jurisdiction. Sir, a couple of issues have been raised, I will try to answer each one of them. A number of people have asked it.

**SHRI ADHIR RANJAN CHOWDHURY :** Sir, there are Members of Parliament. *....(Interruptions)*

**DR. HARSH VARDHAN:** I am mentioning 'people' because there are some 12,000 people, as I told, who also have made representations. We are, of course, people, though we are Members of Parliament *....(Interruptions)*

**HON. CHAIRPERSON:** Please address the Chair.

**DR. HARSH VARDHAN:** Through you, Sir, I am addressing the whole country. *....(Interruptions)* We should not be narrow-minded. *....(Interruptions)*

**SHRI ADHIR RANJAN CHOWDHURY :** No, it is not so. I am broad-minded. *....(Interruptions)* I am simply raising this issue as a representative of the people.

**DR. HARSH VARDHAN:** I am addressing those 1000 people also, who have raised some concerns. *....(Interruptions)*

**HON. CHAIRPERSON:** Hon. Minister, whatever you address to the House, it is an address to the whole nation.

**DR. HARSH VARDHAN:** Okay, Sir. *....(Interruptions)* Sir, I will mention a couple of points because some hon. Members of Parliament have raised their concerns and quoted some studies from various places saying that e-cigarettes are safer. Sir, e-cigarettes are new products whereas the onset of diseases associated with smoking and vaping take a long time to manifest.

There have been no long-term studies or randomized clinical trials undertaken to establish the conclusive evidence of e-cigarettes being safer or less harmful or useful as cessation aid. EC aerosols contains glycols, aldehydes, volatile organic compounds, tobacco specific nitrosamines, polycyclic aromatic hydrocarbons, metals, silicate particles and other toxicants and carcinogens.

The Report of the Public Health, England published in February, 2018 – some Members talked about this – is cited by the proponents of e-cigarettes in its favour. The Report stated that ENDS are 90 per cent safer than traditional cigarettes. I think, I have earlier mentioned that being less harmful is not harmless. The Report has been criticised all over the world for methodological weaknesses, quality of peer review and declared conflict of interest as reported by Lancet. It is not my report; it is a report of the Lancet.

Sir, a few Members asked why we are banning the e- cigarettes and not regulating them. They quoted some examples. Due to their attractive design features and marketing through various media, especially social media, ENDS have caught the fancy of the young generation. India has a young demography and we are concerned with the impact of e-cigarettes on the younger generation. Gateway effect and dual use would offset the good work done in tobacco control in India. Then, the countries, which have chosen to regulate ENDS, are now witnessing a worrisome increase in the usage and are exploring the ways to reverse the trend. These novel products are still in the early stages in India and not available in general. It is possible only now to ban

e-cigarettes before they become too popular. That is why, I said earlier 'nip in the bud'. Regulation of consumer goods such as ENDS and e-cigarettes is not easy, especially in a big and diverse country like India.

For the existing smokers, approved nicotine replacement therapy in the form of gums and lozenges is already available. No misuse of NRT is reported till now. ENDS can be modified for delivery of other addictive substances such as cannabis, opium and inhalants. This is why, we are banning it and not regulating it. Some hon. Members of Parliament said why we do not regulate it under COTPA and why there is a need for a separate law. COTPA, 2003 is applicable to smoking and only smokeless forms of tobacco products. E-cigarettes do not contain tobacco as ingredient and hence, are not covered under COTPA. These novel products are battery operated and constitute a class of their own. COTPA does have provision for outright ban whereas the policy decision is to ban the e-cigarettes due to their public health impact. The FCTC, Framework Convention for Tobacco Control, also recommends to its member-States to prohibit/regulate e-cigarettes as a product class through a separate legislation.

Sir, if I remember correctly, Prof. Saugata Ray said why we are banning these heat-not-burn tobacco products if they use tobacco leaves. The answer to this is that heat-not-burns are battery operated, use vapourising mechanism as in ENDS and have the same attractive design features. These too are novel products and have more in common with e-cigarettes/ENDS than the

combustible tobacco. HnBs are a ploy by the tobacco industry to confuse with e-cigarettes/ENDS and try to get around regulations. HNBs have the same health and public health impact as e-cigarette/ENDs and are thus covered in the Bill. …(*Interruptions*) Sir, I know that the leaf is heated and that is why, I gave you this explanation.Then, one hon. Member, who was a doctor, said that when we have done it for manufacturing, storage, transport and everything, why we do not ban the use and possession of e- cigarette.

The explanation for this is that, the intent of the legislation is not to criminalise citizens who are themselves the sufferers of such products. The intent of the legislation is to ban any kind of trade in e-cigarettes in the interest of public health. With comprehensive ban on production, manufacture, export, import, transport, sale and distribution of e-cigarettes, they would simply not be available for use by the consumers. Then, the existing *bonafide* users as on the date of Ordinance needed to be given protection from prosecution. With no refills or cartridges of e-liquid being available to them, the users will not be able to use e-cigarettes any further. Monitoring use is difficult to enforce and may lead to infringement of civil liberties. I am sure, had I done it the other way, you would have objected to it the other way. I am sure about it.

**HON. CHAIRPERSON :** Mr. Minister, please try to wind up.

**DR. HARSH VARDHAN:** I will take five or ten minutes more. I will take ten minutes maximum.

**HON. CHAIRPERSON:** There will be a reply from the Member who moved the Resolution.

**DR. HARSH VARDHAN:** Some hon. Members pointed out that the penal provisions are probably harsh. I have to just make a couple of observations in that regard. The Bill has been drafted in consultation with the Ministry of Law and Justice in great detail in the interest of protecting and promoting public health. The provision for imprisonment and fine is up to a specified extent. I want to stress that it is only up to a specified extent. The court will decide the actual punishment based on the nature of facts. For the first offence, the punishment is in terms of imprisonment or fine or both. Only for the repeat offence, it is imprisonment and fine. In the public feedback on the draft Bill that the Ministry received, a large number of people have demanded still higher punishments. That is the feedback that we got from the people.I am trying to follow what you said.

**HON. CHAIRPERSON:** Thank you. You can give the reply in writing also to the Member concerned. You can put that in writing also.

**DR. HARSH VARDHAN:** I want to apprise the hon. Members about a few more data points which are, I think, very important. The Global Adult Tobacco Survey, the GATS, is the global standard for systematically monitoring tobacco use among the adults, 15 years and above, both smoke and smokeless and it keeps systematic track of all the key tobacco control indicators. As per the

Global Adult Tobacco Survey, GATS II 2016-17, the overall prevalence of tobacco use in the country was 28.6 per cent, wherein the overall tobacco use among males is 42.40 per cent. I am mentioning this because yesterday there was a discussion about how many males are getting affected, how many females are getting affected, etc. So, the overall tobacco use among males is 42.40 per cent and that of the females is 14.20 per cent. So, it is not that the incidence of smoking among females is higher. Around 7.2 per cent of the population are smokers, of whom only four per cent smoke cigarettes; 17.90 per cent use smokeless tobacco and 3.40 per cent use both forms of tobacco. Around 71.40 per cent of the population does not use tobacco in any form. The absolute prevalence of tobacco use has decreased by six percentage points, from 34.60 per cent in 2009-10 to 28.60 per cent in 2016-17.

Just for the information of the Members, I would like to state that there are scientifically-proven and tested nicotine replacement therapy products approved under the Drugs and Cosmetics Act 1940 and the Drugs and Cosmetics Rules, 1945 available for cessation in the country. These include gums, lozenges and patches with nicotine up to 2 mg. and 4 mg. In addition, evidence-based cessation counselling services are provided through Tobacco Cessation Centres, Quit-line Services and mCessation Programme. As such, any tobacco user who wants to quit can do so under the guidance of a Specialist and with scientifically-proven and tested methods.

Sir, I have broadly explained as to why we thought it as an emergency measure to come up with a legislation to ban e-cigarettes in the country and as to why we have to do it in the form of an Ordinance. I would seek the indulgence of the hon. Members of Parliament to the same extent and with the same spirit with which they have addressed this debate because all of you were unanimous in one fact that we must go to the extreme to actually ensure that we curb, eliminate and eradicate this tobacco menace in our country, and help the whole world by strengthening the fight against the tobacco companies, which it has been doing so aggressively since 2002. With these few words, I would request the hon. Members of Parliament to please pass this Bill.

**HON. CHAIRPERSON :** Thank you very much, Mr. Minister. Shri Adhir Ranjan Chowdhury. Please be brief.

**SHRI ADHIR RANJAN CHOWDHURY :** Sir, during the discourse I came to learn about a slew of outlandish words from the hon. Minister, which is simply growing in me, a symptom which may be called hippopotomonstrosesquipedaliphobia. Sir, you yourself have admitted that the cost of a casualty occurring due to tobacco is to the tune of Rs.1,04,500 crore. What is the revenue being generated out of the tobacco trade and tobacco production in our country? Even so, you are stating that tobacco is an issue that is socially acceptable. If on this ground you say that tobacco could be continued on, it would send a wrong message. What I am arguing since yesterday is this. What’s sauce for the goose must be the sauce for the

gander. On the one front, you are pleading for prohibition but on the other front, you are advocating regulation. That means, it is beset with your dichotomic approach. That is why, I raised the issue during my speech.

**13.27 hrs** (Hon. Speaker *in the Chair*)

**माननीय अध्यक्ष**: माननीय सदस्यगण, आप यह भी समझ लें कि आप जितना लंबा प्रश्न पूछेंगे, उससे चार गुना माननीय मंत्री जी का जवाब सुनना पड़ेगा। आप तैयार हो जाइए। प्रश्न पूछने वाले पहले तैयार हो जाएं।

…(व्यवधान)

**श्री अधीर रंजन चौधरी :** सर, हमारे मिनिस्टर खुद कहते हैं कि ई-सिगरेट एपिडेमिक रूप धारण कर रहा है। It has assumed epidemic proportions. But in our country, ten people die from the tobacco-related illness every second. Every second, we are losing ten people due to tobacco. You are stating that there is a tangible reduction in tobacco consumption. While percentage decline has been quoted from the GAT Report of 2016 to denote the success of GOI Report, what has been left out is, the absolute number of smokers has gone up significantly from 79 million in 1998 to 108 million in 2015, to 120 million in 2018. So, it is a serious menace. What all the Members of this House since yesterday have been proposing that this menace has to be curtailed. But in the hon. Minister's faltering reply, there is no bold and substantive argument visible in this House.

The hon. Minister is saying that the Ordinance was necessary for the sake of the youth population. A couple of months ago, we had Monsoon

Session here, at that time you did not bring this legislation. Had been brought this legislation earlier, the issue of Ordinance would have not been raised, but, at that time, he was reluctant. Now, he is displaying himself as a proactive Minister to deal with this menace. This kind of dichotomic approach needs to be avoided. That is my proposition to him. Sir, the hon. Minister was talking about Juul company. Only the scare of Juul Company has propelled this Government to invoke the Ordinance route. Yes, Ordinance could be promulgated but it should be promulgated in emergency. The Government cannot invoke Ordinance in such a supercilious way or casual way.

In the hon. Minister's legislative document, he has given simply a no-holds-barred weaponry to the law enforcement agencies. No suit, prosecution or other legal proceedings shall lie against the Central Government, State Government or any officer of the Central Government or the State Government for anything which is done in good faith or intended to be done under this Act. Do you not think that it will give a no-holds-barred power which gives every opportunity to be misused by unscrupulous elements everywhere? In every segment of our society, unscrupulous elements are available.

Tobacco in India was first legislated under the template of Cigarettes (Regulations of Production, Supply and Distribution) Act, 1975. It is a long battle we have been fighting against the tobacco menace but you are yourself putting lame arguments in resisting the e-cigarette consumption. It is really poor and faltering. You should be bold enough about what you are going to do.

The hon. Minister is saying that, in America, a ban has been imposed. But it has been banned in a couple of States, not in the entire America. He was saying that vapes has created a havoc in America. But the US federal authority, CDC released its first report over a week back that clearly mentioned that the majority or over 87 per cent of such incidents were linked to vaping of the illegal substance, i.e. Tetrahydrocannabinol, available in black market and not e-cigarettes that should legally only have nicotine. It is also important to note that 87 per cent of those who have complained of lung issues admitted to buying illegal substances. हमारे देश में भी ये नारकोटिक ड्रग्स छाये हुए हैं।

आप जिस ई-सिगरेट की बात करते हैं, उसकी एक किट के लिए 3 हजार रुपये खर्च करने पड़ेंगे। कुछ चुने हुए लोगों के लिए जरूर ई- सिगरेट कुछ सुविधा कर देती है, लेकिन हमारी शंका इसलिए है कि हिंदुस्तान के आम लोगों के लिए, जहां हर सेकेंड में 10 लोगों की मौत हो रही है, उस विषय पर आप उतने गंभीर नहीं हैं, लेकिन ई सिगरेट पर आप ज्यादा गंभीरता दिखा रहे हैं। मेरा सवाल इस पर है कि आपको इवेन हैंडेड होना चाहिए। अगर बचाना है, तो सभी को बचाना चाहिए। कुछ लोगों के लिए नहीं होना चाहिए। आप प्रि-इम्पिटिव एक्शन कहते हैं, इसे आपको कोर्ट में भी डील करना पड़ेगा क्योंकि Bombay High Court allowed the e-cigarette manufacturers and distributors to resume the sales of the product stating that e-cigarettes are not drugs. The High Court also directed the Food and Drug Administration to release the ceased stock of e-cigarettes. इसका लीगल इम्पिलिकेशन भी है। हमारा कहना है, डॉक्टर साहब आप बहुत बड़े डॉक्टर हैं और बहुत लोगों की जान बचाते हैं। हमारे फ्यूचर जेनरेशन के लिए सोचना चाहिए। आप ई-सिगरेट पीने वालों के बारे में जरूर सोचिए लेकिन उसके साथ-साथ हिन्दुस्तान के आम लोग जिनका हर सेंकड में दस लोगों

की मौत होती है, उन लोगों को बचाने के लिए कोई रोबस्ट और कम्प्रेहेन्सिव लेजिस्लेशन लाइए और कोई कानून अपनाएं, हम सब आपके साथ हैं। हिन्दुस्तान को बचाना हम सब का फर्ज बनता है।

**माननीय अध्यक्ष:** अगर आप सभी सहमत हों तो जो माननीय सदस्य स्पष्टीकरण चाहते हैं, उनका एक साथ नाम बोल दूं। मंत्री जी एक साथ जवाब दे देंगे। क्यों मंत्री जी। मंत्री जी आपसे सब इतने संतुष्ट हैं कि आप लिख कर भी जवाब दे देंगे तो मान लेंगे। क्यों माननीय सदस्य मान लेंगे न?

**श्री अधीर रंजन चौधरी :** अध्यक्ष महोदय, उससे अच्छा होगा कि हम सभी का चेक-अप कर दीजिए। बचपन से बीड़ी पीते आ रहे हैं, कुछ हुआ कि नहीं पता नहीं।

**PROF. SOUGATA RAY :** Sir, the debate ends with this.

**SHRI N. K. PREMACHANDRAN (KOLLAM):** There is no point in replying. Actually, the debate ends with the reply of Shri Adhir Ranjan Chowdhury. He is the mover of the Statutory Resolution. With his reply, the matter ends. There is no reply to the reply by the Minister.

**माननीय अध्यक्ष:** मंत्री जी, सभी माननीय सदस्यों का एक साथ जवाब नहीं देंगे? सभी का क्लेरिफिकेशन कराऊंगा। माननीय सदस्य आपको किसी की सिफारिश करने की आवश्कता नहीं है। जिन माननीय सदस्यों ने बोला है मैं सभी को बुलाऊंगा। आप खड़े होकर सिफारिश न करे।

**डॉ. हर्ष वर्धन:** महोदय, माननीय अधीर रंजन जी ने कल जो बातें कही थीं, वही बातें आज फिर से दोहराई हैं। सारा डाटा दिया है। इस बारे में किसी का कोई मतभेद नहीं है कि टबैको सबसे बड़ा मेनस है। मैंने आपको पूरे फैक्ट्स के बारे में बताया कि सारे दुनिया की सहमति से टबैको के खिलाफ लड़ाई चल रही है, आज की तारीख में वर्ल्ड हेल्थ आर्गेनाइजेश के नेतृत्व में जाइंट लड़ाई

है। एफसीटीसी के माध्यम से सारी दुनिया के देश साइन करके लड़ाई लड़ रहे हैं। इस लड़ाई को लड़ने में भारत में टबैको के लिए सबसे ज्यादा काम किया, जो इनिशिएट किया वह हमारी सरकार ने किया है, चाहे वह अटल बिहारी वाजपेयी जी की सरकार थी, चाहे नरेन्द्र मोदी जी की सरकार है या दिल्ली के अंदर भारतीय जनता पार्टी की सरकार थी। जब आप बोलते हैं तब हम नहीं बोलते हैं। You are the leader of the Opposition. …(*Interruptions*) I am not yielding. This is not the way you should behave. We expect much more dignified behaviour from you. You are a senior Member. …(*Interruptions*)

**SHRI ADHIR RANJAN CHOWDHURY :** You should not mislead the House also. …(*Interruptions*)

**DR. HARSH VARDHAN:** This is not the way you should behave. …(*Interruptions*) You are the leader of the Opposition. The House expects a more dignified behaviour from you. When you speak, I do not stand. We expect a more dignified behaviour from you. …(*Interruptions*) Please do not misbehave like this. When you were speaking, did I stand? Did anybody stand? …(*Interruptions*) Okay, you keep on speaking. …(*Interruptions*)

**SHRI ADHIR RANJAN CHOWDHURY :** During your reply, you had also been intervened by other Members.

**DR. HARSH VARDHAN:** You have to be more dignified than what you pose yourself to be. I am sorry to say this, Sir. I feel sorry. …(*Interruptions*) मेरा इतना कहना है कि 70 सालों में 60 साल यह शासन में रहे। टबैको के लिए ये इतने परेशान हैं पिछले 60 सालों में क्या किया, एक बात बताएं।

**SHRI ADHIR RANJAN CHOWDHURY :** Hon. Minister Dr. Harsh Vardhan, with all the humility at my command, I would like to say that there is no politics. …(*Interruptions*) I was simply expressing my concern along with our colleagues and the people of our country. I had never made any allegation against you. …(*Interruptions*) I am not yielding. …(*Interruptions*) You are doing the same thing. You are intervening unnecessarily. It is your unceremonious intervention upon my territory also. …(*Interruptions*)

**SHRI DAYANIDHI MARAN (CHENNAI CENTRAL):** Hon. Speaker should kindly intervene.

**माननीय अध्यक्ष:** दस मिनट आप सबने मिलकर सदन चला लिया है। क्या आप अब मुझे सदन चलाने की इज़ाज़त देंगे?

…(व्यवधान)

**माननीय अध्यक्ष:** मैं आपको क्लेरिफिकेशन के समय प्रश्न पूछने दूंगा।

क्या माननीय मंत्री जी कुछ कहना चाहते हैं?

**डॉ. हर्ष वर्धन:** इन्होंने जितने सवाल आज पूछे हैं, मैंने सबके जवाब दे दिए हैं। अब ये न जवाब को सुनना चाहते हैं, न समझना चाहते हैं और न ही उसका इन्टरप्रेटेशन करना चाहते हैं, सिर्फ अपोजिशन फॉर द सेक ऑफ अपोजिशन करना चाहते हैं। मैंने इनको बताया है **कि** जो कुछ भी टबैको के लिए हुआ है, अंतर्राष्ट्रीय स्ट्रेटजी के तहत मैक्सिमम सरकार ने किया है। इन पांच सालों में जो किया है, वह भी मैंने डिटेल में इलेब्रेट करके बताया है। 50 साल पहले देश का कानून बना, मैंने उसके बारे में बताया। अब मैं इनसे पूछ रहा हूं कि 60 साल के शासन में इन्होंने क्या किया? यह इतना बड़ा कन्सर्न देश के लोगों के लिए दिखा रहे हैं, लेकिन टबेको मेनेस के लिए क्या किया?

एक तो चीज बताएं। ये 50 साल से शासन कर रहे हैं, देश में मैंने पहला कानून बनाया। क्या आपको 50 साल से होश नहीं आया कि देश में टबैको से इतने लोगों की मौत हो रही है? अब आप भाषण कर रहे हैं, यह कोई तरीका है?

**श्री अधीर रंजन चौधरी :** माननीय मंत्री जी, भाषण करने के लिए ही तो यहां आए हैं। आप भी भाषण करने के लिए आए हैं, मैं भी भाषण करने के लिए आया हूं। भाषण करना हमारा काम है। With all the humility at my command, I will try to respond to you. You are a very respected and hon. Minister of this Government. For your convenience, the first legislation regarding tobacco in India was the Cigarettes (Regulation of Production, Supply and Distribution) Act of 1975 which mandated a specific statutory health warning on cigarette packs in 1975. आप कह रहे हैं कि पीछे कुछ नहीं हुआ, सब आपने किया है, आपके कुछ करने से पहले भी हिन्दुस्तान में कुछ कानून बनाए गए थे, यह जाहिर है।

Secondly, in India, use of nicotine as an ingredient in any food item is prohibited under the Food Safety and Standards (Prohibition and Restriction on Sales) Regulation 2011 of the Food Safety and Standards Act 2006. वर्ष 2006 में आप नहीं थे और 2011 में भी नहीं थे। Nicotine and Nicotine Sulphate were listed as hazardous chemicals under the Environment Protection Act 1986. उस समय भी आप सत्ता में नहीं थे। In the Manufacture, Storage and Import of Hazardous Chemicals Rules 1989. उस समय भी आप सत्ता में नहीं थे। There are other laws and regulations which are also applicable. हम तो मदद करना चाहते हैं, मदद करने के लिए और औजार देने की कोशिश कर रहे हैं, आप फिजूल बात करते हुए भागने की कोशिश कर रहे हैं।

**माननीय अध्यक्ष:** अधीर जी, क्या आप संकल्प वापिस ले रहे हैं?

**श्री अधीर रंजन चौधरी :** माननीय अध्यक्ष जी, ऑर्डिनेंस जिस ढंग से लाया गया, मैं इसका जरूर विरोध करूंगा, नहीं तो सदन के लोग टेक फॉर ग्रांटेड कर लेते हैं । ऑर्डिनेंस एक इमेरजेंसी इंस्ट्रुमेंट है, अर्जेंट इंस्ट्रुमेंट है। दुबे जी बहुत अच्छी तरह समझते हैं, लेकिन जिस ढंग से ये औजार को इस्तेमाल करते हैं, इस तरह से इस्तेमाल करना सही नहीं है। अगर माननीय मंत्री जी कहेंगे कि अगली बार सतर्क रहेंगे, तब मैं विदड्रॉ करूंगा, अगर ऐसे ही करते रहेंगे तो मैं विरोध करूंगा।

**माननीय अध्यक्ष:** माननीय मंत्री जी और माननीय सदस्यगण अब अध्यक्ष की व्यवस्था यह है कि मैं सभी माननीय सदस्यों को स्पष्टीकरण के लिए बोल रहा हूं। स्पष्टीकरण का विषय केवल इतना है कि यदि कोई विषय हो तो स्पष्टीकरण ले लें। माननीय मंत्री जी आप भी सभी का एक साथ जवाब दीजिएगा।

**डॉ. निशिकांत दुबे :** बहुत-बहुत धन्यवाद अध्यक्ष महोदय। सरकार ने बहुत अच्छा काम किया है। लेकिन, 28 हजार करोड़ की कैंसर की इंडस्ट्री है, जो टोबैको के कारण है । मैं आपको पटना हाइकोर्ट के जजमेंट का दो उदाहरण दूंगा, जो अभी आया है। वहां इन लोगों ने दारु बंदी कर दी, शराब बंदी कर दी**,** उसके कारण पूरे गरीबों के ऊपर केस कम्पाइल हो गए हैं और हाइकोर्ट की ऐसी स्थिति नहीं है कि वह उस केस को खत्म कर पाए। दूसरा, ई-सिगरेट के लिए**,** मैं अभी 17-18 दिन पहले सिंगापुर में था। सिंगापुर एक ऐसा देश है जहां का लॉ एंड आर्डर बहुत अच्छा माना जाता है और दुनिया के सभी देशों के मुकाबले सिंगापुर एक बेहतर स्टेट माना जाता है।

अध्यक्ष महोदय, मैं आपकी जानकारी के लिए बताना चाहता हूं कि वहां कोई ऐसा स्कूल नहीं था, कोई ऐसा रेस्टोरेंट नहीं था, जहां ई-सिगरेट नहीं बिक रही थी वहां का बार्डर खुला हुआ है, नेपाल का बार्डर खुला हुआ है, भूटान का बार्डर खुला हुआ है, बांग्लादेश से स्मलिंग हो रही है और ऑनलाइन, जितने मेम्बर ऑफ पार्लियामेंट ने यहां अपनी तकरीर दी है, ऑनलाइन आमेजन,

फ्लिपकार्ट जैसी संस्था इसको बेच रही है। भारत सरकार ऐसा कौन-सा कानून बनाने जा रही है या कौन-सा ऐसा हथियार है, जिससे वह ई-सिगरेट पर बैन कर पाएगी। मैं सिंगापुर का अपना उदाहरण दे रहा हूं कि मैं जिस रेस्टोरेंट में गया, वहां मुझे सारे लोग ई-सिगरेट पीते हुए नजर आए। जब सिंगापुर जैसा छोटा देश यह नहीं कर पा रहा है तो भारत कैसे कर पाएगा?

**HON. SPEAKER:** Shri Manish Tewari.

**SHRI MANISH TEWARI (ANANDPUR SAHIB):** I have no clarification to seek.

**SHRI ANUBHAV MOHANTY (KENDRAPARA):** Thank you very much. मेरा क्लेरिफिकेशन लगभग निशिकान्त जी के साथ मिलता है। I want to ask something different. सर मेरा पर्सनल एक्पीरिएंस यह है कि भारत के कुछ राज्यों में जब एल्कोहल को पूरी तरह से बैन किया जाता है। I have seen alcohol being sold in bulk. ब्लैक मार्केटिंग बहुत होती है और वहां सबसे ज्यादा बिकता है। अगर आप ई-सिगरेट्स को बैन करेंगे, जैसे अभी कहा गया कि इसको ऑनलाइन भी बेचा जाता है और ब्लैक मार्केटिंग भी होती है। इसको किस तरह से मॉनिटरिंग किया जाएगा ताकि यह आगे लोगों के पास, युवाओं के पास न पहुंचे। जब अधीर रंजन जी ने कहा कि आप कुछ परसेंट लोगों को टॉरगेट करते हैं तो सबको क्यों नहीं देखते हैं? मैं इतना कहना चाहता हूं, This is a wonderful step taken by you. मैंने बहुत कम मंत्रियों को देखा है। You are one of the rarest Ministers who are always capable of answering so beautifully! I appreciate you. अगर पूरे देश को बचाना है, पूरे युवाओं को बचाना है तो सिगरेट से पहले देश को करप्शन से बचाना जरूरी है। This is my answer as a young Parliamentarian. Thank you very much.

**श्री रितेश पाण्डेय (अम्बेडकर नगर):** बहुत-बहुत धन्यवाद अध्यक्ष महोदय। मैं एक छोटा सा प्रश्न पूछना चाहता हूं। माननीय मंत्री जी ने अपने भाषण में यह मेंशन किया था कि एक विदेशी कंपनी है

जो यहां पर अपना सेटअप लगा रही थी। यह जो ऑर्डिनेंस आया है, इसका संदर्भ देते हुए आपने स्पष्टीकरण दिया है कि इस कंपनी को रोकने के लिए यह ऑर्डिनेंस जल्दी लाने की जरूरत है। मैं आपसे दो अनुरोध करना चाहता हूं। एक, आप भारत में एम्पलॉयमेंट बढ़ाना चाहते हैं और निर्यात को भी बढ़ावा देना चाहते हैं। यह अच्छी बात है कि हमारे देश में ई-सिगरेट्स बैन हो जाए, लेकिन उसी चीज को आप दूसरे देशों में एक्सपोर्ट कर रहे हैं तो क्यों नहीं हो सकता है, जब दूसरे देशों ने इसके लिए लेजिस्लेशन नहीं बनाया है।

मेरा दूसरा प्रश्न यह है कि जब यह फैक्ट्री यहां पर लगाई जा रही थी तो ये कितने लोगों को एम्पलॉयमेंट दे रही थी, यह भी मंत्री जी बताने का कष्ट करें।

**SHRI TEJASVI SURYA (BANGALORE SOUTH):** Thank you, Adhyakshji. I have one clarification and two suggestions to make, before which I would want to congratulate and thank the hon. Minister for his relentless efforts against the tobacco industry. I think, the young people of this nation owe you a debt of gratitude for what you have been doing in the last 15 to 20 years. I congratulate you on behalf of the House for your personal relentless efforts.

The Bill, though it bans and prohibits the sale of e-cigarettes, does not extensively mention about the regulatory framework necessary to enforce the ban. So, an explanation could be given about that. Using this opportunity, I have two suggestions to make. First, the maximum number of cigarettes sold in India, data says, are loose cigarettes. As a lawyer, I have fought for these issues earlier through public interest litigations. If an amendment could be made to the COTPA to ensure that sale of loose cigarettes is banned, it would

be a great step towards ensuring a tobacco-free India. Secondly, there are millions of farmers and other people employed in the tobacco industry. One of the reasons whenever a ban on tobacco industry is brought up, the suggestion is that these people would be rendered unemployed.

Sir, can we ensure a vision that by 2025 India will be a tobacco free country? Therefore, from today, can we start exploring alternative methods, other than tobacco, to educate farmers? Can that be started from today?

**HON. SPEAKER:** Shrimati Pratima Mondal.

**SHRI TEJASVI SURYA :** I will take just ten seconds.

**माननीय अध्यक्ष:** नहीं, माननीय सदस्य। मैं आपसे कहना चाहता हूं कि मैंने यह व्यवस्था दी है, लेकिन यह स्पष्टीकरण के लिए होती है, पूर्णत: भाषण के लिए और वापस पूरी बात कहने के लिए नहीं है। अगर आप इसमें कोई स्पष्टीकरण चाहते हैं तो एक लाइन में पूछ लें।

**श्री तेजस्वी सूर्या :** नेट फ्लिक्स, अमेजॉन और सोशल मीडिया में जो ऑनलाइन वीडियोज मिलते हैं, there are many videos on which we do not have statutory control of exhibition. Therefore, that should also be considered.

**SHRIMATI PRATIMA MONDAL (JAYNAGAR):** Thank you, Speaker, Sir. Though the Minister has replied very briefly to the points mentioned by Prof. Sougata Roy, I have a small request to the hon. Minister, through you. I have a suggestion that at Page No.2, line 16, 'heat-not-burn products' be omitted. Heated tobacco products only heat tobacco. The heating process generates

vapours and since tobacco does not burn, the levels of harmful chemicals are significantly reduced compared to cigarette smoke. So, these products do not fall under the ambit of this Bill. They should be a part of Cigarettes and other Tobacco Products Act, 2003.

**SHRI K. SUDHAKARAN (KANNUR):** Sir, ask your conscious and say which is the lesser evil; e-cigarettes or conventional cigarettes. By passing such a Bill, you are necessarily protecting the conventional cigarette lobby in India. The Government is taking a hasty action. It is an untimely Bill. You are moving this Bill untimely because the harmfulness of e-cigarettes is not confirmed. From various corners we are getting a report that e-cigarettes, that we get in the market now, are 95 per cent less harmful than conventional cigarettes. So, in my opinion e-cigarettes are less harmful than conventional cigarettes. Why are you in a hurry to bring a Bill to restrict e-cigarettes?

**SHRI MARGANI BHARAT (RAJAHMUNDRY):** Yesterday, I had rightly mentioned that about 50 per cent of the tobacco production is from Andhra Pradesh, especially, Prakasam district. It costs about Rs.10 lakh to construct a barn. The Government has earlier promised to give compensation to the farmers who are surrendering the barn. I had also mentioned yesterday about the ITC having the lion’s share in the tobacco industry. ITC is also promoting the agro products. When the farmers are shifting to other crops, ITC should take a major role in promoting and educating the farmers in this regard. Our

Chief Minister in Andhra Pradesh is trying to ban alcohol also. In the same way, tobacco should also be banned across the country.

**SHRI N. K. PREMACHANDRAN :** Hon. Speaker, Sir, thank you very much. Yesterday, I could not take part in the discussion. I will take only a few minutes.

**HON. SPEAKER:** No few minutes. आप स्पष्टीकरण ही मांग लें।

**SHRI N. K. PREMACHANDRAN :** The first thing is regarding the promulgation of an Ordinance under Article 123 -- only extraordinary circumstances necessitate this legislation under Article 123. We cannot understand the reason behind this promulgation of an Ordinance.

I would seek a clarification from the hon. Minister. This Bill is necessitated for a reason that India is a Party to the World Health Organisation - Framework Convention on Tobacco Control, 2003. What does the Convention of World Health Organisation, 2003 say? The Convention urges the parties to restrict or prohibit, as appropriate, the manufacture, importation, exportation, distribution, presentation, sale and use of the Electronic Nicotine Delivery Systems as appropriate to their context. So, the Convention is only confining to a particular matter that the Electronic Nicotine Delivery System is prohibited. But here, the proposed Bill which you have moved before this House, is not only for the nicotine delivery system, but even the non-nicotine delivery system is also prohibited. How do you explain it? The World Health

Organisation is confining to a particular matter regarding Electronic Nicotine Delivery Systems. We are banning the entire system. What is the impact?

Hon. Speaker, Sir, you may kindly see that in our State, liquor is banned by the Government. The students and the youths have started using drugs and other things. Now-a-days, we are facing a big danger. The use of drugs is endangering the human lives, especially the youths. Shri K. Sudhakaran has rightly mentioned it. Tobacco is permitted. E-cigarettes and even non-Nicotine Delivery System are prohibited. That needs a reasonable and logical explanation by which this Bill is being proposed. With this clarification, I would like to thank the hon. Speaker for affording this opportunity. I would also like to say that the hon. Minister has given a very detailed reply.

**SHRI SHYAM SINGH YADAV (JAUNPUR):** I would like to ask a small question to the hon. Minister. Is it not that you brought the Bill for banning e-cigarettes because the business interest of ITC is being affected?

**श्री जगदम्बिका पाल (डुमरियागंज):** इनके वोटर समझ ही नहीं पाएंगे कि वे क्या बोल रहे हैं।…(व्यवधान)

**श्री श्याम सिंह यादव :** मैं पूछना चाहता हूं कि आप ई-सिगरेट को बैन करने का जो बिल लाए हैं, क्या वह इसलिए लाए हैं कि एक बहुत बड़ी कंपनी आईटीसी का बिजनेस अफेक्ट हो रहा है?

**माननीय अध्यक्ष:** श्री भर्तृहरि महताब जी, मैंने आपका नाम पुकारा है।

**SHRI BHARTRUHARI MAHTAB (CUTTACK):** I have to move certain amendments. During the third reading if I am allowed to speak on the amendments, then I will reserve my speech for that time, otherwise I can ask certain clarifications relating to the amendment now.

**माननीय अध्यक्ष:** आप स्पष्टीकरण ही मांग लें, उस समय बिल पारित कराएंगे।

**श्री भर्तृहरि महताब :** वह तो होगा ही। मैं यही स्पष्टीकरण मांगना चाहता हूं कि बिल के क्लॉज-6 में है कि if an Authorized Officer has a reason to believe that any provision of this Act has been, or is being contravened, may enter and search any place. यह एक ब्लैंकेट पावर दी जाती है एनफोर्सिंग एजेंसी को, जिसके खिलाफ 1975 के बाद, 1977 में एक बड़ा आन्दोलन हुआ था और शायद आप भी उस आर्ग्यूमेंट से सहमत होंगे कि इस तरह का ब्लैंकेट ऑर्डर किसी को नहीं दिया जाना चाहिए। मेरा अमेंडमेंट इसलिए है कि आप कोर्ट से परमीशन लेकर, वारण्ट लेकर किसी आदमी के घर जाइए। Without a warrant, just on presumption, if you give this much of power to the enforcing agency, he will do hara-kiri.

**14.00 hrs**

I think the hon. Member from Baharampur, Shri Adhir Ranjan Chowdhury will also agree with me that this is a provision which will be very draconian and you have replied in a different manner that it has got the sanction of the Law Ministry but I stake that many Members will take strong objection to this.…(व्यवधान)

**कुंवर दानिश अली (अमरोहा):** बेरहमरपुर।

**श्री भर्तृहरि महताब** : बहरामपुर। I will be moving this amendment but if you satisfy me through your clarification, it will be better.

**श्री सय्यद ईमत्याज ज़लील (औरंगाबाद):** अध्यक्ष महोदय, मैं माननीय मंत्री जी से सिर्फ एक खुलासा चाहता हूं कि गुटखे के ताल्लुक से जब बैन किया गया, तो एक आर्डर इस तरह का निकला कि गुटखे के ऊपर रेड करने का अधिकार सिर्फ फूड एंड ड्रग एडमिनिस्ट्रेशन को है और पुलिस इसमें हस्तक्षेप नहीं कर सकती है। इस तरह का कोई आर्डर सुप्रीम कोर्ट ने ही जारी किया था। ऐसी हालत में चूंकि एफडीए कॉम्पीटेंट नहीं है, उनके पास स्टाफ नहीं होता है और गुटखा के क्षेत्र में माफिया है। गुटखे का जितना भी इल्लीगल कारोबार चल रहा है, वह माफिया के जरिये चलाया जा रहा है। हम इस बिल का समर्थन कर रहे हैं, इसलिए सरकार से पूछना चाहते हैं कि आप कैसे इस बिल को जमीनी स्तर पर इम्प्लीमेंट करेंगे?

**डॉ. हर्ष वर्धन :** अध्यक्ष महोदय, ज्यादातर सवालों के उत्तर मैंने डिटेल में दे दिए हैं।

**माननीय अध्यक्ष :** सभी माननीय सदस्यों ने आपकी रिप्लाई मान ली है।

**डॉ. हर्ष वर्धन :** मैं यह कहना चाहता हूं कि यदि सिंगापुर अपने बच्चों के साथ गलत कर रहा है और अपने बच्चों को प्रोटेक्ट नहीं कर रहा है, तो क्या हम भी वैसा ही करेंगे? इसका तो एक ही लाइन में जवाब है – मोदी है तो मुमकिन है। हमारा पहला धर्म अपने बच्चों और अपने देशवासियों के स्वास्थ्य की रक्षा करना है। किसी ने निकोटीन के संबंध में सवाल किया है। मैंने अपनी बात की शुरुआत ही इस बात से की थी कि निकोटीन के अलावा जितने भी इनटोक्सिकेंट्स हैं, वे सारे के सारे स्वास्थ्य के लिए हानिकारक हैं। आज निकोटिन ENDS में यूज होती है, कल कोई दूसरा इनटोक्सिकेंट भी यूज हो सकता है। यदि कुछ दिनों बाद निकोटीन की जगह कोई दूसरी चीज यूज होगी और उसके लिए हम आज कोई कानून नहीं बनाएंगे, इस बात का तो कोई लॉजिक नहीं है। हम भविष्य को ध्यान में रखकर इसका प्रोविजन कर रहे हैं। किसानों के बारे में भी कहा गया है।

आलरेडी हमारी एग्रीकल्चर मिनिस्ट्री वर्षों से इसका प्रयास कर रही है कि जो टोबैको फार्मिंग करते हैं, उन्हें कोई अल्टरनेट फार्मिंग करने के लिए हम कैसे हैल्प कर सकते हैं, कैसे उन्हें प्रमोट कर सकते हैं। आईटीसी ने भी नए तरीके से एग्रीकल्चरल प्रोडक्ट्स के लिए उन्हें टीच करने के काम में लगी हुई है। जिस कारण दुनिया में 100 परसेंट सिगरेट को बैन नहीं किया जा रहा है, वह रोजगार का इश्यू, टोबैको फार्मर्स के इश्यू आदि के प्रैग्मैटिक व्यू लेकर ही काम किया जा रहा है। हमने इतने डिटेल में बताया है और किसी ने यह भी कहा कि यह अनटाइमली है। मैं तो कहता हूं कि यह मोस्ट टाइमली है। आप इसे अनटाइमली कैसे कह रहे हैं? आपने कहा कि यह 90 परसेंट सेफ है। मैंने उसके बारे में इतनी डिटेल में बताया था कि 90 परसेंट सेफ नहीं है और यदि कोई चीज लेस हार्मफुल है, तो इसका मतलब यह नहीं है कि वह हार्मलेस है। मैंने इसका उदाहरण भी दिया था कि यह उसी तरह की बात है कि 14वीं मंजिल से छलांग लगाने की बजाय 10वीं मंजिल से छलांग लगाकर स्यूसाइड करो, तो क्या वह लेस हार्मफुल होगा, वह हार्मलेस नहीं होगा। मैंने इसी बात से अपना जवाब शुरू किया था कि हम यह आर्डिनेंस क्यों लेकर आए हैं। मैंने एक साल के इवेंट्स क्रोनोलॉजिकल आर्डर में बताए हैं।

**माननीय अध्यक्ष :** आपसे सभी संतुष्ट हैं।

**डॉ. हर्ष वर्धन :** कोई भी ऐसा सवाल मुझे दिखाई नहीं दिया, जिसका मैंने जवाब न दिया हो। फिर भी मैं हाउस के सभी सदस्यों को ऑफर करता हूं कि यदि आपको किसी प्रश्न का डिटेल्ड उत्तर चाहिए, तो आप मुझे लिखकर भेजिए, मैं आपको डिटेल्ड उत्तर भेजूंगा।

**माननीय अध्यक्ष :** नहीं, आप एक-एक घंटा सबको समझाओ।अब मैं श्री अधीर रंजन चौधरी द्वारा प्रस्तुत सांविधिक संकल्प को सभा के समक्ष मतदान के लिए रखता हूं।

प्रश्न यह है :

"कि यह सभा राष्ट्रपति द्वारा 18 सितम्बर, 2019 को प्रख्यापित इलेक्ट्रॉनिक सिगरेट (उत्पादन, विनिर्माण, आयात, निर्यात, परिवहन, विक्रय, वितरण, भंडारण और विज्ञापन) प्रतिषेध अध्यादेश, 2019 (2019 का संख्यांक 14) का निरनुमोदन करती है।"

*प्रस्ताव अस्वीकृत हुआ।*

**माननीय अध्यक्ष :** प्रश्न यह है:

"कि जनता की अपहानि से सुरक्षा करने के लिए जन स्वास्थ्य के हित में इलेक्ट्रॉनिक सिगरेट का उत्पादन, विनिर्माण, आयात, निर्यात, परिवहन, विक्रय, वितरण, भंडारण और विज्ञापन का प्रतिषेध करने के लिए तथा उससे संबंधित या उसके आनुषंगिक विषयों का उपबंध करने के लिए विधेयक पर विचार किया जाए।"

*प्रस्ताव स्वीकृत हुआ।*

**माननीय अध्यक्ष :** अब सभा विधेयक पर खंडवार विचार करेगी।

प्रश्न यह है :

"कि खंड 2 विधेयक का अंग बने।"

*प्रस्ताव स्वीकृत हुआ।*

*खंड 2 विधेयक में जोड़ दिया गया।*

**Clause – 3 Definitions**

**माननीय अध्यक्ष :** प्रो. सौगत राय जी, क्या आप संशोधन संख्या 2 से 6 प्रस्तुत करना चाहते हैं?

**PROF. SOUGATA RAY (DUM DUM):** Yes, Sir, I am moving my amendments No. 2 to 6.

I beg to move:

‘Page 2, line 9,--

*for* “any police officer not below the rank of sub-inspector”

*substitute* “any police officer equivalent to the rank of a Gazetted Officer of the Government of India”. (2)

Page 2, line 10,--

*for* “sub-inspector”

*substitute* “officer equivalent to the rank of a Gazette Officer of the Government of India. (3)

Page 2, line 16,--

*omit* “Head Not Burn Products,”. (4)

Page 2, line 41,--

*after* “any house,”

*insert* “vehicle.”. (5)

Page 3, line 5,--

*after* “by way of exchange,”

*insert* “or through barter system,”. (6)

**माननीय अध्यक्ष :** अब मैं प्रो. सौगत राय द्वारा खंड 3 में प्रस्तुत संशोधन संख्या 2 से 6 को सभा के समक्ष मतदान के लिए रखता हूं।

*संशोधन मतदान के लिए रखे गए तथा अस्वीकृत हुए।*

**माननीय अध्यक्ष :** श्री जसबीर सिंह गिल जी, क्या आप संशोधन संख्या 17 और 18 प्रस्तुत करना चाहते हैं?

**SHRI JASBIR SINGH GILL (KHADOOR SAHIB):** Yes, Sir, I am moving my amendments No. 17 and 18.

I beg to move:

‘Page 2, line 9,--

*for* “the rank of sub-inspector”

*substitute* “the rank of inspector” (17)

'Page 2, line 10,--

*for* "the rank of sub-inspector"

*substitute* "the rank of inspector".' (18)

**माननीय अध्यक्ष :** अब मैं श्री जसबीर सिंह गिल द्वारा खंड 3 में प्रस्तुत संशोधन संख्या 17 और 18 को सभा के समक्ष मतदान के लिए रखता हूं।

*संशोधन मतदान के लिए रखे गये तथा अस्वीकृत हुए।*

**माननीय अध्यक्ष :** श्री एन.के. प्रेमचन्द्रन, क्या आप संशोधन संख्या 21 प्रस्तुत करना चाहते हैं?

**SHRI N. K. PREMACHANDRAN :** Sir, one second. The Govenent can very well accept it. It is because, there is 'advertise, sale, import, export'. Along with it display also has to be prohibited. It is a harmless amendment. The Government can very well accept it. 'Display' and 'advertise' both are entirely different. So, I am moving my amendment No. 21. The core of the amendment is to include 'display' also.

I beg to move:

'Page 2, *after* line 11,--

*Insert* '(ba) "display" means to put in a prominent place in order that it may readily by seen;".' (21)

**माननीय अध्यक्ष :** अब मैं श्री एन.के.प्रेमचन्द्रन द्वारा खंड 3 में प्रस्तुत संशोधन संख्या 21 को सभा के समक्ष मतदान के लिए रखता हूं।

*संशोधन मतदान के लिए रखा गया तथा अस्वीकृत हुआ।*

**माननीय अध्यक्ष :** श्री कोडिक्कुनील सुरेश जी, क्या आप संशोधन संख्या 35 प्रस्तुत करना चाहते हैं?

**SHRI KODIKUNNIL SURESH :** Yes, Sir, I am moving my amendment No. 35.

I beg to move:

'Page 2, line 38,--

*after* "individuals"

*insert* "or online or e-commerce platforms and companies

duly constituted".' (35)

**माननीय अध्यक्ष :** अब मैं श्री कोडिक्कुनील सुरेश द्वारा खंड 3 में प्रस्तुत संशोधन संख्या 35 को सभा के समक्ष मतदान के लिए रखता हूं।

*संशोधन मतदान के लिए रखा गया तथा अस्वीकृत हुआ।*

**माननीय अध्यक्ष** : प्रश्न यह है :

"कि खंड 3 विधेयक का अंग बने।"

*प्रस्ताव स्वीकृत हुआ।*

*खंड 3 विधेयक में जोड़ दिया गया।*

**Clause 4 Prohibition on production, manufacturing, import, export transport, sale, distribution and advertisement of Electronic Cigarette**

**माननीय अध्यक्ष :** प्रो. सौगत राय जी, क्या आप संशोधन संख्या 7 और 8 प्रस्तुत करना चाहते हैं?

**PROF. SOUGATA RAY :** Yes, Sir, I am moving my amendments No. 7 and 8.

I beg to move:

‘Page 3, line 9,--

*after* “export”

*insert* “or exchange in any form”. (7)

Page 3, line 12,--

*after* “promotes”

*insert* “or glorifies”.’ (8)

**माननीय अध्यक्ष :** अब मैं प्रो. सौगत राय द्वारा खंड 4 में प्रस्तुत संशोधन संख्या 7 और 8 को सभा के समक्ष मतदान के लिए रखता हूं।

*संशोधन मतदान के लिए रखे गये तथा अस्वीकृत हुए।*

**माननीय अध्यक्ष :** श्री एन.के.प्रेमचन्द्रन जी, क्या आप संशोधन संख्या 22 प्रस्तुत करना चाहते हैं?

**SHRI N. K. PREMACHANDRAN :** Yes, Sir, I am moving amendment No. 22.

I beg to move:

Page 3, line 9,--

*after* "sell"

*insert* "or display". (22)

**माननीय अध्यक्ष :** अब मैं श्री एन.के. प्रेमचन्द्रन द्वारा खंड 4 में प्रस्तुत संशोधन संख्या 22 को सभा के समक्ष मतदान के लिए रखता हूं।

*संशोधन मतदान के लिए रखा गया तथा अस्वीकृत हुआ।*

**माननीय अध्यक्ष** : प्रश्न यह है:

"कि खंड 4 विधेयक का अंग बने।"

*प्रस्ताव स्वीकृत हुआ।*

*खंड 4 विधेयक में जोड़ दिया गया।*

**Clause 5 Prohibition on storage of electronic cigarette**

**माननीय अध्यक्ष :** प्रो. सौगत राय जी, क्या आप संशोधन संख्या 9 प्रस्तुत करना चाहते हैं?

**PROF. SOUGATA RAY :** Yes, Sir, I am moving my amendments No. 9.

I beg to move:

'Page 3, line 21,--

*for* "without unnecessary delay"

*substitute* "immediately"' (9)

**माननीय अध्यक्ष :** अब मैं प्रो. सौगत राय द्वारा खंड 5 में प्रस्तुत संशोधन संख्या 9 को सभा के समक्ष मतदान के लिए रखता हूं।

*संशोधन मतदान के लिए रखा गया तथा अस्वीकृत हुआ।*

**माननीय अध्यक्ष :** श्री एन.के. प्रेमचन्द्रन, क्या आप संशोधन संख्या 23 प्रस्तुत करना चाहते हैं?

**SHRI N. K. PREMACHANDRAN :** I beg to move:

Page 3, line 17,--

*after* "sale,"

*insert* "display,", (23)

**माननीय अध्यक्ष :** अब मैं श्री एन.के. प्रेमचन्द्रन द्वारा खंड 5 में प्रस्तुत संशोधन संख्या 23 को सभा के समक्ष मतदान के लिए रखता हूं।

*संशोधन मतदान के लिए रखा गया तथा अस्वीकृत हुआ।*

**माननीय अध्यक्ष** : प्रश्न यह है :

"कि खंड 5 विधेयक का अंग बने।"

*प्रस्ताव स्वीकृत हुआ।*

*खंड 5 विधेयक में जोड़ दिया गया।*

**Clause 6 Power to enter, search and seize without warrant**

**माननीय अध्यक्ष :** प्रो. सौगत राय, क्या आप संशोधन संख्या 10 प्रस्तुत करना चाहते हैं?

**PROF. SOUGATA RAY :** Sir, this is the same amendment that Shri Bhartruhari Mahtab has mentioned that you have given untrammelled power to the inspectors to inspect any area. That is why, I beg to move:

Page 3, line 27,--

*after* "any place"

*insert* ", with a valid search warrant issued by the First Class

Magistrate of the area,". (10)

**माननीय अध्यक्ष :** अब मैं प्रो. सौगत राय द्वारा खंड 6 में प्रस्तुत संशोधन संख्या 10 को सभा के समक्ष मतदान के लिए रखता हूं।

*संशोधन मतदान के लिए रखा गया तथा अस्वीकृत हुआ।*

**माननीय अध्यक्ष :** श्री एन.के. प्रेमचन्द्रन, क्या आप संशोधन संख्या 24 और 25 प्रस्तुत करना चाहते हैं?

**SHRI N. K. PREMACHANDRAN :** I beg to move:

Page 3, line 29,--

*after* "stored"

*insert* ", display". (24)

Page 3, line 40,--

*after* "seller,"

*insert* "displayer,". (25)

**माननीय अध्यक्ष :** अब मैं श्री एन.के. प्रेमचन्द्रन द्वारा खंड 6 में प्रस्तुत संशोधन संख्या 24 और 25 को सभा के समक्ष मतदान के लिए रखता हूं।

*संशोधन मतदान के लिए रखे गए तथा अस्वीकृत हुए।*

**माननीय अध्यक्ष :** श्री भर्तृहरि महताब, क्या आप संशोधन संख्या 31 और 32 प्रस्तुत करना चाहते हैं?

**SHRI BHARTRUHARI MAHTAB (CUTTACK):** Sir, actually there are two amendments. Amendment No. 31 says, an authorised officer may, upon a warrant duly issued by an authorised court should enter and search. Amendment No. 32 says, after certain product is seized, it should be produced before the Court within seven days. Normally, a large number of days pass by and it gets manipulated. These are the two corrective methods which I would

request the Minister to accept; otherwise this will go against the provisions that we have as per law. Thank you, Sir.

I beg to move:

Page 3, *for* lines 26 and 27,--

*substitute* "6. (1) An authorised officer may, upon a warrant duly issued by an authorised court, enter and search any place where—". (31)

Page 3, *for* lines 34 to 37,--

*substitute* "matter referred to in sub-section (1) and produce the record or property so seized, before the Court of Judicial Magistrate of the first class within seven days of the seizure.". (32)

**माननीय अध्यक्ष :** अब मैं श्री भर्तृहरि महताब द्वारा खंड 6 में प्रस्तुत संशोधन संख्या 31 और 32 को सभा के समक्ष मतदान के लिए रखता हूं।

*संशोधन मतदान के लिए रखे गए तथा अस्वीकृत हुए।*

**माननीय अध्यक्ष :** प्रश्न यह है :

"कि खंड 6 विधेयक का अंग बने ।"

*प्रस्ताव स्वीकृत हुआ ।*

*खंड 6 विधेयक में जोड़ दिया गया ।*

**Clause 7 Punishment for contravention of section 4**

**माननीय अध्यक्ष :** प्रो. सौगत राय, क्या आप संशोधन संख्या 11 प्रस्तुत करना चाहते हैं?

**PROF. SOUGATA RAY :** I beg to move:

Page 4, line 6,--

*for* "one year"

*substitute* "three years". (11)

**माननीय अध्यक्ष :** अब मैं प्रो. सौगत राय द्वारा खंड 7 में प्रस्तुत संशोधन संख्या 11 को सभा के समक्ष मतदान के लिए रखता हूं।

*संशोधन मतदान के लिए रखा गया तथा अस्वीकृत हुआ ।*

**माननीय अध्यक्ष :** प्रो. सौगत राय, क्या आप संशोधन संख्या 12 और 13 प्रस्तुत करना चाहते हैं?

**PROF. SOUGATA RAY :** I beg to move:

Page 4, lines 6 and 7,--

*for* "one lakh rupees"

*substitute* "three lakh rupees". (12)

Page 4, line 8,--

*for* "three years and with fine which may extend to five lakh rupees".

*substitute* "five years and with fine which may extend to

ten lakh rupees". (13)

**माननीय अध्यक्ष :** अब मैं प्रो. सौगत राय द्वारा खंड 7 में प्रस्तुत संशोधन संख्या 12 और 13 को सभा के समक्ष मतदान के लिए रखता हूं।

संशोधन मतदान के लिए रखे गए तथा अस्वीकृत हुए।

**माननीय अध्यक्ष :** श्रीमती प्रतिमा मण्डल क्या आप संशोधन संख्या 33 और 34 प्रस्तुत करना चाहती हैं?

**SHRIMATI PRATIMA MONDAL (JAYNAGAR):** I beg to move:

Page 4, line 6,--

*for* "which may extend to"

*substitute* "of". (33)

Page 4, line 8,--

*for* "which may extend to"

*substitute* "of". (34)

**माननीय अध्यक्ष :** अब मैं श्रीमती प्रतिमा मण्डल द्वारा खंड 7 में प्रस्तुत संशोधन संख्या 33 और 34 को सभा के समक्ष मतदान के लिए रखता हूं।

*संशोधन मतदान के लिए रखे गए तथा अस्वीकृत हुए।*

**माननीय अध्यक्ष :** श्री कोडिकुन्निल सुरेश क्या आप संशोधन संख्या 37 प्रस्तुत करना चाहते हैं?

**SHRI KODIKUNNIL SURESH (MAVELIKKARA):** I beg to move:

Page 4, lines 6 and 7,--

*for* "one lakh rupees"

*substitute* "five lakh rupees". (37)

**माननीय अध्यक्ष :** अब मैं कोडिकुन्निल सुरेश द्वारा खंड 7 में प्रस्तुत संशोधन संख्या 37 को सभा के समक्ष मतदान के लिए रखता हूं।

*संशोधन मतदान के लिए रखा गया तथा अस्वीकृत हुआ।*

**माननीय अध्यक्ष :** प्रश्न यह है :

"कि खंड 7 विधेयक का अंग बने।"

*प्रस्ताव स्वीकृत हुआ।*

*खंड 7 विधेयक में जोड़ दिया गया।*

**Clause 8 Punishment for contravention of section 5**

**माननीय अध्यक्ष:** प्रो. सौगत राय, क्या आप संशोधन संख्या 14 प्रस्तुत करना चाहते हैं?

**PROF. SOUGATA RAY :** I beg to move:

Page 4, lines 9 to 11, -

*for* “shall be punishable with imprisonment for a term which may extend to six months or with fine which may extent to fifty thousand rupees or with both.”.

*substitute* “shall be punishable with imprisonment for a term which may extend to one year or with fine which may extent to one lakh rupees or with both.”. (14)

**माननीय अध्यक्ष:** अब मैं प्रो. सौगत राय द्वारा खंड 8 में प्रस्तुत संशोधन संख्या 14 को सभा के समक्ष मतदान के लिए रखता हूं।

*संशोधन मतदान के लिए रखा गया तथा अस्वीकृत हुआ।*

**माननीय अध्यक्ष:** श्री एन.के. प्रेमचन्द्रन, क्या आप संशोधन संख्या 28 प्रस्तुत करना चाहते हैं?

**SHRI N. K. PREMACHANDRAN :** I beg to move:

Page 4, line 10,-

*for* “six months”

*substitute* “one year”. (28)

**माननीय अध्यक्ष:** अब मैं श्री एन.के. प्रेमचन्द्रन जी द्वारा खंड 8 में प्रस्तुत संशोधन संख्या 28 को सभा के समक्ष मतदान के लिए रखता हूं।

*संशोधन मतदान के लिए रखा गया तथा अस्वीकृत हुआ।*

**माननीय अध्यक्ष:** प्रश्न यह है :

“कि खंड 8 विधेयक का अंग बने”

*<u>प्रस्ताव स्वीकृत हुआ।</u>*

*<u>खंड 8 विधेयक में जोड़ दिया गया।</u>*

*<u>खंड 9 और 10 विधेयक में जोड़ दिए गए।</u>*

**Clause 11 Offences by companies**

**माननीय अध्यक्ष:** प्रो. सौगत राय, क्या आप संशोधन संख्या 15 प्रस्तुत करना चाहते हैं?

**PROF. SOUGATA RAY :** I beg to move:

Page 4, line 34,-

*after* "manager",

*insert* "office in-charge, caretaker,". (15)

**माननीय अध्यक्ष:** अब मैं प्रो. सौगत राय द्वारा खंड 11 में प्रस्तुत संशोधन संख्या 15 को सभा के समक्ष मतदान के लिए रखता हूं।

*<u>संशोधन मतदान के लिए रखा गया तथा अस्वीकृत हुआ।</u>*

**माननीय अध्यक्ष**: प्रश्न यह है :

"कि खंड 11 विधेयक का अंग बनो"

*<u>प्रस्ताव स्वीकृत हुआ।</u>*

*<u>खंड 11 विधेयक में जोड़ दिया गया।</u>*

*<u>खंड 12 से 14 विधेयक में जोड़ दिए गए।</u>*

**Clause 15 Application of other Laws not barred.**

**माननीय अध्यक्ष:** श्री एन.के.प्रेमचन्द्रन, क्या आप संशोधन संख्या 29 प्रस्तुत करना चाहते हैं?

**SHRI N. K. PREMACHANDRAN :** I beg to move:

Page 5, line 3, -

*after* “sale,”

*insert* “display,”. (29)

**माननीय अध्यक्ष:** अब मैं श्री एन.के.प्रेमचन्द्रन द्वारा खंड 15 में प्रस्तुत संशोधन संख्या 29 को सभा के समक्ष मतदान के लिए रखता हूं।

*संशोधन मतदान के लिए रखा गया तथा अस्वीकृत हुआ।*

**माननीय अध्यक्ष**: प्रश्न यह है :

“कि खंड 15 विधेयक का अंग बने”

*प्रस्ताव स्वीकृत हुआ।*

*खंड 15 विधेयक में जोड़ दिया गया।*

**Clause 16 Protection of action taken in good faith.**

**माननीय अध्यक्ष:** प्रो. सौगत राय, क्या आप संशोधन संख्या 16 प्रस्तुत करना चाहते हैं?

**प्रो. सौगत राय :** सर, मुझे एक ही सवाल पूछना है कि हमारे अपोजीशन ने 7 अमेंडमेंट्स दिए हैं। क्या एक भी अमेंडमेंट में कोई मेरिट है, जो सरकार एक्सेप्ट कर सकती है? थोड़ी डेमोक्रेटिक स्पिरिट तो दिखानी चाहिए। सब अमेंडमेंट में कहते हैं कि “न वालों के पक्ष में है” और कैंसिल हो

जाते हैं। यह तो आसान है, लेकिन डेमोक्रेटिकली कुछ एक्सेप्ट हो जाने चाहिए। Let me move the amendment bill. Please allow me. कुछ तो डेमोक्रेसी रहनी चाहिए। अपोजीशन की थोड़ी तो रिस्पेक्ट रहनी चाहिए। कृपया थोड़ी कोशिश करिए।

I beg to move:

Page 5, *for* lines 4 to 6,-

*substitute* "16. Any officer of the Central Government or any State Government shall be liable to be prosecuted or face other legal proceedings if he does any act with malafide intention to harass a person or a company and fails to prove it in the court.". (16)

**माननीय अध्यक्ष:** अब मैं प्रो. सौगत राय द्वारा खंड 16 में प्रस्तुत संशोधन संख्या 16 को सभा के समक्ष मतदान के लिए रखता हूं।

*संशोधन मतदान के लिए रखा गया तथा अस्वीकृत हुआ।*

**माननीय अध्यक्ष:** प्रश्न यह है :

"कि खंड 16 विधेयक का अंग बनो"

प्रस्ताव स्वीकृत हुआ।

खंड 16 विधेयक में जोड़ दिया गया।

खंड 17 और 18 विधेयक में जोड़ दिए गए।

**Clause 1 Short title and commencement**

**माननीय अध्यक्ष:** प्रो. सौगत राय, क्या आप संशोधन संख्या 1 प्रस्तुत करना चाहते हैं?

**PROF. SOUGATA RAY :** I beg to move:

Page 1, line 3,-

*after* "Distribution,"

*insert* "Promotion,". (1)

**माननीय अध्यक्ष:** अब मैं प्रो. सौगत राय द्वारा खंड 1 में प्रस्तुत संशोधन संख्या 1 को सभा के समक्ष मतदान के लिए रखता हूं।

*संशोधन मतदान के लिए रखा गया तथा अस्वीकृत हुआ।*

**माननीय अध्यक्ष:** श्री एन.के. प्रेमचन्द्रन, क्या आप संशोधन संख्या 20 प्रस्तुत करना चाहते हैं?

**SHRI N. K. PREMACHANDRAN :** I beg to move:

Page 1, line 3, -

*after* "sale,"

*insert* "display,". (20)

**माननीय अध्यक्ष:** अब मैं श्री एन.के. प्रेमचन्द्रन द्वारा खंड 1 में प्रस्तुत संशोधन संख्या 20 को सभा के समक्ष मतदान के लिए रखता हूं।

*संशोधन मतदान के लिए रखा गया तथा अस्वीकृत हुआ।*

**माननीय अध्यक्ष**: प्रश्न यह है :

"कि खंड 1 विधेयक का अंग बनो"

<u>प्रस्ताव स्वीकृत हुआ।</u>

<u>खंड 1 विधेयक में जोड़ दिया गया।</u>

<u>अधिनियमन सूत्र विधेयक में जोड़ दिया गया।</u>

**Name**

**माननीय अध्यक्ष:** श्री एन.के. प्रेमचन्द्रन, क्या आप संशोधन संख्या 19 प्रस्तुत करना चाहते हैं?

**SHRI N. K. PREMACHANDRAN :** I beg to move:

Page 1, in the Long Title -

*after* "sale,"

*insert* "display,". (19)

**माननीय अध्यक्ष:** अब मैं श्री एन.के. प्रेमचन्द्रन द्वारा खंड नाम में प्रस्तुत संशोधन संख्या 19 को सभा के समक्ष मतदान के लिए रखता हूं।

*<u>संशोधन मतदान के लिए रखा गया तथा अस्वीकृत हुआ।</u>*

**माननीय अध्यक्ष :** प्रश्न यह है :

"कि नाम, विधेयक का अंग बने।"

*<u>प्रस्ताव स्वीकृत हुआ।</u>*

*<u>विधेयक का पूरा नाम विधेयक में जोड़ दिया गया।</u>*

**माननीय अध्यक्ष :** माननीय मंत्री जी प्रस्ताव करें कि विधेयक को पारित किया जाए।

**DR. HARSH VARDHAN:** Sir, I beg to move:

"That the Bill be passed".

**माननीय अध्यक्ष :** प्रश्न यह है :

"कि विधेयक को पारित किया जाए।"

*प्रस्ताव स्वीकृत हुआ।*

**14.21 hrs**

## SPECIAL PROTECTION GROUP (AMENDMENT) BILL, 2019

**माननीय अध्यक्ष :** आइटम नंबर 16, विशेष संरक्षा ग्रुप (संशोधन) विधेयक, 2019.

माननीय गृह मंत्री जी।

**गृह मंत्री (श्री अमित शाह):** अध्यक्ष महोदय, मैं प्रस्ताव करता हूं :

"कि विशेष संरक्षा ग्रुप अधिनियम, 1988 का और संशोधन करने वाले विधेयक पर विचार किया जाए।"

महोदय, मैं एक महत्वपूर्ण विधेयक पर संशोधन लेकर आज इस सदन के सामने उपस्थित हुआ हूं। स्पेशल प्रोटेक्शन ग्रुप के कानून के अंदर एक बदलाव लेकर आज मैं इस सदन के सामने आया हूं। महोदय, एसपीजी का गठन, वर्ष 1985 में एक बीरबल नाथ कमेटी बनी थी, जिसे प्रधानमंत्री जी की सुरक्षा पर विचार करने के लिए बनाया गया था। उसने कुछ अनुशंसाएं भी की थीं, जिसके आधार पर एसपीजी का गठन हुआ था। शुरुआत में वर्ष 1985 से 1988 तक एसपीजी एक अधिशासी आदेश के तहत काम करती थी। वर्ष 1988 में यह कानून बना। इस कानून के तहत स्पेशल प्रोटेक्शन ग्रुप काम करने लगा। वह प्रधान मंत्री और उनके परिजनों की सुरक्षा के लिए काम करने लगा।

मान्यवर, इसके बाद वर्ष 1991 और वर्ष 1994 में इसमें संशोधन किया गया। वर्ष 1999 में इसमें संशोधन किया गया और वर्ष 2003 में भी इसमें संशोधन हुआ। आज फिर से मैं इसमें एक संशोधन लेकर आया हूं जो मूल एक्ट की भावना के अनुरूप है। इसके निष्कर्ष के बारे में मैं सदन को बताना चाहता हूं। यह बिल आपके माध्यम से सभी माननीय सदस्यों के पास पहुंच गया है। इस संशोधन के बाद यह एक्ट सिर्फ प्रधान मंत्री और उनके परिवार के सदस्य, जो उनके साथ

अधिकृत प्रधान मंत्री निवास पर रहते हैं, उनके लिए ही उपलब्ध होगा। दूसरा, कोई पूर्व प्रधान मंत्री और उनका परिवार, जो सरकार द्वारा आबंटित किए गए आवास पर रहते हैं, उनको पांच साल की अवधि तक यह एसपीजी प्रोटेक्शन उपलब्ध होगा। इस प्रकार का कानून में संशोधन लेकर आज मैं यहां आया हूं।

मान्यवर, हमारे देश ने मल्टी पार्टी डेमोक्रटिक सिस्टम में पार्लियामेंटरी डेमोक्रेटिक सिस्टम को स्वीकार किया है। हमारे संविधान के अनुरूप हेड ऑफ गवर्नमेंट प्रधान मंत्री होते हैं। प्रधान मंत्री जी के पद के अनुरूप, उनके काम के अनुरूप और उनके कार्यालय को सुरक्षित करने के लिए एक स्पेशल प्रोटेक्शन ग्रुप बनाया गया। वह इसलिए जरूरी है कि हमारे देश में प्रधान मंत्री और पूर्व प्रधान मंत्री जी की हत्या हुई। यह देश के लिए बहुत बड़ी क्षति थी और इसलिए एसपीजी प्रोटेक्शन ग्रुप बनाया गया। इसकी चुस्तता और योग्यता बनाए रखने के लिए भी यह कानून जब लाया गया, तब बनाया गया।

उसके बाद अलग-अलग समयों में इसको डाइलूट किया गया है और आज वह कानून इस संशोधन के साथ पूर्ववत हो रहा है कि एसपीजी का सुरक्षा कवच केवल और केवल प्रधान मंत्री और पूर्व प्रधान मंत्री का जो परिवार उनके साथ रहता है, उनको मिलेगा। मान्यवर, एसपीजी कवर इसलिए जरूरी है, क्योंकि प्रधान मंत्री जी के नेतृत्व में सरकार और सारी व्यवस्थाएं काम करती हैं। देश को सुरक्षित करने का काम करती हैं। कई कठोर फैसले सामाजिक सुधार हेतु देश की आंतरिक सुरक्षा से जुड़े हुए और कई देश की बाह्य सुरक्षा से जुड़े हुए फैसले लेते हैं। उस वक्त उनकी सुरक्षा के खतरे को जीरो करने के लिए, उसको संपूर्ण रूप से निर्मूल करने के लिए स्पेशल प्रोटेक्शन ग्रुप की जरूरत है। इसीलिए बीरबलनाथ कमेटी में इसकी अनुशंसा की थी, जिसको बाद में कानून का स्वरूप भी दिया गया था। इसकी जो भावना है, वह उसी के नाम में ही निहित है। इसकी नामावली में इसका मूल अर्थ समाहित किया गया है।

मान्यवर, मैं यह स्पष्ट कर देना चाहता हूं कि इसकी पूरी व्यवस्था पद के अनुसार बनाई गई है। जनता के अंदर और अखबारों में जब से बिल की चर्चा है, तब से यह भ्रांति है कि एसपीजी सिर्फ सुरक्षा का काम करता है। मैं उसके डिटेल में जाना चाहता हूं कि एसपीजी प्रधान मंत्री जी की, उनके आफिस की, उनके कम्यूनिकेशन की और सबकी सुरक्षा का काम करता है।

**प्रो. सौगत राय (दमदम) :** आप जवाब के समय यह बोलिएगा। अभी तो इस पर डिबेट होगी।…(व्यवधान)

**श्री अमित शाह :** आप मुझे सुने बगैर ही रिजेक्ट कर देंगे। मुझे इसका तात्पर्य तो बताने दीजिए।…(व्यवधान) अभी कुछ नहीं बताया है। मान्यवर, इसके लिए स्पेशल शब्द का उपयोग किया गया है। यह केवल और केवल प्रधान मंत्री जी की सुरक्षा के प्रति इंगित करता है। श्रीमती इंदिरा गांधी जी की हत्या के बाद जो बीरबालनाथ समिति बनी थी, उसने कहा था कि एक अत्याधुनिक प्रशिक्षित विशेष बल का प्रधान मंत्री जी की सुरक्षा के गठन करना चाहिए। स्पेशल शब्द यह इंगित करता है कि यह प्रधान मंत्री जी की सुरक्षा के लिए हैं। प्रोटेक्शन शब्द में केवल फिजिकल सिक्योरिटी की बात नहीं है। प्रधान मंत्री जी का पद, उसकी गरिमा, प्रधान मंत्री जी का कार्यालय, उनका आरोग्य और उनके कम्यूनिकेशन यह सभी चीजों की चिंता करता है। प्रधान मंत्री कार्याध्यक्ष होते हैं, हेड ऑफ द गवर्नमेंट होते हैं। इसके लिए प्रोटेक्शन शब्द का प्रयोग किया गया है। ग्रुप से मतबल एक एलीट ग्रुप होना चाहिए। कॉम्पैक्ट, एलीट और विशेष प्रकार से प्रशिक्षित यूनिट होना चाहिए, जिसका कार्यकलाप इस तरह से किया जाएगा कि इनकी चुस्तता में कहीं पर भी डाइलूशन नहीं होगा। इस प्रकार से एसपीजी को बनाया गया है।

मान्यवर, जहां दुनिया भर की बात करें, तो दुनिया में कई देशों के अंदर उनके राष्ट्राध्यक्षों के लिए अलग-अलग प्रोटेक्शन ग्रुप बने हुए हैं। वे ग्रुप दुनिया में सभी जगहों पर केवल और केवल राष्ट्राध्यक्षों की सुरक्षा का ध्यान रखते हैं। उनकी कम्यूनिकेशन, उनका ऑफिस, उनके काम करने

की जगह उन सभी की सुरक्षा की व्यवस्था करते हैं। जैसे अमेरिका में यूएस सीक्रेट सर्विस है, इजराइल, फ्रांस, इंग्लैंड, इन सभी जगहों पर इस प्रकार की व्यवस्था है, जो केवल और केवल जो राष्ट्राध्यक्ष हैं, उनके काम की चिंता करती है।

मान्यवर, मैं इसीलिए आज इस बिल को लेकर सदन में आया हूं। सौगत दा का कहना है कि मैं चर्चा के बाद में जवाब दूं।...(व्यवधान) हां, मैं बाद में जवाब दूंगा। मगर इसके पीछे केवल इतना उद्देश्य है कि स्पेशल प्रोटेक्शन ग्रुप और इफिशियंट बने। इसके साथ ही स्पेशल प्रोटेक्शन ग्रुप के काम में कोई भी कोताही न हो। मैं आज इस प्रकार के उद्देश्य के साथ इस बिल को लेकर आया हूं। मेरा यह अनुरोध है कि सभी माननीय सदस्य अपने-अपने विचार इस पर रखें और उसके बाद आप सभी लोग इसको स्वीकार करें।

**माननीय अध्यक्ष :** प्रस्ताव प्रस्तुत हुआ:

"कि विशेष संरक्षा ग्रुप अधिनियम, 1988 का और संशोधन करने वाले विधेयक पर विचार किया जाए।"

**श्री मनीश तिवारी (आनंदपुर साहिब):** अध्यक्ष जी, आज हम बहुत ही संवेदनशील विधेयक, जो प्रधान मंत्री की सुरक्षा से जुड़ा हुआ है, उसके ऊपर विचार करने के लिए यहां एकत्रित हुए हैं। महोदय, मैं शुरू में बहुत जिम्मेदारी से एक बात कहना चाहूंगा कि इतिहास इस बात का गवाह है और तारीख इस बात की गवाह है कि जब-जब नकारात्मक कदम उठाए गए हैं, उसका बहुत बड़ा खामियाजा इस देश को भुगतना पड़ा है।

अध्यक्ष जी, आपकी अनुमति से मैं शुरू से शुरू करना चाहता हूँ। हम किसी व्यक्ति को या सरकार किसी व्यक्ति को सुरक्षा क्यों प्रदान करती है? आम नागरिक को पुलिस के माध्यम से सुरक्षा प्रदान की जाती है। पूरे देश भर में पुलिस थानों का प्रबंधन किया गया है। वह जो आवाम है, उसको सुरक्षा प्रदान करता है। फिर सरकार यह इंगित करती है कि कुछ ऐसे लोग हैं, जिनको सरकार की तरफ से विशेष सुरक्षा देने की जरूरत है। वह जो इंगित करने का काम है, वह थ्रेट प्रिसेप्शन के माध्यम से किया जाता है कि कुछ खुफिया तंत्र या पुलिस एक थ्रेट असेसमेंट करती है, हर व्यक्ति का, और थ्रेट असेसमेंट के हिसाब से किसी को एक्स, किसी को एक्स-प्लस, किसी को वाई, किसी को वाई प्लस, किसी को ज़ेड, किसी को ज़ेड प्लस और किसी को एसपीजी की सुरक्षा प्रदान की जाती है। मैं आज एक सवाल पूछना चाहता हूँ कि यह जो थ्रेट असेसमेंट है, यह क्या एक परफेक्ट साइंस है? इसका जवाब नकारात्मक है। इसका जवाब न में है। मैं इसलिए यह बात कहता हूँ कि अमरीका के पूर्व राष्ट्रपति – जॉन एफ. कैनेडी ने एक बहुत बुनियादी बात कही थी। मैं आपकी अनुमति से कोट करता हूँ।

"That if anyone wants to do it, no amount of protection is enough. All a man needs is his willingness to trade his life for mine."

यही कारण है कि अगर आप इतिहास की तारीख में जा कर देखें – अब्राहम लिंकन, महात्मा गांधी, जॉन एफ.कैनेडी, रॉबर्ट कैनेडी, मार्टिन लूथर किंग जूनियर, ओलॉफ पामे, श्रीमती

इंदिरा गांधी, श्री राजीव गांधी, बेनज़ीर भुट्टो, शेख़ मुजीबुर रहमान, सरदार बेअंत सिंह, अनवर सदात, इतसैक रबीन, राष्ट्रपति राणासिंघे प्रेमदासा, और अनेक ऐसे लोग जो सार्वजनिक जीवन में हैं, उनकी समय-समय पर हत्या की गई। क्योंकि उन्होंने जो निर्णय लिए थे, या जब वे दफ्तर में थे, या उनके दफ्तर में होते हुए, उससे कुछ लोग पीड़ित थे और उन्होंने यह फैसला किया कि उनकी वे जान लेंगे, उनकी वे हत्या करेंगे। अध्यक्ष जी, यह जो थ्रेट असेसमेंट की सारी प्रक्रिया है, यह एक बहुत ही सब्जेक्टिव प्रक्रिया है। इस सदन में बहुत सारे ऐसे सदस्य हैं, जिनको सरकार की तरफ से सुरक्षा प्रदान की गई है।

अध्यक्ष जी, मैं आपको अपना व्यक्तिगत अनुभव बताता हूँ। सन् 1984 में जब आतंकवादियों ने मेरे पिता की हत्या की तो हमको सुरक्षा प्रदान की गई। सन् 1984 से ले कर सन् 1990 तक वह सुरक्षा चली। चंडीगढ़ में हमारा जो घर था, वह ऐसा लगता था कि जैसे सीआरपीएफ की छावनी हो। सन् 1990 में सरकार बदली और रात में ही सारी सुरक्षा गायब हो गई। एक भी सुरक्षाकर्मी नहीं बचा। उसके बाद सन् 1991 में सरकार बदली और हमारी फिर से शुरक्षा शुरू हो गई। इस सदन में कई ऐसे सदस्य होंगे, जिनका ऐसा ही अनुभव रहा होगा कि यह जो थ्रेट असेसमेंट है, यह एक साइंटिफिक और एक ऑब्जेक्टिव प्रक्रिया न हो कर एक पूरी तरह से राजनैतिक प्रक्रिया बन चुकी है।

हमारे माननीय गृह मंत्री जी जिक्र कर रहे थे कि स्पेशल प्रोटेक्शन ग्रुप का गठन कैसे हुआ और बहुत दर्दनाक और दुर्भाग्यपूर्ण परिस्थितियाँ थीं, जब पूर्व प्रधान मंत्री श्रीमती इंदिरा गांधी जी की हत्या की गई और उसके बाद यह फैसला हुआ कि भारत के प्रधान मंत्री को, जो शीर्ष पदों पर लोग बैठे हैं, उनकी सुरक्षा का एक बहुत ही चुस्त-दुरुस्त इंतजाम करना चाहिए। गृह मंत्री जी ठीक कह रहे हैं कि बीरबल नाथ समिति बनी। बीरबल नाथ समिति ने सिफारिश की और उस सिफारिश के तहत एक स्पेशल प्रोटेक्शन यूनिट का गठन किया गया। एक एग्जिक्यूटिव ऑर्डर के द्वारा, एक अध्यादेश के द्वारा उसका गठन किया गया। उसके पीछे मंशा यह थी कि जब प्रधान मंत्री

संवेदनशील निर्णय लेते हैं, जिनका एक दूरगामी राष्ट्रीय और अंतर्राष्ट्रीय प्रभाव पड़ता है तो उनकी सुरक्षा इतनी चुस्त-दुरूस्त होनी चाहिए कि कोई व्यक्ति उनको किसी तरह की हानि न पहुँचा सके। यहाँ पर मैं एक सवाल पूछना चाहता हूँ और वह सवाल इसलिए महत्वपूर्ण है कि क्या एक प्रधान मंत्री को या उसके परिवार को जब वह पद से हट जाता है, तो जो उसने निर्णय लिए होते हैं क्या उनकी वजह से जिन लोगों को क्षति पहुँचती है या जिनको लगता है कि उनको क्षति पहुँचती है, क्या वह चुनौती खत्म हो जाती है? अध्यक्ष जी, इसका जवाब है कि वह चुनौती खत्म नहीं होती, क्योंकि जो लोग किसी को मारना चाहते हैं, वह उस समय की प्रतीक्षा करते हैं कि जब सुरक्षा उतनी चुस्त-दुरुस्त न हो और उनके जो इरादे हैं, उनको वह पूरा कर सके। यह एक बहुत महत्वपूर्ण चीज है, जो इस सदन को अपने संज्ञान में लेनी चाहिए। 18 फरवरी, 1985 को बीरबल नाथ समिति की रिपोर्ट आई। 8 अप्रैल, 1985 को स्पेशल प्रोटेक्शन यूनिट का गठन किया गया। श्री सुब्रमण्यम जो जॉइंट डायरेक्टर थे, वीआईपी सिक्योरिटी के इंटेलिजेंस ब्यूरो में, उनको इसका पहला डायरेक्टर बनाया गया। वर्ष 1988 में एसपीजी का कानून बना। उसका वर्ष 1991 में संशोधन हुआ, वर्ष 1994 में संशोधन हुआ, वर्ष 1999 में संशोधन हुआ, फिर वर्ष 2003 में संशोधन हुआ और अब वर्ष 2019 में संशोधन होने जा रहा है। वर्ष 1989 में जिस प्रधान मंत्री की सुरक्षा के लिए श्रीमती इंदिरा गांधी की हत्या के बाद यह कानून बनाया गया, स्व. श्री राजीव गांधी ने 29 नवम्बर, 1989 को प्रधान मंत्री पद से इस्तीफा दे दिया। 2 दिसम्बर, 1989 तक वह केयरटेकर प्रधान मंत्री रहे और उसके बाद इस देश में एक नए प्रधान मंत्री आ गए। यह घटनाक्रम बताना इसलिए जरूरी है, क्योंकि 4 दिसम्बर, 1989 को कैबिनेट सेक्रेटरियट में एक बैठक होती है। मैं उसके कुछ अंश आपको पढ़कर सुनाना चाहता हूँ, क्योंकि इसी सदन में जब 13 मई, 1993 को इसी चीज के ऊपर चर्चा हुई थी तो उसकी जो प्रोसीडिंग है, उसमें दर्ज है। A meeting was held on 4th of December, 1989 when Shri Seshan was the Cabinet Secretary and Shri R. Vasudevan was the Special Secretary to PM. Shri V.K. Jain, Shri

V.J. Vaid, Shri Vijay Karan, Shri Devender Singh and Shri Ashok Darbari participated in the meeting.

What was decided? The subject was, ‘Security Arrangements for Former Prime Minister’. Kind reference is invited to the discussion held by the Cabinet Secretary on 4th December, 1989 at 12 noon regarding security arrangements for Prime Minister and for former Prime Minister.

As directed, further discussions were held on 4th December, 1989 at 3.30 pm in the Office of Director SPG about the security arrangements for former Prime Minister. This discussion was attended by Director SPG, JD(IB), Additional Commissioner of Police(S&T)Delhi and Joint Secretary (Security) in the Cabinet Secretariat.

JS(IB) stated that the threat perception in respect of the former Prime Minister has changed. Since he is no longer the Head of the Government, he now faces danger arising out of personal vendetta. Speaker, Sir, this is important.

The security arrangements to be provided to him now will have to take this fact into account. IB will be sending a fresh threat assessment for the former Prime Minister very soon. The instruction of the Government is that the former Prime Minister should be provided the same level of protection. In the context of the above, the standard aspects of security relating to Prime Minister have been listed in the enclosed broad sheet and the commonly

agreed views of IB, SPG and Delhi Police regarding security arrangements to be provided to former Prime Minister have been indicated against each item of security arrangement. The above indicates that while the arrangements for close protection and for guarding the residence will be the same as before, that means the SPG will continue to guarding him, the arrangements for the Delhi functions and tours outside Delhi will have to be modified in view of the changed situation. It was agreed that the security for the family will be maintained at the same level.

सर, यह 4 दिसम्बर, 1989 को, जब स्वर्गीय श्री टी.एन. शेषन कैबिनेट सेक्रेटरी थे, जो इस देश के चीफ इलेक्शन कमिश्नर भी रहे, उनकी अध्यक्षता में यह बैठक हुई थी और यह फैसला लिया गया था।

अध्यक्ष जी, दुर्भाग्यपूर्ण बात है कि सरकार नई थी। 30 जनवरी, 1990 को एक फैसला और लिया गया, पहले जो कैबिनेट सेक्रेटरी थे, वे तब तक बदल चुके थे। उन तत्कालीन कैबिनेट सेक्रेटरी ने नए प्रधान मंत्री को एक नोट लिखा।

On the instructions of Shri Seshan, then Cabinet Secretary the SPG was asked to continue providing security to Shri Rajiv Gandhi. This was a purely temporary and *ad hoc* arrangement. According to the SPG Act, this force is meant only for the security of the Prime Minister and his family members. Its charter cannot be extended to cover the former Prime Minister or anyone else even by an executive order.

The security of SPG provided to Shri Rajiv Gandhi continues to be as in the past. Thus, as many as 2500 SPG personnel and 240 CRPF personnel are on duty with him at present. It is not possible to spare such a big manpower out of the existing strength of the SPG on a continuous basis.

अध्यक्ष जी, यह जो एक पंक्ति है, यह बहुत ज्यादा जरूरी है, क्योंकि यही लॉजिक दिया गया है। जब मैं इस बिल का 'स्टेटमेंट ऑफ ऑब्जेक्ट्स एण्ड रीज़न्स' पढ़ूंगा, इसे संशोधित करने का यही लॉजिक दिया गया है कि एस.पी.जी. के पास कपैसिटी नहीं है।

मैं आगे पढ़ता हूं - The security arrangements of the Prime Minister are suffering adversely due to extra commitment on the part of the SPG. This has been adversely commented by the security agencies such a large deployment of SPG also gives a high-profile visibility and is attracting criticism even from State Governments. Shri Rajiv Gandhi has now started touring outside Delhi. Since it is not possible for SPG to spare personnel to cover his tours outside Delhi, I have approved that his security arrangement outside Delhi should be left to the State Governments.

As regards Delhi, a Cabinet paper is under submission. The responsibility of providing protection to Shri Rajiv Gandhi and his family should vest in the State Governments and the Union Territory administration and MHA should isue proper instructions. Thus, PM may kindly see for approval.

यह कैबिनेट सेक्रेटरी ने तब के प्रधान मंत्री स्वर्गीय श्री विश्वनाथ प्रताप सिंह जी को एक नोट लिखा था। 4 दिसम्बर, 1979 को यह बात कही गई थी कि उनकी जान को जो खतरा है, वह

उतना ही है, जब वह प्रधान मंत्री थे, लेकिन उनका एसपीजी कवर विड्रा कर लिया गया। मुझे अब भी याद है, जब स्वर्गीय श्री राजीव गांधी पहली बार पूर्व प्रधान मंत्री के रूप में दिल्ली के बाहर गए थे, तो एक अखबार की सुर्खियों में लिखा था, only one PSO. पूर्व प्रधान मंत्री को सिर्फ एक पीएसओ प्रदान किया गया था। अध्यक्ष जी, इसका परिणाम क्या हुआ? मैं आपको इसका परिणाम बताना चाहता हूं। जैसा मैंने पहले आपको बताया कि यह फैसला हो गया कि स्वर्गीय प्रधान मंत्री की जो सुरक्षा है, वह राज्य सरकारों के हवाले कर दी गई। मुझे आज भी 20 मई, 1990 की वह रात याद है। आठ या सवा आठ बजे का समय था। उनका जहाज भुवनेश्वर उतरा। वहां दो पब्लिक मीटिंग्स थीं। उन पब्लिक मीटिंग्स को खत्म करने के बाद हम भुवनेश्वर के सर्किट हाउस पहुंचे थे। यह बड़ी दुर्भाग्यपूर्ण बात है। वहां एक भी सुरक्षाकर्मी नहीं था। Not a single security person except his PSO. The former Prime Minister of India about whom the Intelligence Bureau and every other instrumentality of this Government was getting periodic inputs that his threat was increasing on a daily basis.

21 मई, 1991 को हेलीपैड पर हमने उनको अलविदा कहा और वह कभी लौट कर नहीं आए। श्रीपेरंबदूर की जो घटना है, इस बात को वर्मा कमीशन प्रमाणित करता है, इस बात को जैन कमीशन प्रमाणित करता है कि अगर पूर्व प्रधान मंत्री को इस ब्यूरोक्रेटिक सिस्टम से ऊपर उठकर सुरक्षा दी जाती, जो उनके लिए जरूरी थी, तो आज वह हमारे बीच इस सदन में बैठे होते। मैं आपको पढ़कर सुनाना चाहता हूं कि वर्मा कमीशन ने क्या कहा, जिसको यह मैनडेट दिया गया था कि पूर्व प्रधान मंत्री श्री राजीव गांधी की हत्या क्यों हुई? उसकी जांच की जाए। उस कमीशन ने क्या कहा, “Withdrawal of SPG cover to Rajiv Gandhi without provision of suitable alternative for his proximate security by the Central Government resulted in reducing the level of his protection without any reduction in the threat to him.”

अध्यक्ष जी, मैं आपको उसी वर्मा कमीशन का एक और अंश पढ़कर सुनाना चाहता हूं, जो उन्होंने सिफारिशें की थीं। "The stated reasons in the Cabinet Secretariat's note dated 30th of January 1990 for the Central Government's decision to withdraw the SPG cover to the former Prime Minister are tenuous." यह वही नोट है, जो मैंने आपको पढ़कर सुनाया था। The reasons given were mainly the lack of power under the SPW Act and inadequacy of the strength of the SPG.

Hon. Speaker, I will seek your indulgence.

**माननीय अध्यक्ष:** माननीय सदस्य, आप एक सेकेंड के लिए बैठिए। मुझे आपको समय देने में कोई दिक्कत नहीं है। बीएसी की मीटिंग में सभी दल के प्रतिनिधि होते हैं और सभी दलों को समय आबंटित होता है। आपके दल को 11 मिनट का समय आबंटित किया गया था। मैं आपको बोलने से मना नहीं कर रहा हूं। अभी आपको बोलते हुए 20 मिनट का समय हो गया तथा आपके माननीय सदस्य और भी बोलने वाले हैं।

…(व्यवधान)

**माननीय अध्यक्ष:** अगर यह सेंसेटिव विषय है, तो आप बीएसी में आकर समय बढ़ा लेते। हमें कोई आपत्ति नहीं थी। आप बोलते कि दो घंटे की नहीं, बल्कि छह घंटे की चर्चा कराइए। मैं बीएसी मीटिंग की अध्यक्षता करता हूं। यहां सभी माननीय सदस्य बैठे हैं। जब वे दो घंटे का समय मांगते हैं, तो मैं चार घंटे का समय देता हूं।

…(व्यवधान)

**SHRI KODIKUNNIL SURESH (MAVELIKKARA):** It is a very sensitive matter.

**माननीय अध्यक्ष:** अधीर रंजन जी, जब आप दो घंटे का समय मांगते हैं, तो मैं आपको दो घंटे और बढ़ाकर देता हूं।

**श्री अधीर रंजन चौधरी (बहरामपुर):** सर, इनको थोड़ा और समय दे दीजिए।

**माननीय अध्यक्ष:** ठीक है, आप बोलिए।

**श्री मनीश तिवारी :** अध्यक्ष जी, आपका बहुत-बहुत धन्यवाद, क्योंकि यह मामला बहुत संगीन और संवेदनशील है, इसलिए मैं आपकी इंडल्जेंस चाहता हूं। मैं वर्मा कमीशन की सिफारिश पढ़ रहा था।

"The stated reasons in the Cabinet Secretariat's note dated 30.01.1990 for the Central Government's decision to withdraw the SPG cover to the ex-Prime Minister are tenuous. The reasons given were mainly lack of power under the SPG Act and the inadequacy of the strength of SPG apart from a high-profile visibility inviting criticism. None of these reasons was considered as insurmountable hurdle to give SPG cover for providing proximate security to the former Prime Minister also from September 1991 after the assassination of Shri Rajiv Gandhi. There appears no reason why this could not have been done earlier for Shri Rajiv Gandhi as former Prime Minister when the assessment of threat to him was much higher, and therefore, the need was greater. It appears that the Central Government's decision on the 30.01.1990 was more by lack of proper perception or the requisite will rather than the stated difficulties."

अध्यक्ष जी, मैंने वर्मा कमीशन का यह अंश इसलिए पढ़ा है, क्योंकि आज भी वही कारण दिए जा रहे हैं कि कानून इजाजत नहीं देता, एसपीजी ओवर स्ट्रेच्ड है। यही कारण थे, **जिन**के कारण एक पूर्व प्रधान मंत्री की हत्या हुई। मैं आगे इस कानून पर आता हूं, जिस कानून को हम अमेंड करने जा रहे हैं। इससे पहले मैं एक चीज का और जिक्र करना चाहूंगा कि जब यह 30 जनवरी, 1990 का फैसला हुआ, 3 फरवरी,1990 को, 9 फरवरी, 1990 को पूर्व गृह मंत्री चिदम्बरम साहब ने श्री राजीव गांधी के पर्सनल सचिव विंसेंट जॉर्ज ने सरकार को खत लिख कर आगाह किया, लेकिन सरकार का कोई जवाब नहीं आया, क्योंकि एसपीजी की सुरक्षा वापस लेना वी.पी. सिंह सरकार का एक राजनीतिक फैसला था। It was not a decision which was based on a perception of what was the threat which the former Prime Minister faced. That was the difficulty.

अब मैं ओरिजनल कानून के ऊपर आता हूं। गृह मंत्री जी की बात बिल्कुल ठीक है कि वर्ष 1988 में जब कानून बना, तो वह सिर्फ प्रधान मंत्री और उनके परिवार के लिए था। श्री राजीव गांधी जी की हत्या के बाद यह पाया गया कि एसपीजी की प्रोटेक्शन फॉर्मर प्राइम मिनिस्टर्स को भी एक्सटेंड करनी जरूरी है। वर्ष 1991 में संशोधन किया गया, उसके तहत धारा 4 में यह कहा गया,

> "There shall be an armed force of the Union called the Special Protection Group for providing proximate security to the Prime Minister and the members of his immediate family, any former Prime Minister or the members of his immediate family for a period of ten years from the date which the former Prime Minister ceases to hold the Office of Prime Minister and for any period beyond the period of ten years referred to in sub-clause (a) in case where the level of

threat faced by the former Prime Minister or by any member of his immediate family is of such nature that such level of threat justifies the provision of proximate security to such former Prime Minister or such member of his immediate family, as the case may be, provided that while assessing the level of threat, the Central Government shall take into account the following factors, namely, that the threat emanates from a militant or a terrorist organisation, and the threat is of grave and continuing nature, provided that the Central Government shall assess the level of threat periodically in such a manner that not more than twelve months shall elapse between two consecutive assessments."

एसपीजी के कानून में वर्ष 1991 में यह प्रावधान किया गया। यह प्रक्रिया वर्ष 2003 तक चली। वर्ष 2003 में एक संशोधन और किया गया कि जो 10 साल का पीरियड था, उसको घटाकर एक साल कर दिया, पर इसके साथ-साथ यह प्रावधान वाजपेयी साहब की सरकार ने रहने दिया कि अगर थ्रेट असेसमेंट हो, तो किसी भी पूर्व प्रधान मंत्री के परिवार को सरकार जब तक चाहे, जब तक थ्रेट असेसमेंट रहे, थ्रेट रहे, तब तक सुरक्षा प्रदान कर सकती है।

माननीय मंत्री जी संशोधन लेकर आए हैं, मैं उसे संक्षेप में पढ़ कर सुनाना चाहता हूं। एसपीजी अमेंडमेंट बिल 2019 कहता है In section 4 of the Special Protection Group Act, 1988, for sub-section (1), the following sub-section shall be substituted, namely, there shall be an armed force of the Union called the Special Protection Group for providing proximate security to the Prime Minister and

members of his immediate family residing with him at his official residence. मैं आपसे दस मिनट की मोहलत मांगता हूं।

**माननीय अध्यक्ष:** अगर आप दस मिनट लेंगे तो आपका कोई भी माननीय सदस्य नहीं बोल पाएगा।

**श्री मनीश तिवारी :** अध्यक्ष महोदय, इस बिल में जो संशोधन लाया गया है, इसमें पूर्व प्रधान मंत्री या उनके परिवारों को थ्रेट असेसमेंट के आधार पर सिक्युरिटी प्रदान करनी थी, उसे हटा दिया गया। उसका क्या कारण दिया जाता है? That the number of individuals to be provided SPG cover can potentially become quite large. यह वही कारण था, जिसके तहत स्वर्गीय प्रधान मंत्री श्री राजीव गांधी की एसपीजी की सिक्युरिटी को विड्रा किया गया था। मैं एक बात पूछना चाहता हूं, जो एसपीजी प्रोटेक्टी हैं, उनको निरंतर एसपीजी की तरफ से कहा जा रहा था कि आपकी थ्रेट परसेप्शन बढ़ रही है। मेरे पास सारे पत्र मौजूद है लेकिन मैं सुरक्षा की वजह से उन पत्रों को सार्वजनिक नहीं कर रहा हूं। जून, 2019 तक लगातार यह बात कही गई कि थ्रेट असेसमेंट बढ़ रहा है, आप वहां मत जाइए, आप छत्तीसगढ़ मत जाइए, आप अपने क्षेत्र में उस जगह मत जाइए क्योंकि आपकी जान को खतरा है। वह एकदम खतरा समाप्त हो जाता है। थ्रेट परसेप्शन बदल जाती है और एसपीजी वापस ले ली जाती है। हम पूछना चाहते हैं कि जून 2019 और नवम्बर, 2019 के बीच ऐसा क्या बदला, थ्रेट परसेप्शन जून, 2019 में था, चाहे वह श्री राहुल गांधी जी की हो, चाहे श्रीमती सोनिया गांधी जी की हो, चाहे डॉक्टर मनमोहन सिंह जी की हो या उनके परिवार की हो, उसमें ऐसी क्या तब्दीली आ गई? नवम्बर, 2019 में एक्ट को संशोधित किए बगैर उनकी सुरक्षा वापस ले ली गई। मैं बहुत जिम्मेदारी से यह बात कहना चाहता हूं क्योंकि यह पूर्व प्रधान मंत्री की सुरक्षा से जुड़ा हुआ मामला है। जो थ्रेट परसेप्शन है, उसको सभा के पटल पर रखा जाना चाहिए क्योंकि सदन को यह जानने का हक है कि वैसी कौन सी तब्दीली थ्रेट परसेप्शन में आई जिसके कारण बगैर कानून में संशोधन किए एसपीजी की सिक्युरिटी वापस ले ली गई। जब

सारी प्रक्रिया चल रही थी, अखबारों में इसकी चर्चा हो रही थी तब पूर्व प्रधान मंत्री जी ने सरकार को खत लिखा। 4 नवम्बर, 2019 को एक खत लिखा, 16 नवम्बर, 2019 को श्री राहुल गांधी जी के कार्यालय ने खत लिखा कि क्या आप एसपीजी की सुरक्षा खत्म करने जा रहे हैं। पूर्व प्रधान मंत्री जी के खत का जवाब ज्वाइंट सेक्रेटरी की तरफ से एक लाइन का जवाब आता है I am directed to acknowledge the receipt of your letter.

Is this the way we treat our former Prime Ministers? Mr. Speaker, Sir, I would like to ask, through you, is this the way we treat a letter which is written by the former Prime Minister of this country**.** यह दुर्भाग्यूपर्ण बात है।

**<u>15.00 hrs</u>**

दुर्भाग्यपूर्ण बात है कि इतिहास अपने आपको एक बार फिर दोहरा रहा है।

अखबारों में यह चीज प्लांट की जाती है कि कई लोग अपनी सुरक्षा को स्किप करते हैं। इस सदन में ऐसे बहुत लोग मौजूद हैं, जिनके पास सुरक्षा है। मैं पूछना चाहता हूं कि क्या वे अपने दिल पर हाथ रखकर कह सकते हैं कि उनको जो सुरक्षा कवच मिला हुआ है, उसमें कभी-कभी घुटन महसूस होती है? You feel like shedding your security cover; you feel like living as a normal human being. Is that a crime? इस तरह की बेबुनियाद चीजें अखबारों में प्लांट की जाएं, हमें यह लोकतंत्र में होने के नाते शोभा नहीं देता है।

हमारा लोकतंत्र बहुत बड़ा है, मल्टी पार्टी डेमोक्रेसी हैं। यह ऐसा मामला है जिसमें हम सबको दलगत राजनीति से ऊपर उठना चाहिए। मैं सरकार से मांग करना चाहता हूं, जितने भारत के पूर्व प्रधानमंत्री और उनके परिवार, जब तक जीवित रहें, उन्हें सुरक्षा प्रदान की जानी चाहिए। जब तक माननीय अटल बिहारी वाजपेयी जी हमारे बीच में रहे, 16 मई, 2004 को वे प्रधान मंत्री पद से हट गए थे, 2018 तक उनको एसपीजी सुरक्षा प्रदान की गई थी। यह सिर्फ भारत में ही नहीं है, अमरीका में भी जब कोई राष्ट्रपति पद से हट जाता है, पूर्व राष्ट्रपति को सीक्रेट सर्विस की सुरक्षा प्रदान की जाती है। यही प्रावधान ग्रेट ब्रिटेन में है। यही प्रावधान कई और मुल्कों में है, मैं सब मुल्कों की सूची सदन के पटल पर रखना चाहता हूं।

मैं आपके माध्यम से माननीय गृह मंत्री जी और सरकार से आग्रह करना चाहता हूं कि दलगत राजनीति से ऊपर उठकर सुरक्षा के मामले को देखना चाहिए। महज़ इसलिए कि कोई व्यक्ति प्रधान मंत्री नहीं रहता तो इसका मतलब यह नहीं है कि जो उसने प्रधान मंत्री पद पर रहते हुए फैसले लिए हैं, उसके कारण उसकी थ्रैट कम हो जाती है। धन्यवाद।

**संसदीय कार्य मंत्री; कोयला मंत्री तथा खान मंत्री (श्री प्रहलाद जोशी):** माननीय अध्यक्ष जी, इसके बाद भी एक बिल है। आपने बीएसी में सबसे सलाह मश्वरा करके दो घंटे का निर्णय लिया था। कृपा करके आगे के वक्ताओं के लिए बीएसी के निर्णय के अनुसार टाइम एलॉट कीजिए क्योंकि माननीय गृह मंत्री जी का एक और बिल है और गवर्नमेंट के पास बिजनैस भी बहुत है। मेरा निवेदन है, It should go as per BAC schedule.

**डॉ. सत्यपाल सिंह (बागपत):** माननीय अध्यक्ष जी, आपने मुझे बोलने का समय दिया, इसके लिए मैं आपका आभार व्यक्त करता हूं। मैं स्पेशल प्रोटेक्शन ग्रुप (अमेंडमेंट) बिल, 2019 के समर्थन में बोलने के लिए खड़ा हुआ हूं। मैं इसके लिए माननीय गृह मंत्री जी का अभिनंदन करता हूं, जिस प्रकार से एसपीजी कानून में 1988 के बाद से खिलवाड़ होता रहा है, अब इस संशोधन के बाद यह पूर्णत: बंद हो जाएगा। मैं इसके लिए पुन: माननीय गृह मंत्री जी का अभिनंदन करता हूं।

एसपीजी कानून की वर्ष 1988 में पृष्ठभूमि आई थी। मुझे याद है 31 अक्टूबर, 1984 को देश के तत्कालीन प्रधान मंत्री श्रीमती इंदिरा गांधी जी की हत्या हुई थी, मैं उस समय युवा पुलिस अधीक्षक था, तब महाराष्ट्र में पुलिस अधीक्षक, एसपीज़, वरिष्ठ अधिकारियों की पुणे में वार्षिक कांफ्रेंस बुलाई गई थी। जैसे ही खबर मिली थी, लगगभ इससे एक घंटा पहले ही मीटिंग शुरू हुई थी, तब हमारे डीजीपी ने सब अधिकारियों को बोला कि सब लोग तुरंत अपने जिले में वापिस जाएं। सभी लोगों को यह बात मालूम है कि श्रीमती इंदिरा गांधी जी की हत्या उन्हीं के सुरक्षाकर्मियों ने की थी।

यह हमारी सुरक्षा एजेंसीज के ऊपर, खुफिया एजेंसीज के ऊपर एक बहुत बड़ा प्रश्नचिह्न था, यह पूरे देश का अपमान था। देश के प्रधान मंत्री की इस प्रकार से हत्या हो और हम उसको रोक न पाएं, वास्तव में यह एक बहुत बड़ा प्रश्न-चिह्न हम सब लोगों के सामने था। हम लोग जब वापस जा रहे थे तो खबर आ रही थी कि दिल्ली में और आस-पास में जिस प्रकार से सिक्खों के खिलाफ दंगा हुआ, जिस प्रकार उनको बेरहमी से मारा गया, पूरे देश के अंदर न केवल दिल्ली बल्कि देश के लगभग 40 शहरों में सिखों को ढूंढ-ढूंढ कर मारा गया। मुझे नहीं लगता कि इतिहास में इस प्रकार का कत्लेआम कभी हुआ हो। हम सभी लोगों को यह बात मालूम है कि दिल्ली के अंदर, कहा जाता है कि 3000 से ज्यादा लोगों को मारा गया। दिल्ली में और महाराष्ट्र के अंदर कई जगह सिखों को ढूंढ-ढूंढ कर मारा गया। मुझे याद है उस समय शिवसेना प्रमुख आदरणीय श्री बाल ठाकरे जी, जिनका मैं यहां अभिनन्दन करना चाहूंगा, उन्होंने यह घोषणा की थी कि जब तक

मैं मुम्बई में हूं तब तक कोई भी सिख भाइयों को हाथ नहीं लगा पाएगा। फिर भी, महाराष्ट्र में कई जगह इस प्रकार की घटनाएं हुईं। आप लोगों को मालूम है कि दोपहर-शाम होते-होते पूरे देश के अंदर जो ऑफिशियल फिगर्स हैं कि 3350 लोग मारे गए, अन-ऑफिशिएल फिगर्स यह है कि 8 हजार से 17 हजार सिक्खों की पूरे देश के अंदर हत्या की गई। …(व्यवधान) अधीर रंजन जी मुझे बोलने दीजिए। …(व्यवधान)

**माननीय अध्यक्ष:** माननीय सदस्य प्लीज।

…(व्यवधान)

**माननीय अध्यक्ष:** माननीय सदस्य प्लीज एक मिनट।

…(व्यवधान)

**माननीय अध्यक्ष:** माननीय सदस्यगण, मैं पुन: आपसे आग्रह करूंगा। जब माननीय सदस्य बोल रहे थे तो किसी माननीय सदस्य ने उनको नहीं टोका। आप माननीय गृह मंत्री जी का पूरा जवाब सुनकर जाएं तथा माननीय सदस्यों का भी पूरा जवाब सुनें। कोई भी सदस्य चाहे इधर का हो, चाहे उधर का हो, मेरी सदन से, सबसे निवेदन है कि महत्वपूर्ण विषय पर चर्चा हो रही है। न इधर के माननीय सदस्य, न उधर के माननीय सदस्य, जो बोलें, उसका जवाब न दें। जब आपका समय आएगा तब जवाब दीजिएगा, लेकिन किसी को टोके नहीं।

**डॉ. सत्यपाल सिंह :** आदरणीय अध्यक्ष महोदय, मैं सदन को याद दिलाना चाहता हूं कि तब के प्रधान मंत्री जी ने कहा था – 'जब एक बड़ा पेड़ गिरता है तो धरती हिलती है' और अप्रत्यक्ष रूप से सिक्खों के इस कत्लेआम का उन्होंने समर्थन किया था। …(व्यवधान) यह एसपीजी कानून को प्रधान मंत्री की सुरक्षा को फूलप्रूफ बनाने के लिए लाया गया । यह जो एसपीजी प्रोटेक्शन ग्रुप बना, हमारे देश के लिए, हमारी जो सेंटर आर्म्ड पुलिस फोर्सेज होती हैं, उसमें बीएसएफ से 33 परसेंट,

सीआरपीएफ से 33 परसेंट, सीआईएसएफ से 17 परसेंट, आईटीबीपी से 9 परसेंट, एसएसबी से 6 परसेंट और स्टेट पुसिल से लगभग एक परसेंट होती हैं, इस प्रकार से लगभग 100 एसपीजी ग्रुप्स का गठन हुआ था। लगभग 3000 हजार के आस-पास उनकी संख्या रखी गयी थी। उन लोगों के लिए बहुत ही कठिन ट्रेनिंग प्रेसक्राइब की गई, उनके लिए स्पेशल हथियार का इंतजाम किया गया। एसपीजी केवल प्रधान मंत्री की सुरक्षा के लिए था। किसी पूर्व प्रधान मंत्री के लिए नहीं था। उनको निकट सुरक्षा देने के लिए हुआ था क्योंकि जिस प्रकार की घटना घटी थी, श्रीमती इंदिरा गांधी की हत्या के बाद, हमारा एसपीजी ग्रुप एडवांस सिक्योरिटी लाइजन कर सके, स्टेट पुलिस से कोआर्डिनेशन कर सके और हमारी जो इंटेलीजेंस एजेंसीज हैं, उनके साथ उनका इन्वॉलमेंट हो ताकि वे एक फूलप्रूफ सिक्योरिटी प्रधान मंत्री जी को दे सकें।

आदरणीय अध्यक्ष महोदय, इस एसपीजी कानून में कई संशोधन हुए, जैसा मैंने कहा, कई बार इसके साथ खिलवाड़ हुआ है। पहला संशोधन 1991 में हुआ, जिस प्रकार से श्री राजीव गांधी जी की नृशंस हत्या हुई, आतंकवादी हत्या हुई, उसके बाद पहली बार सितम्बर, 1991 में एक संशोधन आया कि भूतपूर्व प्रधान मंत्री की …(व्यवधान)

**श्री गौरव गोगोई (कलियाबोर)**: सर, मेरा एक प्वाइंट ऑफ ऑर्डर है। …(व्यवधान)

**माननीय अध्यक्ष :** आप रूल बताएं।

**श्री गौरव गोगोई :** सर, रूल-352, सेक्शन-7 ।…(व्यवधान)

**माननीय अध्यक्ष :** हां, रूल-352 पढ़ रखा है।

**श्री गौरव गोगोई :** सर, मैं आपके संज्ञान में लाना चाहता हूं कि अभी-अभी आदरणीय सदस्य ने पूर्व प्रधान मंत्री के बारे में जो टिप्पणी उठाई है, वह सरासर …* सेडिशियस और डिफेमेटरी

---

* Not recorded.

है।...(व्यवधान) मैं आपसे दरख्वास्त करूंगा कि ऐसे डिफेमेटरी शब्दों को पार्लिमेंटरी रिकॉर्ड से हटा देना चाहिए।...(व्यवधान)

**माननीय अध्यक्ष :** मैं इसको देखूंगा, लेकिन माननीय सदस्य ने घटना का विवरण किया है, किसी पर आरोप नहीं लगाया है।

...(व्यवधान)

**श्री गौरव गोगोई :** सर, उन्होंने आरोप लगाया है। हम आपको मिसलीड नहीं करेंगे।...(व्यवधान)

**माननीय अध्यक्ष :** आप सभी लोगों को बोलने की आवश्यकता नहीं है।

...(व्यवधान)

**श्री गौरव गोगोई :** सर, हम आपको मिसलीड नहीं करेंगे। हम पूरी गंभीरता से पूरी बात को सुन रहे हैं। ...(व्यवधान)

**माननीय अध्यक्ष :** मैं इस नियम के तहत जो भी उचित होगा, निश्चित रूप से देखूंगा और अगर इस प्रक्रिया के तहत कोई विषय होगा तो मैं उसे देखूंगा।

...(व्यवधान)

**माननीय अध्यक्ष :** मैंने आपको इजाजत नहीं दी है, बैठ जाइए।

...(व्यवधान)

**डॉ. सत्यपाल सिंह :** आदरणीय अध्यक्ष महोदय, गौरव गोगोई जी ने जो बात कही है, आज भी वह वीडियो अवेलेबल है और अगर आपकी परमीशन होगी तो मैं हाउस में उसे सब्मिट कर सकता हूं, जिस वीडियो में उन्होंने ऐसा बोला था।

अध्यक्ष महोदय, वर्ष 1991 में श्री राजीव गांधी की हत्या के बाद इसमें पहला संशोधन आया कि भूतपूर्व प्रधान मंत्री और उनके इमिडिएट पारिवारिक सदस्यों को पांच वर्ष के लिए एसपीजी की सुरक्षा दी जाए। उसके साथ ही यह भी व्यवस्था आई कि यदि कोई मना करना चाहे तो मना करने का अधिकार भी उनको दिया गया। दूसरा संशोधन 1994 में आया, जब इसे पांच वर्ष से बढ़ाकर दस वर्ष कर दिया गया। तीसरा संशोधन 1999 में आया कि पूर्व प्रधान मंत्री को दस वर्ष के बाद भी अगर वार्षिक थ्रेट परसेप्शन में लगता है कि उनको किसी मिलिटेंट या आतंकवादी संगठन से खतरा है, बहुत ही गंभीर खतरा है तो उनको एसपीजी कवर दिया जा सकता है।

अध्यक्ष महोदय, मैं एक पुलिस अधिकारी रहा हूं। बहुत लोगों का यह अनुभव होगा, मैं अपनी एजेंसीज से भी कहूंगा, माननीय गृह मंत्री जी भी यहां बैठे हैं, मैं माननीय मनीष तिवारी जी की इस बात से भी सहमत हूं कि कई बार हमारी खुफिया एजेंसीज सब्जेक्टिव असेसमेंट करती हैं, ऑब्जेक्टिव असेसमेंट नहीं करती हैं। कोई बड़ा आदमी नाराज न हो, कोई पार्टी नाराज न हो, अपने ऊपर जिम्मेदारी न आए, बिना किसी थ्रेट परसेप्शन के भी, उनकी सुरक्षा को चालू रखा जाता है। एक नहीं, ऐसे बहुत उदाहरण हैं। मैं पुणे का पुलिस कमिश्नर था। जब मैं पुणे का पुलिस कमिश्नर बना, मैंने पता किया तो वहां पर लगभग 22 लोगों के पास सुरक्षा कवर था, जिनमें कुछ भूतपूर्व मंत्री थे, कुछ बड़े बिजनेसमैन भी थे। मैंने पता कराया कि इनमें किस व्यक्ति को थ्रेट है, किसको खतरा है तो हमारी एजेंसीज के लोगों ने बताया कि साहब, खतरा तो नहीं है, लेकिन ऐसा चलता आ रहा है, इसलिए देते जा रहे हैं। परम्परा से चलता आ रहा है। मैंने उन लोगों चिट्ठी लिखी, मैंने उनको एक हफ्ते का समय दिया कि हमारे हिसाब से, सिक्योरिटी एजेंसीज के हिसाब से आपको कोई खतरा नहीं है और एक हफ्ते के अंदर आपकी सुरक्षा निकाल ली जाएगी। अगर आपको सुरक्षा चाहिए तो प्राइवेट सिक्योरिटी ले लीजिए। इस तरह से बहुत बार होता है, मैं कहता हूं कि सेंट्रल लेवल पर भी होता है, आईबी के लेवल पर भी होता है, इसको ठीक करने की जरूरत है। मैं अभी भी ऐसे कई लोगों को जानता हूं जिनको कोई खतरा नहीं है, बल्कि उनसे समाज को

खतरा है, लेकिन उनको पुलिस का प्रोटेक्शन दिया जाता है। इसमें सुधार करने की जरूरत है कि किस प्रकार के थ्रेट परसेप्शन की हम बात करते हैं।

वर्ष 2003 में इस कानून में एक बदलाव किया गया कि पूर्व प्रधान मंत्री और उनके परिवार के लिए केवल एक वर्ष के लिए ही यह एसपीजी कवर रहेगा।

उनके ऊपर खतरे का आकलन करने के बाद उन्हें सुरक्षा मिलेगी। एसपीजी से संबंधित कुछ महत्वपूर्ण बातें हैं और मैं आपकी अनुमति से सदन के सामने ये बातें रखना चाहता हूं। कोई भी फोर्स, कोई भी बल चाहे वह पुलिस हो, मिलिट्री हो, सैंट्रल आर्म्ड फोर्सेज हों, वह देश के लिए काम करती हैं। हमारे प्रधान मंत्री देश को रिप्रेजेंट करते हैं। वे देश के लिए हैं, किसी व्यक्ति के लिए नहीं हैं। प्रधान मंत्री संस्था के लिए हो सकते हैं, लेकिन किसी व्यक्ति के लिए वे नहीं हो सकते हैं। अमेरिका के अंदर भी ऐसा है कि यदि कोई पूर्व प्रेजिडेंट है, तो उन्हें पहले केवल दस साल के लिए सुविधा थी। श्री बराक ओबामा ने पूरे जीवन के लिए किया, लेकिन 16 साल से कम उम्र के बच्चों को ही सुरक्षा मिलेगी। किसी का बच्चा यदि 16 साल का हो जाएगा, तो किसी को भी सीक्रेट सर्विस का प्रोटेक्शन नहीं मिलेगा। रशिया में भी ऐसा ही है। ब्रिटेन के अंदर भी ऐसा ही है और चाइना में तो जो भूतपूर्व हो जाते हैं, वे तो भूतपूर्व ही हो जाते हैं।

**माननीय अध्यक्ष :** माननीय सदस्य इस सदन में चाइना, इंग्लैंड की चर्चा क्यों कर रहे हैं, हमें तो हिंदुस्तान के कानून की चर्चा करनी चाहिए। वहां क्या होता है, इस बात को छोड़िए और हिंदुस्तान के कानून की बात कीजिए। इधर से मनीष तिवारी जी भी विदेशों के कानून की बात कह रहे थे। हमें तो भारत के कानून से ही चलना है।

**डॉ. सत्यपाल सिंह :** महोदय, आदरणीय मनीष जी ने बात कही थी, इसलिए मैंने जवाब दिया है।

**माननीय अध्यक्ष :** मनीष जी ने गलत किया था, आप गलती मत कीजिए।

**डॉ. सत्यपाल सिंह :** अध्यक्ष जी, मेरा निवेदन है कि जो विशेष पुलिस फोर्स होती हैं**,** उनके कुछ नियम होते हैं। मैं इस बात को कह रहा हूं और कौटिल्य ने इस बात को लिखा है। आप कौटिल्य का अर्थशास्त्र पढ़ सकते हैं। उसमें लिखा है – … *

**माननीय अध्यक्ष :** यह बात रिकार्ड में नहीं जाएगी। हमारे यहां 'राजा' 'राजा' नहीं होता है, बल्कि 'सेवक' है।

**डॉ. सत्यपाल सिंह :** ठीक है, सर। उनकी सुरक्षा के लिए जो भी बल है वह किसी दूसरे व्यक्ति के लिए नहीं लगाया जाएगा। यदि हम किसी दूसरे व्यक्ति के लिए उस सुरक्षा बल को लगाते हैं, तो वह सिक्योरिटी कम्प्रोमाइज होती है और कभी भी वह खतरा बन सकती है। कई बार एसपीजी प्रोटेक्शन का बहाना लेते हैं और लुटियन जोन में बंगले ले लेते हैं। वह एमपी नहीं होते हैं, कोई सरकारी पद नहीं होता है, लेकिन उन्हें बंगला मिलता है क्योंकि उन्हें एसपीजी सुरक्षा मिली होती है। यहां जो एमपी बनते हैं, मंत्री बनते हैं, वे लम्बे समय तक बंगलों के लिए वेट करते हैं, क्या यह उन लोगों का अपमान नहीं है? जो सदन के सदस्य नहीं हैं, उन लोगों को बंगले दिए जाएं क्योंकि उन्हें एसपीजी सुरक्षा मिली हुई है।

अध्यक्ष महोदय, डाक्टर उनका ट्रीटमेंट करता है, जो डाक्टर की दवाई मानते हैं और डाक्टर जो परहेज बताता है, उन नियमों पर चलते हैं, तभी मरीज को फायदा होता है। यदि डाक्टर के कहने के बाद रोगी उसकी बात नहीं मानता है, तो उसका इलाज करने का कोई मतलब नहीं रह जाता है। मैं सवाल पूछना चाहता हूं कि जिनको एसपीजी कवर दिया गया, क्या उन लोगों ने एसपीजी को रखा है? हमारे पूर्वजों ने बहुत अच्छी बात कही है। मैं किसी का नाम नहीं ले रहा हूं। मैं केवल एक बात कहना चाहता हूं। एक परिवार के एक आदमी ने मई, 2015 से जून 2019

* Not recorded.

तक 1892 बार बुलेट प्रूफ व्हीकल का इस्तेमाल नहीं किया।बाहर जब उन्होंने विदेशी ट्रिप किया, 156 बार बाहर गये लेकिन 143 बार मना करके चले गये।

दूसरे सदस्य ने 50 बार नहीं किया। 24 बार बाहर विदेश यात्रा में मना कर दिया। तीसरे सदस्य ने दिल्ली में 339 बार मना कर दिया। 64 बार बाहर जाने को मना कर दिया और जो 91 विदेशी ट्रिप किये, उसमें 78 बार मना कर दिया और उसके बाद एसपीजी के खिलाफ एलीगेशन भी लगाये कि आप हमारे कांफिडेंशियल और पर्सनल डिटेल्स निकालते हैं, इसलिए हमारे पीछे रहते हैं। अगर उनको एसपीजी कवर से डर है तो क्या कोई व्यक्ति ऐसे हिम्मत कर सकता है कि बिना एसपीजी सुरक्षा के बाहर कहीं चला जाए? इसलिए सुरक्षा उनको दी जानी चाहिए, जो उसके नियमों का पालन करते हैं। ट्रैफिक नियम उन लोगों के लिए होते हैं जो ट्रैवर करते हैं। मुझे याद आ गया, हमारे पूर्वजों ने एक बात कही थी। तीन काम अच्छे लोगों को नहीं करने चाहिए। कम से कम जो बड़े पदों पर लोग हैं, उनको तीन काम नहीं करने चाहिए। जिस काम को करने में डर लगता है, उसे नहीं करना चाहिए। छिपकर अगर कोई काम करना पड़े, कोई देख न ले, कोई सुरक्षा वाला न देख ले तो वह काम नहीं करना चाहिए।

दूसरे, जिस काम को करने में शर्म महसूस होती हो, लज्जा आती हो, वह काम नहीं करना चाहिए और जिस काम को करने में आत्मग्लानि होती हो कि मैंने गलत किया, मैं सुरक्षा वालों को छोड़कर आया था, कुछ गड़बड़ी हो गयी तो क्या होगा? जिसको देश के पैसे से सुरक्षा कवर दिया गया हो, एसपीजी जैसा कवर दिया गया हो, वे लोग ऐसा कौन सा काम बाहर जाकर करते थे कि उनको एसपीजी कवर की जरूरत नहीं थी? क्या इस देश को यह जानने का अधिकार नहीं है? मुझे फिर कौटिल्य जी याद आ जाते हैं। मुझे नहीं लगता कि हमारे देश में कौटिल्य जितना कोई और इतना बड़ा विचारक रहा होगा। कौटिल्य ने कहा था,

"राजानमुत्थितमनूत्तिष्ठन्ते भृत्या:
प्रमाद्यन्तमनुप्रमाद्यन्ति॥"

ऐसा कौटिल्य ने कहा है। जिसको सुरक्षा दी गई है, अगर वह आराम करने लगे और गड़बड़ करने लगे, तो सुरक्षा कर्मी भी ऐसे ही हो जाएंगे। उनके अंदर भी बीमारियां आनी शुरू हो जाएंगी। …(व्यवधान) आदत खराब हो जाएगी।

"यथा च योग पुरुषैअन्याय राजाधितिष्ठाते,
तथायमन्याबाधेभ्यो रक्षे दात्मानमात्मवान।"

ऐसा कौटिल्य ने लिखा है। उन्होंने लिखा है कि जो बड़ा है, राजा है, जिसको सुरक्षा दी गयी है, वह खुद नियम और कानून का पालन करे। अगर वह खुद कानून और नियमों का पालन नहीं करता है तो उनको न राजा बने रहने का अधिकार है, न उसको प्रधान मंत्री बने रहने का अधिकार है और न बड़ा बनने का अधिकार है। इसलिए, जो लोग सैकड़ों हजारों बार एसपीजी प्रोटोकोल और सुरक्षा नियमों का उल्लंघन करते हैं तो क्या उन्हें यह सुरक्षा देनी चाहिए? यह देश जानना चाहता है। यह कोई राजनैतिक प्रश्न नहीं है। एसपीजी किसी की व्यक्तिगत प्रोपर्टी नहीं है। यह देश के पैसे से बना है। जो उसके नियमों का पालन करते हैं, उन्हीं को यह सुरक्षा दी जानी चाहिए।

अध्यक्ष महोदय, मैं इस बिल का समर्थन करता हूं लेकिन मैं इस बात के लिए भी निवेदन करूंगा कि यह एसपीजी प्रोटैक्शन केवल प्रधान मंत्री जी को ही मिलना चाहिए। किसी भूतपूर्व को नहीं मिलना चाहिए। ऐसी हमारी परम्परा रही है। कौटिल्य ने भी ऐसा ही लिखा है। जो बिल आया है, मैं उसका समर्थन करता हूं कि उसके तहत वह पांच वर्ष तक सुरक्षा प्रदान करेगा। अगर कोई भूतपूर्व प्रधान मंत्री मना करे तो उनके परिवार से भी एसपीजी सुरक्षा हटा ली जाएगी। अध्यक्ष जी, मैं ज्यादा न बोलते हुए, इस बिल का समर्थन करता हूं। मैं अपनी बात को यहां विराम देता हूं। आपका बहुत-बहुत धन्यवाद।

**माननीय अध्यक्ष :** श्री ए. राजा। मैं सब का समय भी बताता जाऊं, ताकि आपको घड़ी का भी ध्यान रहे।

**SHRI A. RAJA (NILGIRIS):** Hon. Speaker, Sir, I would be very brief in my speech. Within three to four minutes, I would conclude my speech.

**माननीय अध्यक्ष :** ओके, आपके पास पांच मिनट हैं।

**SHRI A. RAJA :** Thank you, Sir. Sir, a sensible and very important discussion is going on in this House. The SPG has been rated as one of the topmost personal security forces for the Head of the State and the Head of the Government. Many countries send their representatives and officers to study the working style of the SPG, and they want to follow the same in their respective countries.

The SPG, to my knowledge, was initiated at that time with two components. They were 'proximate security' and the 'holistic support system with unfettered powers.' It is because, even the Additional Director of the SPG can overrule the advice of the Chief Minister of the concerned State. So, such a prime agency is being assailed today in this House with political colours.

Sir, very briefly, I would tell you as to what will be the political impact after this Amendment that has been discussed by Shri Manish Tewari and Satya Pal Singh is passed. In the middle way, I want to submit a few things before this House. The moot question is this. What is vital difference between the erstwhile Act and the present Act? The objective assessment of security

threat of a person, who is availing the security coverage, is missing in this Bill. Why? The hon. Minister wants to say that it is in order to maintain the efficiency in the functioning of the SPG. Looking at the words of the Home Minister, there is nothing wrong. But at the same time, what will be the consequence of those who are availing the facilities now? What will be the assessment of the security threat?

I want to recall two historical incidents in this House. One is in the negative and another is in the positive. The positive is this. In 1919, Jallianwala Bagh massacre took place. In 1940, a small boy who witnessed the massacre in 1919, got patriotic, and in 1940 after 21 years, he went to London and fired and killed General Dyer, who was responsible for the Jallianwala Bagh massacre. What was the modus operandi of Sardar Udham Singh? What was the *mens rea* of Sardar Udham Singh? So, the threat to Dyer whether it is right or wrong, whether it is in the negative sense or in the positive sense, in the name of patriotism, continued for 21 years. This is the positive side. What is the negative side? Take the assassination of Mahatma Gandhi. In the Mahatma Gandhi murder case, when the appeal was filed before the appellate court, Godse made a statement. Sir, I may be permitted to read a few sentences. I would quote what he said. He said: "The accumulating provocation of 32 years culminating in his last…" …(*Interruptions*)

**साध्वी प्रज्ञा सिंह ठाकुर (भोपाल) :** आप*...* * (व्यवधान)

**माननीय अध्यक्ष :** माननीय सदस्यगण, आप प्लीज़ बैठ जाइए।

…(व्यवधान)

**श्री गौरव गोगोई :** आप *...* * (व्यवधान)

**माननीय अध्यक्ष :** माननीय सदस्य, आप प्लीज़ बैठिए।

…(व्यवधान)

**माननीय अध्यक्ष :** क्या आपको कोई प्रॉब्लम है?

…(व्यवधान)

**माननीय अध्यक्ष :** माननीय सदस्यगण, आप सभी सदन के सदस्य, अध्यक्ष बन जाते हैं। मैंने उनको इजाज़त दी है?

**श्री गौरव गोगोई :** सर, वे बोल रही हैं। …(व्यवधान)

**माननीय अध्यक्ष :** माननीय सदस्य बोल रही थीं, लेकिन मैंने उन्हें बैठा दिया।

…(व्यवधान)

**माननीय अध्यक्ष :** मैंने उनका कुछ भी रिकॉर्ड में नहीं आने दिया है।

…(व्यवधान)

**माननीय अध्यक्ष :** मैंने उनकी कोई भी चीज़ रिकॉर्ड में नहीं आने दी है।

---

* Not recorded.

…(व्यवधान) …*

**माननीय अध्यक्ष :** केवल ए. राजा साहब की बात रिकॉर्ड में जाएगी।

…(व्यवधान) …*

**SHRI A. RAJA:** Sir, I would like to quote the affidavit filed before the court. It says:

> "The accumulating provocation of 32 years, culminating in his last pro-Muslim fast, at last goaded me to the conclusion that the existence of Gandhi should be brought to an end immediately."

Having said that, he made another statement in the same affidavit. It says:

> "I bear no ill will towards anyone including Gandhi individually but I do say that I had no respect for the present Government owing to their policy which was unfairly favourable towards the Muslims. But, at the same time, I could clearly see that the policy was entirely due to the presence of Mr. Gandhi."

What I am saying is this. Godse had a policy. Whether it is right or wrong, that is not the subject matter before us today. He had a policy. He is having no ill will towards the country but he killed Gandhi for a philosophy. My only submission to the hon. Minister is this. We are running different political parties. We are having a different ideology; we are having a different

* Not recorded.

philosophy; we are having a different policy. Take, for example, Rajiv Gandhi. As the Prime Minister and the President of the Party, he had a philosophy, a principle which may not be suitable to you. When he was killed, the threat persists to the family also. For example, Udham Singh had waited for 21 years to kill General Dyer. It may go for another 40 years. Threat has to be assessed. My only question is this. While bringing this amendment, what is the assessment that has been done? That has to be disclosed to the House; otherwise, definitely, political colour will be there on your part.

Secondly, I would very precisely say that the threat will not vanish with the person. The threat will go along with the policy for which the person was responsible and he was assassinated. In that sense, if Rajiv Gandhi was assassinated for a policy or the Congress Party is running with a philosophy or a policy or a principle which is not suitable to anybody, still I think that threat will continue. That should be assessed properly. An objective test, a litmus test must be mooted and it should be resolved. Unless and until it is resolved, these types of amendments will definitely get a political colour.

Lastly, Article 14 of the Constitution says that the Parliament is empowered to legislate laws on the reasonable classification, not the class legislation. My only doubt is this. If you want to classify who are all the persons entitled for the security in the name of the Prime Minister or whatever be the nomenclature, I believe that these types of legislations are not based on the reasonable classification but are class legislations. It should be avoided.

My humble prayer is that the Home Minister may revisit the Bill and reconsider the Bill.

**माननीय अध्यक्ष:** श्री सुदीप बन्दोपाध्याय । आप बहुत शालीन माननीय सदस्य हैं, इसलिए शालीनता से आपका नाम लेना पड़ता है।

**श्री सुदीप बन्दोपाध्याय (कोलकाता उत्तर):** अध्यक्ष महोदय, मैं सबसे पहले 12वीं लोक सभा से चुनकर आया था। यह 17वीं लोक सभा चल रही है।

**माननीय अध्यक्ष:** जी, आप बहुत वरिष्ठ सदस्य हैं।

**SHRI SUDIP BANDYOPADHYAY:** Sir, I rise to speak on the Special Protection Group (Amendment) Bill, 2019. Hon. Home Minister has spoken briefly at the initial stage but, more or less, he explained the purpose of the Bill. Shri Manish Tewari also spoke nicely. That is why this Bill has been introduced.

I would not repeat those issues which have been actually discussed. But it is clear that this proposed Bill actually provides the following.

The Bill reads as follows:-

1. for sub-section (1), the following sub-section shall be substituted, namely:-

   "(1) There shall be an armed force of the Union called the Special Protection Group for providing proximate security to, -

2. the Prime Minister and members of his immediate family residing with him at his official residence; and

3. any former Prime Minister and such members of his immediate family as are residing with him at the residence allotted to him, for a period of five years from the date he ceases to hold the office of Prime Minister.";

4. in sub-section(1A), for clause (b), the following clause shall be substituted, namely:-

> "(b) where the proximate security is withdrawn from a former Prime Minister, such proximate security shall also stand withdrawn from members of immediate family of such former Prime Minister.".

It is interesting to know that in our country, only five persons are allotted SPG protection. First is our hon. Prime Minister, second is our former Prime Minister Dr. Manmohan Singh and the other three are Sonia Gandhi Ji, Rahul Gandhi Ji and Priyanka Vadra Ji. So, five persons are allotted this SPG protection. SPG is a very prestigious institution of our country. The Act which we are going to change has been amended at different times – 1991, 1994, 1999 and in 2003 to extend SPG cover to former Prime Ministers and their immediate relatives.

Sir, actually, a system is going to be changed through the Parliament. We should remain alert to see whether threat perception still exists. Such people are to be taken into care so that their lives are not taken either by

terrorists or extremists or any other person. I am interested to know as to how many SPG people are employed now in this scheme. Is it 1000 or 2000 or 3000 or 4000 or 5000 or above than that? If only one person is allotted SPG protection, then how many SPG people will be allotted to the post of Prime Minister which is the most important position in the country? It is beyond doubt that, that position is to be given all sorts of protection at its extreme level. There is no doubt about it. Sir, what type of protections are going to be given to these persons who were under SPG protection? That has not yet been mentioned at any stage. But I came to know that Z plus CRPF protection will be allotted. How far Z plus CRPF protection is commendable in our country?

I personally feel that all the Chief Ministers of the States are allotted with Z plus security. It is not that West Bengal Chief Minister who moves in the State without any pilot car in front of her car. But Sir, Z plus category security is allotted to the Chief Ministers of the States who are in very important position. Even hon. Home Minister’s position is equally important and also the Defence Minister’s position. What type of security is allotted to them? Upon whose instructions, these security guards are being withdrawn? Then, what alternative security guards are going to be allotted to them? People are keen to know about it. The killing or death of any person whether it is Indira Gandhi or Rajiv Gandhi, those people’s death have pained all of us for the way they were killed. We shed our tears. We are all pained. We all still remember those days that how such incidents happened so cruelly, so brutally. As it was

mentioned that Shri Atal Bihari Vajpayee Ji was given proper protection under SPG, it was a very good decision. We appreciate that decision.

But I tell you that for the withdrawal of SPG cover, some reasons have been mentioned. I have gone through them. One of them is the cost or the expenditure. What is the monthly or yearly cost or expenditure? What is the budgetary provision? How much money, budgetary provision, is placed for this SPG? It is giving trouble to the Government to maintain it on such a huge expenditure and that is given as one of the reasons to withdraw the SPG cover. Along with that, it has been mentioned that threat perception is no more implied to these persons who are allotted with SPG facilities.

But I tell you, Sir, as what the Ruling Party Member, Dr. Satya Pal Singh was telling here, that to keep more security has now become a status symbol also. At the State level, it has become a status symbol for persons who are not eligible to be given so much protection. मैं जितने गार्ड्स लेकर गाड़ी से उतर सकता हूं, मैं उतना ही बड़ा लीडर हूं। I had won four times as MLA. 12वीं लोक सभा से शुरूआत हुई है। I have no security. In Delhi, nobody has asked me whether I am the Leader of the Parliamentary Party. Sir, 34 MPs were with us in 2014. Now also, we have 22 MPs. Neither has anybody ever asked me whether I require any PSO with me nor have I applied for any PSO here. I feel comfortable without the PSOs. But these people, who keep security as status symbol, have also to be demarcated.

The Central Police is going to West Bengal. The Governor himself is taking the support of the Central Police, ignoring the State Government. I do not know what is the reason. I will request the hon. Home Minister, through you, Sir, to take note of these things that are going on. The Central Forces, the CRPF people, are giving security cover to the Governor and the Chief Minister is not even communicated. We are paying for that. Why do they not communicate it? We, the State Government, can give security cover to him. How many non-elected people are being offered CRPF protection? I would also request the hon. Home Minister to take a list of that from our State of West Bengal.

Whoever quits our party and joins the Ruling Party at the Centre are being allotted and provided with at least four CRPF personnel with rifles and LMGs. Whatever may be the guns, I cannot mention the names properly. But they are moving in that way. It is not proper. It is improper. …(*Interruptions*) What security? Has anybody been ever hurt? Has any elected Member been hurt?

**DR. SUKANTA MAJUMDAR (BALURGHAT):** You have forgotten that recently, one candidate has been killed by your Party members.

**SHRI SUDIP BANDYOPADHYAY :** Who said he is our party member? Where has it been mentioned that Trinamool Party has done it? …(*Interruptions*)

**DR. SUKANTA MAJUMDAR :** It happened only in West Bengal where a candidate has been killed. …(*Interruptions*)

**SHRI SUDIP BANDYOPADHYAY :** I would request the hon. Home Minister to withdraw these Central Forces given to Tom, Dick and Harry or to anybody whom people do not know. Even people do not recognise them. You should also withdraw it from them.

This system has already been introduced in the country. एसपीजी को किसके-किसके ऊपर से हटाया जाना है। Now it is going to take one parliamentary stamp or support from the whole Parliament. I think there is nothing wrong if the hon. Home Minister assures that he is fully concerned about the people from whom you are withdrawing the SPG cover and for whom there is absolutely no threat perception. The Ruling Party MP, Dr. Satya Pal Singh himself was saying about this. He was the Commissioner of Mumbai Police. We are good friends.

He also tells that threat perception report is not always objective. We table it in a subjective manner. It is not only at the Central level, but it is also at the State level. Whatever decision has been taken by the Government, they have brought it in the House in the form of a Bill. We support it.

We will hear a detailed reply from the hon. Home Minister. We hope that all the leaders about whom there is a serious threat perception would be

protected properly and they can involve in the political arena in a free and frank manner. Thank you, Sir.

**SHRI KURUVA GORANTLA MADHAV (HINDUPUR):** Hon. Speaker, I would like to thank you Sir, for giving me an opportunity to put forth my views on behalf of YSR Congress Party on the Special Protection Group (Amendment) Bill, 2019.

Sir, the SPG was constituted or born in 1985. It received statutory status vide the SPG Act, 1988. It was set up to provide security to the Prime Minister in office, and his/her immediate family members, due to the high levels of threat that arise due to the power he/she wields and decisions taken as the face of the Government. The extension of protection was to be reviewed periodically based on the threat assessment by the Central Government.

Sir, the parent Act thus provides no time period for continuation of protection to the former Prime Ministers and their families. Based on this, the number of people receiving SPG protection can become very large. The protection in the present scenario extends to immediate family members who do not even live in the same residence as former Prime Ministers.

Spreading the ambit of SPG will definitely affect the specialized and concentrated nature of the SPG. The resources, training and infrastructure of the SPG is truly world class and one that has been lauded by many security experts. However, the increased burden as explained above, is bound to have an impact on the resources, training and infrastructure of the SPG that we take pride in. If the same quality is to be maintained, it would involve shelling out a

whole lot of tax-payers' money which does not bode well for a country where farmers, youth and workers are looking to the Government to solve even existential problems.

The problem with such constraints to the effectiveness of SPG may also percolate down to the level and quality of protection to be provided to the “principal protectee”- the Prime Minister in office. Thus, the amendment Bill, is important to safeguard the very intent of the parent Act and reduce the dilution of such a dedicated force.

The protection of the Head of the Government is gaining more importance considering the current geo-political scenario, and the rise in threats, both conventional and unconventional. Such an amendment, at present, is timely for the future as well, where there will be many more former Prime Ministers and families to protect, if the time-limit of 5 years is not put in place.

The clause for extending the SPG cover to only the immediate family residing in the official residence of the PM in office also upholds the specialised and dedicated nature of the SPG. Sir, we support this Bill because its intent is to safeguard the effectiveness of the SPG by maintaining its specialised focus on minimal high threat facing individuals. Also, considering the resource crunch that a huge protectee base will create for our country and

our common people, the support for the Bill should be our answer to the conscience of the country.

The SPG is one of the best protection forces in the entire world. It involves a lot of rigorous physical training, a huge amount of time and financial resources to train the protection forces. It should be used very rarely for high threat perception people like the PM and their near relatives who are residing in the same premises.

Now-a-days, the SPG has become a social status. I hope, this Bill will prevent its misuse. However, we maintain that based on the threat perception, SPG protection may be provided to families or people who fit into the criteria.

Thank you.

**श्री राजीव रंजन सिंह 'ललन ' (मुंगेर):** अध्यक्ष महोदय, मैं आपका आभारी हूँ कि आपने मुझे समय दिया। मैं एसपीजी अमेंडमेंट बिल के समर्थन में बोलने के लिए खड़ा हुआ हूँ। बहुत अच्छा होता कि वर्ष 1988 में जब यह कानून बना था, माननीय गृह मंत्री जी उसी को मूल रूप में वापस लाए होते। लेकिन इन्होंने यहां उदारता दिखाई और उसमें पाँच वर्षों तक पूर्व प्रधान मंत्रियों को भी सुरक्षा दी। महोदय, एसपीजी एक्ट, 1998 के तहत सुरक्षा प्रधान मंत्री के लिए बनी थी, पर समय-समय पर अपनी सुविधा के अनुसार इसका विस्तार किया जाता रहा। हम समझते हैं कि यह उचित नहीं था, इसलिए कि एसपीजी का अपना एक स्टेटस है, उनकी एक परम्परा है। अब सुरक्षा की बात यहां हो रही है, सुरक्षा की बात तो होनी चाहिए, सुरक्षा के प्रति चिंता होनी चाहिए और इस पूरी चर्चा में ऐसा लग रहा है कि जैसे पूरी सुरक्षा व्यवस्था समाप्त कर दी गई हो। लेकिन ऐसा है नहीं। सुरक्षा की चिंता करना अलग है और हमको इस विशेष सुरक्षा व्यवस्था की व्यवस्था हो, यह अलग विषय है। आज जो चर्चा हो रही है उससे यह लगता है कि सुरक्षा की चिंता करने के बजाय एसपीजी की सुरक्षा हमको प्राप्त हो, इसकी चिंता ज्यादा हो रही है। स्टेटस सिम्बल के बारे में अभी सुदीप जी ने कहा और सुरक्षा आज कल स्टेटस सिम्बल हो गया है। वास्तव में सुरक्षा स्टेटस सिम्बल हो गया है। सुरक्षा का स्टेटस सिम्बल के रूप में इस्तेमाल नहीं होना चाहिए। सुरक्षा सुरक्षा के लिए होती है। हम समझते हैं कि जो अखबारों में हम लोगों ने पढ़ा, माननीय गृह मंत्री जी जब जवाब देंगे, तो जरूर इस पर चर्चा करेंगे लेकिन जो अखबारों में हम लोगों ने पढ़ा कि जो सुरक्षा व्यवस्था, एसपीजी हटा दी गई है वह सुरक्षा व्यवस्था कहीं से भी एसपीजी की सुरक्षा व्यवस्था से कम नहीं है। हम लोगों ने देखा कि एसपीजी की गाड़ी का इस्तेमाल सीआरपीएफ के लोग करेंगे, हमने देखा कि एसपीजी की सारी चीजों का इस्तेमाल करेंगे तो सुरक्षा की चिंता करना अलग बात है। अभी मनीष तिवारी जी स्व. प्रधान मंत्री की चर्चा कर रहे थे।…(व्यवधान) आप कह रहे थे कि प्रधान मंत्री स्व. इंदिरा गांधी जी की हत्या की चर्चा हुई।…(व्यवधान) डॉ. सत्यपाल सिंह जी ने चर्चा की। उसके बाद इस देश में जो सिखों के ऊपर अत्याचार हुआ, उनका क्या दोष था? इस

देश की प्रधान मंत्री स्व. इंदिरा गांधी जी की सुरक्षा में जो सुरक्षाकर्मी तैनात थे, उन्होंने उनकी हत्या की। इस देश के पूरे सिखों का क्या दोष था, जो खोज-खोज के मारा गया। डॉ. सत्यपाल सिंह जी बोल रहे थे, तो इधर से आवाज आ रही थी।

मैं गवाह हूं। श्री रामविलास पासवान जी उस समय 12, डॉ. राजेन्द्र प्रसाद रोड में रहते थे और मैं उस दिन उनके घर पर था। वहां स्वर्गीय कर्पूरी ठाकुर जी थे और उनके साथ एक बैठक चल रही थी। एक सिख ड्राइवर सड़क से भागता हुआ उनके घर में प्रवेश कर गया। बाहर से लोग आ रहे थे। कर्पूरी ठाकुर जी बाहर निकले और उन्होंने उनसे कहा कि यह क्या कर रहे हो, इस बेचारे को, इस गरीब आदमी को क्यों मार रहे हो? उन लोगों ने कहा कि मेरी माँ मर गई है और आप ऐसी बातें कर रहे हैं, हम इसे मार देंगे। कर्पूरी ठाकुर जी ने दरवाजा बंद कर दिया। उस घर को बाहर से आग लगा दी गई और कर्पूरी ठाकुर जी के साथ-साथ हम सब लोग उस घर के पीछे की दीवार को फाँद कर बाहर निकले। आप क्या बात कर रहे हैं? इस देश के उन सिखों ने क्या गुनाह किया था जिनकी हजारों की संख्या में हत्या हुई?

**प्रो. सौगत राय :** इसके साथ एस.पी.जी. का क्या कनेक्शन है?…(व्यवधान)

**श्री राजीव रंजन सिंह 'ललन ' :** आप की चर्चा कर रहे थे।…(व्यवधान) आपको क्यों खराब लग रहा है?…(व्यवधान) आप बंगाल की बात कर रहे हैं। दादा को बड़ा खराब लगा।…(व्यवधान) लोक सभा चुनावों के दौरान हम लोगों ने अखबारों में पढ़ा कि भारतीय जनता पार्टी के अध्यक्ष पर वहां कातिलाना हमला हुआ।…(व्यवधान) उस समय एस.पी.जी. कहां थी? राष्ट्रीय अध्यक्ष पर भी हमला हुआ था।…(व्यवधान) मैं राष्ट्रीय अध्यक्ष की चर्चा कर रहा हूं। वे वहां एक रैली करने जा रहे थे और पैरा मिलिट्री फोर्स ने उन्हें बचाया। आपको भी तो सी.आर.पी.एफ. की सुरक्षा मिली है। आप क्यों चिंता कर रहे हैं?…(व्यवधान) इसलिए सुरक्षा को स्टेटस सिम्बॉल के साथ जोड़ कर नहीं देखना चाहिए। सुरक्षा को सुरक्षा के साथ जोड़ कर देखना चाहिए।

महोदय, मैं समझता हूं कि माननीय गृह मंत्री जी यह जो बिल लाये हैं, यह स्वागतयोग्य है। अगर इसे प्रधान मंत्री तक सीमित रखते तो और अच्छा होता। इसका विस्तार इन्होंने किया, यह इनकी उदारता है। मैं इनके प्रति आभार व्यक्त करते हुए और अध्यक्ष महोदय, आपका आभार व्यक्त करते हुए अपनी बात समाप्त करता हूं।

**SHRI P.R. NATARAJAN (COIMBATORE):** Mr. Speaker, Sir, thank you. I fully agree with the points raised by hon. Member Shri A. Raja. I request you not to allow them to degrade the dignity of the nation by talking about expenditure and all that. We should not allow them to use the law-making body to settle personal scores. I request the hon. Home Minister, through you, to withdraw this Bill.

**श्री जगदम्बिका पाल (डुमरियागंज):** अध्यक्ष महोदय**,** मैं आपका अत्यन्त आभारी हूं कि आपने मुझे माननीय गृह मंत्री जी द्वारा प्रस्तुत स्पेशल प्रोटेक्शन ग्रुप (अमेंडमेंट) बिल, 2019 पर बोलने का अवसर दिया।

**15.58 hrs** (Shri P.V. Midhun Reddy *in the Chair*)

माननीय गृह मंत्री जी ने जब बिल प्रस्तुत किया, तब से माननीय सदस्यों ने जो अपने-अपने विचार रखे हैं, मैंने उनकी सारी बातें सुनी हैं। आज मेरे साथियों ने जो बातें कही हैं, मैं समझता हूं कि यह जो स्पेशल प्रोटेक्शन ग्रुप (अमेंडमेंट) बिल, 2019 आया है, मुझे लगता है कि वर्ष 1988 में इस बिल की जो मूल भावना थी, वही मूल भावना आज भी इस बिल में बरकरार है। यहां तक कि जैसा इस बिल में प्रधान मंत्री जी की सुरक्षा के लिए इसकी क्यों आवश्यकता पड़ी, किस उद्देश्य से यह हुआ, इसके बारे में गृह मंत्री जी ने विस्तार से कहा है और मैं उसे दोहराना नहीं चाहता हूं। मैं केवल एक बात कहना चाहता हूं कि अगर प्रधान मंत्री की सुरक्षा के लिए स्पेशल प्रोटेक्शन ग्रुप बना तो यह स्वाभाविक है कि यह केवल प्रधान मंत्री की सुरक्षा के लिए नहीं बना।

**16.00 hrs**

यह स्वाभाविक है कि यह केवल प्रधान मंत्री की सुरक्षा के लिए नहीं बना है। आज जिस प्रकार से तमाम एसपीजी कवर की बात हो रही है कि एसपीजी कवर और लोगों को मिलना चाहिए। एसपीजी कवर प्रधान मंत्री के वर्तमान दायित्व में न केवल उनकी सुरक्षा का दायित्व देखता है, बल्कि उनके ऑफिस तथा कम्युनिकेशन की सुरक्षा सहित सभी चीजों की सुरक्षा का प्रबंध करता है, क्योंकि वह देश के सर्वोच्च एक प्रधान मंत्री के रूप में है। मुझे लगता है कि हमारी सरकार आज इस देश में स्पेशल प्रोटेक्शन ग्रुप के संशोधन की बात करती है, वहीं देश के एक-एक व्यक्ति की सुरक्षा की भी गारंटी लेती है। मैं समझता हूं कि अगर देश की एक-एक व्यक्ति की सुरक्षा के गारंटी का सवाल नहीं होता, तो पिछले 70 वर्षों से जम्मू-कश्मीर में धारा 370 और 35ए के

लागू होने के कारण जिस तरह से आतंकवाद की घटनाएं बढ़ रही थीं, जिस तरह से वहां पर पाकिस्तानी झंडे लहराए जा रहे थे, नमाज़ तथा जनाज़े में आतंकवादी खुलेआम **घू**मते थे। आज धारा 370 तथा 35ए को समाप्त करके जम्मू-कश्मीर के एक-एक व्यक्ति की सुरक्षा को माननीय गृह मंत्री और प्रधान मंत्री जी ने एक जिम्मेदारी के साथ इस देश की सुरक्षा की है। आज 100 दिन हो गए हैं, लेकिन इन 100 दिनों में जम्मू-कश्मीर के किसी एक व्यक्ति को भी पुलिस की गोली का शिकार नहीं होना पड़ा। हम सुरक्षा किसको कहते हैं? देश के एक आम नागरिक की सुरक्षा भी महत्वपूर्ण है, इसलिए यह स्वाभाविक है कि हमारे लिए हर व्यक्ति की सुरक्षा उतनी ही महत्वपूर्ण है।

महोदय, हमारे देश का प्रधान मंत्री एक सर्वोच्च व्यक्ति होता है। वह दुनिया के सारे मंचों पर भारत के प्रतिनिधि तथा एक चेहरे के रूप में जाता है। आज सौभाग्य से हमारे प्रधान मंत्री जी केवल भारत के प्रधान मंत्री नहीं रह गए हैं, बल्कि एक ग्लोबल लीडर के रूप में अंतर्राष्ट्रीय स्टेट्समैन के रूप में स्थापित हुए हैं। जब धारा 370 तथा 35ए की समाप्ति हुई, तो पाकिस्तान ने इस मामले को यूनाइटेड नेशंस तक ले जाने की कोशिश किया। दुनिया के तमाम इस्लामिक मुल्कों में ले कर गया और चीन के पास भी गया। आज पूरी दुनिया में भारत के प्रधान मंत्री जी सफल रहे हैं। आज पूरी दुनिया के लोगों ने इस बात को स्वीकार किया कि जम्मू-कश्मीर भारत का अंदरूनी मामला है। चाहे चीन के राष्ट्रपति जी महाबलीपुरम में आए हों, चाहे इस्लामिक देश हों या चाहे यूनाइटेड नेशंस हो, सब ने भारत की बात मानी है। आज पाकिस्तान अलग-थलग हो गया है। पाकिस्तान इतना डेस्परेट था कि आज भी वह लगातार कोशिश कर रहा है कि जम्मू-कश्मीर में कुछ न कुछ हो। हमारे साथी भी कहते थे कि अगर धारा 370 और 35ए को समाप्त किया जाएगा, तो वहां रक्तपात तथा हिंसा होगी। वहां इस तरह स्थिति हो सकती है। इसके बावजूद भी धारा 370 तथा 35ए समाप्त हुआ।

महोदय, आज हम यह बिल इस सदन में लेकर लाए हैं। माननीय गृह मंत्री जी ने धारा 370 तथा 35ए को इस सदन तथा उस सदन में प्रस्तुत किया। पूरे देश की जनता ने कहा कि वह हमारे

लौह पुरुष की तरह है। आज हम उनके लिए एसपीजी कवर लेकर नहीं आए हैं। मैं उन भूतपूर्व लोगों के एसपीजी कवर की बात कर रहा हूं, जिसको लगातार स्किप किया जा रहा है, चाहे देश में हो या विदेश में हो, इस बारे में सत्यपाल जी ने काफी विस्तार से कहा है। जब आप शाम को बिना एसपीजी कवर के चले जाएं, विदेश या देश के किसी भाग में चले जाएं, आप छुट्टियां मनाते रहें, आप या तो देश में छुट्टियां मना लें या देश में काम करने का प्रयास करें। आज तक हमारे प्रधान मंत्री जी ने एक भी छुट्टी नहीं ली है। मैं समझता हूं कि यह स्टेटस सिम्बल के लिए नहीं होना चाहिए।

महोदय, मैं कहता हूं कि हमारी सरकार ने जो भी फैसले लिए हैं, वे फैसले देश के आम आदमी के हित में हैं। जिस दिन नरेन्द्र मोदी जी देश के प्रधान मंत्री बने, उन्होंने कहा कि जो पार्लियामेंट मेम्बर्स तथा मिनिस्टर्स के लिए जो लालबत्ती लगती है, उनके लिए वीआईपी कल्चर नहीं होनी चाहिए, क्योंकि हम इस देश में जनता द्वारा चुने हुए जन प्रतिनिधि हैं। एक सामान्य व्यक्ति और इस तरह के वीआईपी कल्चर वाले व्यक्ति में अंतर समाप्त होना चाहिए। मैं समझता हूं कि आजादी के बाद हमारी सरकार ने पहली बार इस बारे में फैसला लिया और हमने लालबत्ती और वीआईपी कल्चर को समाप्त करने की कोशिश की। इसमें चिंता की क्या बात है। आज हम एक सामान्य व्यक्ति की चिंता कर रहे हैं। उस सामान्य व्यक्ति की चिंता के साथ-साथ उनकी सुरक्षा की भी बात कर रहे हैं। मैं समझता हूं कि इस तरह से यहां से प्रतिनिधित्व नहीं जाना चाहिए। आज जिस तरह विस्तार से हमारे कांग्रेस के साथी मनीष जी ने कहा है, उससे ऐसा लग रहा है कि उन्होंने उस समय की घटनाओं का उल्लेख किया। हमारे स्वर्गीय राजीव गांधी जी की जो घटना हुई, हमें ऐसा लगा कि एसपीजी के इस संशोधन बिल के बाद कहीं भी इस तरह की घटनाओं की पुनर्रावृत्ति नहीं होगी। मैं समझता हूं कि इस बारे में आरोप-प्रत्यारोप नहीं होने चाहिए। एसपीजी का यह एक्ट मूल रूप से देश के प्रधान मंत्री के लिए बना था। अगर इसमें बार-बार अमेंडमेंट हुआ, वर्ष

2003 में अमेंडमेंट हुआ, उसमें केवल एक वर्ष की बात थी। आज गृह मंत्री जी उसको पांच फॉर्मर प्राइम मिनिस्टर के लिए कर रहे हैं।

मैं समझता हूं कि यह स्वागत योग्य कदम है। हमारे तमाम सदस्यों ने कहा कि फॉर्मर प्राइम मिनिस्टर को मिलनी चाहिए। पांच वर्ष थ्रेट परसेप्शन पर एसपीजी का कवर दिया जा रहा है। जिनके लिए आज एसपीजी कवर नहीं है, हम उनकी सुरक्षा की चिंता कर रहे हैं। इस देश में 1 लाख नागरिकों पर केवल 137 पुलिस वाले हैं। अगर एसपीजी हटा कर उनको जेड प्लस में 55 सुरक्षा कर्मी दे रहे हैं, जिनमें 10 एनएसजी कमांडो दे रहे हैं। अगर आप यह कह रहे हैं तो आप एनएसजी को स्ट्रीमलाइन कर रहे हैं। मैं कहता हूं कि वही जेड कैटेगरी सुरक्षा जो मिली है, अगर वही गृह मंत्री जी को मिली है, तो हम यह कहें कि गृह मंत्री जी या हमारे अन्य मंत्रियों को क्यों नहीं एसपीजी कवर मिले? आज एसपीजी कवर की बात आई है, तो आप देखिए कि प्रधान मंत्री की सुरक्षा, प्रधान मंत्री के कार्यालय, प्रधान मंत्री की राष्ट्रीय और अंतर्राष्ट्रीय सुरक्षा के लिए, जो एक स्पेशलाइज्ड हो, हाई टेक्नोलाजी से ट्रेंड हो, एफीशिएंट हो, रिगरस ट्रेनिंग करके आए हों, उस ट्रेनिंग के बाद जब इस देश के प्रधान मंत्री की सुरक्षा का सवाल होता है, तो वह देश के 130 करोड़ के एक सिंबल और प्रतीक के रूप में होता है। लोगों ने कहा कि सुरक्षा के लिए दुनिया भर में, हर देश में दिया जाता है। यूनाइटेड सीक्रेट, जो यूएसए की सबसे हाई सिक्योरिटी कही जाती है, यह सच्चाई है कि वहां पर फार्मर प्रेसीडेंट को दी जाती है। उसे दस साल तक दिया जाता था और उनके परिवार में केवल जो माइनर होते थे, उनको यह मिलती थी। जब आप मेजर हो गए, घर से अलग रहने लगे, कोई व्यवसाय करने लगे, कोई काम करने लगे, सार्वजनिक जीवन में भी नहीं हैं, पब्लिक लाइफ में भी नहीं हैं, तब भी एसपीजी कवर दिया जाए, तो मैं समझता हूं कि यह सिक्योरिटी कंप्रोमाइज होगी और उनकी एफीशिएंसी पर क्वैश्चन लगेगा। कहीं न कहीं इसकी संख्या भी तो परिभाषित होनी चाहिए। मैं इस बिल का स्वागत करता हूं कि प्रधान मंत्री जी हों या कोई फॉर्मर प्राइम मिनिस्टर हो, सुरक्षा उसी को

मिलनी चाहिए, जो प्रधान मंत्री या फार्मर प्राइम मिनिस्टर के आफिशियल एलॉटेड बंगले में रहता हो, न कि अलग-अलग जगहों पर रहता हो और उसको एसपीजी कवर दिया जाए।

वर्ष 2003 के संशोधन के बाद आज हम 2019 में संशोधन लेकर आ रहे हैं। प्रधान मंत्री की इमीडिएट सुरक्षा की जरूरत है, वह प्रोफेशनल हो, इफेक्टिव हो या एफीशिएंट हो। एक भौगोलिक राजनीतिक सरंचना इस संदर्भ में होती है कि हमारे पड़ोसियों के साथ किस तरह की स्थिति है, खतरों का कितना बहुस्तरीय आयाम है या तमाम ऐसी महत्वपूर्ण चीजें हैं, उनके कारण इस तरह की सुरक्षा की बात आती है। प्रधान मंत्री वर्तमान में रहता है और निश्चित तौर से कठोर फैसले लेता है।

आंतरिक सुरक्षा की बात होती है, बाह्य सुरक्षा की बात होती है और जिस तरीके से स्पेशल प्रोटेक्शन ग्रुप की बात है, आज पूरे देश और दुनिया में जिस तरीके की परिस्थितियां निर्मित हुई हैं और गृह मंत्री जी आज जो बिल लेकर आए हैं, उसका इस सदन की ओर से सर्वसम्म**ति** से समर्थन करना चाहिए। इस बिल की जो मूल भावना थी, उसका इसलिए गठन हुआ था कि देश के सर्वोच्च प्रधान मंत्री की सुरक्षा, संरक्षा और उनके कार्यालय, उन सारी चीजों को सुरक्षित रखेगा। उस बिल को आज ठीक ढंग से संशोधित करके लाया गया है। मैं इस बिल का समर्थन करता हूं, धन्यवाद।

**SHRI N. K. PREMACHANDRAN (KOLLAM):** Sir, I rise to oppose this Bill. I do oppose the Bill because of two reasons. It is stated in the Statement of Objects and Reasons, the reasons for which this Bill is being introduced in this House by the hon. Minister. Two reasons are stated. Firstly, the number of individuals to be provided SPG cover can potentially become quite large. In such a scenario, there can be severe constraints on the resources. So, the resource constraint is the first reason by which this Bill is being introduced and this amendment is being brought before the House.

The second reason is to bring effectiveness to the SPG in a better way. These are the two reasons for which this Amendment has been brought in. Sir, these two things can be achieved even with the existing Act. You may kindly see the existing Act. In 2003, we all know that after Shrimati Indira Gandhi' assassination, Special Protection Group Act was enunciated by Parliament in the year 1988 and, subsequently, series of amendments took place in 1991, 1994, 1999 and 2003. If you see the last Amendment of 2003, it was very specific in the original Act that there shall be an armed force of the Union called the Special Protection Group providing proximate security to the Prime Minister and the Members of his immediate family, to any former Prime Minister or to the members of his immediate family for a period of one year. Sir, it is only for a period of one year that SPG coverage will be given to the former Prime Ministers and their immediate family members. If you want to extend the SPG coverage, then periodical

assessment of the threat has to be taken into account and subsequent security or SPG coverage is given only if there is a threat perception as far as the former Prime Minister or the immediate relatives are concerned. So, what is the purpose of introducing such a Bill in the House?

For example, Rahul ji has SPG coverage and Sonia ji also has SPG coverage. Suppose there is no threat perception or no threat assessment as far as these two individuals are concerned, the Government has the absolute power to withdraw the SPG coverage and the existing Act gives ample freedom to the Government. The Government can have the periodical assessment of the threat perception as far as the particular individuals are concerned and the Government can very well assess the threat. If there is no threat, the Government can very well withdraw the security SPG coverage. So, what is the necessity of this legislation? I do allege that this is only to wreck political vendetta against particular persons. What else could be the intent of the Bill?

Further, you may kindly take the cases of the two former Ministers of this country, Shrimati Indira Gandhi and Shri Rajiv Gandhi. Shrimati Indira Gandhi was the then Prime Minister, she was assassinated at the time when she was holding the Office of the Prime Minister. Subsequently, SPG Act has come into effect in the year 1998 on the experience of the security lapse. That is why the 1998 Act came into force. Subsequently, it was amended because the former Prime Minister had to come within the purview of the SPG Act as Rajiv Gandhi

had been brutally killed in Sriperumbudur near Chennai. So, the former Prime Ministers were also covered under that SPG Act. That was the subsequent amendment.

At the time of Atal Bihari Vajpayee ji, subsequent amendment took place in 2003 that the SPG coverage will be available only up to one year. From the death or demitting the Office of the Prime Minister, it will be applicable only up to one year. It is absolutely correct. But, subsequently, a provision is there that a periodical assessment has to be taken into account by which if there is a threat perception, definitely, the SPG coverage will continue, otherwise, it will be withdrawn. That is why I am again and again asking as to what is the necessity of this legislation.

Sir, you may please see, regarding the assassinations of the two former Prime Ministers – one reason was the LTTE Movement, and another reason was the Khalistan Movement. These two former Prime Ministers sacrificed their lives not only for their personal sake but for the integrity and unity of the country.

**HON. CHAIRPERSON :** Please conclude.

**SHRI N.K. PREMACHANDRAN:** Sir, that will be taken into consideration. We are not seeking SPG coverage for any particular individual. If any particular former Prime Minister or his immediate family members are adversely affected, if they have a security threat, they should be protected and safeguarded. We

had a bitter experience of Late Shri Rajiv Gandhi who had been killed and the special protection was not provided to him. I would like to urge upon the hon. Minister as well as the Government not to play politics in these issues. The amount which is being spent is very meagre. I urge upon the Government to please withdraw the Bill.

**SHRI P. RAVEENDRANATH KUMAR (THENI):** Hon. Chairperson, Sir, thank you for giving me the opportunity to speak on this Bill. Sir, I take this opportunity to appreciate the hon. Home Minister Shri Amit Shah Ji, who has formulated this Bill, aiming to curtail the unnecessary financial burden on the Exchequer, which is increasing in nature, year by year, since the past three decades under the great governance of our hon. Prime Minister Shri Narendra Modi Ji.

The Special Protection Group is an elite agency that is provided with the proximate security of the Prime Minister of India. This Bill intends to make amendments to the said Act, making two key changes. Firstly, the SPG will provide security only to hon. Prime Minister of the day and his immediate family members residing with him or her. Secondly, the former Prime Ministers will be guarded by SPG commandos only for a period of five years after demitting office.

The move to revoke SPG cover from former Prime Minister and his family members has been widely criticized by Opposition leaders, calling the move as vindictive, but it is not true. The decision to amend this Bill is being taken duly after appropriate review meetings, involving the Cabinet Secretariat and inputs from various intelligence agencies. Hence, in my view, it would be wrong to say that the security cover to those VVIPs was just taken away by the Government without proper analysis.

An annual review of the coverage is done based on the guidelines of the SPG Act. As of now, former Prime Minister, Shri Manmohan Singh as well as the family members of former Prime Minister, late Mr. Rajiv Gandhi are still now being protected under the Z+ security cover. It is a very strong category of security cover of the Central Reserve Police Force.

Literally it is stated that the expenses for providing SPG have been ballooned over the last decade. It is also learnt that our Union Government has increased the Budget allocation on the elite SPG to Rs.535 crore in 2019-20 from Rs.411.68 crore in the previous fiscal year. By implementation of this Amendment Bill, the Union Government shall divert the available funds to some other public welfare schemes.

So, keeping in mind the cost-conscious point of view, I support this Amendment Bill, declining proximity security, other than our hon. Prime Minister, Shri Narendra Modi Ji. Thank you very much.

**श्री हनुमान बेनीवाल (नागौर):** माननीय सभापति जी, आपने मुझे विशेष सुरक्षा समूह (संशोधन) विधेयक, 2019 पर बोलने का मौका दिया। मैं इसके समर्थन में बोलने के लिए खड़ा हुआ हूं।

इस सरकार के पिछले पांच-छ: महीने से लगातार एक से बढ़िया एक फैसले आ रहे हैं। एसपीजी सुरक्षा ही इस देश की चिंता नहीं है, देश की सबसे बड़ी चिंता है कि देश की सीमाएं कैसे सुरक्षित रहें, देश में आंतरिक सुरक्षा कैसे बनी रहे। इस सरकार ने नॉर्थ ईस्ट और कश्मीर से कन्याकुमारी तक सब भारतीयों को धारा 370 हटाकर एक कर दिया। सुप्रीम कोर्ट में जल्दी सुनवाई करवाकर राम मंदिर का ऐतिहासिक फैसला भी यह सरकार लेकर आई है।

इस बिल में उपधारा का प्रस्ताव किया गया है। इसमें विशेष सुरक्षा समूह में प्रधान मंत्री और उनके साथ निवास करने वाले निकट परिवार के सदस्यों तथा किसी भूतपूर्व प्रधान मंत्री को आबंटित आवास पर निवास कर रहे निकट परिजनों को उस तारीख से जब वह प्रधान मंत्री नहीं रह जाते हैं पांच वर्ष की सुविधा दी जाएगी।

कांग्रेस के लोग विचलित हो गए कि हमारी सुरक्षा हटा ली गई, हमारे नेताओं की सुरक्षा हटा ली गई, आपके नेताओं की सुरक्षा हटाई नहीं है बल्कि जेड प्लस दी है, जिसमें 50 से ज्यादा लोग हैं, उनमें 10 एनएसजी के कमांडो भी रहेंगे। मुझे तो आपके नेताओं को अब सुरक्षा की आवश्यकता भी नहीं लगती है क्योंकि जब देश ने नकार दिया तो किसी को सुरक्षा की जरूरत कहां है । सुरक्षा की जरूरत तो उनको होती है, जिसको देश पसंद करता है। सेंट्रल हॉल के अंदर भी होते हैं तब भी लोग ध्यान नहीं देते हैं कि कौन कांग्रेस के नेता जा रहे हैं। इस विधेयक के उद्देश्य और कारणों में कहा गया है कि भूतपूर्व प्रधान मंत्री और उनके कुटुम्ब के सदस्यों को सुरक्षा की व्यवस्था करने की अवधि निश्चित नहीं की गई। अत: ऐसे व्यक्तियों की संख्या, जिन्हें एसपीजी सुरक्षा दी जानी है, काफी अधिक हो सकती है। इस परिप्रेक्ष्य में इस बिल में गृह मंत्री जी ने विस्तार से इसका उदाहरण दिया कि क्यों हमें एसपीजी के अंदर संशोधन की आवश्यकता पड़ी। विशेष सुरक्षा समूह

के गठन के लिए अधिनियम बनाया गया था, उसका एकमात्र उद्देश्य प्रधान मंत्री की सुरक्षा को लेकर था। प्रधान मंत्री की सुरक्षा सबसे अलग होनी चाहिए। वे तो सब मंत्रियों के प्रधान मंत्री होते हैं। अब आप प्रधान मंत्री की सुरक्षा हर किसी को देने लग जाएंगे, वैसे एक निवेदन मैं कांग्रेस के भाइयों से कर सकता हूं कि अगर *…* * …(व्यवधान) मत कीजिए, कीजिएगा भी नहीं । …(व्यवधान) मैं तो कहूंगा कि मत करना । कहीं आप मेरा कहना मानकर चले मत जाना …(व्यवधान) एसपीजी प्रधान मंत्री की सुरक्षा के लिए ही ठीक है। लेकिन, गृह मंत्री जी ने उदारता दिखाई और पूर्व प्रधान मंत्री जी को इस श्रेणी के अंदर ले लिया। …(व्यवधान) आप धीरे-धीरे देखिए, आगे क्या होगा, अभी शुरुआत हुई है। …(व्यवधान) इस बिल के आने से एक परिवार विशेष को एकाधिकार देने के लिए बनाए गए नियमों में परिवर्तन होने से देश में एक संदेश जाएगा, पूरे भारत में एक संदेश जाएगा। आधी दिल्ली को इन लोगों ने घेर रखा है। तीन, चार, पांच जगहों पर एसपीजी लेकर अलग-अलग बैठ गए हैं। ये लोग डिस्टर्ब करते हैं। जब ये लोग निकलते हैं तो ट्रैफिक जाम हो जाता है। इससे आम आदमी परेशान होता है। अभी इन लोगों को एसपीजी की आवश्यकता नहीं है। ऐसे मामलों में आपको भी हंगामा नहीं करना चाहिए। कांग्रेस पार्टी इस चुनाव में कम संख्या में आने से बौखलाहट में है। लेकिन, इस बौखलाहट का इलाज एसपीजी से नहीं होने वाला। जब 2024 का चुनाव होगा, तब देखा जाएगा । एसपीजी की सुरक्षा लेने से कोई बड़ा नहीं हो जाता । …(व्यवधान) महाराष्ट्र में आप चार-पांच लोग मिल गए हैं, एक नहीं है । …(व्यवधान) *…* * ज्यादा मत कीजिए, हमसे मत अड़िए।…(व्यवधान)

**माननीय सभापति :** बेनीवाल जी आप इधर देखिए।

…(व्यवधान)

---

* Not recorded.

**श्री हनुमान बेनीवाल :** आज कांग्रेस और उनके एकाधिकार रखने वाले परिवार को देश की जनता नकार चुकी है। मैं एक उदाहरण देना चाहूंगा। यहां मैं रोज देखता हूं कि बंगाल की छोटी सी बात होते ही तृणमूल के नेता खड़े हो जाते हैं। मैं यह कह रहा हूं कि राजस्थान के अंदर एक केंद्रीय मंत्री और हमारे ऊपर मुख्य मंत्री के इशारे पर जानलेवा अटैक हुआ। मैंने इस पार्लियामेंट में प्रिविलेज मोशन मूव किया था। …(व्यवधान) आप कौन-सी बातें कर रहे हैं कि हम सुरक्षित नहीं है, फिर भी आप सबको सुरक्षा दी जाती है, एमपी को पीएसओ मिले होंगे। …(व्यवधान) मैं अभी थोड़ी देर में जाऊंगा। मैंने टाइम मांग रखा है। हमारे ऊपर अटैक हुआ, देश के एक कैबिनेट मंत्री के ऊपर राजस्थान में अटैक होता है, एक सांसद पर अटैक होता है, उसका प्रिविलेज मोशन पालिर्यामेंट के अंदर मूव होता है और वहां कांग्रेस की सरकार है। आप हर चीज पर जोर-जोर से चिल्ला रहे हैं। अखबार में छपने के लिए आगे आ जाते हैं, आपका यही मकसद है। आप लोगों ने 70 सालों में क्या कर लिया ? सरकार से हम भी संरक्षण चाहते हैं। जहां हमारी सरकारें नहीं हैं, वहां केंद्र के नेताओं की, सांसदों की, मंत्रियों की सुरक्षा की जिम्मेदारी भी केंद्र सरकार की है। इस दिशा में भी ध्यान देना चाहिए। मैं एक मिनट में अपनी बात समाप्त करूंगा। यह एसपीजी के रिव्यू का सिस्टम है। जो जेड प्लस एवं अन्य सुरक्षा कवर दिए जाते हैं, उनका भी समय-समय पर रिव्यू हो। लोग बीस-तीस साल से सुरक्षा लेकर बैठे हैं, मर गए, अब उनके बेटे को मिल रही है, पोते को मिल रही है। यह देश कोई गोशाला तो नहीं है कि हर आदमी आए और चलकर दिल्ली के अन्दर चला जाए। सभापति महोदय, मेरे कहने का मतलब यह है कि एसपीजी एवं जितनी भी तरह की सुरक्षा आप दे रहे हैं, इनका हर साल रिव्यू होना चाहिए कि जिसे आप सुरक्षा दे रहे हैं, उसे खतरा है या नहीं। …(व्यवधान)

**HON. CHAIRPERSON:** Shri Beniwal, please conclude.

… (*Interruptions*)

**श्री हनुमान बेनीवाल :** अब मैं एसपीजी पर वापस आ रहा हूं।…(व्यवधान)

सभापति महोदय, चाहे एसपीजी हो, एनएसजी हो या जेड प्लस सिक्योरिटी हो, इनका रिव्यू हर दो साल में होना चाहिए। यहां हमारे रक्षा मंत्री जी बैठे हैं, गृह मंत्री जी बैठे हैं, मेरा सुझाव है कि हर दो साल में इसका रिव्यू होना चाहिए कि आवश्यकता है या नहीं। मैं धन्यवाद दूंगा कि जब से आपने कश्मीर में अलगाववादी नेताओं की सुरक्षा हटाई, सब बिलों के अंदर छिप गए, सारी नेतागिरी भूल गए। …(व्यवधान)

**HON. CHAIRPERSON:** Shri Beniwal, please conclude now.

Next, Shri Rajiv Pratap Rudy.

… (*Interruptions*)

**श्री हनुमान बेनीवाल :** मैं आधा मिनट में अपनी बात खत्म करूंगा।

**माननीय सभापति:** नहीं, इतना ज्यादा टाइम नहीं है।

श्री राजीव प्रताप रूडी ।

**श्री हनुमान बेनीवाल :** सर, प्रधान मंत्री जी की एसपीजी सुरक्षा की बात हुई है। पार्लियामेंट के अंदर प्रधान मंत्री जी भी बैठते हैं, सारे मंत्रिगण एवं हम सभी सांसद यहां बैठते हैं। पार्लियामेंट पर जब अटैक हुआ। …(व्यवधान)

**HON. CHAIRPERSON:** Nothing will go on record.

… (*Interruptions*)… *

* Not recorded.

**HON. CHAIRPERSON:** Shri Rudy, please start your speech.

Nothing will go on record except what Shri Rudy speaks.

… (*Interruptions*)… *

* Not recorded.

**श्री राजीव प्रताप रूडी (सारण):** सर, मैं इस बिल के समर्थन में बोलने के लिए खड़ा हुआ हूं। मेरे मित्र श्री मनीष तिवारी यहां बैठे हैं। मुझे याद है कि अपने छात्र जीवन में जब तक मैं राजनीतिक हत्याओं के बारे में और एसैसिनेशन्स के बारे में नहीं समझता था, बहुत कम आयु में विश्वविद्यालय की राजनीति में यदि सबसे पहले किसी राजनीतिक व्यक्ति पर मुझे माला चढ़ाने का मौका मिला तो वह मनीष तिवारी के पिता जी थे, जिन्हें आतंकवादियों ने पंजाब विश्वविद्यालय की राजनीति में मार गिराया था। उस समय इनकी उम्र मुश्किल से 20 या 21 साल थी। जब उन्होंने यह पूरा विषय उठाया है तो शायद वह ऐसे एक व्यक्ति हैं, जिसके पिताजी की हत्या कहीं न कहीं राजनीतिक रूप से हुई थी और इस विषय को लेकर उन्होंने बहुत सारे विषयों का विश्लेषण किया। इनका विश्लेषण बहुत ही सामान्य था। इन्होंने एक उदाहरण दिया कि राजीव जी की सिक्योरिटी हटवाने के बाद, उनकी सिक्योरिटी व्यवस्था हटाई गई, जिसके कारण बाद में उनके निर्णयों के कारण उनकी हत्या कर दी गई। शायद इस विषय को लेकर उन्होंने यह स्पष्टीकरण करना चाहा कि वर्तमान में जितने प्रधान मंत्री या पूर्व प्रधान मंत्री हैं, उनके परिवार के लोगों को सुरक्षा मिल रही है। लेकिन तब उस विषय में एक फर्क था कि उस समय एसपीजी में यह प्रॉविजन नहीं था कि उनके परिवार वालों को लाया जाए। आज अगर इनकी सिक्योरिटी हटी है, एसपीजी कवर हटा है तो मैं समझता हूं कि दूसरी बहुत ही महत्वपूर्ण फोर्सेज उनके साथ लगाई गई हैं और वे पर्याप्त हैं। अगर आप भारत में कहें कि चाहे सीआरपीएफ हो, एनएसजी हो, वे कैपेबल नहीं हैं और सिर्फ एसपीजी ही कैपेबल है तो मैं समझता हूं कि यह उचित नहीं होगा। हो सकता है उस समय कोई गलती हुई हो और जो गृह मंत्रालय के लोग हैं, जो सरकार का सिस्टम है, वे इसे इंस्टीट्यूशनल मेमोरी का पार्ट समझते हैं और जब-जब इस प्रकार की गतिविधियां होती हैं, उनमें कुछ न कुछ सुधार करके, देश को इंस्टीट्यूशनली आगे ले चलने की व्यवस्था की जाती है। एक समय ऐसा भी था कि जब दिल्ली में देश के प्रधान मंत्री जाते थे तो जो पार्लियामेंट स्ट्रीट का डीसीपी होता था, वह देश के प्रधान मंत्री की सुरक्षा का इंचार्ज हुआ करता था। उसके बाद वह स्थिति बदली और आईबी ने एक विशेष

स्टडी की। उसके बाद दिल्ली में प्रधान मंत्री को एक एस्कॉर्ट दिया जाने लगा और उसके साथ देश के प्रधान मंत्री यहां चलते थे। वर्ष 1984 में श्रीमती गांधी की असैसिनेशन के बाद एक स्पेशल प्रोटेक्शन ग्रुप बना और बीरबल नाथ कमेटी रिपोर्ट आई और 30 मार्च, 1985 को यह निर्णय लिया गया कि हम एक एक स्पेशल प्रोटेक्शन ग्रुप बनाएंगे। वह उस समय कार्यपालिका के एक आदेश से बना था। It was through an executive order.

देश की संसद का महत्व देखिए कि तब देश ने तय किया कि देश के प्रधान मंत्री का पद बहुत बड़ा है। उसके लिए कोई शासक या एग्जिक्यूटिव आफिसर या एडमिनिस्ट्रेटर निर्णय नहीं लेगा, बल्कि देश की पार्लियामेंट ने तय किया और तब हमारी सरकार नहीं थी। यहां बैठे सांसदों ने तय किया कि देश के प्रधान मंत्री को हम एक विशेष सुरक्षा देंगे और यह निर्णय देश के प्रधान मंत्री का नहीं था। यह निर्णय देश के सांसदों का था, जिन्होंने सदन में बैठकर तय किया कि सबसे बड़े ओहदे पर बैठे हुए व्यक्ति के लिए हम एसपीजी प्रोटेक्शन देंगे। एसपीजी, सीआरपीएफ और दूसरी फोर्सेज की तरह फोर्स नहीं है। एसपीजी और नेशनल सिक्योरिटी गार्ड्स, जिसकी यूएस की नेवी सील्स से तुलना कर सकते हैं और मुझे तो लगता है कि नेशनल सिक्योरिटी गार्ड्स भारत की एक छिपी हुई फोर्स है, जिसके बारे में बहुत लोग नहीं जानते हैं। यूएस नेवी सील्स के बारे में बात करते हैं, तो उससे भी ताकतवर संस्था हमारे भारत में है, जो एनएसजी है। इसी प्रकार एनएसजी का भी अपना कोई काडर नहीं है। इसमें देश भर के लोगों में से जो बेस्ट होते हैं, चाहे सीआरपीएफ के हों या स्टेट पुलिस के हों और सभी प्रकार की फोर्सेज के बेस्ट लोगों को लेकर फोर्स तैयार की जाती है।

**16.33 hrs** (Hon. Speaker *in the Chair*)

एसपीजी का स्वरूप बड़ा है। एसपीजी जब से देश के प्रधान मंत्री की सुरक्षा में लगी है, एक भी घटना, न तो परिवार के सदस्यों के साथ और न ही किसी प्रधान मंत्री के साथ घटित हुई है। सदन को सबसे पहले इस एसपीजी फोर्स का अभिनंदन करना चाहिए कि वह देश की सुरक्षा की इतनी बड़ी जिम्मेदारी निभा रही है। एसपीजी के अधिकारियों को शौर्य चक्र मिला है, पुलिस मैडल, प्रेजिडेंट मैडल मिला है। यह क्लोज्ड प्रोटेक्शन ग्रुप है। यह कठिनाई थी कि कोई कट ऑफ डेट नहीं थी, जिसके कारण इसकी संख्या बढ़ती जा रही थी और स्वाभाविक तौर से निर्णय लिया। He is the Head of the Government and we have taken it upon ourselves that this Parliament will decide that we have to secure the Prime Minister. हमारे प्रधान मंत्री जी का तो स्वभाव ही नहीं है। हमारे प्रधान मंत्री जी को यदि कह दिया जाए, तो मुझे नहीं लगता कि वे एक सिपाही भी लेकर चलने के लिए तैयार होंगे। उनके तो स्वाभाव में ही नहीं है, लेकिन ये एसपीजी के लोग उनकी सुरक्षा के लिए हैं। हम राजनीतिक रूप से प्रधान मंत्री जी को जाते हुए देखते हैं, तो देखते हैं कि एसपीजी सुरक्षा में लगे अधिकारी बहुत कठिन काम करते हैं। ये सुरक्षा के समय दिखाई नहीं देते हैं और देश के प्रधान मंत्री की क्लोज्ड प्रोटेक्शन ग्रुप में सुरक्षा करना कोई साधारण बात नहीं है। प्रधान मंत्री जी के पास नेता आते हैं, ब्यूरोक्रेट्स आते हैं, उनका व्यवहार अच्छा है, उनका प्रोफेशनलिज्म दुनिया में सबसे आगे है। यह सबसे एजाइल फोर्स है। ऐसा स्पेशल प्रोटेक्शन ग्रुप, माननीय अध्यक्ष जी कह रहे थे कि दुनिया की चर्चा मत करो। मैं कहना चाहता हूं कि हमारा जो स्पेशल प्रोटेक्शन ग्रुप है, वह दुनिया की सबसे बेहतरीन प्रोटेक्शन फोर्स है, जिसे हम लोगों ने देश में सदन में एक्ट द्वारा स्थापित किया है। Prime Minister is the symbol of democracy. Prime Minister is the symbol of 130 crore people of this country. हम प्रधान मंत्री की बात कर रहे हैं। देश के प्रधान मंत्री जब मुख्य मंत्री थे, हमने कभी सदन में यह नहीं कहा कि हमारे मुख्य मंत्रियों को भी एसपीजी प्रोटेक्शन दो। वहां उनके पास एनएसजी

प्रोटेक्शन था, लेकिन जब देश के लोगों ने उन्हें इस पद पर चुना, तो स्वाभाविक तौर पर संसद ने तय किया कि हम अपने प्रधान मंत्री को प्रोटेक्ट करेंगे और यह मूल रूप से प्रधान मंत्री को प्रोटेक्ट करने का बिल था, जिसके बारे में हम लोग चर्चा कर रहे हैं।

महोदय, मैं जानता हूं कि आप मुझे बैठने का आग्रह करेंगे । इस बिल में बहुत ही सिग्निफिकेंट चीज है और वह केवल तीन ही सेंटेन्स हैं। प्रेमचन्द्रन जी ने उसे दूसरा रूप देना चाहा और कहा कि पॉलिटिकल वेनडेटा है, मैं उस पर नहीं जाऊंगा। इसमें तीन बहुत महत्वपूर्ण विषय हैं और ये वाक्य अपने आप में बहुत पावरफुल हैं और अध्यक्ष जी, मैं आपके सामने कहना चाहूंगा कि मैं राज्य सभा से लोक सभा में आया हूं और इस सदन में जो लेवल ऑफ डिबेट है और हमारे माननीय सांसदों का जो बयान और वक्तव्य है, वह अपने आप में सबसे बड़ी पहचान है कि सदन की गुणवत्ता में अप्रत्याक्षित वृद्धि है, जो दिखता भी है । This Bill is significant today because the geopolitical context of our nation is changing. यह कितना महत्वपूर्ण है, यह ऊपर से पढ़कर समझ नहीं आएगा but the geopolitical context of India is changing. यह स्टेटमेंट आफ आब्जेक्ट्स एंड रीजन्स में दिया है। We have a hostile neighbourhood. हम पिछले 70 वर्षों से एक होस्टाइल नेबरहुड से लड़ रहे हैं और उसका नेतृत्व आज इस होस्टाइल नेबरहुड से लड़ने का नेतृत्व यदि किसी ने दिया है, तो देश के प्रधान मंत्री ने दिया है और इसे हम सब मिलकर स्वीकारते हैं। तीसरी बात मल्टी डाइमेंशनल थ्रेट्स है। आजकल हम साइबर थ्रेट की बात कर रहे हैं, मिसाइल थ्रेट की बात कर रहे हैं। देश के प्रधान मंत्री जी तो यदि सड़क पर भी बाधा उत्पन्न होती है, तो उससे भी परहेज करते हैं कि दिल्ली के लोगों को दिक्कत होती है। यह कंनसैप्ट सिर्फ यहां तक सीमित नहीं है कि मेरे अगल-बगल में कौन चलता है । It is an international threat because India is emerging as a global power. If a country is emerging as a global power, certainly we have to protect our Prime Minister.

मैं सिर्फ इतना ही कहना चाहूंगा कि कई लोगों ने स्टेटस और सिम्बल का जिक्र किया है, यह एक अलग विषय है। मैं समझता हूं कि देश के गृह मंत्री ने पर्याप्त रूप से उपलब्ध कराया है, जो सीआरपीएफ, जो एनएसई है, और भी जरुरत होगी तो सरकार का दिल इतना बड़ा है, सरकार का दिल इतना उदार है कि अगर जो ऐसे लोग हैं, जिनके ऊपर खतरा है, आईबी और पुलिस का अगर थ्रैट परसैप्शन है, स्टेट इंटेलीजेंस का अगर थ्रैट परसैप्शन है, तो मैं समझता हूं कि सरकार का दिल इतना उदार है कि निश्चित रूप से इस प्रकार की सुरक्षा चाहे देश के पूर्व प्रधान मंत्री हों, या उनके पुत्र हों या हमारे जैसे लोग हों, किसी को भी जरूरत पड़े तो देश की सरकार उसको जरूर देखेगी। मैं इतना ही कहना चाहता हूं कि इस विषय को तो सदन में आने की आवश्यकता भी नहीं होनी चाहिए थी, क्योंकि देश के प्रधान मंत्री की सुरक्षा की बात है। यह सर्वसहमति से निर्णय होना चाहिए था कि जो देश की सरकार देश के प्रधान मंत्री के लिए तय करती है, वह इस संसद को पूरी तौर से स्वीकार्य है। मैं आपके माध्यम से कहना चाहूंगा कि बहुत बड़ा कदम उठाया गया है और हमारे लिए प्रत्यक्ष रूप से अगर सबसे महत्वपूर्ण व्यक्ति कोई है तो वह देश का प्रधान मंत्री है और इस सदन की जिम्मेदारी है कि जो सवा सौ करोड़ लोगों का प्रतिनिधित्व करता है कि देश के प्रधान मंत्री की सुरक्षा की जिम्मेदारी सदन ने ली है, बाकी जगह कुछ और लेते हैं, इसलिए सदन की जिम्मेदारी है कि हम उस महत्व को बनाए रखें। मैं माननीय गृह मंत्री जी का आभार प्रकट करना चाहूंगा कि इस संशोधन को लाकर देश के प्रधान मंत्री की सुरक्षा का ख्याल किया गया है और हमें विश्वास है कि हम कामयाब रहेंगे।

**माननीय अध्यक्ष** : श्री गौरव गोगोई जी, मैं आपको दो मिनट का समय दूंगा। आपके सदस्य ने आपका सारा समय ले लिया। आप बोलिए।

**SHRI GAURAV GOGOI :** Hon. Speaker, thank you for giving me the time. This Bill is nothing but a political vendetta, camouflaged in legislation. It is ironical that this Bill was born out of an assassination of a former Prime Minister and it was later amended by the assassination of another former Prime Minister. Now, this Bill is being brought to withdraw protection of the members of that same patriotic family, which has given so much to this nation.

Sir, I would like to talk to you about the reports that were documented by the Government of India when Mahatma Gandhi Ji was assassinated. The former Union Home Minister, Sardar Vallabhbhai Patel said that an environment of hate and fear was present at that time which compelled this young man to take this horrific action. It is another thing completely that today in this House, we have an hon. Member who thinks that Nathuram Godse was a patriot and she is not the only one. She should apologise. The same environment of fear and hate which led to the assassination of Mahatma Gandhi, also exist today because there is a clash of values and civilisation.

This Bill is completely laughable when it says that due to lack of resources, this Bill is being brought. Is the financial status of this Government so poor? The BJP takes examples of how current SPG protectees do not respect the protocols of the SPG. I want to cite a few examples of how the

SPG's protocols are being violated by this Government, by the hon. Prime Minister. Remember the Gujarat elections, the hon. Prime Minister took a tour on a sea plane with a foreign pilot and with no SPG. Where was the respect for SPG then? This is a very serious issue. We want to review the SPG protocols. We care about the protection of the hon. Prime Minister. That is why, we want to ask this question to the hon. Home Minister. How was the hon. Prime Minister allowed to fly on a sea plane? When Z-plus security fly on a double engine, our hon. Prime Minister flew on a sea plane. That was wrong.

Now, I give second example. It has been recorded in the Media that in Chitradurga during the Karnataka election, one big black box was taken out of the hon. Prime Minister's chopper and was rushed to a private vehicle, Toyota Innova. …(*Interruptions*) What was there in the box? This is regarding the review of the SPG. …(*Interruptions*) We are reviewing the protocols of SPG. Now, I give last example of Odisha election. We care about the security of the hon. Prime Minister. When an official of the Election Commission went to inspect the chopper of the hon. Prime Minister, he was suspended. Why? He was doing his job. He was looking after the security.Therefore, this Bill is purely political, narrow and petty. We oppose it. You should withdraw it. Thank you.

**श्री अमित शाह :** माननीय अध्यक्ष जी, इस महत्वपूर्ण बिल पर पक्ष, विपक्ष – दोनों के कई माननीय सदस्यों ने इसमें हिस्सा लिया है। श्री मनीष तिवारी जी, सत्यपाल सिंह जी, श्रीमान राजा जी, सुदीप बन्दोपाध्याय जी, वाईएसआरसीपी के श्री माधव जी, राजीव रंजन सिंह जी, जगदम्बिका पाल जी, प्रेमचन्द्रन जी, राजीव रूडी जी, हनुमान बेनीवाल जी और गौरव गोगोई जी – सभी ने अपने-अपने विचार इस बिल पर व्यक्त किए हैं।

कांग्रेस पार्टी और उनके साथी सदस्यों का भाषण मैंने बहुत डीटेल में, ध्यान से सुना है। उससे एक इस प्रकार का इम्प्रेशन देश में बनकर जाता है, देश की जनता के सामने जाता है, जैसे यह एक्ट, जो बदला जा रहा है, वह गांधी परिवार की सुरक्षा हटाने के लिए बदला जा रहा है। मान्यवर, यह वास्तविकता नहीं है। जो इनको चिंता है, चिंता कितनी वाजिब है या नहीं वाजिब है, यह मैं बाद में बताता हूं, परंतु जो इनको चिंता है, वह सुरक्षा का बदलाव पुराने एक्ट के तहत ही 'इयर्ली प्रोफेशनल थ्रेट असेसमेंट' के आधार पर किया है। यह एक्ट तो अब अस्तित्व में आएगा, जब यह सदन इसे पारित करेगा। जिस एक्ट की आप दुहाई दे रहो कि आप उस एक्ट को मत बदलो और हाय-तौबा मचा रहे हो, उस एक्ट के तहत ही यह सुरक्षा का बदलाव किया गया है।

देश में एक चित्र ऐसा भी खड़ा करने का प्रयास हुआ कि जैसे गांधी परिवार की सिक्योरिटी की सरकार को चिंता ही नहीं है। इनकी सुरक्षा हटाई गई – सुरक्षा हटाई नहीं गई है, सुरक्षा बदली गई है, थ्रेट असेसमेंट के आधार पर बदली गई है। थ्रेट असेसमेंट के आधार पर उनकी सुरक्षा जेड प्लस सीआरपीएफ कवर विद एएसएल (ASL) एंड विद एम्बुलेंस पूरे देश भर में की। श्रीमान मनीष तिवारी जी कहते थे कि जब राजीव गांधी गए, तब वहां एक कॉन्सटेबल था। सोनिया जी कहीं गई, तब वहां सिक्योरिटी नहीं थी। उन्होंने पास्ट के कुछ उदाहरण, वे शायद साथ में भी होंगे, समझाए।

मैं माननीय सदस्य मनीष तिवारी जी से कहना चाहता हूं कि ऐसा कुछ होने की संभावना इसलिए नहीं है, क्योंकि इस बार जो निर्णय किया गया है, उसमें उनको जेड प्लस विद एएसएल दिया है। एएसएल का मतलब है, पहले जाकर कोई स्पॉट का थ्रेट असेसमेंट करेगा, कार्यक्रम का थ्रेट असेसमेंट करेगा और राज्य सरकारों के साथ कोऑर्डिनेट करेगा और राज्य सरकार की सुरक्षा नहीं दी है। आपने उल्लेख किया कि राज्य सरकार के भरोसे छोड़ दिया। सीआरपीएफ सेंट्रल एजेंसी है, पूरे देश भर में विद्यमान है, हर राज्य में विद्यमान है, इसलिए उसका सुरक्षा कवर दिया गया है। वहां पर एम्बुलेंस भी होगी, डॉक्टर भी होंगे, सीआरपीएफ के कमांडो भी होंगे।

मान्यवर, मैं यह पूछना चाहता हूं कि एसपीजी कैसे बनती है? एसपीजी के जो सुरक्षाकर्मी हैं, वे कोई बाहर से नहीं आते हैं, स्वर्ग से नहीं आते हैं। वे सीआरपीएफ के ही कुछ जवान होते हैं, वे बीएसएफ के ही कुछ जवान होते हैं, वे अन्य एजेंसियों के ही कुछ जवान होते हैं। यह स्पेशल प्रोटेक्शन ग्रुप बना है, जिसमें अनेक सुरक्षा बलों के जवानों को इकट्ठा कर के एक एजेंसी बनती है। मैंने पहले भी कहा कि स्पेशल प्रोटेक्शन ग्रुप प्रधान मंत्री जी की न केवल व्यक्तिगत सुरक्षा, उनकी ऑफिस, उनके कम्युनिकेशन, उनके निवास पर, उनके काम करने की जगह, उनका आरोग्य, इन सारी चीज़ों की चिंता करने के लिए बना है और इसीलिए इसका नाम स्पेशल प्रोटेक्शन ग्रुप रखा है।

ये आगे बताते थे कि इसे अब बदला, तब बदला, चार बार बदल हुए। मुझे कहने में कोई झिझक नहीं है रिकॉर्ड पर कि चार बार बदल एक परिवार को ध्यान में रखकर किए गए हैं। पहली बार बदल प्रधान मंत्री जी की सुरक्षा को ध्यान में रखकर किया गया, वर्ना मैं बताता हूं, अभी इतना शोर-शराबा होता है, सुरक्षा खतरों की समीक्षा के बाद मान्यवर चन्द्रशेखर जी की सुरक्षा ले ली गई। देश भर का कोई कांग्रेसी कार्यकर्ता कुछ नहीं बोला। श्री चन्द्रशेखर जी बहुत बड़े नेता थे। देश के पूर्व प्रधान मंत्री थे। उनका बहुत बड़ा योगदान था। किसी का भी निवेदन नहीं आया। बाद में नरसिम्हा राव जी की सुरक्षा चली गई। कोई नहीं बोला। किसी ने चिंता व्यक्त नहीं की, क्यों?

वह भी तो पूर्व प्रधान मंत्री थे। उनके परिवार की भी सुरक्षा हटा ली गई। मैं पूरे डिटेल में बताता हूं। श्री आई.के. गुजराल साहब की सुरक्षा थ्रेट असेसमेंट के बाद ली गई, लेकिन कोई नहीं बोला। चिंता किसकी है? वीआईपी की है, देश के नेतृत्व की है या एक परिवार की है? यह बात स्पष्ट करें। …(व्यवधान)

मान्यवर, उसके बाद डॉक्टर मनमोहन सिंह, जो पूर्व प्रधान मंत्री थे, इसी नियम के अंतर्गत उनकी सुरक्षा छीनी नहीं गई, बल्कि बदली गई। ये 'छीन ली गई' शब्द का प्रयोग कर रहे हैं। तब भी किसी ने हो-हल्ला नहीं किया, क्यों? क्या डॉक्टर मनमोहन सिंह देश के नेता नहीं हैं? पूर्व प्रधान मंत्री नहीं हैं? आपकी पार्टी के ही हैं। नरसिम्हा राव जी भी आपकी ही पार्टी के थे। डॉक्टर मनमोहन सिंह जी भी आपकी पार्टी के हैं। आपने क्यों चिंता व्यक्त नहीं की? चिंता व्यक्त करने के दो मापदंड क्या हैं, यह देश की जनता को समझना चाहिए। ये केवल और केवल एक परिवार की सुरक्षा की चिंता की बात कर रहे हैं। इन्होंने एसपीजी को एक स्टेटस सिम्बल बनाया है, ताकि दिखा सकें कि हम जनता से अलग हैं। जनता से अलग कोई भी नहीं होता, प्रधान मंत्री भी नहीं। चूंकि वह राष्ट्राध्यक्ष के रूप में काम करते हैं, इसलिए उनकी पूरी संचार व्यवस्था को सुरक्षित रखना जरूरी है, उनके कार्यालय को सुरक्षित रखना जरूरी है। उनके विदेश दौरों को सुरक्षित रखना जरूरी है। उनकी आरोग्यता की चिंता भी एक स्पेशल तरीके से करने की जरूरत है। वह जब तक प्रधान मंत्री हैं, उनकी सुरक्षा एसपीजी ग्रुप करता है। जैसा कि हमारे श्री राजीव रंजन जी ने कहा कि पांच साल बढ़ाने की भी जरूरत नहीं है। इतने में ही राजीव रंजन जी इतनी हाय-तौबा मचा रहे हैं, बाद में क्या करेंगे?

महोदय, मैं अभी भी सारे विपक्ष के मित्रों को कहना चाहता हूं कि इससे अगर किसी की सुरक्षा कर्टेल हुई है तो वह श्री नरेन्द्र मोदी जी की हुई है, क्योंकि बाकी सभी लोगों की सुरक्षा तो यह एक्ट बनने से पहले ही हटा दी गई है। जब श्री नरेन्द्र मोदी जी प्रधान मंत्री नहीं रहेंगे, तब छठवें साल उनकी सुरक्षा तुरन्त चली जाएगी। अगर किसी की सुरक्षा जाने वाली है तो वह श्री नरेन्द्र

मोदी जी की जाने वाली है और किसी की नहीं जाने वाली है। पुराने एक्ट के तहत ही बाकी की सुरक्षा हटाई गई है। चन्द्रशेखर जी के दोनों पुत्रों की सुरक्षा एसेसमेंट के बाद हटाई गई, नरसिम्हा राव जी के आठ पारिवारिक सदस्यों की सुरक्षा को थ्रेट असेसमेंट के बाद हटाया गया। आई.के. गुजराल साहब के परिवार के तीन सदस्यों की सुरक्षा को थ्रेट असेसमेंट के बाद हटाया गया। डॉक्टर मनमोहन सिंह जी के परिवार के भी तीन सदस्यों की सुरक्षा को थ्रेट असेसमेंट के बाद हटाया गया। इन सब में से किसी के लिए मैंने एक प्रेस-नोट भी नहीं देखा, किसी के लिए एक स्टेटमेंट भी नहीं देखा, किसी के लिए सदन में चर्चा की मांग भी नहीं की गई। मैं बिल लेकर आने वाला था, सदन में चर्चा भी होने वाली थी, मगर यहां पर पूरा सदन बन्द कर दिया गया - vindictive approach, vindictive approach, vindictive approach.

श्रीमान गौरव गोगोई को मैं अध्यक्ष जी के माध्यम से कहना चाहता हूं कि 'vindictive approach' मेरी पार्टी का संस्कार नहीं है। कांग्रेस पार्टी ने कई बार 'vindictive approach' से पूरे देश को जेल में डाला। ...(व्यवधान)। यह मेरी पार्टी का संस्कार नहीं है। ...(व्यवधान)

**माननीय अध्यक्ष:** माननीय सदस्य**,** जब आपके मनीष तिवारी जी 39 मिनट तक बोले, तब कोई माननीय सदस्य नहीं बोला था। आप भी सुनने का माद्दा रखें। सदन में यह ठीक नहीं है। जब डिबेट होती है, वाद-विवाद होता है, अगर उस समय कोई सदस्य बोलता है, मैं उनको भी टोकता हूं।

**SHRI KODIKUNNIL SURESH :** Sir, please allow me to make a submission.

**HON. SPEAKER:** No, please.

... (*Interruptions*)

**SHRI KODIKUNNIL SURESH :** Sir, after the Home Minister concludes, please allow me to speak.

**माननीय अध्यक्ष:** आपने भी पॉलिटिकल बात बोली है। आपने भी आरोप लगाए हैं। जब भी किसी माननीय सदस्य ने बोला, तो मैंने उनको चुप करा दिया। माननीय गृह मंत्री जी कृपया बोलें।

…(व्यवधान)

**HON. SPEAKER:** Hon. Sureshji, no.

… (*Interruptions*)

**श्री अमित शाह :** मान्यवर, श्री मनीष तिवारी जी ने चिंता व्यक्त की। मैं इनको आश्वस्त करना चाहता हूं कि एक भी व्यक्ति, एक भी सुरक्षा कर्मी संख्या में वहां से कम नहीं किया गया है। और तो और आपको बता दूं कि संख्या बढ़ाई गई है। मगर, यदि स्पेशल प्रोटेक्शन ग्रुप चाहिए, क्योंकि वह प्रधान मंत्री पद के लिए होता है। लोकतंत्र में जो फैसले जनता करती है, उसे स्वीकार कीजिए। आपको जनता के फैसले स्वीकारने पड़ेंगे। जहां तक सुरक्षा का सवाल है, तो सिर्फ गांधी परिवार ही नहीं, बल्कि देश के एक-एक नागरिक की सुरक्षा की जिम्मेदारी भारत सरकार की है। संविधान के अंदर और संविधान के दायरे में पूरे देश के लोगों की जिम्मेदारी, मॉनीटरिंग रोल पर और सीधे तौर पर, जहां-जहां भी भारत सरकार की है, भारत सरकार की ओर से मैं आश्वस्त करना चाहता हूं कि देश के हर नागरिक की सुरक्षा भारत सरकार की है। देश के हर नागरिक की सुरक्षा की मांग ही नहीं, एक परिवार की सुरक्षा की मांग, लेकिन हर नागरिक में वे भी नागरिक हैं, इसलिए मैं आश्वस्त करना चाहता हूं कि उनकी सुरक्षा की पर्याप्त व्यवस्था कर दी गयी है। वर्मा कमीशन की रिपोर्ट को इन्होंने क्वोट किया कि वर्मा कमीशन ने कहा था कि और कोई व्यवस्था किए बगैर एसपीजी कवर उठा लिया, इसलिए यह दुर्घटना हुई। मान्यवर, यह ठीक है और वर्मा कमीशन से हम भी सीखते हैं। इसलिए हमने एडवांस में व्यवस्था कर दी है। उनको जेड प्लस सुरक्षा दे दी है।

वर्मा कमीशन पढ़कर ही दी है कि एडवांस में सुरक्षा दे दो, बाद में एसपीजी विद्ड्रा कर लो। उन्होंने कहा कि मनमोहन सिंह जी के पत्र का जवाब नहीं दिया। मैं कहना नहीं चाहता था, सार्वजनिक नहीं करना चाहता था, लेकिन अब उन्होंने ही पोलिटिसाइज़ करने का निर्णय किया है तो मैं क्या कर सकता हूं, मुझे जवाब देना पड़ेगा क्योंकि उन्होंने मुद्दा उठाया है। मनमोहन सिंह जी के पत्र के जवाब का सवाल ही नहीं है, जब मनमोहन सिंह जी की सुरक्षा बदल गयी, तब डायरेक्टर आईबी, जो खुफिया एजेंसी के सर्वोच्च पद पर होते हैं, वे व्यक्तिगत रूप से मनमोहन सिंह जी और उनके परिवार को मिलने गए थे। उन्होंने बताया कि थ्रेट असैसमेंट हुआ है और एसपीजी की अब आपको जरूरत नहीं है। आपको नयी सुरक्षा मिलेगी, जो इस-इस प्रकार से काम करेगी। उनके ऑफिस के साथ मीटिंग की गयी और उसके बाद हेण्डओवर और टेकओवर हुआ। यही प्रक्रिया, जब गांधी परिवार का थ्रेट असैसमेंट हुआ, तब भी अपनायी गयी और डायरेक्टर आई बी ने कहा कि हम मिलने आना चाहते हैं। उन्होंने फोन किया, लेकिन उनको कहा गया कि आपने जो तय किया है, वह कर दीजिए। आपको हमें मिलने की जरूरत नहीं है। अब डायरेक्टर आईबी क्या कर सकते हैं, खुफिया एजेंसी का अध्यक्ष क्या कर सकता है, जब आप उसको मिलने का टाइम ही नहीं देंगे। उन्होंने कहा कि आप कर दीजिए। इसके बावजूद भी उन्होंने एसपीजी के अधिकारियों, सीआरपीएफ के अधिकारियों के साथ जॉइंट मीटिंग की, उनके स्टाफ के साथ मीटिंग की और उसके बाद हेण्डओवर और टेकओवर हुआ। सभी कुछ क्लीयर रहना चाहिए। यह कहना कि कोई कम्यूनिकेशन नहीं है, कोई सिस्टम नहीं है, ऐसा हमारी सरकार में कभी नहीं होता है।

मान्यवर, राजा साहब ने कहा कि सभी पार्टियों को संरक्षण मिलना चाहिए। सभी पार्टियों को सुरक्षा देने की इस सरकार की मंशा भी है और राजा साहब, दे भी रहे हैं। लेकिन सभी पार्टियों को प्रधान मंत्री जी के स्तर की सुरक्षा नहीं दी जा सकती है। वह सिर्फ प्रधान मंत्री जी को दी जा सकती है। इसलिए इसमें किसी भी प्रकार की कोई प्रॉब्लम नहीं है। आपने कहा कि थ्रेट असैसमेंट किया गया या नहीं? मैं फिर से रिपीट करना चाहूंगा कि थ्रेट असैसमेंट बहुत अच्छे से किया गया

है । एक बार नहीं, दो बार किया गया है और थ्रेट असैसमेंट में पाया गया कि जेड प्लस, सीआरपीएफ और एएसएल सुरक्षा कवच पर्याप्त है, तभी यह निर्णय लिया गया है।

मान्यवर, सुदीप बन्दोपाध्याय जी ने कहा कि थ्रेट परसैप्शन अभी हो तो रखना चाहिए। मैं कहना चाहता हूं कि थ्रेट परसैप्शन एक डायनेमिक प्रोसेस है। वर्ष 1988 में थ्रेट परसैप्शन था तो वर्ष 2019 में भी थ्रेट परसैप्शन रहता है, यह जरूरी नहीं है। भाषण को क्वोट किया गया, जब भूतपूर्व प्रधान मंत्री इंदिरा जी की जिन सिख आतंकवादियों ने हत्या की, उसको क्वोट किया गया। लेकिन थ्रेट असैसमेंट की जो पद्धति है, उस पद्धति के तहत ही, डायनेमिक थ्रेट असैसमेंट के आधार पर ही इसे बदला गया है। आपने पूछा कि किस सिक्योरिटी एजेंसी ने टेकओवर किया है। मैंने पहले ही कहा है कि सीआरपीएफ, जेड प्लस विद एएसएल कर रहे हैं। आप कह रहे हैं कि सभी मुख्य मंत्रियों को जेड प्लस सुरक्षा मिल रही है। ऐसा नहीं है। मैं आपके माध्यम से सुदीप बन्दोपाध्याय जी को बताना चाहता हूं कि सभी मुख्य मंत्रियों को सीआरपीएफ की जेड प्लस सुरक्षा नहीं दी गयी है। वह थ्रेट असैसमेंट के आधार पर दी जाती है। आपने कहा कि हमारे गवर्नर को दी गयी है। गवर्नर को ही नहीं, मुख्य मंत्री को भी दी गयी है। आपके गवर्नर को दी गई, क्योंकि उनको देने की जरूरत लगी, इसलिए दी गई है। उत्तर प्रदेश के मुख्य मंत्री को यूपी पुलिस होने के बावजूद भी सेंट्रल प्रोटेक्शन लिस्ट में रखा गया है, क्योंकि इस प्रकार की थ्रेट है।

एक्सपर्ट लोगों द्वारा उनको प्रोटेक्शन देना है। इसलिए, ऐसी किसी भी प्रकार की वेन्डेटा वाली भावना से यह नहीं किया गया है। मान्यवर, मैं फिर से यह स्पष्ट करना चाहता हूं कि यह जो एसपीजी है, वह सीआरपीएफ, बीएसएफ, सीआईएसएफ, एनएसजी, इन सारी एजेंसियों से कुछ-कुछ प्रतिशत लेकर इसका एक प्रो-राटा है, जिससे एसपीजी बनती है। ये जो अति सेंसेटिव प्रोटेक्टी हैं, उनके लिए एसपीजी से उनकी मदर आर्गेनाइज़ेशन में जो लोग वापस आते हैं, उनको ही सेलेक्ट करके उनके घरों में रखा जाता है, जिन्होंने एसपीजी की ट्रेनिंग पाई है, ताकि उनकी सुरक्षा ठीक ढंग से हो सके। अगर मेरे आफिस में चार लोग चाय पीने के लिए आए होते, तो भी मैं

वहीं बता देता, इतने जोर-जोर से बोलने की जरूरत भी नहीं पड़ती। आप आ जाते, इसमें क्या है, मैं आपको बता देता।

सुदीप जी ने वीवीआईपी कल्चर की बात की है। सुदीप जी, माफ करिएगा, मगर मैं साक्ष्यों, रिपोर्टों और रिकार्ड्स के आधार पर मानता हूं कि बंगाल के अंदर भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ताओं को सुरक्षा की जरूरत है। इसीलिए, उनको सुरक्षा दी गई है और कोई कारण नहीं है। इसमें कोई पॉलिटिक्स नहीं है।...(व्यवधान) गोगोई जी, उन्होंने भारतीय जनता पार्टी का जिक्र किया था, इसलिए मैंने बताया है। वहां कम्यूनिस्ट पार्टी के लोगों को भी है, आपके अधीर रंजन चौधरी जी को भी है और कांग्रेस पार्टी के अन्य नेताओं को भी सुरक्षा दी गई है।...(व्यवधान) एकदम खड़े नहीं होते हैं। आपको पहले उनको सुनना चाहिए था।...(व्यवधान)

मान्यवर, एन. के. प्रेमचन्द्रन जी ने कहा है कि यह निर्णय वैन्डेटा के आधार पर ही लिया गया है। प्रेमचन्द्रन जी, मैं आपको आश्वस्त करना चाहता हूं कि नरेन्द्र मोदी सरकार सुरक्षा के निर्णय कभी-भी वैन्डेटा के आधार पर नहीं ले सकती है। यह निर्णय प्योरली प्रोफेशनल थ्रेट असेसमेंट के आधार पर लिया गया है। उनके लिए जो सुरक्षा उपयुक्त है, वह दे दी गई है।...(व्यवधान)

**माननीय अध्यक्ष :** माननीय सदस्य, प्लीज बैठ जाइए।

...(व्यवधान)

**श्री अमित शाह :** मान्यवर, कुछ सदस्यों ने सवाल उठाया है कि इससे एसपीजी कैसे कांप्रोमाइज़ होती है। मैं उसमें बहुत ज्यादा नहीं जाना चाहता हूं। लेकिन यहां पर जिन तीन प्रोटेक्टी की ज्यादातर चिंता की गई है, बाकी किसी की भी चिंता नहीं की गई है, तीन प्रोटेक्टी की ही चिंता की गई है। वे कुल मिलाकर लगभग 600 बार बिना कोई सूचना दिए अपने कार्यक्रमों में चले गए हैं।...(व्यवधान) अधीर रंजन जी, आपको सुनना पड़ेगा, ऐसे नहीं चलेगा। अधीर रंजन जी, मैं नाम

के साथ बोलूं। ठीक है, आपने कहा है, तो मैं नाम के साथ बोलता हूं। श्रीमती सोनिया गांधी वर्ष 2015 से अभी तक 50 से भी ज्यादा अवसरों में दिल्ली सरकार और देश की सुरक्षा व्यवस्था को जानकारी दिए बिना चली गई हैं। उन्होंने ऐसी 13 अनिर्धारित यात्राएं की हैं, जिसमें एसपीजी बुलेट प्रतिरोधी कार का भी उपयोग नहीं किया है। वर्ष 2015 के बाद 24 विदेश यात्राओं में एसपीजी के अधिकारियों को न ही सूचना दी है और न ही अपने साथ में रखा है।

श्रीमती प्रियंका गांधी वाड्रा ने वर्ष 2015 से अब तक 339 अवसरों पर एसपीजी को सूचना दिए बगैर यात्रा की है।…(व्यवधान) 64 अवसरों पर देश की अन्य जगहों पर…(व्यवधान) इन्होंने कहा है कि बताइए। मैं तो गार्डेडली बोल रहा हूं। मान्यवर, कांग्रेस पार्टी के नेता ने पढ़ने के लिए कहा है, इसलिए मैं जोर से पढ़ रहा हूं। श्रीमती प्रियंका गांधी वाड्रा 64 अवसरों पर देश के अन्य स्थानों पर बिना एसपीजी के बी.आर. कार के की गई हैं। वह वर्ष 1991 के बाद 99 विदेश यात्रओं पर गई हैं। उन्होंने 21 अवसरों पर ही सुरक्षा कवच लिया है और 78 अवसरों पर कभी-भी सुरक्षा कवच नहीं लिया है। मान्यवर, श्रीमान् राहुल गांधी जी, वर्ष 2005 से वर्ष 2014 तक 18 अवसरों पर देश के विभिन्न हिस्सों में एसपीजी की बीपी प्रतिरोधी कार बगैर गए हैं। वर्ष 2015 के बाद 1892 अवसरों पर दिल्ली में, मैं इस बात को फिर से रिपीट करता हूं कि 1892 अवसरों पर और 247 अवसरों पर बाहर की यात्राएं एसपीजी की सुरक्षा कवच के बिना ही की हैं।

**17.00 hrs**

मान्यवर, ये कह रहे हैं, मैं तो बोलना नहीं चाह रहा था। …(व्यवधान) सुरक्षा के बारे में नहीं बताना चाहता था। मुझे रॉन्ग बॉक्स में रख रहे हैं, जैसे मैं झूठ बोल रहा हूँ तो मुझे सत्य सदन के पटल पर रखना पड़ा। …(व्यवधान) मान्यवर, ये कह रहे हैं कि एसपीजी कैसे कॉम्प्रोमाइज हो जाएगी। …(व्यवधान) एसपीजी के प्रोटेक्टी को सुरक्षा के बगैर जाने की आदत नहीं डालनी चाहिए। बाद में प्रधान मंत्री की सुरक्षा भी कॉम्प्रोमाइज़ होगी। अगर हमें सुरक्षा है, हमें दी गई है तो

ऐसा क्या गोपनीय करना है कि सुरक्षा को घर पर ला कर रखना है। ...(व्यवधान) हम तो कभी नहीं जाते हैं। हमेशा साथ में होते हैं। श्रीमान् राजनाथ सिंह जी यहां पर बैठे हैं। कई सालों से काले कपड़े वाले उनको टॉयलेट तक छोड़ कर आते हैं, मगर वे कभी कुछ नहीं बोलते हैं। ...(व्यवधान) वे रहते हैं। जब सुरक्षा मिली है तो उसको साथ में क्यों नहीं रखा जाए? सभी प्रोटैक्टी को मेरा तो अनुरोध है और आज भी इन तीनों महानुभावों को अनुरोध है कि सीआरपीएफ को साथ में रखिए, आपके प्रोटैक्शन के लिए वह बहुत जरूरी है और सबको साथ में रखना चाहिए, पर्याप्त समय वाली सूचना भी देनी चाहिए। मान्यवर, कुछ प्रोटैक्टी ऐसे होते हैं, मैं नाम नहीं लेना चाहता हूँ, फिर से मत दिलवाना, सौ-सौ किलोमीटर की स्पीड से दिल्ली लुटियन में महंगी मोटरसाइकल पर घूमते हैं। वे सुरक्षा की गाड़ियां बेचारी पीछे की पीछे रह जाती हैं, धरी की धरी रह जाती हैं। अब ये सारी चीजें, मान्यवर मैं कहां अधिकृत रूप से कहूंगा, हमारा इसके पीछे आशय इतना ही है कि सरकार किसी विंडिक्टिव एप्रोच से कुछ करना नहीं चाहती है।

मान्यवर, जब हम सार्वजनिक जीवन में आते हैं, तो सार्वजनिक जीवन की शुचिताओं को स्वीकार करना चाहिए। मैं हमारे प्रधान मंत्री नरेन्द्र मोदी जी का उदाहरण देना चाहता हूँ। 20 साल से ज्यादा समय से उनके पास सुरक्षा कवच है। मगर आज भी एक भी बार सुरक्षा कवच का फाउल नहीं आया है। गौरव भाई, मैं आपकी बात का भी जवाब देता हूँ। मान्यवर, उन्होंने अपने जीवन में बड़े और कड़े मापदंड एस्टैब्लिश करने का काम किया है। वे आज प्रधान मंत्री जी हैं। प्रधान मंत्री जी के लिए नियम बने हैं, एक प्रोटोकॉल बना है। विदेश में जाते हैं, 20 प्रतिशत से कम स्टाफ विदेश ले जाने की शुरूआत हमारे प्रधान मंत्री जी ने की है। पहले प्रधान मंत्री जाते थे, तो कहीं पैट्रोल डलवाने के लिए जो टैक्नीकल हॉल्ट लेने पड़ते थे तो पूरी रात होटल बुक होता था। नरेन्द्र भाई अभी ब्राजील गए थे, तब टैक्नीकल हॉल्ट में देश के खर्चे से होटल किए बगैर, एयरपोर्ट पर रहे, वहीं स्नान करते हैं और पैट्रोल डलवा कर आगे के लिए निकल जाते हैं। …(व्यवधान) इनके पास जो स्टाफ जाता है, उनके सबके लिए अलग-अलग गाड़ियों की व्यवस्था थी। मगर प्रधान मंत्री जी ने एक मापदंड खड़ा किया। किसी को पालन करना न करना, वह उसके मुंसफी पर है। मगर उन्होंने कहा था कि जितना भी स्टाफ है, वह एक गाड़ी में चार-पांच लोग जाएंगे, या कोई बस में जाएंगे, हरेक के लिए अलग गाड़ी बंद करा दी।

मान्यवर, इस प्रकार के कठोर सार्वजनिक जीवन के नॉर्म्स को प्रधान मंत्री बनने के बाद भी पालन करने वाला नेतृत्व आज देश को मिला है। …(व्यवधान) दूसरी ओर सिक्योरिटी कवर को स्टेट्स सिंबल बना कर अगर हम आज भी प्रधान मंत्री जी की सिक्योरिटी इंजॉय कर रहे हैं, ऐसे रसास्वाद से आह्लादित रहना चाहते हैं, तो मुझे लगता है कि इसमें से सीखना चाहिए। गौरव भाई ने कहा कि एसपीजी के नियमों का उल्लंघन किया। वह जो प्लेन ले कर गए थे, उसकी पूरी चैकिंग एसपीजी ने कर ली थी। अंदर एसपीजी की सिक्योरिटी का एक व्यक्ति भी था। जो बोट वहां पर उतरी वहां पर भी सिक्योरिटी के ऑफिसर्स थे। उसमें नियमों का कोई उल्लंघन नहीं हुआ है। विशिष्ट परमिशन के आधार पर किया है। माननीय सदस्य गौरव गोगोई साहब को मैं कहना चाहता

हूँ कि प्रधान मंत्री जी ने देश के टूरिज्म को बढ़ावा देने के लिए स्वयं रिस्क लिया था। रात को दो बजे मोटर साइकिल घुमा कर आनंद लेने के लिए एसपीजी के कवर को नहीं तोड़ा। मान्यवर इन दोनों में अंतर है। कितना बड़ा वहां रिवर फ्रंट बना है, उसको टूरिज्म की दृष्टि से वॉटर स्पोर्ट्स की दृष्टि से डेवल्प करने के लिए उन्हांने स्वयं यह रिस्क लिया था।

कोई रात को ठंडी हवा का आनंद लेने के लिए 100-150 किलोमीटर की स्पीड से मोटर साइकिल चलाने के लिए नहीं लिया है। मैं इतना ही कहना चाहता हूँ कि इस पूरे मसले को देश गम्भीरता से देख रहा है इसलिए मुझे ये सारी स्पष्टता करनी पड़ी। वरना मुझे तो आशा थी कि इस बिल पर कोई चर्चा नहीं होगी। This is regarding security of the Prime Minister, तुरंत पारित हो जाएगा। पक्ष-विपक्ष का कोई भाषण नहीं होगा। मुझे भी नहीं करना चाहिए था। मगर सदन के अंदर जब भाषण हुए तो जवाब देना मेरा कर्त्तव्य भी है, दायित्व भी है। जनता के अंदर एकतरफा बात नहीं जानी चाहिए। जनता के सामने सत्य जाना चाहिए, कोई पॉलिटिकल वेनडेटा नहीं है। इस एक्ट से गांधी परिवार के सदस्यों की एक भी सिक्योरिटी विदड्रॉ नहीं हुई है। पुराने एक्ट से उनकी सिक्योरिटी बदली गई है, यह भी भ्रांति है कि इनको सिक्योरिटी बगैर वैसे ही छोड़ दी गई है। देश में प्रधान मंत्री के अलावा जो सिक्योरिटी उपलब्ध है, वह हाइऐस्ट सिक्योरिटी तीनों जेड प्लस विद एएसएल एंड एम्बुलेंस, पूरी कंट्री में तीनों सदस्यों को दी गई है। मगर प्रधान मंत्री के लिए जो विशेष कार्य बल बना है, वही सिक्योरिटी मुझे चाहिए, तो मेरा स्पष्ट मानना है कि प्रधान मंत्री जी की सिक्योरिटी को कम्प्रोमाइज नहीं करना चाहिए। एक पद के लिए, एक ऑफिस के लिए और उनके कम्युनिकेशन, उनका आरोग्य और उनके निवास पर जो ऑफिस होता है, उसकी सुरक्षा के लिए है। वह देश के हित में है, क्योंकि वह हमारे कार्याध्यक्ष हैं, हमारे एडमिनिस्ट्रेशन के हैड हैं। मुझे लगता है कि इसमें अब शायद कांग्रेस समर्थन करे। सब लोग इसके समर्थन में अपना मत व्यक्त करके इस बिल को पारित करें। यही निवेदन करके मैं अपनी बात को समाप्त करता हूँ।

**माननीय अध्यक्ष :** श्री अधीर रंजन चौधरी।

**श्री अधीर रंजन चौधरी (बहरामपुर):** सर, प्रधान मंत्री नरेन्द्र मोदी जी की सुरक्षा के लिए जितने भी कदम लिए जाएं, हम सब उसका जरूर समर्थन करेंगे, इसमें कोई दो राय नहीं है। लेकिन आपका जो भाषण है, उस भाषण में यह स्पष्ट हो गया है कि एक राजैतिक प्रतिशोध और बदले का मंजर हम लोग देख रहे हैं ।...(व्यवधान) बता रहे हैं । देखिए, एक तरफ आप कह रहे हैं।…(व्यवधान)

**माननीय अध्यक्ष :** बिल के अंदर कोई विशेष हो तो बोलिए।

**श्री अधीर रंजन चौधरी :** सर, मुझे बोलने दीजिए।

**माननीय अध्यक्ष :** बोलना नहीं है। बोलने का आपका नंबर सब सदस्यों ने ले लिया है।

**श्री अधीर रंजन चौधरी :** सर, प्लीज।

**श्री अमित शाह :** मान्यवर, मेरा एक टेक्निकल ऑब्जेक्शन है। इसमें बिल की कोई धारा पर आपत्ति हो या स्पष्टता हो तो मांग सकते हैं। मेरे जवाब के बाद पॉलिटिकल आंसर नहीं हो सकता। वरना यह बाद में मुझे भी देना पड़ेगा। यह कब तक चलता रहेगा। मान्यवर, मैं सदन की परम्परा बता रहा हूँ।…(व्यवधान)

**श्री अधीर रंजन चौधरी :** परिवार के ऊपर हमला कर रहे हैं।…(व्यवधान) उस परिवार ने हिन्दुस्तान के लिए दो-दो जानें गवाई हैं। आप उस परिवार पर लांछन कर रहे हैं।…(व्यवधान)

**माननीय अध्यक्ष :** प्रश्न यह है:

> "कि विशेष संरक्षा ग्रुप अधिनियम, 1988, का और संशोधन करने के लिए विधेयक पर विचार किया जाए।"

*प्रस्ताव स्वीकृत हुआ।*

…(व्यवधान)

**17.08 hrs**

*(At this stage, Shri Adhir Ranjan Chowdhury, Dr. Thamizhachi Thangapandian and some other hon. Members left the House.)*

…(व्यवधान)

**माननीय अध्यक्ष :** अब सभा विधेयक पर खंडवार विचार करेगी।

…(व्यवधान)

**Clause 2** ***Amendment of Section 4***

**माननीय अध्यक्ष :** प्रो. सौगत राय, क्या आप संशोधन संख्या 1 और 2 प्रस्तुत करना चाहते हैं?

**प्रो. सौगत राय :** सर, मैंने तो भाषण दिया नहीं। मुझे दो क्लॉज के बारे में क्लेरिफिकेशन चाहिए। आप मुझे समय दीजिए। यहाँ पर लिखा है कि जो प्रधान मंत्री की फैमिली के लोग ऑफिशियल रेजिडेंस में रहेंगे।…(व्यवधान)

**माननीय अध्यक्ष :** आपको मूव करना है या नहीं करना है? यह बता दीजिए।

**प्रो. सौगत राय :** सर, मुझे अमेंडमेंट्स मूव करने हैं।

Sir, I beg to move:

Page 2, line 17, -

*after* "official residence"

*insert* "and his parents residing anywhere in the country". (1)

Page 2, line 10, -

*for* "period of five years"

*substitute* "period of ten years or based on the level of threat as assessed by the Central Government from time to time". (2)

**माननीय अध्यक्ष :** अब मैं प्रो. सौगत राय द्वारा खंड 2 में प्रस्तुत संशोधन संख्या 1 और 2 को सभा के समक्ष मतदान के लिए रखता हूँ।

*<u>संशोधन मतदान के लिए रखे गए तथा अस्वीकृत हुए</u>*

**माननीय अध्यक्ष :** श्री के. सुधाकरन– उपस्थित नहीं।

श्री एन.के. प्रेमचन्द्रन, क्या आप संशोधन संख्या 4 प्रस्तुत करना चाहते हैं?

**SHRI N. K. PREMACHANDRAN (KOLLAM):** Sir, I am moving my Amendment no.4 to clause 2 of the Bill.

Page 2, *after* line 7, –

*insert* "(*aa*) the members of immediate family of former Prime Minister who was assassinated by militant organisation;". (4)

**माननीय अध्यक्ष :** अब मैं श्री एन.के. प्रेमचन्द्रन द्वारा खंड 2 में प्रस्तुत संशोधन संख्या 4 को सभा के समक्ष मतदान के लिए रखता हूँ।

*<u>संशोधन मतदान के लिए रखा गया तथा अस्वीकृत हुआ।</u>*

**माननीय अध्यक्ष :** श्री गौरव गोगोई – उपस्थित नहीं।

श्री कोडिकुन्निल सुरेश – उपस्थित नहीं।

**माननीय अध्यक्ष:** श्री जसबीर सिंह गिल जी, क्या आप संशोधन संख्या 11 प्रस्तुत करना चाहते हैं?

**SHRI JASBIR SINGH GILL (KHADOOR SAHIB):** Sir, I beg to move:

Page 2, line 16,--

*after* "former Prime Minister"

*insert* "Provided that the family members of the former Prime Minister, who dies in militant or terrorist attack, shall be provided proximate security:

Provided also that the former Prime Ministers, who have been Prime Minister of India for two full terms shall be given proximate security cover.". (11)

**माननीय अध्यक्ष**: अब मैं श्री जसबीर सिंह गिल द्वारा खंड 2 में प्रस्तुत संशोधन संख्या 11 को सभा के समक्ष मतदान के लिए रखता हूं।

*संशोधन मतदान के लिए रखा गया और अस्वीकृत हुआ।*

**माननीय अध्यक्ष**: श्री बैन्नी बेहनन - उपस्थित नहीं।

श्री एन.के. प्रेमचन्द्रन, क्या आप संशोधन संख्या 13 प्रस्तुत करना चाहते हैं?

**SHRI N. K. PREMACHANDRAN :** Sir, I beg to move:

Page 2, *after* line 16,--

*insert* “(iii) clause (b) sub-section (1A) shall not be applicable to the members of immediate family of former Prime Minister who was assassinated by militant organization.”. (13)

**माननीय अध्यक्ष:** अब मैं श्री एन.के. प्रेमचन्द्रन जी द्वारा खंड 2 में प्रस्तुत संशोधन संख्या 13 को सभा के समक्ष मतदान के लिए रखता हूं।

*संशोधन मतदान के लिए रखा गया तथा अस्वीकृत हुआ।*

माननीय अध्यक्ष**:** प्रश्न यह है:

“कि खंड 2 विधेयक का अंग बने।”

*प्रस्ताव स्वीकृत हुआ।*

*खंड 2 विधेयक में जोड़ दिया गया।*

*खंड 1, अधिनियमन सूत्र और विधेयक का पूरा नाम विधेयक में जोड़ दिए गए।*

**माननीय अध्यक्ष:** माननीय मंत्री जी प्रस्ताव करें कि विधेयक को पारित किया जाए।

**श्री अमित शाह:** मैं प्रस्ताव करता हूं:

“कि विधेयक पारित किया जाए।”

**माननीय अध्यक्ष:** प्रश्न यह है:

“कि विधेयक पारित किया जाए।”

*प्रस्ताव स्वीकृत हुआ।*

___

**17.42 hrs**

**DADRA AND NAGAR HAVELI AND DAMAN AND DIU (MERGER OF UNION TERRITORIES) BILL, 2019**

**गृह मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री जी. किशन रेड्डी):** श्री अमित शाह की ओर से मैं प्रस्ताव करता हूं:

"कि दादरा और नागर हवेली तथा दमण और दीव संघ राज्यक्षेत्रों के विलयन और उससे संबंधित मामलों का उपबंध करने के लिए विधेयक पर विचार किया जाए।"

अध्यक्ष जी, ये दो यू.टीज़. जनसंख्या में बहुत छोटे हैं। दोनों को मिलाकर वहां 5,80,000 जनता है। इन दोनों यू.टीज़. में अधिकारीगण भी तीन दिनों के लिए एक जगह रहते हैं और दो दिनों के लिए दूसरी जगह रहते हैं। अधिकारी भी रेगुलर बैठते नहीं हैं। इसके कारण वहां का एडमिनिस्ट्रेशन जनता की सेवा ठीक तरह से नहीं कर पा रहा है। इसके साथ-साथ प्रशासनिक कुशलता को बढ़ाने के लिए, गवर्नमेंट वर्कर्स की प्रोफिशिएंसी बढ़ाने के लिए हमने दोनों यू.टीज़. को एक करने का निर्णय लिया है। जनता की अच्छी तरह से सेवा करने, एडमिनिस्ट्रेटिव कन्वीनिएंट और स्पीडी डेवलपमेंट के लिए यह किया गया है। जो दो छोटे-छोटे यू.टीज़. हैं, उन्हें मिलाकर हमारी सरकार एक करना चाहती है और उनका अच्छी तरह से डेवलपमेंट करना चाहती है।

दादरा और नागर हवेली की पॉपुलेशन 3.43 लाख है तथा दमण और दीव की पॉपुलेशन 2.43 लाख है। दोनों को मिलाकर करीब 5,80,000 की जनता है। इन दोनों यू.टीज़. को मिलाकर एक यू.टी. करके हम आने वाले दिनों में काम करना चाहते हैं। कम पॉपुलेशन होने के कारण वहां का एडमिनिस्ट्रेटिव एक्सपेंडिचर कम करने के लिए हम यह काम करना चाहते हैं।

आप सब लोगों को मालूम है कि हम वहां आने वाले दिनों में एडमिनिस्ट्रेटिव सुविधाएं देना चाहते हैं। दमण में सोमवार, बुधवार और शुक्रवार, तीन दिन अधिकारी मिलते हैं और हफ्ते में बाकी दिन दूसरी जगह दादरा और नागर हवेली में जाते हैं। मंगलवार और गुरुवार को दादरा और नागर हवेली में अधिकारी बैठते हैं। इसके कारण वहां एडमिनिस्ट्रेटर नहीं रहते हैं। एडवाइजर ऑफ एडमिनिस्ट्रेटर भी नहीं रहते हैं। वहां फाइनैंस सेक्रेटरी भी नहीं रहते हैं। हेल्थ सेक्रेटरी, लॉ सेक्रेटरी भी नहीं रहते हैं। इस तरह सभी सेक्रेटरीज अलग-अलग जगहों पर तीन दिनों के लिए और दो दिनों के लिए बैठते हैं। इसके साथ-साथ गुजराती और मराठी भाषा में ज्यादा बोलने वाले लोग दो जगहों पर हैं। इससे पहले इसकी हिस्ट्री भी देखनी चाहिए। ये पुर्तगालियों के अन्डर थे। फिर पुर्तगालियों से गोवा को आज़ादी मिली।

उसके बारे में मैं डिटेल में बताऊंगा। वहां गोवा के लेफ्टिनेंट जनरल के नीचे दो यू.टी स्टेट्स थे। अभी भी हम मानते हैं कि गोवा के लेफ्टिनेंट जनरल का एक्स-ऑफिसियो एडमिनिस्ट्रेटर ने वर्ष 1962 से लेकर वर्ष 1987 तक काम किया। मैं इस सदन से यही उम्मीद करता हूं और आप लोग भी अच्छे एडमिनिस्ट्रेशन के लिए इन दोनों यू.टीज़ को मिलाकर एक यू.टी. बनाना चाहते हैं। हम वहां अच्छा एडमिनिस्ट्रेशन देना चाहते हैं। सेन्ट्रल गवर्नमेंट की जो स्कीम्स हैं, उन स्कीम्स को भी हम वहां अच्छी तरह से लागू करना चाहते हैं। इसके लिए हमारी सरकार ने यह कदम उठाया है। इस बारे में मैं आप लोगों को बताना चाहता हूं कि Daman and Diu were liberated from Portugese rule by the Indian forces in December 1961. From 1961 to 1987 Daman and Diu were part of the Union Territory of Goa, Daman and Diu. When Goa became a State in 1987, Daman and Diu were made separate Union Territories. गोवा को जब सेपरेट स्टेट का दर्जा दिया गया, तो वहां दो यू.टीज़ स्टेट्स बने थे। Lt. Governor of Goa, Daman and Diu was also ex-officio Administrator of Dadra and Nagar Haveli from 1962 to 1977. अभी इन ऑफिसर्स

का दो जगहों पर रहने के कारण ठीक तरह से डेवलपमेंट का काम नहीं हो रहा है। हमारी सरकार वहां पूरा डेवलपमेंट करना चाहती है। इसके लिए वहां की जनता भी बहुत सालों से चर्चा कर रही है। उनकी बहुत दिनों से डिमांड है कि दो यू.टीज़ को मिलाकर एक बनाना चाहिए। अगर दोनों यू.टीज़ को मिलाकर एक बनाया जाए, तो ठीक तरह से एडमिनिस्ट्रेशन का काम होगा। यह वहां की जनता की डिमांड है। जनता की इस डिमांड को देखते हुए, हमारी सरकार ने निर्णय लिया है कि इन दो यू.टीज़ को मिलाकर एक बनाया जाए। इसके लिए मैं सभी सांसदों से अनुरोध करना चाहता हूं कि आप लोग यूनैनमस्ली इसको पास कीजिए, क्योंकि यह एक छोटा विषय है।

**माननीय अध्यक्ष:** प्रस्ताव प्रस्तुत हुआ:

> " कि दादरा और नागर हवेली तथा दमण और दीव संघ राज्यक्षेत्रों के विलयन और उससे संबंधित मामलों का उपबंध करने के लिए विधेयक पर विचार किया जाए"

**श्री मोहनभाई सांजीभाई देलकर (दादरा और नागर हवेली):** अध्यक्ष महोदय, मैं दादरा और नागर हवेली का प्रतिनिधित्व करता हूं। जैसा यहां मंत्री महोदय ने बताया कि अच्छे के लिए आप यह काम करने जा रहे हैं। मैं भी समझता हूं कि आदरणीय मोदी जी की सरकार हमारे दोनों प्रदेशों के उज्ज्वल भविष्य के लिए यह कदम उठा रही है। दोनों प्रदेशों के लोगों का अच्छी तरह से विकास हो, इस दिशा में हमारे गृह मंत्री माननीय अमित शाह जी कुछ कदम उठाएंगे। इसको मैं मान सकता हूं।

महोदय, सरकार की तरफ से जो यह बिल लाया गया है, वह दादरा नागर हवेली और दमन दीव को एक यू.टी. करने के लिए है। इस बिल का मैं समर्थन करता हूं। वैसे तो दादरा नागर हवेली और दमन दीव के लोग काफी सालों से एक मधुर संबंध से बंधे हैं। चाहे प्रसंग कैसा भी हो, अच्छा प्रसंग हो, खुशी का प्रसंग हो, तब भी हम उनके यहां जाते हैं। हमारे लोग वहां जाते हैं, उनके किसी भी प्रसंग में शामिल होते हैं और उनको सहयोग करते हैं। उसी प्रकार से अगर दुख का प्रसंग हो, तो उसमें भी वहां के लोग हमारे यहां आते हैं, हमारे परिवार से मिलते हैं और हमारे परिवार के लोग भी उनके यहां जाते हैं। इस प्रकार से हमारा जो संबंध है, वह बहुत पुराना है, बहुत मधुर है। मैं यह समझता हूं कि आदरणीय गृह मंत्री जी ने जो फैसला किया है, उसके लिए मैं उनका धन्यवाद करना चाहता हूं। आपने इन दोनों प्रदेशों के लोगों को एक छत के नीचे लाकर खड़ा कर दिया है। हमारे दो घर थे, आपने उन दोनों घरों को एक घर बना दिया। मैं समझता हूं कि उससे हमारा घर ज्यादा मजबूत होगा और उसकी आवाज भी ज्यादा मजबूत होगी। महोदय, मैं दादरा नागर हवेली से बिलाँग करता हूं। दादरा नागर हवेली के इतिहास के बारे में मैं दो-तीन लाइन बताना चाहता हूं। जैसा मंत्री महोदय ने बताया है, वह बिल्कुल सही है कि we were under Portugal rule. वर्ष 1954 में दादरा नागर हवेली मुक्त हुआ और यह वर्ष 1954 से वर्ष 1961 तक एक स्वतंत्र देश की तरह रहा।

हम भारत के साथ जुड़े हुए नहीं थे। वहां की पंचायत का नाम वरिष्ठ पंचायत था। उसी वरिष्ठ पंचायत ने वहां शासन किया। हम गुजरात के शासन के आभारी हैं, क्योंकि गुजरात के शासन के अधिकारी हमें सहयोग करने आते थे। वर्ष 1954 से 1961 तक यह एक अलग देश बन कर रहा। वर्ष 1961 में दादरा और नागर हवेली भारत के साथ मर्ज हुआ। उस समय एक आईएएस आफिसर मिस्टर बदलानी थे, उनको दादरा और नागर हवेली का एक दिन का प्रधान मंत्री बनाया गया। वह दादरा और नागर हवेली का प्रधान मंत्री अपने डेलीगेशन के साथ यहां दिल्ली आया और उसकी भारत सरकार के साथ बैठक हुई। भारत सरकार के प्रधान मंत्री और दादरा और नागर हवेली के प्रधान मंत्री के बीच में एग्रीमेंट हुआ, करार हुआ और उसी करार के तहत दादरा और नागर हवेली वर्ष 1961 में भारत का हिस्सा बन गया, भारत के साथ मर्ज हो गया। यह हमारी हिस्ट्री है।

मैं यह भी बताना चाहता हूं कि दादरा और नागर हवेली एक आदिवासी क्षेत्र है। शुरू में यह 70 पर्सेंट आदिवासी था। आहिस्ता-आहिस्ता अब आदिवासियों की संख्या 55 पर्सेंट रह गई है। हमारी यहां की संस्कृति, परम्परा उसी समय से चली आ रही है। भारत सरकार का मैं आभारी हूं कि भारत सरकार ने उसी समय से हमारे आदिवासियों को आरक्षण देने का काम किया, चाहे वह नौकरियों में आरक्षण हो और हमारी जो लोक सभा की सीट है, उसमें भी हमें आरक्षण है। हमारी सीट आरक्षित है। मैं भारत सरकार का आभार व्यक्त करना चाहता हूं कि उन्होंने हमें सारी सुविधाएं दीं। बीच में भी भारत सरकार की तरफ से ऐसे एनाउंसमेंट हुए, जिनका उद्देश्य यह था कि उस क्षेत्र का विकास हो, रोजगार बढ़े, प्रगति हो, लोग आगे आएं। यह उनका उद्देश्य था, उनकी इच्छाशक्ति थी, जिसकी वजह से वहां पर हमें काफी इनसेंटिव्स मिले। वहां उद्योग आए और आज ऐसी स्थिति है कि वहां काफी अच्छी संख्या में उद्योग हैं, रोजगार हैं। रोजगार की कमी भी है, लेकिन रोजगार भी है, विकास भी हुआ है, हम काफी आगे बढ़े हैं।

मेरी भारत सरकार से, खास कर आदरणीय गृह मंत्री जी से यह विनती है और मैं आपका आभार भी व्यक्त करना चाहता हूं कि इस बिल में आपने कुछ ज्यादा बदलाव नहीं किया है। आपने दोनों लोक सभा की सीटें रखी हैं। मेरी आपसे गुजारिश है कि आदिवासियों को जो आरक्षण मिला हुआ है, वह बरकरार रहे, उसमें कोई बदलाव न हो। मैं आपसे यह विनती करना चाहता हूं। मैं चाहता हूं कि वहां की हमारी परम्परा और संस्कृति बनी रहे।

इसके साथ-साथ मैं दमन और दीव के लोगों के बारे में भी दो शब्द कहना चाहता हूं। यह बात सही है कि हमारी भाषा एक है, कल्चर एक है। हमारे लिए खुशी की बात है कि प्रधान मंत्री जी भी गुजरात से आते हैं, आदरणीय गृह मंत्री जी भी गुजरात से आते हैं। हम गुजरात के बिल्कुल पड़ोस में हैं। हमारी भाषा भी गुजराती है। मैं समझ सकता हूं कि आदरणीय प्रधान मंत्री जी, आदरणीय गृह मंत्री जी की यह इच्छाशक्ति रही होगी और यह उद्देश्य रहा होगा कि इन दोनों प्रदेशों का हम उज्ज्वल भविष्य बनाएंगे। इसी इच्छाशक्ति से आपने यह निर्णय लिया है।

दमन और दीव के बारे में मैं कहना चाहता हूं कि दमन और दीव के लोग भी अच्छे लोग हैं। जैसा मैंने बताया कि काफी समय से हमारे अच्छे सम्बन्ध हैं। दमन और दीव के लोगों की जो परम्परा है, संस्कृति है, वह भी बनी रहे। वहां जो भी सहूलियतें दी हैं, जो भी इंसेटिव दमन और दीव के लोगों को दिया है, वह भी बरकरार रहे, कन्टीन्यू रहे, मैं आपके माध्यम से सरकार से यह निवेदन करना चाहता हूं। अंत में, मेरी एक बहुत अहम विनती है, गुजारिश है। हमारे लोगों की मांग है कि अब तो दोनों यूनियन टेरेटरीज एक समान हो गईं। दो टेरेटरी से एक टेरेटरी हो गई। हमारी पॉपुलेशन बढ़ गई और हमारा एरिया भी बढ़ गया।

हमारे लिए बहुत अच्छी बात है, भारत सरकार के लिए भी बहुत अच्छी बात है। दोनों टेरिटरीज मिलकर हर साल पांच हजार करोड़ का रेवन्यू भारत सरकार को देती हैं। हमारी रेवन्यू की आय बहुत स्ट्रांग है। इसे देखकर दोनों प्रदेशों के लोगों ने एक मांग रखी है कि दोनों टेरिटरीज

को विधान सभा दी जाए। हम कोई बड़ी विधान सभा की बात नहीं करते हैं। पांडिचेरी को विधान सभा मिली है। उसी तर्ज पर दोनों प्रदेशों के लिए विधान सभा का गठन हो। हमें विधान सभा मिले, मैं यह गुजारिश करना चाहता हूं। मैं रिकार्ड पर लाना चाहता हूं, सन 2014 से हमारी मांग जायज है, इसका प्रमाण है। सन 2014 में होम मिनिस्ट्री की स्टैन्डिंग कमेटी बनी थी। आज के आदरणीय पूर्व उप-राष्ट्रपति वेंकैया नायडू जी उस कमेटी के अध्यक्ष थे, उनकी अध्यक्षता में यह कमेटी बनी थी। कमेटी ने दादरा और नागर हवेली का दौरा किया था। उस दौरे का एजेंडा था, कमेटी ने रिकमंड किया, फरवरी, 2014 में यह रिपोर्ट राज्य सभा के टेबल पर ले भी हुई, यह 108वीं रिपोर्ट थी। उस कमेटी ने 2014 में रिकमंड किया था, मैं आपके माध्यम से माननीय गृह मंत्री जी के संज्ञान में लाना चाहता हूं "The Committee find merit in the popular demand for creation of an Assembly for the UTs and desired that the Government of India may look into this matter on the line of Puducherry." यह रिपोर्ट राज्य सभा में भी ले हुआ है। कमेटी ने रिकमंड इस बात पर किया कि इसमें बिल्कुल मेरिट है। उस कमेटी ने दोनों टेरिटरीज को विधान सभा दिए जाने की सिफारिश की थी।

आखिर में, देश के आदरणीय प्रधान मंत्री और माननीय गृह मंत्री अमित शाह जी से मेरी विनती है कि हमारे लोगों की जो मांग है, भविष्य में असेम्बली देने की जो मांग है, उसे स्वीकार करें। इस बारे में भविष्य में सरकार सोचेगी। मैं माननीय गृह मंत्री जी से गुजारिश करता हूं कि जैसा आपने कहा कि इसमें कोई बदलाव नहीं है, आपने दो लोक सभा क्षेत्र रखे हैं, आदिवासियों के लिए जो आरक्षण रखा है वह कन्टीन्यू रहे, यह मैं गुजारिश करता हूं। दोनों टेरिटरीज को एक करने के इस अह्म बिल पर बोलने का आपने मुझे मौका दिया, इसके लिए मैं आपको दिल से धन्यवाद करता हूं और भारत सरकार को बधाई देता हूं। बहुत-बहुत धन्यवाद।

**माननीय अध्यक्ष:** आप दोनों माननीय सदस्यों का विलय हो गया।

**श्री लालूभाई बी. पटेल (दमन और दीव):** माननीय अध्यक्ष जी, मुझे इस बिल पर बोलने का अवसर देने के लिए मैं आपका आभारी हूं। मैं इस बिल का स्वागत करता हूं क्योंकि इसके कारण एक समानता आएगी। हमारे प्रधान मंत्री श्री नरेन्द्र मोदी जी की सरकार सबका साथ, सबका विकास और सबका विश्वास कार्यक्रम को और सक्षम बनाएगी। बिल में सभी क्षेत्रों के दोहरे कार्यों में कमी के कारण बहुत हद तक पैसे की बचत भी होगी। मैं विश्वास दिलाता हूं कि यह अंतर काफी बड़ा होगा। इस बिल में सामान्य प्रशासनिक सुविधाओं का प्रस्ताव है। सभी संबंधित अधिकारी पूरे सप्ताह पांच दिन के लिए एक ही कार्यालय में उपलब्ध रहेंगे। यह जनता और हमारे लिए अच्छा रहेगा। माननीय मंत्री जी ने दादरा और नागर हवेल और दमन-दीव के बारे में सारी डिटेल बता दी है। माननीय प्रधान मंत्री जी का एक और दृष्टिकोण 'न्यूनतम सरकार, अधिकतम शासन' भी पूरा होगा।

इसके पुनर्गठन से ग्रुप बी (नॉन गैजेटेड) और ग्रुप सी कर्मचारियों को उनके अपने संघ प्रदेश में ही रहने दिया जाए, उनकी ट्रांसफर न की जाए। विलय के बाद इन दोनों ग्रुप्स में जो भी नौकरी निकले, इसी संघ प्रदेश में ही मिलनी चाहिए। हमारे प्रदेश में डेली वेज़ेज़ और कांट्रेक्ट बेसिस पर काम करने वाले कर्मचारियों को रैगुलर करना चाहिए क्योंकि ये कई सालों से काम कर रहे हैं। हमारे प्रदेश के पढ़े लिखे भाई बहनों को दूसरे राज्य में नौकरी नहीं मिलती है इसलिए मेरी मांग है कि पढ़े लिखे भाई बहनों को दादरा और नागर हवेली और दमन-दीव में ही नौकरी मिले।

वर्ष 2011 की जनगणना के अनुसार दादरा और नागर हवेली में 3.43 लाख और दमन-दीव में 2.43 लाख जनसंख्या है। यह खुशी की बात है कि दादरा और नागर हवेली और दमन-दीव में दो सांसदों का प्रावधान किया गया है। मैं इसके लिए माननीय प्रधान मंत्री, माननीय अमित भाई और सरकार को बहुत धन्यवाद देता हूं। जब दोनों प्रदेशों का विलय हो जाएगा तो इंडस्ट्री बढ़ेगी। इस क्षेत्र में सभी प्रकार के उद्योग और व्यवसाय होंगे। विलय किए गए संघ प्रदेश का कुल क्षेत्र 603 वर्ग किलोमीटर होगा। इससे पर्यटन और बढ़ेगा। दमन में समुद्र, नदियां, फोरस्ट है, यह विकास के

लिए महत्वपूर्ण है। दमन को सीआरजेड 2 और दीव को आईलैण्ड घोषित किया जाए। दमन से सिलवासा 35 किलोमीटर और दीव से सिलवासा 700 किलोमीटर दूर है, इसलिए इसे आईलैण्ड घोषित किया जाए। दोनों प्रदेशों में दमन और दीव में एयरपोर्ट है, इसे बढ़ाया जाए ताकि फ्लाइट से जा सकें। अभी हैलीकॉप्टर सेवा शुरू की गई है। मैं आशा करता हूं कि कटामरन सर्विस मुम्बई, सूरत, दीव, दमन से चालू की जाएगी, इससे टूरिज्म और बढ़ेगा।

यह बिल कोई ऐसा प्रस्ताव नहीं करता है जिसमें किसी एक सचिवालय के बंद होने का उल्लेख है। मैं माननीय गृह मंत्री जी का ध्यान इस मुद्दे की तरफ दिलाना चाहता हूं कि विलय के बाद पूरे संघ प्रदेश में दमन जिला, ग्राम पंचायत, पंचायत तथा सरपंच के अधिकारों को छीना गया है, इसे वापिस दिया जाए। दीव, दादरा और नागर हवेली में अधिकार यथावत हैं, सिर्फ दमन में सरपंच की कोई पावर नहीं है। उसे पावर दी जाए क्योंकि उसे गांवों में विकास के कार्य को आगे बढ़ाना है।

दमन में म्युनिसिपल एरिया और ग्रामीण स्तर पर एफएसआई अलग है। म्युनिसिपल एरिया में एफएसआई है, वही एफएसआई पंचायत एरिया में होनी चाहिए। सभी जगह एक जैसा ही एरिया है, इसलिए अलग-अलग एफएसआई को एक किया जाए।

मैं माननीय गृह मंत्री अमित शाह जी से कहना चाहता हूं। जैसे मोहन भाई ने भी बताया। दमन दीव के पूरे सांसदों की मांग थी। पुडुचेरी जैसी मिनी असेम्बेली के लिए हम बहुत मांग कर रहे थे तो हमारे लिए भी एक मिनी असेम्बली होनी चाहिए। हम आशा करते हैं कि मिनी असेम्बली से अच्छा काम कर सकेंगे और हमें सरकार का आशीर्वाद भी रहेगा।

मैं श्री नरेन्द्रभाई मोदी, हमारे माननीय प्रधान मंत्री जी के आशीर्वाद से बिल को लाने के लिए मैं माननीय गृह मंत्री श्री अमित भाई शाह जी को धन्यवाद देता हूं और इस बिल का पूरा समर्थन करता हूं । हम दमन दीव की जनता की तरफ से आशा करते हैं कि आप हमें जल्द से जल्द मिनी असेम्बेली दे दें तो हमारा काम हो जाएगा और यह विकास के लिए भी बहुत अच्छा

रहेगा। मोहनभाई आपने तो कम बोला हम दोनों प्रदेश 7 हजार करोड़ रुपये भारत सरकार को देते हैं। बहुत-बहुत धन्यवाद।

**SHRI B. MANICKAM TAGORE (VIRUDHUNAGAR):** Thank you, Sir. Both the hon. Members from that area have presented their views. I have some inputs for the Government. We need to understand that what is the need of this Bill which was introduced by the hon. Minister. In the year 1999, in reply to a question in the Rajya Sabha, the then Home Minister, Shri L. K. Advani Ji said that there was no proposal or no need for amalgamation of Daman and Diu and Dadra and Nagar Haveli. So, what is the need now? In 1999, the then NDA Government had taken a stand that there would be no amalgamation of these two Union Territories. And when smaller States are more progressive, more economically stronger, then, why is there this need? That is the thing. I met the ex-Member of Parliament, Ketan Patel from Daman and Diu. He was telling me that the consultation was not proper.

I would like to ask the hon. Minister how many consultations on this amalgamation or merger have been conducted by the Government of India? How many political leaders, political parties, or Panchayat leaders have been consulted? It cannot be a unilateral decision on our part, sitting in Delhi, to take over the powers of the smaller Territories. The smaller States and smaller Territories need more voice. My colleagues, both the hon. Members, who spoke about the need for an Assembly in Dadra and Nagar Haveli as well as in Daman and Diu and it needs to be considered, like the Puducherry and Delhi model, because people's representation and people's power are more important. I am sure that the hon. Minister will answer in his reply how many

consultations were conducted and what was the urgency. These are my queries.

Thank you, Sir.

**माननीय अध्यक्ष:** दादा आपने भी नाम लिखाया है। अब दादर और नागर हवेली और दमन दीव एक होना चाहते हैं तो आप कहां से बीच में आ गए।

**प्रो. सौगत राय :** ये प्रदेश भी देश के अंदर हैं।

**माननीय अध्यक्ष:** सुदीप जी बतांएगे कि दादा इंटरनेशनल नेता हैं।

…(व्यवधान)

**माननीय अध्यक्ष:** मोहम्मद फैजल जी ।

…(व्यवधान)

**माननीय अध्यक्ष:** आपका नहीं है, आपके लिए तो मैंने आग्रह किया था।

…(व्यवधान)

**SHRI MOHAMMED FAIZAL P.P. (LAKSHADWEEP):** Thank you very much, Speaker Sir. I would like to support the Dadra and Nagar Haveli and Daman and Diu (Merger of Union Territories) Bill, 2019. Being a Member of Parliament from another Union Territory, it is my responsibility to extend support for such a Bill which brings in comprehensive attention to both the Territories, and which will provide both the Territories a good scope of development. At the same time, I have some apprehensions and clarifications from the hon. Minister.

Mr. Manickam has mentioned about the need of the consultation of the people. Of course, both Members of Parliament are very happy with the way Government is going for the merger of the Union Territories. But on a larger scale, we have to see how the people are feeling on this move, and whether they are satisfied really, or not. Otherwise, the entire aspect of merging will be a failure.

The second concept of the Government for bringing this Bill is how this will affect the administrative offices of the two Union Territories. While the intention behind the Bill has been to prevent duplication of efforts and to reduce wasteful expenditure on infrastructure and manpower in the Union Territory, the Bill itself assures that the persons employed in the Union Territory as a part of All India Service which would include individuals employed in two different secretariats for two Union Territories will continue within the merged Union Territory. How would duplication of work and

excessive expenditure of manpower be prevented? I expect a clarification on this from the hon. Minister.

I have a few suggestions. When two Union Territories are merged together, the budget allocation of the merged Union Territory must be comparable to the added budget of individual Union Territories. There must be no shortfall of Budget. Secondly, transfer and re-deployment of service personnel working for Union Territories must be smooth and help must be given to these employees for smooth transition. Thirdly, a single unified secretariat will cater to both the Union Territories and it must be located such that it is accessible to the people from both the Union Territories.

As both the Members of Parliament have asked for a mini Assembly, I would like to mention a few points from my Union Territory also. Though we are a democratic country, we are elected representatives coming here with lot of emotions and expectations of the people, when we go back to our Union Territories, the participation of the local Member of Parliament or Panchayat in the development process is very meagre. As far as my island is concerned, I am happy with this Government. An administrator is protocol-wise the seniormost person of the island. Earlier, we had administrators only from the administrative service and IAS officers were deputed as the administrators there. Now the previous Government took a wonderful step. I was the person who initiated the discussion in previous Lok Sabha where I asked for a mini Assembly. Considering that, at least this Government has taken a step to

appoint an administrator who is a politically nominated person. It does not matter which Governments come into power. Today, you are sitting in Treasury Benches. Tomorrow, it can change. But the person who is sitting at the top and who is putting his signature for the welfare of the people, must be a politically nominated person. That is what all the Members of Parliament from Union Territories envisaged so that people's aspirations can be accumulated and finally we can give a good result to the people. Secondly, nowadays I have seen Ministry of Home Affairs is sending IAS officers. Now it has become a storage for those officers who do not fit anywhere else. They are being sent to Lakshwadweep. Earlier, we had only two IAS officers and it worked in a good way. Now, there are four to five officers in Lakshadweep which has resulted in the backward movement of the island. The file is moved from area to area and finally when it reaches the conclusion, it is delayed like anything. Please do not send more IAS officers to Lakshwadweep. There are only two sanctioned posts of IAS officers here. Do not send more than two officers.

I am concluding with an important point. The hon. Home Minister is also sitting here. I know all the officials of Home Ministry are here. I raised the same matter in the Zero Hour stating why Lakshadweep was dragged back before. I blame Congress for that. Since 1995, the administration of Lakshadweep has been taken care of by the DANICS service. The Government of India sends DANICS officers. There are 13 in-cadre posts in Lakshadweep.

For almost all of these 13 encadered posts, new entry cadre officers who are joining the service for the first time are being chosen and sent to Lakshadweep. By the time they reach there, they are not familiar with the Government service. They come to study the things. They are there for a maximum of two years. After two years, these officers go back and a new bunch of officers come in. As a result of this, long-term perspective development never happens in Lakshadweep because of the frequent change of officers. So, my suggestion is this. The local son of the soil should be encadred into the DANIC Service so that the officer who is appointed to the Director post which is key in the development process can understand the local language very well and continue in that service for long. The officers who come from outside always want to go back since this is a far-off place. They somehow want to serve their two-year service and run back to Delhi. Such officers never contribute in a bigger way to the development of the island.There are a lot of other issues but this is not the time to raise them. I am very much supporting this Bill. Kindly look into Lakshadweep also and kindly give us a mini Assembly which is very much essential for development.

Thank you very much.

**माननीय अध्यक्ष :** प्रो. सौगत राय जी, आप दो मिनट में अपनी बात समाप्त कीजिए।

**प्रो. सौगत राय (दमदम) :** सर, दो मिनट में नहीं होगा।

**माननीय अध्यक्ष :** आपका समय एलॉटमेंट दो मिनट ही है।

**प्रो. सौगत राय :** सर, मुझे कुछ बोलना है, आप सुन लीजिए।

**प्रो. सौगत राय:** सर, मैं यूनियन टेरिटरीज बिल पर बोल रहा हूं। मुझे अपने बचपन की याद आती है, तब कोलकाता के रास्तों पर जुलूस निकलता था – 'गोवा, दमन, दीव छोड़ो, अभी छोड़ो, जल्दी छोड़ो।' आप शायद जानते होंगे कि बंगाल के बहुत से लोग गोवा की लिबरेशन के लिए गोवा गए थे, अरेस्ट हुए थे। हमारे त्रिदिब चौधरी ने सालाज़ार की जेल में 19 महीने बिताए थे। उनकी ही पार्टी थी आरएसपी। तब उन लोगों ने वहां पर जो कष्ट सहा था, उनको मैं याद करता हूं।

**<u>17.46 hrs</u>** (Shri Kodikunnil Suresh *in the Chair*)

मैं जवाहर लाल नेहरू जी के प्रति श्रद्धा जताता हूं, उन्होंने ही दिसम्बर, 1961 में हिन्दुस्तानी सेना गोवा में भेजी। अगर वह सेना नहीं भेजते तो गोवा कभी आजाद नहीं होता और गोवा के साथ दमन-दीव भी आजाद हो गए। इसके पहले वर्ष 1954 में दादरा-नागर हवेली के लोगों ने खुद को आजाद कर लिया था। जब जवाहर लाल नेहरू जी ने गोवा को आजाद करा दिया, तब गोवा, दमन-दीव और दादरा-नागर हवेली, सभी आजाद हो गए। गोवा बाद में एक राज्य बन गया, दमन-दीव और दादरा-नागर हवेली को अलग से यूनियन टेरिटरी बनाया गया। मोहन देलकर जी की जो मांग है कि दमन-दीव और दादरा-नागर हवेली में विधान सभा होनी चाहिए, मैं उसका पूरा समर्थन करता हूं। मैं यह सोचता हूं कि लक्षद्वीप और अण्डमान-निकोबार में भी पुदुच्चेरी जैसा इलेक्टेड लेजिस्लेचर, मिनी लेजिस्लेचर होना चाहिए। हिन्दुस्तान में कोई भी यूनियन टेरिटरी ऐसी नहीं रहनी चाहिए, जहां पर रिप्रजेंटेटिव गवर्नमेंट न हो। अमित शाह जी नौजवान हैं और गृह मंत्री हैं, आशा करता हूं कि इस बात पर वह दिशा दिखाएंगे।

सर, दमन-दीव प्रॉसपरस है। जैसा देलकर जी ने बताया है, वह 5000 करोड़ रुपये रेवेन्यू देता है। वहां पर 1992 से टैक्स हॉलीडे था और वहां पर टेक्सटाइल इंडस्ट्री बहुत डेवलप हुई। वह गुजरात से लगा हुआ है तो दमन के दो एडवांटेजेज हैं। गुजरात के जो लोग दारू पीना चाहते हैं, दमन में जाते हैं और वहां अच्छे सी-बीचेज़ हैं, वहां अच्छे चर्च हैं और एक्साइज से भी बहुत रेवेन्यू

दमन में आता है। दादरा-नागर हवेली की पापुलेशन ज्यादा है, वहां दो लाख वोटर्स हैं और दमन-दीव में वोटर्स की संख्या डेढ़ लाख है। दोनों छोटे-छोटे संसदीय क्षेत्र हैं। मैं यही कहना चाहता हूं कि एनडीए सरकार की एक टेंडेंसी है, ये मर्ज करते हैं, इसका जाइगैंटिज्म बोलते हैं। अभी पांच बैंक्स को एक साथ मर्ज कर दिया। चार टेरेटरीज़ को एक साथ किया, लेकिन शूमाकर की किताब 'स्माल इज ब्यूटीफुल' उन्हें पढ़नी चाहिए। जितना छोटा प्रांत होगा, उतना अच्छा प्रशासन होगा। मैं तो सपोर्ट करूंगा, लेकिन ऐसा होना चाहिए।

महोदय, अंत में मुझे एक बात ही कहनी है कि गृह मंत्री जी ने कहा कि बंगाल में बीजेपी के लोगों को खतरा है, इसलिए सीआरपीएफ प्रोटेक्शन दिया। मैं इससे सहमत नहीं हूं। यह सही नहीं है। बंगाल में सभी लोग सुरक्षित हैं। उन्हें सीआरपीएफ की सुरक्षा देने की कोई जरूरत नहीं है। इसके साथ ही मैं इस बिल का समर्थन करते हुए अपनी बात समाप्त करता हूं।

**SHRI N. REDDEPPA (CHITTOOR):** Thank you, Sir, for giving me an opportunity to put forth our YSRC Party's views on the Dadra and Nagar Haveli and Daman and Diu (Merger of Union Territories) Bill, 2019. The Union Territory of Dadra and Nagar Haveli and the Union Territory of Daman and Diu are both former Portuguese territories on the western coast of India. The former came into existence as a separate territory in 1961 and the latter in 1987. Both these territories, though are separate entities, share similar history, language and culture due to the common background and also have a similar administrative set up.

They both came under the AGMUT cadre for All India Services, and thus have a common pool of officers undertaking administrative work in both the territories based on work allocation. Further, there are common Secretaries to various Departments, Chief of Police and Chief Conservator of Forest in both the Union territories. The development schemes and policies are also similar in these territories with similar challenges and realities. In spite of the existence of such similarities, since they exist as two separate Union territories, a common secretariat and departments do not exist. Each of these separate secretariats and parallel departments is sustained through tax-payers' money which we feel is an unnecessary burden. The manpower and infrastructure implications of these separate entities seem redundant in the spirit of 'Minimum Government, Maximum Governance'.

**<u>17.52 hrs</u>** (Hon. Speaker *in the Chair*)

To further elaborate on the problem, the administrators, secretaries and HODs have to alternate between the two Union territories as they function in both these places. Such a scenario impacts the multiple stakeholders involved. Needless to say, the current situation leads to inefficiency and unjustified expenditure along with the duplicacy and coordination problems. These problems are in terms of the interactions within these two Union territories.

**गृह मंत्री (श्री अमित शाह) :** अध्यक्ष जी, इस बिल पर मेरे साथी मंत्री ही जवाब देंगे, लेकिन मैं रेकार्ड क्लीयर करने के लिए खड़ा हुआ हूं। अभी दादा सदन में बोल रहे थे और उन्होंने पूर्व प्रधान मंत्री नेहरू जी का धन्यवाद  दमन-दीव, दादरा और नागर हवेली की स्वतंत्रता के लिए किया। मैं एक वास्तविक चित्र सदन के सामने रखना चाहता हूं। गोवा, दमन दीव और दादरा-नागर हवेली को वर्ष 1954 तक, आजादी के सात वर्षों के बाद भी पुर्तगाली शासक सालाजार ने स्वतंत्र नहीं किया था। सरकार ने इस विषय में कोई इंटरवेंशन नहीं किया था। हैदराबाद में जैसे पुलिस एक्शन हुआ, इस तरह की कोई कार्रवाई सरकार ने नहीं की थी। उस वक्त बाबा साहब पुरंदरे, सुधीर फड़के, राजाभाई बाकणकर, भोसले, मिलिट्री स्कूल के मेजर प्रभाकर कुलकर्णी, बिंदु माधव जोशी आदि 25-30 साल के युवकों ने कमेटी बनाई। इन्होंने आंदोलन किया और इन लोगों के आंदोलन के कारण ही दादरा-नागर हवेली स्वतंत्र हुआ। मैं तो बोलना भी नहीं चाहता था, लेकिन रेकार्ड क्लीयर करना चाहता हूं। मैं यही कह रहा हूं कि…(व्यवधान)

**श्री मोहनभाई सांजीभाई देलकर :** सर, दादरा और नागर हवेली के बारे में भी बता दें।

**श्री अमित शाह :**  मैं आगे आता हूं। उस वक्त पैसों की कमी थी तो पैसा कहां से आएगा? श्री सुधीर फड़गे ने लता जी से रिक्वैस्ट की और पुणे के हीराबाग मैदान में इसके लिए लता मंगेशकर जी ने 'लता मंगेशकर रजनी' करके एक कार्यक्रम किया। इससे एक बड़ा एमाउंट इकट्ठा हुआ और फिर दादरा और नागर हवेली 2 अगस्त को आज़ाद हुआ और वहां पर पहली बार तिरंगा झंडा फहराया गया। आपने नेहरू जी को सीधा यश दिया, उनका भी यश है क्योंकि वे प्रधान मंत्री थे। लेकिन इन लोगों का योगदान है, जिन लोगों ने जान की बाजी लगाकर दादरा नागर हवेली को आज़ाद कराया था। उसके बाद भारतीय सेना द्वारा 1961 में दमन और दीव को भी स्वतंत्र कर दिया गया और जैसा कि देलकर साहब ने बताया कि इसका मर्जर एक एग्रीमेंट के तहत भारतीय संघ में हुआ। यह रिकार्ड क्लिअर करने के लिए मैं खड़ा हुआ था। …(व्यवधान)

**प्रो. सौगत राय :** सर, मैं कहना चाहता हूं कि …(व्यवधान) गोवा की आज़ादी के लिए…(व्यवधान)

**श्री अमित शाह :** राम मनोहर लोहिया जी और चौधरी साहब का भी इतना ही योगदान है मगर आप पहले सुनिये। …(व्यवधान)

**प्रो. सौगत राय :** आपके मुंह से होगा तो अच्छा होगा।

**श्री अमित शाह :** आपने पहले सिर्फ जवाहर लाल नेहरू जी का नाम बोला, इसलिए मैं स्पष्ट करने के लिए खड़ा हुआ कि आज़ादी तो इन युवाओं ने दिलवाई थी। …(व्यवधान) संविधान प्रदत्त आरक्षण ये दोनों मर्ज हुए संध प्रदेशों के अंदर …(व्यवधान) as it is रहेगा, उसमें कोई बदल नहीं है।…(व्यवधान)

**माननीय अध्यक्ष :** ऐसे तो सब बिल से संतुष्ट हो गये हैं, आप कहें तो पास करा दूं?

…(व्यवधान)

**श्री जी. किशन रेड्डी :** माननीय अध्यक्ष जी, मोहन भाई जी, लाल भाई पटेल जी, मो. फ़ैजल जी, प्रो. सौगत राय जी, आप सभी ने अपने-अपने सुझाव दिये हैं। मुझे खुशी है कि सभी लोगों ने इस प्रस्ताव का समर्थन किया है । मैं सभी लोगों को सरकार की ओर से धन्यवाद देना चाहता हूं।…(व्यवधान)

**माननीय अध्यक्ष :** अगर सभा की सहमति हो तो सभा का समय 7 बजे तक के लिए बढ़ा दिया जाए। मैंने शून्यकाल में कमिटमेंट किया था क्योंकि जिनका लिस्ट में नाम था, मैं उनको नहीं बुला पाया था।

…(व्यवधान)

**श्री जी.किशन रेड्डी :** माननीय अध्यक्ष जी, कर्मचारियों के लिए जो आरक्षण है, कर्मचारियों के लिए जो व्यवस्था है, उसमें कोई बदलाव नहीं होगा। जो एसटी का रिजर्वेशन है, वह ऐसे ही रहेगा। संविधान के आधार पर जो रिजर्वेशन एससीएसटी का होगा, वह रिजर्वेशन वैसा ही रहेगा। उसमें कोई बदलाव नहीं लाएंगे। नए यू.टी. का नाम दादरा नगर हवेली एंड दमन दीव होगा। सबसे ज्यादा ध्यान विकास के विषय पर आने वाले दिनों में देना चाहिए कि इसका प्रपोजल दोनों यू.टीज की तरफ से भी आया है। यू.टी. के अधिकारी, यू.टी. की जनता की तरफ से ही यह प्रस्ताव आया है। इधर दिल्ली में बैठकर हमने नहीं किया है। वहां से प्रस्ताव आया है। उस प्रस्ताव के आधार पर ही सरकार ने यह कदम उठाया है। यह बात भी मैं आप लोगों को बताना चाहता हूं।

दूसरे, सेन्ट्रल गवर्नमेंट के जो फ्लैगशिप प्रोग्राम्स हैं, हम उनको ज्यादा इम्पलीमेंट करना चाहते हैं। अभी दोनों माननीय सांसदों ने भी बताया है कि ठीक तरह से इम्पलीमेंटेशन हो। आज की स्थिति में हम ऑफिसर्स अवेलेबिलिटी सुगम होने के कारण, क्योंकि सभी महत्वपूर्ण अधिकारी दो दिन एक जगह बैठते हैं और तीन दिन एक जगह बैठते हैं, इसके कारण वे ध्यान नहीं दे पाते हैं। इधर से उधर टहल करते रहते हैं, इसके कारण जो स्कीम्स हैं, उन पर ध्यान नहीं दे पाते हैं।

इसलिए आने वाले दिनों में ऑफिसर्स सेन्ट्रल गवर्नमेंट और यू.टी. की स्कीम्स को ठीक तरह से इम्पलीमेंट करें जिससे जनता का विकास हो। यह विषय भी आप लोगों को बताना चाहता हूं। जो कर्मचारी ग्रुप 3 और ग्रुप 4 श्रेणी में हैं, उनमें कोई बदलाव नहीं होगा। नई यू.टी. आने के बाद भी एम्पलाईज का रिस्क सिक्योरिटी, एम्पलाईज के राइट्स की देखभाल ठीक तरह से करेंगे।

**18.00 hrs**

लोक सभा की दोनों सीट्स में कोई चेंज नहीं होगा। लोक सभा सीट्स को ऐसे ही जनता की सेवा करते रहनी चाहिए। लोक सभा में आने वाले दिनों में ऐसा ही होगा, जैसे हाई-कोर्ट्स लीगल हैं। जो मुंबई का हाई-कोर्ट है, अभी वह मुंबई का हाई-कोर्ट ही काम करेगा। वैसे ही जो लीगल समस्या पेंडिंग है, वह लीगल समस्या हल होगी और एगज़िस्टिंग लॉ ही उसमें इम्प्लिमेंट होगा। उसमें कोई बदलाव नहीं है। केवल एडमिनिस्ट्रेशन कनविनिएंट, स्पीडी डेवलपमेंट, इम्पिलमेंटेशन ऑफ सेंट्रल गवर्नमेंट स्कीम्ज़ एंड स्टेट गवर्नमेंट स्कीम्ज़ – ये मर्जर हुआ है। इसलिए, आप सबको इसमें कोई शंका नहीं करनी चाहिए। मैं फिर एक बार सरकार की तरफ से आप सब लोगों को धन्यवाद देता हूं। मैं यूनेनिमसली इस बिल को पास करने की रिक्वेस्ट करता हूं।

**श्री अमित शाह :** अध्यक्ष जी, 'न' में शायद कोई नहीं है। इसमें सर्वानुमति है। …(व्यवधान)

**माननीय अध्यक्ष :** यह सर्वसम्मति से है। अब इसमें एक नया क्लॉज़ भी लाना पड़ेगा कि जब सर्वसम्मति हो तो नया संशोधन/नियम बनाना पड़ेगा।

…(व्यवधान)

**माननीय अध्यक्ष :** प्रश्न यह है :

> "कि दादरा और नागर हवेली तथा दमण और दीव संघ राज्यक्षेत्रों के विलयन और उससे संबंधित मामलों का उपबंध करने के लिए विधेयक पर विचार किया जाए।"

*प्रस्ताव स्वीकृत हुआ।*

**माननीय अध्यक्ष :** अब सभा विधेयक पर खण्डवार विचार करेगी।

**माननीय अध्यक्ष :** प्रश्न यह है :

"कि खंड 2 से 7 विधेयक का अंग बनें।"

*प्रस्ताव स्वीकृत हुआ।*

*खंड 2 से 7 विधेयक में जोड़ दिए गए।*

**Clause 8 Extension of jurisdiction of High Court of Bombay**

**माननीय अध्यक्ष :** श्री जसबीर सिंह गिल, क्या आप संशोधन संख्या 1 प्रस्तुत करना चाहते हैं?

**श्री जसबीर सिंह गिल (खडूर साहिब):** सर, यह हमारे देश की खूबसूरती है, हमारी पार्लियामेंट की, हमारी डेमोक्रेसी की, कि अपने दमण और दीव के भाइयों के लिए पंजाब का एक सिख यहां बात कर रहा है। यह हमारी डेमोक्रेसी की खूबसूरती है।

I beg to move:

"Page 3, line 9,--

*after* "Diu"

*insert* "with the establishment of a permanent bench at Daman". (1)

**माननीय अध्यक्ष :** अब मैं श्री जसबीर सिंह गिल द्वारा खंड 8 में प्रस्तुत संशोधन संख्या 1 को सभा के समक्ष मतदान के लिए रखता हूं।

*संशोधन मतदान के लिए रखा गया तथा अस्वीकृत हुआ।*

**माननीय अध्यक्ष :** प्रश्न यह है :

"कि खंड 8 विधेयक का अंग बने।"

*प्रस्ताव स्वीकृत हुआ।*

*खंड 8 विधेयक में जोड़ दिया गया।*

*खंड 9 से 11 विधेयक में जोड़ दिए गए।*

**Clause 12 Right to recover loans and advances**

**माननीय अध्यक्ष :** श्री जसबीर सिंह गिल, क्या आप संशोधन संख्या 2 प्रस्तुत करना चाहते हैं?

**SHRI JASBIR SINGH GILL :** I beg to move:

"Page 3, line 32,--

*after* "Diu"

*insert* "and that all borrowings and loans taken by both of these Union Territories before the appointed day shall be repaid or taken over by Union Government thereby making the Union Territory of Dadra and Nagar Haveli and Daman and Diu debt free." (2)

**माननीय अध्यक्ष :** अब मैं श्री जसबीर सिंह गिल द्वारा खंड 12 में प्रस्तुत संशोधन संख्या 2 को सभा के समक्ष मतदान के लिए रखता हूं।

*संशोधन मतदान के लिए रखा गया और अस्वीकृत हुआ।*

**माननीय अध्यक्ष :** प्रश्न यह है :

"कि खंड 12 विधेयक का अंग बने।"

*प्रस्ताव स्वीकृत हुआ।*

*खंड 12 विधेयक में जोड़ दिया गया।*

*खंड 13 से 23 विधेयक में जोड़ दिए गए।*

*खंड 1, अधिनियमन सूत्र और विधेयक का पूरा नाम विधेयक में जोड़ दिए गए।*

**श्री जी. किशन रेड्डी :** माननीय स्पीकर महोदय, मैं प्रस्ताव करता हूं:

"कि विधेयक पारित किया जाए।"

**माननीय अध्यक्ष :** प्रश्न यह है :

"कि विधेयक पारित किया जाए।"

*प्रस्ताव स्वीकृत हुआ।*

---

**माननीय अध्यक्ष :** माननीय सदस्यगण, अब शून्य काल लिया जाएगा।

…(व्यवधान)

**माननीय अध्यक्ष:** अब शून्य काल। माननीय सदस्यगण, सोमवार और मंगलवार को जिन लोगों के नाम लिस्टेड थे और शून्य काल नहीं हो पाया था। उन सबको भी आज अवसर दिया जाएगा।

**श्री सुमेधानन्द सरस्वती (सीकर):** माननीय अध्यक्ष जी, धन्यवाद कि आपने एक बहुत ही महत्वपूर्ण विषय पर मुझे बोलने का अवसर दिया। मेरे लोक सभा क्षेत्र में कुछ ऐसे स्थान हैं, जहां पर दूरसंचार की समस्या है। मैंने माननीय मंत्री जी से इस विषय में आग्रह भी किया है। खासतौर से नीम का थाना, जो मेरे लोक सभा क्षेत्र का विधान सभा क्षेत्र है, वहां टोडा धाम, लादी का बास और शोभ आदि कई स्थान हैं। मैंने छः-सात स्थान माननीय मंत्री जी को लिखकर भी दिए हैं। पहाड़ी इलाका होने के कारण कनेक्टिविटी नहीं हो पाती है। अत: मेरा माननीय संचार मंत्री जी से निवेदन है कि वह इन स्थानों पर टॉवर लगवाने के निर्देश देने का कष्ट करें, ताकि लोगों को कनेक्टिविटी की सुविधा मिल सके। आजकल पंचायतों में भी ब्रॉडबैंड के तहत इस बात की आवश्यकता रहती है कि कनेक्टिविटी रहनी चाहिए। आपका बहुत-बहुत धन्यवाद।

**SHRI PRADYUT BORDOLOI (NOWGONG):** Hon. Speaker, Sir, I rise here today to draw your attention as to how a priceless natural wealth is being destroyed and plundered in the State of Assam. On the 22nd November, the hon Minister of Environment, Forest and Climate Change of the Government of India asserted, referring to the natural wealth that I am mentioning, that this natural wealth is classified as Assam Valley Tropical Evergreen Forests. In other parlance, this is the Rainforest.

Sir, it is a matter of great shame that the last remnants of Asiatic Rainforest that we have in the Upper Assam Area, has been systematically destroyed and plundered by a coal mafia. The hon. Minister admitted here that in the Reserve Forests of Assam, in the Upper Assam, especially in the District of Tinsukia and Dehing Patkai Wildlife Sanctuary, the rat-hole coal mining is going on. Sir, whatever the hon. Minister has admitted here is just a tip of the iceberg. There has been a massive cover up of all these plunderings. The whole rainforest is being destroyed.

So, Sir, I would request the Government of India to depute a Fact Finding Team because the entire racket is being covered up by the Government of Assam and the respective Departments. It is very important that the Government of India interferes, and the concerned Ministry should send a Fact Finding Committee to find and protect the rainforest of Assam. Thank you.

**माननीय अध्यक्ष :** श्री कुलदीप राय शर्मा को श्री प्रद्युत बोरदोलोई द्वारा उठाए गए विषय के साथ संबद्ध करने की अनुमति प्रदान की जाती है।

**डॉ.( प्रो.) किरिट प्रेमजीभाई सोलंकी (अहमदाबाद पश्चिम):** धन्यवाद अध्यक्ष महोदय, मैं आज गुजरात के रेलवे के विषय को आपके माध्यम से सदन में उठाना चाहता हूं। जहां तक उत्तर गुजरात का सवाल है, वहां रेल कनेक्टिविटी और नेटवर्क काफी कम है। मेरा आपके माध्यम से सरकार से और खासकर माननीय रेल मंत्री जी से विनती है कि उत्तर में गुजरात चाणस्मा नगर है, वहां से राधनपुर की दूरी सिर्फ 65 किलोमीटर है। राधनपुर से आगे कच्छ तक रेलमार्ग है, कांडला

तक रेलमार्ग है। मैं सरकार से विनती करना चाहता हूं कि उस दूरी को कनेक्ट किया जाए तो गुजरात में महेसाणा से, रणूत से, चाणस्मा से, राधनपुर से कच्छ का एक नया रेलमार्ग बन सकता है। हम सभी जानते हैं कि वहां पाकिस्तान का इंटरनेशनल बॉर्डर है और काफी सेंसेटिव बॉर्डर है। कभी-कभी युद्ध की स्थिति में या सेंसेटिव समय में उस नए रेलमार्ग से लाभ मिलेगा। आपने मुझे बोलने की अनुमति दी, इसके लिए मैं आपका बहुत आभारी हूं।

**माननीय अध्यक्ष:** डॉ. सुजय विखे पाटील (उपस्थित नहीं)।

श्री अरविंद धर्मापुरी।

**श्री अरविंद धर्मापुरी (निजामाबाद):** बहुत-बहुत धन्यवाद अध्यक्ष जी। मैं तेलंगाना से आता हूं और तेलंगाना में तकरीबन 10 लाख बीड़ी वर्कर्स रहते हैं और इसमें से 98 प्रतिशत महिलाएं हैं। उनमें 90 प्रतिशत अशिक्षित हैं। उनके नामों में डिस्क्रिपेंसी है। उनके प्रॉविडेंट फंड के फॉर्म-9 और आधार कार्ड में डिस्क्रिपेंसी है। शादी से पहले सर नेम अलग होता है और शादी के बाद सर नेम चेंज होता है या आधार के रजिस्ट्रेशन के समय डेट ऑफ बर्थ की गलत एंट्री हो जाती है। इन छोटी-छोटी डिस्क्रिपेंसीज की वजह वे प्रॉविडेंट फंड विड्रा नहीं कर पा रही हैं। इसलिए सरकार ने 30 नवम्बर तक का समय डिसक्रिपैंसीज़ ठीक करने के लिए दिया है। तेलंगाना में महिलाओं की बड़े पैमाने पर इस तरह की समस्या है। इसके लिए यह समय कम पड़ेगा, इसलिए मैं मंत्री जी से सुबह मिला था। उन्होंने तुरन्त तीन महीने का एक्सटेंशन दे दिया है, जिसके लिए मैं उनका आभारी हूं। इसके अलावा आधार के रेक्टिफिकेशन सेंटर की बात है। अगर तीन महीने में हमें दस लाख लोगों को कवर करना है तो वहां सेंटर्स की संख्या बढ़ाने की आवश्यकता है।

महोदय, हमारे यहां बीड़ी वर्कर्स को डेढ़ लाख रुपये अलग स्कीम से इससे पहले घर बनाने के लिए दिए जाते थे। अब उसे आवास योजना में मिला दिया गया है। लेकिन आवास योजना का पैसा सरकार द्वारा जो दिया जाता है, उसको डायवर्ट कर दिया जाता है। इसलिए वहां की

महिलाएं, बीड़ी वर्कर्स बहुत गरीब हैं, उनको एक भी घर आवास योजना से नहीं दिया गया है। आज तक पांच सौ घर भी हेण्डओवर नहीं किए गए हैं। फण्ड का डायवर्जन ज्यादा हो रहा है। इसलिए मैं यह सरकार की दृष्टि में लाना चाहता हूं कि इंटिग्रेटिड हाउसिंग स्कीम के तहत बीड़ी वर्कर्स को घर बनाने के लिए दूसरी योजना के तहत कुछ किया जाना चाहिए, यही मैं निवेदन करना चाहता हूं। धन्यवाद।

**DR. SUJAY VIKHE PATIL (AHMEDNAGAR):** Thank you, Speaker, Sir. I would like to draw your attention towards the current state of affairs at Shirdi Airport. As you are aware, Shirdi is a very big holy place. But for the past 20 days, over 400 flights have been cancelled due to low visibility and non-availability of night landing. There are certain proposals which are pending with the DGCA which have to be taken up on top priority, for example, clearance for conduct of Instrument Flight Rules (IFR) operations which will facilitate landing and take-off even with low visibility of 2000 metres to 2300 metres as well as the commissioning of Doppler Very High Frequency Omni Range (DVOR) radar which is also on hold. So, I would request, through you, that the Government should expedite the process of necessary approvals so as to facilitate night landing or low visibility landing so as to give a relief to the devotees. Thank you, Sir.

**माननीय अध्यक्ष :** श्री कुलदीप राय शर्मा को डॉ. सुजय विखे पाटिल द्वारा उठाए गए विषय के साथ संबद्ध करने की अनुमति प्रदान की जाती है।

**श्री शान्तनु ठाकुर (बनगांव):** अध्यक्ष महोदय, मैं आपके माध्यम से सदन में एक अति महत्वपूर्ण विषय रखने जा रहा हूं जो एक विशेष समुदाय से संबंधित है। यह समाज हिन्दू समाज के एक अति पिछड़े वर्ग से है, जो मतुआ समाज कहलाता है। बांग्ला देश में बसे हुए हिन्दुओं में से 90 परसेंट मतुआ समाज से हैं। धार्मिक भेदभाव होने के कारण इस समाज के लोग बांग्लादेश में अपनी सारी घर-जमीन छोड़कर शरणार्थी के रूप में भारतवर्ष में रहने लगे। आजादी के बाद से आज तक इस समाज के लोगों को काफी वंचित किया गया है। इसके साथ ही ये लोग अपने भविष्य के लिए चिंतित है। मोदी जी की सरकार द्वारा हिन्दू मतुआ समाज के शरणार्थियों को भारत में नागरिकता देने की पहल की जा रही है जो काफी स्वागत योग्य है। महोदय, नागरिकता देने के साथ-साथ मतुआ समाज को इस सरकार से अपेक्षा है कि इस समाज का सामाजिक, आर्थिक और राजनैतिक रूप से भी विकास हो। इसके लिए मैं सरकार से मांग करता हूं कि ऑल इंडिया मतुआ डेवलपमेंट बोर्ड बनाया जाए ताकि इन लोगों का विकास हो और साथ ही साथ एक उज्जवल भविष्य की ओर कदम बढ़ सकें।

**माननीय अध्यक्ष :** श्री कुलदीप राय शर्मा को श्री शान्तनु ठाकुर द्वारा उठाए गए विषय के साथ संबद्ध करने की अनुमति प्रदान की जाती है।

**श्री जसबीर सिंह गिल (खडूर साहिब):** सर, बड़ी कुर्बानियों के बाद वर्ष 1935 में इसी पार्लियामेंट हाउस में सिख गुरूद्वारों की साज-संभाल के लिए शिरोमणि गुरूद्वारा प्रबंधक कमेटी एक्ट पास हुआ था। इसके इलेक्शन हर पांच साल के बाद होते हैं। इसमें टोटल 185 मैम्बर्स चुनकर जाते हैं, जिनमें से 11 हरियाणा से, 1 हिमाचल प्रदेश से और बाकी पंजाब से होते हैं। इसके लास्ट इलेक्शन सितम्बर, 2011 में हुए थे। इस कमेटी की टर्म वर्ष 2016 में खत्म हो चुकी है। महोदय, पंजाब विधान सभा ने वर्ष 2018 में एक रिजॉल्यूशन लाकर और इसको पास करके भारत की सरकार को भेजा है कि इसके इलेक्शन दोबारा कराए जाएं, जिसके तीन साल निकल चुके हैं। वहां पर गुरुद्वारा के गोलक की लूट हो रही है, करप्शन हो रहा है। इस इलेक्शन को डिले करके हम

सभी उस लूट और पाप में भागी बन रहे हैं। मेरा आपके माध्यम से माननीय गृह मंत्री जी से यह निवेदन है, जो हर काम को बहुत ही अच्छे तरीके से करते हैं, उनसे मेरी यह विनती है कि जल्दी से जल्दी शिरोमणि गुरुद्वारा प्रबंधक कमेटी के इलेक्शन का एलान किया जाए और उसको कराया जाए, ताकि गुरुद्वारे में जो लूट हो रही है, जो गलत काम हो रहा है, उससे बचा जा सके।

**माननीय अध्यक्ष :** श्री कुलदीप राय शर्मा को श्री जसबीर सिंह गिल द्वारा उठाए गए विषय के साथ संबद्ध करने की अनुमति प्रदान की जाती है। माननीय सदस्यो, मेरा आपसे आग्रह है कि शून्य काल में अपनी बात को कहकर अपनी मांग को रख दें। मैं किसी को रोकना नहीं चाहता हूं। यह सदन आपका है। आप अपनी प्रस्तावना को रखते हुए अपनी मांग को रख दें।

**श्री महेंद्र सिंह सोलंकी (देवास) :** माननीय अध्यक्ष जी, राष्ट्रीय राजमार्ग 52 जो कि मेरे लोक सभा क्षेत्र देवास से होकर निकलता है, वह देवास से शाहजहांपुर और शाहजहांपुर से शुजालपुर होते हुए आगरा की तरफ जाता है। इस सड़क का अभी-अभी निर्माण कार्य हुआ है। मगर इस सड़क के दोनों ओर जिस सर्विस रोड का निर्माण होना था, वह अभी तक नहीं हुआ है। इसके कारण वहां पर आवागमन करने वाले कृषकों को फसल ले जाने में अत्यधिक कठिनाइयों का सामना करना पड़ रहा है। इसके अतिरिक्त वहां पर दुर्घटनाओं की संख्याएं भी बढ़ गई हैं। मेरा आपके माध्यम से यह निवेदन है कि राष्ट्रीय राजमार्ग 52 के दोनों ओर सर्विस रोड का निर्माण करवाने की कृपा करें।

**श्री कौशलेन्द्र कुमार (नालंदा) :** अध्यक्ष महोदय, मैं आपके माध्यम से माननीय रेल मंत्री जी का ध्यान अपने संसदीय क्षेत्र नालंदा के किसानों की परेशानियों को देखते हुए आकृष्ट कराना चाहता हूं। मेरे संसदीय क्षेत्र के अंतर्गत बिहार शरीफ से दनियावां रेल खंड पर और इस्लामपुर से नटेसर तक अंडरपास का काम चल रहा है। मैं माननीय रेल मंत्री जी से यह निवेदन करूंगा कि कृपया मेरी बात पर ध्यान दिया जाए। माननीय मंत्री जी, मैं आपके ही विभाग के बारे में बोल रहा हूं।

माननीय अध्यक्ष महोदय, मैं आपके माध्यम से यह निवेदन करना चाहता हूं कि जो अंडरपास बन रहा है, सिर्फ मेरे ही संसदीय क्षेत्र में नहीं, बल्कि पूरे देश में जो अंडरपास बन रहे हैं, कई माननीय सदस्यों ने इस बात को रखा है कि जो अंडरपास बन रहे हैं, वहां पर किसानों का हारवेस्टर नहीं जा पा रहा है और न ही ट्रैक्टर जा पा रहा है। बरसात के दिनों में लगभग 8 से 9 फीट नीचे तक पानी भर जाता है, जिससे आवागमन बाधित हो जाता है।…(व्यवधान)

**माननीय अध्यक्ष :** श्री कुलदीप राय शर्मा को श्री कौशलेन्द्र कुमार द्वारा उठाए गए विषय के साथ संबद्ध करने की अनुमति प्रदान की जाती है। माननीय सदस्य, मैं भी आपकी बात से सहमत हूं। माननीय मंत्री जी, मेरा सदन के सभी सदस्यों की तरफ से आपसे यह आग्रह है कि पूरे देश के अंदर अंडरपास की डिजाइन को देखना चाहिए। कई माननीय सदस्यों ने इस विषय को समय-समय पर सदन में उठाया है।

**रेल मंत्री तथा वाणिज्य और उद्योग मंत्री (श्री पीयूष गोयल) :** अध्यक्ष महोदय, मैं इसको देखूंगा।

**श्री कौशलेन्द्र कुमार :** महोदय, क्रासिंग को बरकरार रखा जाए।

**श्री जॉन बर्ला (अलीपुरद्वारस) :** माननीय अध्यक्ष महोदय, आपका धन्यवाद। मैं आपके माध्यम से इस सदन को सूचित कराना चाहता हूं कि अलीपुर, जलपाईगुड़ी और दार्जिलिंग जिले में 15 चाय बागान बंद पड़े हैं और अभी 12 चाय बागान बंद होने के कगार पर पहुंच गए हैं, जिसके कारण मजदूरों का पलायन हो रहा है। वे अपने क्षेत्रों को छोड़कर दूर-दूर जाकर रोजगार खोजने के लिए मजबूर हो रहे हैं। वे मजदूर जो रिटायर हो गए हैं, उनके पीएफ के नाम और आधार कार्ड के नाम से मिचमैच होने के कारण वे अपने पीएफ तथा पेंशन का क्लेम नहीं कर पा रहे हैं। बहुत सारे उद्योगों के मालिकों द्वारा और पीएफ डिपार्टमेंट द्वारा मजदूरों से पीएफ की राशि को काटा जा रहा है, लेकिन वे उसको जमा नहीं कर रहे हैं। महोदय, राज्य सरकार को उपरोक्त विषय के बारे में बार-बार सूचित करने के बाद भी राज्य सरकार उसकी अनदेखी कर रही है। अतः मैं इस सदन के

माध्यम से सरकार से यह मांग करता हूं कि जल्द से जल्द इस समस्या पर एक सक्रिय कमेटी बनाई जाए, जो इस समस्या का समाधान कर सके।

**श्री मनसुखभाई धनजीभाई वसावा (भरूच) :** माननीय अध्यक्ष जी, आपने मुझे शून्य काल में बोलने का अवसर दिया है, मैं उसके लिए आपका आभारी हूं। अध्यक्ष जी, हमारा देश कृषि प्रधान देश है। किसान जगत का पिता कहलाता है। भारतीय जनता पार्टी और श्री नरेन्द्र भाई मोदी जी की सरकार में देश के किसानों के हित में बहुत सारी योजनाएं चल रही हैं। जैसा कि प्रधान मंत्री किसान सम्मान निधि योजना, प्रधान मंत्री सिंचाई योजना, फसल बीमा आदि योजनाओं से किसानों को ऊपर उठाने के लिए सरकार बहुत अच्छा कदम उठा रही है। फिर भी मेरे लोक सभा क्षेत्र भरूच में नर्मदा जिले और भरूच जिले में ढेडियापाड़ा, सागबारा, वाल्या, झगढ़ा जैसी ट्राइबल बेल्ट्स हैं, जहां किसानों को सिंचाई की सुविधा नहीं है। सिंचाई की सुविधा नहीं होने की वजह से वहां से किसान पलायन कर  जेआइडीसी, भरूच, सूरत, आदि स्थानों पर अपने-अपने रोज़गार-धंधों के लिए चले जाते हैं। मेरी आपके माध्यम से सरकार से विनती है कि जहां चिंसाई की सुविधा नहीं है, वहां प्रधान मंत्री सिंचाई योजना के अंतर्गत सिंचाई की सुविधा उपलब्ध करवाई जाए। सिंचाई की सुविधा होने के साथ-साथ पशुपालन का व्यवसाय भी विकसित होगा। आपने मुझे बोलने का अवसर दिया, इसके लिए आपका बहुत-बहुत धन्यवाद।

**साध्वी प्रज्ञा सिंह ठाकुर (भोपाल):** अध्यक्ष महोदय, मेरे संसदीय क्षेत्र भोपाल की समस्या को मैं आपके सामने रखती हूँ। घटना 02 दिसंबर, 1984 की है। शासन कांग्रेस का था। कंपनी यूनियन कार्बाइड थी। उस समय बहुत बड़ी दुर्घटना, बहुत बड़ी घटना हुई। इस कंपनी का मालिक एंडरसन था। मृतकों की संख्या 33,787 है, प्रभावित लोगों की संख्या आठ लाख 58 हजार है। आंशिक प्रभावित लोग 40 हजार से अधिक है। उन्होंने बहुत पीड़ा उस समय सहन की है। तब से ले कर आज तक उनकी जो स्थिति बनी हुई है कि वे आज भी विकलांगता की स्थिति में हैं और शारीरिक रूप से कमजोर हैं, काम करने की अवस्था नहीं रहती है। उसी के तारतम्य में यह जो

एंडरसन है, यह आतंकवादी के रूप में सामने आया। महोदय, मैं एक ही बात कहना चाहती हूँ कि विदेश का व्यक्ति आता है, हजारों लोगों को मारता है और लाखों लोग उससे प्रभावित होते हैं, उस पीड़ा से प्रभावित होते हैं और चालीस हजार से अधिक लोग आज आंशिक प्रभावित हैं, जो काम करने की अवस्था में नहीं हैं। महोदय, कांग्रेस का उस समय का जो शासन था, राज्य से ले कर केन्द्र तक उसको सुरक्षित विदेश में भगाया गया। इसे आतंकवाद कहते हैं। भोपाल मध्य प्रदेश की राजधानी है। ...* देश की रक्षा करने वाले कभी आतंकवादी नहीं होते हैं। ...(व्यवधान) महोदय, विषय यह है कि 34 वर्ष व्यतीत होने के बाद जन-जीवन प्रभावित है। ...(व्यवधान) महोदय, वहां के कपड़ा मिल वर्कर्स हैं, वे आज भी काम करने की अवस्था में नहीं हैं। ...(व्यवधान) बैठ जाइए। ...(व्यवधान) सुनिए, पूरी बात सुनना सीखो। ...(व्यवधान) महोदय, उस बीमारी से प्रभावित ये लोग आज काम नहीं कर पा रहे हैं और इसलिए उन लोगों ने एमवीआरएस लेने की प्रार्थना की है कि मुझे मैडिकल आधार पर वीआरएस दिया जाए, जिससे वे अपना जीवन आराम से बिता सकें और उनके स्थान पर अच्छे मजदूर काम कर सकें। ऐसा मेरा आग्रह है। ...(व्यवधान)

**माननीय अध्यक्ष :** श्री गोपाल शेट्टी को साध्वी प्रज्ञा सिंह ठाकुर द्वारा उठाए गए विषय के साथ संबद्ध करने की अनुमति प्रदान की जाती है।

**SHRI SUNIL KUMAR MONDAL (BARDHAMAN PURBA):** Sir, I want to draw the kind attention of the Labour Minister, through you, to the Labour Commissioner's office, which is looking after the *beedi* workers' development in Bankura, but it has been closed for a long time. There is no staff available in the office of the Commissioner to look after the interest of the workers. As a result, the *beedi* workers, especially from Bankura, Bardhaman, Birbhum,

---

* Not recorded.

Purulia and Jhargram, are not able to enlist their names and get their identity cards.

**माननीय अध्यक्ष:** माननीय सदस्य, आप किस विषय पर बोलना चाहते हैं? आप बोलना चाहते हैं कि पश्चिम बंगाल में जीटी रोड क्रॉसिंग पर रेलवे ओवर ब्रिज की आवश्यकता है।

…(व्यवधान)

**श्री सुनील कुमार मंडल :** सर, वह तो एक नंबर पर उस दिन था। यह तो हमारा आज का विषय है। सर, दो विषय थे। …(व्यवधान)

**माननीय अध्यक्ष :** माननीय सदस्य, मैं एक बात करेक्ट कर दूं। आज की लिस्ट में मैंने जो बोला है वही है। मैं आपको इजाजत दे रहा हूँ, इसलिए नया विषय बोल लीजिए, यह बात सही है। लेकिन यह मत कहिए कि आज का सब्जेक्ट कुछ और है। आप बोल लीजिए, कोई बात नहीं। मैं आपको इजाजत देता हूँ।

**SHRI SUNIL KUMAR MONDAL :** Thank you, Sir. *....(Interruptions)* As a result, these bidi workers are not able to get their identity cards. Therefore, they are deprived of all the benefits and facilities given by the Government. Many poor people are associated with this work in Kalna, Katwa, Memari, Jamalpur, Rauba and other place in my constituency, Bardhaman Purba. This is the main source of their livelihood. Now, they are facing serious problems. A petition regarding this issue has already been submitted several times to the Labour Minister. He has promised several times but no action has been taken, no developmental steps have been taken in this regard. Therefore, Sir, through

you, I request the hon. Minister to take up necessary steps immediately. I will be highly obliged if this issue is seriously considered. Thank you.

**SHRI V.K. SREEKANDAN (PALAKKAD):** Respected Sir. I wish to express my views in respect of a very important matter. The rural people are not getting work for guaranteed number of days under Mahatma Gandhi National Rural Employment Guarantee Scheme. The Government has to understand that the rural economy has a bearing or an impact on the national economy and the growth of our GDP. Having this realization and vision in mind, the UPA Government had brought this wonderful scheme. There are reports that villages are now weakening and facing starvation. Therefore, I urge upon the Government to provide employment for guaranteed number of days. I would also request the Government to consider enhancing the number of days of work to at least 200 days under MGNREGA scheme. Thank you.

**श्री नव कुमार सरनीया (कोकराझार):** अध्यक्ष महोदय, मैं असम राज्य के एक महत्वपूर्ण विषय पर सदन का ध्यान आकर्षित करना चाहता हूँ। असम के कोच राजबंसी, आदिवासी, टाई आहोम, मोरान, मटक और चुटिया, ये छ: जनजातियाँ बहुत दिनों से जनजातिकरण की मांग करती आ रही हैं। चुनाव के समय यह मुद्दा विशेष स्थान रखता है, लेकिन अभी तक इसका कोई समाधन नहीं हो पाया है। कोच राजबंशी को सन् 1996 में अध्यादेश के जरिये जनजाति की मान्यता मिली थी, लेकिन वह संविधान में अंतर्भुक्त नहीं हो पाया, जिसकी वजह से जनजाति की मान्यता नहीं मिल पाई है। आदिवासी लोगों की भारतवर्ष के विभिन्न राज्यों में जनजाति के रूप में मान्यता है, लेकिन असम में इन्हें जनजाति की मान्यता से दूर रखा गया है। सरकार राज्य सभा में जनजातिकरण के लिए बिल लाई थी, लेकिन अभी भी उस पर कोई कार्रवाई नहीं हुई है। मेरी आपके जरिये सरकार

से माँग है कि जल्द से जल्द इन जनजातियों का जनजातिकरण किया जाए। इसके साथ ही कलिता और नाथ-योगी के लिए भी जनजातिकरण की प्रक्रिया होनी चाहिए। धन्यवाद।

**SHRIMATI PRATIMA MONDAL (JAYNAGAR):** Thank you, Sir. I would like to draw the attention of the House to an important issue. Sir, according to the World Health Organisation's latest Report, India has the highest suicide rate in the South-East Asian region. The Report pegged India's suicide rate at 16.5 suicides per 100,000 people. Around 800,000 people end their own life every year in India. We are lagging behind in the area of mental health awareness. On top of that, there exists no national helpline number for people who want to seek help. Most of the helpline numbers run by different NGOs either turn out to be busy or the person providing help is not trained. In several cases, they are very harsh to the help-seekers. The moment, when someone decides to end his life, is extremely delicate and soft. One meaningful word can change their decision and one wrong move will push them towards death. Sir, India needs a national helpline number that can be provided to the people. It will not only save thousands of lives but also generate employment for people. Thank you, Sir.

**श्री राजीव प्रताप रूडी (सारण):** माननीय अध्यक्ष जी, आज जो लॉन्च व्हीकल लॉन्च हुआ है और उसके बाद जो कामयाबी हुई है, उसके लिए आपने पूरे देश को संबोधित करते हुए पूरे भारत के वैज्ञानिकों को बधाई दी। उसी क्रम में, बिहार के श्री वशिष्ठ नारायण सिंह थे, जिनकी मृत्यु पर

अभी माननीय प्रधान मंत्री जी ने ट्वीट किया…* मैं दुनिया के सबसे बड़े गणितज्ञ की चर्चा कर रहा हूं। ये व्यक्ति ऐसे व्यक्ति थे कि जब अपोलो लॉन्च हो रहा था और जब 31 कम्प्यूटर्स बंद हो गए थे, उस अवधि में उन्होंने एक कागज पर उस समय का कैलकुलेशन निकाल दिया, जिसके बारे में नासा के वैज्ञानिकों ने कहा कि इनका कैलकुलेशन और बंद हुए कम्प्यूटर्स की अवधि का जो मानक था, वह बराबर था। महोदय, आज उनका श्राद्ध है। आज बिहार में बड़ा शोक का दिन है। 14 नवम्बर को उनकी मृत्यु हुई। बिहार में पूरा राजकीय शोक रहा। उन्होंने कैलिफोर्निया यूनिवर्सिटी से पी.एच.डी. की थी और बर्कले यूनिवर्सिटी ने उन्हें 'जेनेसिस ऑफ जीनियस' कहा। उन्होंने नासा के वैज्ञानिक के रूप में काम किया। फिर बाद में मानसिक स्थिति खराब होने के कारण वे बिहार लौट आए। आज डॉ. वशिष्ठ नारायण सिंह की पेटी की पेटी मैथमैटिक्स की किताबें, जो वे रिसर्च कर रहे थे, वे पड़ी हुई हैं। मैं सदन के माध्यम से यह चाहूंगा कि ऐसा मैथमैटीशियन, जो दुनिया के लेवल पर जाना जाता था, जो बिहार का बेटा था, जो देश का बेटा था, उनकी लेखनी और उनके कामों पर एक शोध संस्था की स्थापना हो। मैं चाहूंगा कि यह उत्तर बिहार में हो, जैसे भोजपुर, आरा, जो उनका इलाका था, वहां उनके नाम पर एक केन्द्रीय विश्वविद्यालय की स्थापना करने की माँग मैं आपके माध्यम से सरकार से करता हूं।

**माननीय अध्यक्ष:** श्री सुशील कुमार सिंह, श्री जगदम्बिका पाल और श्री अजय कुमार को श्री राजीव प्रताप रूडी द्वारा उठाए गए विषय के साथ संबद्ध करने की अनुमति प्रदान की जाती है। माननीय सदस्यगण, मेरा आग्रह है कि 25 तारीख की सूची और अन्य सूची, जो अतिरिक्त सूची थी, जिन्हें मैंने उस समय शून्य काल में बोलने का मौका नहीं दिया था, मैं सभी माननीय सदस्यों से आग्रह करूंगा कि वे एक मिनट में अपनी बात को समाप्त कर दें।

सुश्री एस. जोतिमणि - उपस्थित नहीं।

---

* Not recorded.

श्री रमेश चन्द्र कौशिक - उपस्थित नहीं।

**श्री अशोक कुमार यादव (मधुबनी):** माननीय अध्यक्ष महोदय, मेरा लोक सभा क्षेत्र मधुबनी मिथिला की हृदयस्थली है और वह विद्वानों की धरती रही है। यह विद्यापति जी के लोरिक, स्लेहेश और दीनाभद्री की धरती रही है। मधुबनी जिले की जनसंख्या लगभग 50 लाख से ज्यादा है, लेकिन आज तक वहां कोई भी केन्द्रीय विद्यालय नहीं खोला गया है। वहां के अभिभावक अपने बच्चों को केन्द्रीय विद्यालय में पढ़ाने से वंचित रह जाते हैं। महोदय, मैं आपके माध्यम से सरकार से माँग करता हूं कि जल्द से जल्द मधुबनी में केन्द्रीय विद्यालय खोला जाए।

**माननीय अध्यक्ष:** श्रीमती लॉकेट चटर्जी - उपस्थित नहीं।

श्री केसिनेनी श्रीनिवास - उपस्थित नहीं।

डॉ. श्रीकांत एकनाथ शिंदे - उपस्थित नहीं।

**SHRIMATI MALA ROY (KOLKATA DAKSHIN):** Hon. Speaker, Sir, I would like to draw the attention of the House to the issue of para-teachers working in primary, upper primary schools, and the special educators, under SSA in West Bengal. It is unfortunate that in spite of the fact that the present Government of West Bengal is taking lot of positive steps relating to salary hike, hike in casual leaves, fixation of retirement age at 60, hike in gratuity etc., the opposition parties in our State are making an issue of it only to achieve narrow political gains. The State Government is sympathetic to their needs and that is why, they have been repeatedly invited for discussions and to resume their duties. It is unfortunate that the Central Government is not releasing its share of dues under this scheme. On the contrary, the para-teachers are being provoked by certain saffron leaders of the State with wrong information, resulting in frequent

agitations due to which the schools and its students are getting affected. I would like to know when the Central Government will release all its dues under this scheme so that the State Government can take appropriate measures to bring back normalcy. Thank you.

**माननीय अध्यक्ष:** श्री रामप्रीत मंडल- उपस्थित नहीं।

**SHRI LAVU SRIKRISHNA DEVARAYALU (NARASARAOPET):** Sir, in November, after meeting Shri Jagan Mohan Reddy garu, the Chief Minister of Andhra Pradesh, the Vice-Chairman of NITI Aayog said, “CM’s vision, planning, dedication and commitment for the development of the State impressed me a lot. Spending half of the Budget for human development is really laudable”.

At the same time, the Vice-Chairman also expressed concern over the growing revenue deficit which stood at Rs. 11,654 crore in 2018-19 and also stated that the deficit may go up in the current fiscal and assured that the NITI Aayog would work with the State Government and help it in every way. To address this, the Chief Minister of Andhra Pradesh is doing everything in his power to attract investments, raise public borrowing and to push exports where Andhra Pradesh has a strong export presence. However, this alone will not suffice in the short-term and the deficit is not the product of the State Government’s actions. It is a product of the unscientific bifurcation of Andhra Pradesh, the non-release of revenue deficit which was approved by the CAG. It has also been compounded by the fact that the  Government has not granted

the assured Special Category Status to the State. According to the CAG, the total revenue deficit of Andhra Pradesh is Rs. 22,984 crore. However, Government of India has released only Rs. 3,979 crore. So, I request, through you, that the hon. Finance Minister to please release Rs. 18,000 crore.

**माननीय अध्यक्ष:** मैं सभी माननीय सदस्यों से पुन: आग्रह करना चाहता हूं कि आप अपने विषय को संक्षिप्त में बता दीजिए।

माननीय सदस्य, पहले आप अपनी पूरी बात खत्म कर लीजिए। क्या आपका विषय खत्म हो गया?

**SHRI LAVU SRIKRISHNA DEVARAYALU :** So, I request, through you, Sir, the hon. Finance Minister to review and release the remaining revenue deficit amounting to Rs. 18,969 crore to be paid to the State of Andhra Pradesh. Thank you very much.

**माननीय अध्यक्ष :** श्री दुष्यंत सिंह – उपस्थित नहीं।

श्री महेंद्र सिंह सोलंकी - उपस्थित नहीं।

**श्री सुशील कुमार सिंह (औरंगाबाद):** अध्यक्ष महोदय, मैं अपने संसदीय क्षेत्र के स्टेशनों पर रेलगाड़ियों के ठहराव से संबंधित विषय सदन के समक्ष रखना चाहता हूं। बिहार का औरंगाबाद संसदीय क्षेत्र पूर्व-मध्य रेलवे के मुगलसराय डिवीजन में आता है। मेरे संसदीय क्षेत्र में अनुग्रह नारायण रोड, राम नरेश देवरिया हॉल्ट, फेसर, बघोई कुसा स्टेशन, जाखिम, देव रोड, रफीगंज, इस्माइलपुर, गुरारू, परैया, कास्ठा स्टेशन आते हैं। हमारा क्षेत्र घनी आबादी वाला क्षेत्र है। हमारे क्षेत्र से लाखों लोग शिक्षा, चिकित्सा, रोजगार तथा व्यापार के लिए देश के विभिन्न महानगरों जैसे-

दिल्ली, कोलकाता, सूरत तथा मुम्बई जाते हैं। वहां के लोग कृषि मजदूर के रूप में काम करने के लिए पंजाब भी जाते हैं। हमारे क्षेत्र के लोगों को इन स्टेशनों पर विभिन्न गाड़ियों के ठहराव नहीं होने के कारण बहुत ही कठिनायों का सामना करना पड़ता हैं।

महोदय, मैं आपके माध्यम से माननीय रेल मंत्री जी से आग्रह करना चाहूंगा कि अनुग्रह नारायण स्टेशन, जो 'ए' ग्रेड का स्टेशन है, वह रेलवे को काफी राजस्व देता है। यहां से जितनी गाड़ियां गुजरती हैं, उन सारी गाड़ियों का ठहराव वहां होना चाहिए। फेसर स्टेशन के लिए मैंने एक छोटी गाड़ी की मांग की है। वहां जम्मू-तवी - सियालदह एक्सप्रेस तथा पलामू एक्सप्रेस का ठहराव होनी चाहिए। हमारे क्षेत्र में जो गाड़ियां चल रही हैं, उनसे हमारे लोगों को सुविधा होती है। वहां के स्टेशन रेलवे को काफी राजस्व दे रहे हैं।

महोदय, मैं आपके माध्यम से एक और निवेदन करना चाहूंगा कि हमारे जो मतदाता हैं, उनको ऐसा लगता है कि अगर सांसद चाहेंगे, तो उनके स्टेशन पर गाड़ी रुक जाएगी। हमारे सांसद ही नहीं चाहते हैं, इसलिए गाड़ी नहीं रुकती है। हम लोगों को आलोचना सहनी पड़ती है। इस बारे में मैं आपका संरक्षण चाहूंगा और माननीय रेल मंत्री जी से आग्रह करूंगा।

महोदय, हमारे यहां सासाराम से रांची तक एक नई इंटरसिटी एक्सप्रेस चलती है। मेरे जिले में उसका ठहराव कहीं भी नहीं दिया गया है। यह गाड़ी या तो रोहतास जिले में रुकती है या झारखंड में रुकती है, जो हमारे यहां से 50 किलोमीटर दूर है। उस गाड़ी का ठहराव नबीनगर रोड स्टेशन पर होना चाहिए, ताकि लाखों लोगों को रेल की सुविधा मिल सकें। महोदय, आपने मुझे बोलने का अवसर दिया, इसके लिए मैं आपका आभारी हूं। धन्यवाद।

**माननीय अध्यक्ष :** कुँवर पुष्पेन्द्र सिंह चन्देल को श्री सुशील कुमार सिंह द्वारा उठाए गए विषय के साथ संबद्ध करने की अनुमति प्रदान की जाती है।

**श्री निहाल चन्द चौहान (गंगानगर):** अध्यक्ष महोदय, आपने मुझे शून्य काल में बोलने का मौका दिया, इसके लिए मैं आपको धन्यवाद देना चाहता हूं। भारत माला माननीय प्रधान मंत्री जी की एक महत्वाकांक्षी योजना है, जिसके तहत जम्मू से लेकर कांडला तक सीमावर्ती क्षेत्र में सड़क बन रही है। मेरे लोक सभा क्षेत्र में भारत माला के अंतर्गत दो सड़कें बन रही हैं। भारत माला सीमा पर एक ग्रीन कोरीडोर है। दोनों की डीपीआर स्वीकृत हो चुकी है। जो श्रीगंगानगर में है, वहां 650 करोड़ रुपये की लागत से 256 किलोमीटर सड़क बन रही है और उनकी डीपीआर स्वीकृत हो चुकी है, भूमि अधिग्रहण हो चुका है और उसकी प्रोजेक्ट रिपोर्ट भी सरकार के पास आ गई है।

मेरा आपके माध्यम से निवेदन है कि भारत माला सड़क को जल्दी से जल्दी चालू कराया जाए। ये जो दोनों सड़कें हैं, एक ग्रीन कोरीडोर और दूसरी भारत माला सड़क, इन दोनों में किसानों को बहुत कम मुआवजा मिल रहा है। ग्रीन कोरीडोर हनुमानगढ़ जिले से होकर गुजरती है। दो स्टेट्स के बीच में अगर कोई सड़क बन रही होती है, तो उसका डीएलसी रेट केन्द्र सरकार तय करती है। मेरा आपके माध्यम से केन्द्र सरकार से निवेदन है कि पंजाब में तो 75 लाख करीब डीएलसी रेट मिल रहा है, जबकि राजस्थान में मेरी कांस्टीट्युएंसी में ग्रीन कोरीडोर में सिर्फ 5-5 लाख रुपये के हिसाब से किसानों को कंपसैशन दे रहे हैं। मेरा आपके माध्यम से सरकार से निवेदन है कि दोनों प्रदेशों के बीच में जो सड़क बन रही है, उसका किसान को सही मुआवजा मिले। इसके लिए केन्द्र सरकार दोनों स्टेट्स से बात करके किसानों को सही मुआवजा दिलाए। सीमावर्ती क्षेत्र में जो भारत माला सड़क बन रही है, उसको सही समय पर पूरा करायें, मेरा आपके माध्यम से यही आग्रह है।

**श्री अजय मिश्र टेनी (खीरी):** अध्यक्ष महोदय, आपने मुझे शून्य काल में बोलने का मौका दिया, इसके लिए मैं आपको धन्यवाद देना चाहता हूं। मेरे लोक सभा क्षेत्र लखीमपुर खीरी सहित उत्तर प्रदेश के 32 जिले में एवं पूरे देश में हिंदू बंजारों की संख्या कई लाख है, जो आजादी के बाद से लगातार अपने अधिकारों, भाषा व संस्कृति की रक्षा हेतु संघर्ष कर रहे हैं। इनके सामाजिक,

आर्थिक, शैक्षणिक उत्थान एवं राजनैतिक भागीदारी सुनिश्चित करने के लिए मैं आपके माध्यम से सरकार से यह मांग करता हूं कि बंजारा समाज के निवास स्थान, जिनको आम तौर पर नगला, टांडा, डेरा आदि कहा जाता है, बंजारा समाज में एक तरह से इनकी संरचना टांगिया वनगांवों की तरह होती है। इनकी भाषा को ग्वार कहा जाता है। इनकी संस्कृति और भाषा की रक्षा के लिए केंद्रीय विश्वविद्यालय के निर्माण व नगला, टांडा आदि को वनटांगिया के निवासियों की तर्ज पर राजस्व गांवों का दर्जा देते हुए उक्त गांवों के विकास हेतु टांडा विकास बोर्ड की स्थापना की जाए।

**माननीय अध्यक्ष :** श्रीमती रेखा वर्मा को श्री अजय कुमार द्वारा उठाए गए विषय के साथ संबद्ध करने की अनुमति प्रदान की जाती है।

**श्री राजेन्द्र अग्रवाल (मेरठ):** अध्यक्ष महोदय**,** आपने मुझे शून्य काल में बोलने का मौका दिया, इसके लिए मैं आपको धन्यवाद देता हूं। पश्चिमी उत्तर प्रदेश पूरे देश में गन्ना उत्पादन के लिए जाना जाता है। उत्तर प्रदेश के 44 जिलों में गन्ना उत्पादन होता है**,** जिसमें 28 जिले ऐसे हैं जिनकी पहचान ही गन्ना उत्पादन के लिए है। महोदय, मेरठ और आसपास के जिलों में पिछले कुछ महीनों से गन्ना किसानों को काफी समस्या का सामना करना पड़ रहा है। गन्ना किसानों को कुछ चीनी मिलों द्वारा अपनी फसल का पूर्ण भुगतान अभी तक प्राप्त नहीं हुआ है। इंडियन शुगर मिल्स एसोसिएशन के अनुसार सितम्बर, 2019 तक उत्तर प्रदेश के गन्ना किसानों के चीनी मिलों पर 6,400 करोड़ रुपये बकाया हैं। प्रदेश में योगी जी की सरकार बनने के बाद पहले के मुकाबले बकाया भुगतान की स्थिति में उल्लेखनीय सुधार होने के बावजूद अभी भी मेरठ एवं हापुड़ में चीनी मिलों के पास किसानों के लगभग 700 करोड़ रुपये से अधिक का बकाया है। इस कारण गन्ना किसान अपनी पारिवारिक जिम्मेदारियों का भी ठीक प्रकार से निर्वहन नहीं कर पा रहे हैं। इसके साथ ही चीनी मिलों से गन्ना किसानों को समय पर गन्ने की पर्ची न मिलने के कारण किसान मजबूरन अपनी फसल गन्ना बिचौलियों को सस्ते दामों पर बेचने के लिए मजबूर हैं।

महोदय, मेरा आपके माध्यम से सरकार से अनुरोध है कि वह गन्ना किसानों की समस्याओं का संज्ञान लेते हुए यह सुनिश्चित करें कि गन्ना किसानों को उनकी उपज का पूरा पैसा जल्द से जल्द मिल जाए। आवश्यकता पड़ने पर भारतीय खाद्य निगम को भी यह निर्देश दिया जाए कि वह अपने चीनी भण्डारण में इजाफा करे, ताकि किसानों को उनके बकाये का शीघ्र भुगतान हो सके।

**माननीय अध्यक्ष :** श्रीमती रेखा वर्मा, कुँवर पुष्पेन्द्र सिंह चन्देल और श्री मलूक नागर को श्री राजेन्द्र अग्रवाल द्वारा उठाए गए विषय के साथ संबद्ध करने की अनुमति प्रदान की जाती है।

**श्री हनुमान बेनीवाल (नागौर):** महोदय, आपने मुझे अवसर दिया, इसके लिए मैं आपको धन्यवाद देता हूं। वर्ष 1998 में स्वर्गीय अटल बिहारी वाजपेयी जी ने राष्ट्रीय राजमार्ग विकास परियोजना को लांच किया था। इसके बाद उस सपने को साकार करने के लिए मोदी जी इस महत्वपूर्ण भारत माला परियोजना को लेकर आए। इसका मुख्य उद्देश्य यह था कि जम्मू से कांडला तक सीमेंटेड सड़क बने। अगर आवश्यकता हो तो युद्ध की स्थिति सीमावर्ती इलाके में हो जाए तो फाइटर प्लेन को भी वहां उतारा जा सके। पंजाब, राजस्थान और गुजरात के अंतर्राष्ट्रीय सीमावर्ती क्षेत्र के पास यह परियोजना मूर्त रूप लेगी तो निश्चित रूप से आने वाले समय में सैन्य क्षेत्र के साथ-साथ आवागमन और पर्यटन को भी फायदा होगा।

राजस्थान में जमीन के मुआवजे का एक बहुत बड़ा आंदोलन चल रहा है। पंजाब में मुआवजा 75 लाख रुपये प्रति एकड़ है, जबकि राजस्थान में 1 लाख बीस हजार रुपये प्रति एकड़ है। जो किसानों से जमीन ले रहे हैं उनको पूरा मुआवजा दिया जाए। राजस्थान में डीएलसी की दर से कम मुआवजा दिया जाता है। ऐसे मामलों में केन्द्र हस्तक्षेप करे। केन्द्र सरकार पंजाब, राजस्थान और गुजरात की तर्ज पर राजस्थान के आंदोलित किसानों को भी अवाप्त भूमि जिन-जिन सीमावर्ती जिलों के अंदर होकर निकलती है, उनको केन्द्र सरकार पूरा मुआवजा दे। सरकार किसानों के लिए हमेशा चिंतित रही है, नया बिल भी लेकर आई है। इसका फायदा वहां के

किसानों और सीमावर्ती क्षेत्रों के लोग में जो विकट परिस्थिति में रहते हैं उनको राहत मिल सके। बहुत-बहुत धन्यवाद।

**माननीय अध्यक्ष:** कुँवर पुष्पेन्द्र सिंह चन्देल को श्री हनुमान बेनीवाल द्वारा उठाए गए विषय के साथ संबद्ध करने की अनुमति प्रदान की जाती है।

…(व्यवधान)

**माननीय अध्यक्ष:** श्री जयदेव गल्ला - उपस्थित नहीं।

**श्री राजू बिष्ट (दार्जिलिंग):** अध्यक्ष महोदय, बंगाल का हर क्षेत्र विविध होते हुए भी अपनी मिट्टी, अपनी भाषा और अपने राष्ट्र के लिए सदैव गौरवान्वित होता रहा है। हमारे क्षेत्र में उप-समूह में एक बड़ा समूह कोजराजवंशी है । दार्जिलिंग, तराई और डुआर क्षेत्र में जनसमूह अपने आप को सांस्कृतिक रूप से समृद्ध करता है । अपनी अन्य परंपराओं के साथ ही उनकी मातृभाषा कामतापुरी भारत की सबसे मीठी बोलियों में से एक है लेकिन अभी संविधान की आठवीं अनुसूची में इसे शामिल नहीं किया गया है। भाषा वह कारक है जो सांस्कृतिक रूप से समाज को जोड़ कर रखती है। कोजरावंशियों के पास भाषा ही वह एक तत्व है जिसके माध्यम से वह आपस में अपने आप को जोड़ कर रख सकते हैं और हजारों साल पुरानी इनकी जाति और संस्कृति को बचाया जा सकता है। अत: आपके माध्यम से सरकार से मेरी प्रार्थना है कि संविधान की आठवीं अनुसूची में कामतापुरी भाषा को शामिल करा कर कामतापुरी भाषा, विरासत और संस्कृति को सुरक्षित करने के लिए सुनिश्चित करें।

**माननीय अध्यक्ष:** कुँवर पुष्पेन्द्र सिंह चन्देल को श्री राजू बिष्ट द्वारा उठाए गए विषय के साथ संबद्ध करने की अनुमति प्रदान की जाती है।

…(व्यवधान)

**माननीय अध्यक्ष:** श्री बी. बी. पाटील - उपस्थित नहीं।

डॉ. राजकुमार रंजन सिंह- उपस्थित नहीं।

श्री कुनार हेमब्राम - उपस्थित नहीं।

श्री बसंत कुमार पांडा - उपस्थित नहीं।

प्रो. सौगत राय - उपस्थित नहीं।

श्री राज बहादुर सिंह - उपस्थित नहीं।

श्री सुनील दत्तात्रेय तटकरे- उपस्थित नहीं।

श्री रवनीत सिंह - उपस्थित नहीं।

श्री अजय भट्ट - उपस्थित नहीं।

**DR. SUKANTA MAJUMDAR (BALURGHAT):** Sir, thank you very much for giving me the opportunity to speak. I would like to change my submission, if you accord permission. I would like to draw the attention of the House and Minister, regarding Ayushman *Bharat Yojana*, which is not implemented in my State, West Bengal. Due to the decision of the State Government, a lot of people are now facing severe problems. They are not getting proper treatment in West Bengal. They cannot afford treatment in private hospitals.

So, I would like to request the concerned Ministry, through you, Sir, to take appropriate measures so that people of West Bengal can avail of some sort of economic help. Although *Pradhan Mantri* Relief Fund is extended to

people of the country but the same is not sufficient for the people of West Bengal. That is the reason why I urge the Government to take necessary steps so that people of West Bengal get the chance for proper treatment, which I think is their constitutional right.

**माननीय अध्यक्ष:** कुँवर पुष्पेन्द्र सिंह चन्देल को डॉ. सुकान्त मजूमदार द्वारा उठाए गए विषय के साथ संबद्ध करने की अनुमति प्रदान की जाती है।

**डॉ. ढालसिंह बिसेन (बालाघाट):** मेरा लोक सभा क्षेत्र बालाघाट मध्यप्रदेश है, जो महाराष्ट्र और छत्तीसगढ़ की सीमा से लगता है। इसमें दो महत्वपूर्ण नेशनल हाईवे 6 और 7 आते हैं। मेरा रेजिडेंस सिवनी जिला लोक सभा क्षेत्र बालाघाट से लेकर आगे के तिकोने भाग में स्टेट हाईवे है। यहां से अधिकांश लोग नागपुर से जबलपुर, जबलपुर से रायपुर जाते हैं। मेरी मांग है कि सिवनी से बालाघाट होकर गोंदिया, कोसमारा तक की रोड को फोर लेन बनाया जाए ताकि आवागमन ठीक से हो सके। इससे 150 किलोमीटर की दूरी कम होगी और जबलपुर से नागपुर और नागपुर से रायपुर जाने के लिए सीधा मार्ग बनेगा। इससे प्रदूषण भी कम होगा। यह मार्ग अत्यंत जर्जर है। मैं आपके माध्यम से निवेदन करना चाहता हूं कि सिवनी से बालाघाट तक जाने वाला मार्ग फोर लेन बनाया जाए।

**माननीय अध्यक्ष:** श्री सैयद इम्तियाज़ जलील – उपस्थित नहीं।

डॉ. संघमित्रा मौर्या।

**डॉ. संघमित्रा मौर्या (बदायूं):** माननीय अध्यक्ष जी, मैं पाली भाषा का विषय सदन में रखना चाहती हूं। पाली का इतिहास सबसे प्राचीन भाषा होने की पुष्टि करता है। ऐसी मान्यता है कि संस्कृत और पाली दोनों ही प्राचीन और समकालीन भाषाएं हैं। पाली भाषा का बृहद साहित्य है। पाली भाषा के लिखित प्रमाण लेख, शिलालेख, पाण्डुलिपियां आदि हैं। यहां तक कि सम्राट अशोक के

शिलालेखों, स्तंभ में भी पाली भाषा का प्रयोग हुआ है। संघ लोक सेवा आयोग में सिविल सेवा की परीक्षा में पाली भाषा काफी लंबे समय से यानी वर्ष 2012 तक रही है, लेकिन नोटिफिकेशन संख्या 04/2013सीएसपी के अनुसार 5 मार्च, 2013 के आगामी वर्ष 2013 से इसे परीक्षा से हटा दिया गया है। संघ लोक सेवा आयोग द्वारा सिविल सेवा परीक्षा से पाली भाषा के विषय को हटाया जाना भारतीय संविधान द्वारा प्रदत्त समानता और धार्मिक स्वतंत्रता के अधिकार का हनन करना है। लगभग 55 विश्वविद्यालयों में पाली और बौद्ध विषयों पर अध्ययन हो रहा है। विदेश को छोड़कर सिर्फ भारत में प्रतिवर्ष नेट और जेआरएफ की परीक्षाएं आयोजित की जाती हैं। मैं आपके माध्यम से अनुरोध करना चाहती हूं कि सिविल सेवा परीक्षा में यह भाषा पुन: लाई जाए।

**माननीय अध्यक्ष:** श्रीमती रेखा वर्मा और श्री जगदम्बिका पाल को डॉ. संघमित्रा मौर्या द्वारा उठाए गए विषय के साथ संबद्ध करने की अनुमति प्रदान की जाती है।

**ADV. DEAN KURIAKOSE (IDUKKI):** Sir, some shocking incidents happened in Kerala last week. I convey my condolences on the sad demise of Wayanad school girl, Shehala Shireen, who died of a snake bite in her classroom. Unfortunately, she could not get good healthcare service from the local hospital. There was another incident of a poor man’s dead body being carried in an open truck because of non-availability of ambulance services. It shows the pathetic condition of our healthcare system.

Sir, both Wayanad and Idukki have almost same geographical conditions. They are covered by hills. There exists a sizeable population of backward classes and tribal people. Most of them are workers and labourers. They cannot afford the services of a private hospital. The technical and financial support provided by the National Health Mission is inevitable for the

development of our healthcare systems. The main aim of the National Health Mission is to provide equitable, affordable and good quality healthcare service to all. In my constituency, the diagnosis facility is very much limited, the ratio of doctor to beds is very much lower than that any other area and maternal mortality is very high. The increase in allocation of funds under the National Health Mission to Kerala is very much essential.

**श्री गिरीश चन्द्र (नगीना):** माननीय अध्यक्ष जी आपने मुझे अपने संसदीय क्षेत्र नगीना के लोक महत्व के विषय पर बोलने का मौका दिया, इसके लिए मैं आपको दिल की गहराई से बधाई देना चाहता हूं। नगीना क्षेत्र में धामपुर से नगीना और नजीबाबाद के लिए नेशनल हाइवे बना है। काफी समय से इस पर काम चल रहा है। किसानों का इस वक्त गन्ने की ढुलाई का काम है, फैक्ट्रियां चालू हैं, रोड पर तमाम गड्ढ़े हैं। इससे लोगों को आने-जाने में बहुत परेशानी हो रही है।

नगीना से जो बिजनौर की ओर रोड जा रही है, वहां रेलवे क्रांसिंग है। उस रेलवे क्रांसिंग में तीन-तीन गाड़ियां एक साथ निकलती हैं, जिसके कारण जाम लगा रहता है। मैं आपके माध्यम से सरकार से मांग रखना चाहता हूं कि नगीना में एक ओवर ब्रिज बने और नगीना से बिजनौर के बीच जो मार्ग है, उसका चौड़ीकरण और सौंदर्यीकरण हो। बहुत-बहुत धन्यवाद।

**माननीय अध्यक्ष:** श्री रितेश पाण्डेय और श्री मलूक नागर को श्री गिरीश चन्द्र द्वारा उठाए गए विषय के साथ संबद्ध करने की अनुमति प्रदान की जाती है।

**डॉ. उमेश जी. जाधव (गुलबर्गा):** धन्यवाद अध्यक्ष महोदय। कर्नाटक के गुलबर्गा में कल्याण, कर्नाटक में 22 तारीख को नए एयरपोर्ट का इनॉगरेशन हुआ है। उस एयरपोर्ट के लिए थांडा के लोगों ने सरकार को 700 एकड़ जमीन दी थी। लेकिन एक कंडीशन के हिसाब वे अपना घर छोड़कर चले गए थे। वहां पर दो टेम्पल, एक सेवालाल टेम्पल और दूसरा मरियम्मा देवी का

टेम्पल था। पहले कंडीशन थी कि टेम्पल को डिमोलिश नहीं करेंगे, लेकिन इनॉगरेशन के एक दिन पहले उस टेम्पल को डिमोलिश कर दिया गया। सिर्फ डिमोलिश ही नहीं किया गया, अंदर की दो मूर्तियों को फोड़ कर उनको बुरी तरह से नुकसान पहुंचाया गया है। अभी कर्नाटक में सभी जगह प्रोटेस्ट चल रहा है। उन लोगों की मांग है कि जो कल्प्रिट हैं, उनको सजा दी जाए। स्टेट और सेन्ट्रल गवर्नमेंट में उनका झगड़ा चल रहा है। उनको तुरंत अरेस्ट करके पनिशमेन्ट दी जाए। उन लोगों की डिमांड है कि वहां एक बार फिर से टेम्पल बने, क्योंकि वह टेम्पल किसी के बीच में नहीं आ रहा है। उनकी एक बहुत बड़ी मांग है कि संत सेवालाल के नाम से वहां पर एक एयरपोर्ट बनाया जाए।

**श्री दिनेश चन्द्र यादव (मधेपुरा):** अध्यक्ष महोदय, बिहार राज्य में एक राष्ट्रीय राजमार्ग 106 है। वह भागलपुर जिले के बिहपुर से शुरू होकर हमारे संसदीय क्षेत्र मधेपुरा तथा सुपौल से गुजर कर नेपाल की अंतर्राष्ट्रीय सीमा तक जाता है। उस सड़क की हालत काफी दयनीय है। इसके निर्माण के लिए बहुत पहले निर्णय हुआ था और उसमें संवेदक भी नियुक्त हुए थे। वह संवेदक आईएलएफएस था। वह चार वर्षों से काम कर रहा था, लेकिन 30 प्रतिशत भी काम नहीं हुआ। इससे लोगों को भारी कठिनाई हो रही है। लोगों का आंदोलन हुआ तो उसमें एक सब-कॉन्ट्रैक्टर पीआरएल को भी नियुक्त किया गया। दोनों में काम बंटा, इसको 70 प्रतिशत और पहले वाले को 30 प्रतिशत दिया गया। लेकिन, अभी तक उसका निर्माण भी शुरू नहीं हुआ है। लोगों को भारी दिक्कत हो रही है। आपके माध्यम से मैं माननीय सड़क परिवहन मंत्री जी से मांग करता हूं कि यह स्वीकृत सड़क जो चार वर्षों से नहीं बन रही है, इस काम में गति लाएं और इस काम को शीघ्र शुरू कराकर इसके निर्माण को पूरा करे। धन्यवाद।

**कुंवर दानिश अली (अमरोहा):** धन्यवाद अध्यक्ष महोदय। मैं उत्तर प्रदेश के किसानों को लेकर एक गंभीर समस्या आपके सामने उठाने जा रहा हूं। मेरे अमरोहा लोक सभा क्षेत्र में किसानों का तकरीबन 25 परसेंट गन्ना चीनी मिलों में चला गया है। किसानों के साथ इतना अन्याय इस देश में

हो रहा है, मैं समझता हूं कि दुनिया में कहीं नहीं होगा। अगर आप सुबह घर में किसी मजदूर को मजदूरी के बुलाएं तो वह पहले अपनी मजदूरी तय करता है। उसको बताया जाता है कि तुम्हें ये मजदूरी मिलेगी। लेकिन, उत्तर प्रदेश के अंदर गन्ना किसानों ने 25 परसेंट गन्ना चीनी मिलों को दे दिया, लेकिन अभी तक यह तय नहीं हुआ कि उनका गन्ना किस भाव से चीनी मिल खरीद रही हैं। …(व्यवधान) आप बता दीजिए कि इस साल गन्ना किस भाव पर खरीदा जा रहा है। …(व्यवधान) अध्यक्ष जी, ये डिस्टर्ब कर रहे हैं। ये एक सीनियर मेम्बर हैं। …(व्यवधान)

**माननीय अध्यक्ष:** आपका एक मिनट पूरा हो गया। एक मिनट पूरा समय दिया गया।

…(व्यवधान)

**माननीय अध्यक्ष:** आप मांग कर लीजिए।

…(व्यवधान)

**कुंवर दानिश अली :** अध्यक्ष जी, मैं मांग कर रहा हूं। मेरा आपके माध्यम से सरकार से यह कहना है कि उत्तर प्रदेश के गन्ना किसानों की कीमत तय हो कि चीनी मिल किस भाव पर गन्ना खरीदे। …(व्यवधान) सर, मेरी बात रिकार्ड में नहीं जा रही है। …(व्यवधान)

**19.00 hrs**

**माननीय अध्यक्ष:** आप मांग कर लीजिए। इनको बोलने दीजिए।

…(व्यवधान)

**कुंवर दानिश अली :** अध्यक्ष जी, मेरा आपके माध्यम से सरकार से कहना है कि उत्तर प्रदेश के गन्ना किसानों के गन्ने की कीमत तय हो कि किस भाव से लिया जाएगा और चीनी मिलों को निर्देशित किया जाए कि उनका भुगतान तुरंत कराया जाए।…(व्यवधान)

کنور دانش علی (امروہہ): محترم اسپیکر صاحب، میں اتر پردیش کے کسانوں کو لے کر ایک سنجیدہ مسئلہ آپ کے سامنے اُٹھانے جا رہا ہوں۔ میرے امروہہ پارلیمانی حلقہ میں کسانوں کا تقریباً 25 فیصد گنّا چینی ملوں میں چلا گیا ہے۔ کسانوں کے ساتھ اتنی نا انصافی اس ملک میں چل رہی ہے میں سمجھتا ہوں کہ دنیا میں کہیں نہیں ہوگی۔ اگر آپ صبح گھر میں کسی مزدور کو مزدوری کے لئے بلائیں تو وہ پہلے اپنی مزدوری طے کرتا ہے، اس کو بتایا جاتا ہے کہ اسے یہ مزدوری ملے گی۔ لیکن اُتر پردیش کے گنّا کسانوں نے 25فیصد گنّا چینی ملوں کو دے دیا، لیکن ابھی تک یہ طے نہیں ہوا ہے کہ ان کا گنّا کس بھاؤ سے چینی ملیں خرید رہی ہیں۔ (مداخلت)۔۔۔ آپ بتا دیجیئےکہ اس سال گنّا کس بھاؤ خریدا جا رہا ہے۔ (مداخلت)۔۔ اسپیکر صاحب، یہ ڈِسٹرب کر رہے ہیں۔ یہ ایک سینئر ممبر ہیں (مداخلت)۔۔۔

کنور دانش علی (امروہہ): محترم اسپیکر صاحب، میں مانگ کر رہا ہوں۔ میرا آپ کے ذریعہ سے سرکار سے کہنا ہے کہ اُتر پردیش کے گنّا کسانوں کے قیمت طے ہو کہ چینی مل کس بھاؤ پر گنّا خریدیں (مداخلت)۔ جناب میری بات ریکارڈ میں نہیں جا رہی ہے --(مداخلت)--

کنور دانش علی (امروہہ): محترم اسپیکر صاحب، میرا آپ کے ذریعہ سے سرکار سے کہنا ہے کہ اُتر پردیش کے گنّا کسانوں کے گُنے کی قیمت طے ہو کہ کس بھاؤ سے گنّا لیا جائے گااور چینی ملوں کو ہدایت دی جائے کہ وہ جلد سے جلد ان کی قیمت کی ادائیگی کریں--

**माननीय अध्यक्ष:** श्री मलूक नागर एवं श्री गिरीश चन्द्र को कुंवर दानिश अली द्वारा उठाए गए विषय के साथ संबद्ध करने की अनुमति प्रदान की जाती है।

**SHRI ANUMULA REVANTH REDDY (MALKAJGIRI):** Hon. Speaker, Sir, the Andhra Pradesh Road Transport Corporation was established under section 8 of Motor Vehicle Act 1950. इस एक्ट के अनुसार स्टेट बाईफर्केशन के बाद तेलंगाना स्टेट रोड कारपोरेशन बन गया। उस हिसाब से तेलंगाना स्टेट के लिए 10,460 बसेज हैं और 49,000 वर्कर्स हैं। For the last 52 days, RTC workers in Telangana have been on strike. Thirty-eight RTC workers have committed suicide. Till date, the Government has not negotiated with the RTC workers. Moreover, after 52 days, RTC workers called off their strike and showed their willingness to join the duty. But the State Government is not ready to accept these workers on duty. One RTC driver Shri Babu committed suicide. Our Member of Parliament Shri Bandi Sanjay Kumar from Karimnagar went to see his body and to extend support to

his family. The local police slapped our Member of Parliament. He moved a privilege motion. कोई एक्शन नहीं लिया गया है। मैनेजमेंट ने 2014 से अब तक वर्कर्स के 826 करोड़ रुपये का मिसयूज किया है, प्रॉविडेंट फण्ड कमिश्नर के पास पैसा जमा नहीं किया है। 7,000 वर्कर्स का प्रॉविडेंट फण्ड का क्लेम पड़ा हुआ है, अभी तक दिया नहीं गया है। लेबर लॉज के अनुसार प्रॉविडेंट फण्ड में जमा करने वाला पैसा अगर रॉंगली यूटिलाइज होता है तो क्रिमिनल केस हो सकता है। राज्य सरकार इसमें कोई कुछ कारोबार नहीं कर रही है। दूसरे, वहां 38 वर्कर्स ने सुसाइड कमिट किया है। अभी तक सरकार की ओर से कोई कारोबार नहीं चल रहा है, कोई डायलॉग नहीं हो रहा है और वे अभी 50 प्रतिशत प्राइवेटाइजेशन करने के लिए तैयार हो गए हैं। इसमें केन्द्र सरकार का 33 प्रतिशत स्टेक है। The Central Government is a stakeholder. इसलिए वर्कर्स और स्टेट गवर्नमेंट से डायलॉग इनिशिएट करके इस इश्यू को रिजॉल्व करने के लिए मैं ट्रांसपोर्ट मिनिस्टर से मांग कर रहा हूं।

**माननीय अध्यक्ष:** माननीय सदस्यगण, जिन माननीय सदस्यों की आज रिक्वेस्ट आई है, मैं उनको धन्यवाद देता हूं कि वे काफी देर तक सदन में बैठे। मैं कल सबसे पहले उन सभी माननीय सदस्यों को निश्चित रूप से अवसर दूंगा।

सभा की कार्यवाही वीरवार, दिनांक 28 नवंबर, 2019 को सुबह 11 बजे तक के लिए स्थगित की जाती है।

**<u>19.03 hrs</u>**

*The Lok Sabha then adjourned till Eleven of the Clock on Thursday, November 28, 2019/Agrahayana 7, 1941 (Saka)*

___________